CRITICAL EVALUATION OF NABARD IN RURAL ECONOMICS WITH SPECIAL REFERENCE TO U.P.

THESIS

Submitted to the University of Allahabad for Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY
IN COMMERCE

Submitted by
ASHUTOSH SHUKLA

Supervised by
DR. H. K. SINGH
M.Com., D.Phil.

Deptt. of Commerce and Business Administration
University of Allahabad, Allahabad

Department of Commerce and Business Administration
University of Allahabad, Allahabad

2002

प्राक्कथन

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी जनसख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है। अपने देश मे कृषि एक प्रमुख व्यवसाय के रूप मे अपनायी गई है। भारत मे कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन न होकर अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड भी है। आज कृषक की बढती आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि कृषि को एक लाभकर व्यवसाय बनाया जाए। कृषि विकास हेतु आवश्यक है कि कृषक के पास वित्त के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, जिससे वह उन्नतशील बीज, उत्तम खाद, नवीन यत्र, सिचाई के साधन तथा कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति सरलतापूर्वक कर सके। कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु भारत सरकार ने अनेक प्रयास किये, उन्ही प्रयासो मे एक सार्थक प्रयास नाबार्ड की स्थापना था। भारतीय रिजर्व बैंक एव तत्कालीन सरकार ने कृषक की कृषि वित्त की समस्या दूर करने के उद्देश्य से नाबार्ड की स्थापना की। नाबार्ड ने अपनी स्थापना काल १९८२ से लेकर आज २००२ तक कृषि एव ग्रामीण विकास मे अहम् भूमिका निभाई है।

आज नाबार्ड ग्रामीण वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। नाबार्ड के द्वारा बैंकिग सस्थाओ को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे किसानो को सरलतापूर्वक वित्त उपलब्ध हो सके। नाबार्ड की स्थापना से कृषि की दशा मे व्यापक सुधार हुए हैं, आज किसान कृषि से अतिरेक अर्जित करने मे सफल हुए है। आज कृषि मे सुधार हुआ है, किसानो की दशा मे परिवर्तन हुआ है तथा ग्रामीण विकास हुआ है किन्तु ये पर्याप्त नहीं हैं। कृषि की दशा मे जिन परिवर्तनो की आशा की गई थी, जिन लक्ष्यो का निर्धारण किया गया था वे आज भी अधूरे हैं। इसका एक प्रमुख कारण है नाबार्ड की असतोषजनक भूमिका।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे नाबार्ड के योगदान का आलोचनात्मक मूल्याकन किया गया है। इसमे कृषि वित्त की प्रारम्भिक आवश्यकता से लेकर कृषि वित्त पूर्ति के साधनो का परीक्षण किया गया है जिसके द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति की जाती है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे ग्रामीण वित्त पूर्ति के साधनो का व्यवस्थित विश्लेषण किया गया है तथा कृषि एव ग्रामीण विकास मे नाबार्ड के आलोचनात्मक योगदान पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुत ग्रथ मे नाबार्ड के योगदान व कमियो का सुव्यवस्थित विश्लेषण करते हुए उनमे सुधार हेतु सस्तुतिया दी गई है।

शोध प्रबन्ध को अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय बनाने हेतु प्राथमिक आकडो का एकत्रीकरण एव साख्यिकीय विश्लेषण, तालिका प्रतिशत विधि, दण्ड चित्रो आदि के द्वारा किया गया है जिनसे यह स्पष्ट हो सके कि कृषि वित्त एव ग्रामीण विकास की वर्तमान स्थिति क्या है। इसी समस्या को ध्यान मे रखकर शोध प्रबन्ध "ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नाबार्ड के योगदान का आलोचनात्मक मूल्याकन" आप के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

शोध प्रबन्ध को सात अध्यायो मे विभाजित किया गया है। प्रथम अध्याय मे कृषि की महत्वपूर्णता एव आवश्यकता के विषय मे प्रकाश डालते हुए, स्वतत्रता पूर्व से लेकर कृषि की वर्तमान दशा को स्पष्ट किया गया है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारत मे कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय का स्थान रखती है व अर्थव्यवस्था मे मेरूदण्ड का कार्य करती है। भारत की जनसख्या का एक बड़ा भाग गावो में निवास करती है। जिनकी जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि है अत कृषि की दशा उत्तम होनी चाहिए जबकि वास्तविकता यह नहीं है अत कृषि की वर्तमान स्थिति को प्रथम अध्याय मे स्पष्ट किया गया है। द्वितीय अध्याय मे भारत मे ग्रामीण वित्त की दशा को स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीणो को अपनी कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु वित्त किन-किन साधनो से प्राप्त होता है। स्वतत्रता पूर्व से लेकर आज तक भारत मे ग्रामीण वित्त की समस्या बनी हुई है अत द्वितीय अध्याय मे ग्रामीण वित्त पूर्ति के साधनो का उल्लेख किया गया है। तृतीय अध्याय मे ग्रामीण वित्त पूर्ति की

अपर्याप्तता को स्पष्ट करते हुए विभिन्न कमीशनो एव कमेटियो की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना का वर्णन किया गया है। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वित्त की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करना था। जिसके लिए नाबार्ड को बैंकिग सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य सौपा गया जिसका उल्लेख इस अध्याय मे किया गया है। चतुर्थ अध्याय मे नाबार्ड की सगठनात्मक सरचना का उल्लेख किया गया है जिसकी सहायता से नाबार्ड कुशलता पूर्वक कार्य कर सके व अपनी स्थापना के उद्देश्यो को पूर्ण कर सके। पाचवे अध्याय मे उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे नाबार्ड के योगदान को स्पष्ट किया गया है और यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार नाबार्ड विभिन्न बैंकिग सस्थाओ की सहायता से ग्रमीण वित्त की पूर्ति कर रहा है। छठवे अध्याय मे नाबार्ड की कमियो को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है तथा यह बताया गया है कि किन कारणो से नाबार्ड अपने स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया है। सातवे व अन्तिम अध्याय मे शोध प्रबन्ध के आधार पर निष्कर्ष एव नाबार्ड की कार्यप्रणाली मे सुधार हेतु उपाय बनाये गये है ताकि नाबार्ड सफलतापूर्वक कार्य कर सके।

शोध प्रबन्ध की पूर्णता हेतु मैं अपने शोध निर्देशक डॉ. हरेन्द्र कुमार सिंह के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हू जिन्होने विभिन्न स्तरो पर शोध प्रबन्ध की मौलिकता एव गुणवत्ता बनाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन किया। वास्तव मे मैं उनके ही प्रोत्साहन एव दिशा निर्देश के कारण इस शोध प्रबन्ध को पूरा करने मे सफल हुआ हू। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग के अध्यक्ष प्रो. के. एम. शर्मा के प्रति भी हृदय से आभारी हू, जिन्होने मेरे शोध प्रबन्ध के पूरा होने मे अपार सहयोग प्रदान किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाणिज्य सकाय के अधिष्ठाता प्रो. पी. एन. मेहरोत्रा मेरे शोध कार्य के दौरान सदैव प्रेरणा स्रोत रहे हैं जिनके प्रति आभार ज्ञापन हेतु, मेरे पास शब्दाभाव है। मैं अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परमश्रद्धेय गुरूजनो विशेषतया प्रो. राजशेखर, प्रो. रमेन्दु राय, प्रो. एस. ए. अन्सारी, आदि के प्रति आभार प्रकट करता हू, जिन्होने मुझे प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से सदैव सहयोग प्रदान किया है।

मै अपने परिजनो विशेष रूप से अपने पूज्य पिता जी श्री प्रमोद कुमार शुक्ला एवं पूज्यनीय माता जी श्रीमती आशा शुक्ला का विशेष आभारी हू, जिन्होने मुझे इस योग्य बनाया है और जिनके आर्शीवाद से यह कार्य पूरा हुआ। मैं अपने अग्रज श्री आनन्द शुक्ला को भी धन्यवाद देता हू जिन्होने सदैव इस कार्य हेतु प्रोत्साहित किया है तथा सदैव प्रेरणा स्रोत रहे है।

अन्त मे मैं अपने समस्त मित्रो तथा श्री देवेन्द्र त्रिपाठी को भी हार्दिक धन्यवाद देता हू जिन्होने तत्परता एव अदम्य उत्साह के साथ शोध प्रबन्ध को मुद्रित किया जिससे कि मैं समय से इसे प्रस्तुत कर पा रहा हूँ।

शोधकर्ता

Ashutosh Shukla

(आशुतोष शुक्ला)

दिनाक 1-11-2002

स्थान इलाहाबाद

वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग,

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विषय-सूची

अध्याय–1

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है व इसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। देश की जनसख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग (वर्ष २०००-०१ की जनगणना के अनुसार) गॉवो मे निवास करता है। भारत मे कार्यशील जनसख्या का लगभग ६८ प्रतिशत भाग सक्रिय रूप से कृषि कार्य मे लगा हुआ है। गॉवो मे रहने वाले व्यक्तियो विशेष तौर से भूमिहीन मजदूर छोटे व सीमान्त कृषक, बधुआ मजदूर एव समाज के पिछडे तबके के लोग अनुसूचित जाति व जनजाति श्रेणी के व्यक्तियो की माली हालत निर्बल है। इन श्रेणी के व्यक्तियो के पास उत्पादन के साधनो का अभाव, ज्ञान व तकनीकी जानकारी का अभाव, भूमि पर पूर्णतया निर्भर रहना, परम्परागत खेती के तरीके, वित्त का अभाव आदि कारणो मे ये लोग निरन्तर गरीबी के वातावरण मे जकडे हुए हैं। गॉवो मे गरीबी इतनी व्याप्त है कि दो समय का भोजन व मूल जरूरत की चीजों का अभाव है। गरीबी को कम करना भारत सरकार का प्रमुख उद्देश्य है जिसके लिए गॉवो में पर्याप्त वित्त की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। भारतीय कृषको की वित्त व साख की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए शाही कृषि आयोग ने भी एक बार कहा था, ''भारतीय किसान ऋण मे जन्म लेता है, ऋण मे ही जीवन व्यतीत करता है ऋण मे ही मर जाता और ऋण अपने पुत्रो के लिए छोड जाता है।''

कृषि एव ग्रामीण विकास कार्यक्रमो और प्रारम्भिक राष्ट्रीय उद्देश्यों के सफल कार्यान्वियन एव निर्धारित लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु सुनिश्चित साख योजना महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य मे साख योजना -

''कृषि वित्त पोषण'' का स्वरूप अत्यन्त व्यापक होता जा रहा है। कृषि वित्त पोषण का विभिन्न समयो मे भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकता है। कृषि विकास के समग्र पहलुओ पर ध्यान देने के साथ समन्वित ग्रामीण विकास और कुटीर एव ग्रामीण उद्योगो को कृष्येत्तर हिस्से के वित्त पोषण के क्षेत्र में ही सम्मिलित किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन म आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार साधनो में वृद्धि के द्वारा कृषि के क्षेत्र मे प्रति व्यक्ति अवरूद्ध आय मे बढोत्तरी लाना है। कृषि क्षेत्र मे बेरोजगारी,अल्प रोजगारो वाले ग्रामीणो के दबाव को कृष्येत्तर और कृषि पर आधारित कृष्येत्तर रोजगार मे लगाकर कम करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर विकासात्मक कार्य में सम्बद्ध सभी सस्थाओ के ग्रामीण साख कार्यकलापो मे समन्वय हेतु विशेष कार्यक्रमो को बनाने, ऋण वितरण प्रणाली को क्षेत्रीय आवश्यकताओ के अनुरूप करने तथा इस कार्य मे सलग्न वित्तीय सस्थाओ की कार्यक्षमता एव कार्यप्रणाली मे सुधार लाने की विशेष आवश्यकता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे विविधता लाने और कृषि कार्यकलापो का विस्तार करने के लिए भारत सरकार ने योजनाकाल के प्रारम्भ से ही पर्याप्त ध्यान दिया है। इसी सदर्भ मे ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी का १९५१ मे गठन किया गया था, जिसने १९५४ मे अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए कृषि वित्त पोषण व्यवस्था मे आधारभूत सुधार पर विशेष बल दिया और स्पष्ट किया कि सस्थागत साख योजना उचित ढग से उचित लोगो तक पहुँचाने के लिए इससे सम्बद्ध वित्तीय सस्थाओ मे तो समन्वय होना ही चाहिए साथ ही इसके उचित कार्यान्वियन मे केन्द्रीय सरकार एव राज्य सरकारो के मध्य मे व्यापक समन्वय, पर्याप्त सहयोग की भावना एव सक्रियता आवश्यक है। ऋण नीति मे सबसे अधिक प्राथमिकता लघु एव सीमान्त कृषको एव अन्य कमजोर वर्गो को मिलनी चाहिए। यदि वित्त पोषण सहायता समय पर और पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध कराई जाए और समय-समय पर ऋण प्रयोजन हेतु पर्यवेक्षण किया जाय तो कृषि एव ग्रामीण विकास कार्यक्रमो मे निश्चय ही परिमाणात्मक एव गुणात्मक सुधार होगा एव ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। आधुनिक बैंकर तो कृषि वित्त पोषण को महत्वपूर्ण दायित्व मानता है तथा किसान समुदाय के

जीवन मे अपनी बढती हुई सहभागिता की आवश्यकता महसूस करता है। इस शताब्दी के प्रथम दशक के अत तक शायद यह देश के प्रत्येक किसान तक पहुँच जायेगा और इसमे कई हजार करोड रूपये लग जायेगे और यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग के लिए सजीवनी की तरह कार्य करेगा। ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिकाधिक सुविधाए प्रदान करने, कृषि एव कृष्येत्तर कार्यकलापो मे समन्वय के द्वारा आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा निजी कृषको और उनके परिवारो के अधिकाधिक कल्याण करने एव उनसे घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने पर विशेष बल दिया है, जो कि भविष्य के लिए इस दिशा मे महत्वपूर्ण सकेत है। इन लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु ऋण सस्थाओ के ससाधनो मे कृषि, विकास के महत्वपूर्ण लक्ष्यो को सुनिश्चित करने एव ऋण वितरण प्रणाली को सरल एव न्यायपूर्ण बनाये जाने पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि एव ग्रामीण साख व्यवस्था मे सहभागी सस्थाओ पर नाबार्ड (**National Bank For Agricultural And Rural Development - NABARD**) का प्रत्यक्ष नियत्रण भी इस दिशा मे लक्ष्य प्राप्ति हेतु काफी प्रभावकारी हो सकता है।[1]

नाबार्ड का प्रार्दुभाव :-

वर्तमान मे राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु एक अग्रणी एव समर्पित सस्था है। इसकी स्थापना जुलाई १९८२ मे श्री शिवरमण राष्ट्रीय कृषि आयोग की सस्तुति पर की गयी थी। समन्वित ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रो को समृद्ध बनाने मे नाबार्ड की सराहनीय भूमिका है। प्रारम्भ मे भारत सरकार ने ग्रामीण वित्त की पूर्ति का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को सौपा। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने ग्रामीण साख की सुचारू पूर्ति के लिए एक पृथक विभाग, "कृषि साख विभाग" की स्थापना की। इस विभाग का एक मात्र कार्य था ग्रामीण साख का अध्ययन करना एव उसकी आवश्यकता का अनुमान लगाकर ग्रामीण साख की पूर्ति करना। कृषि साख विभाग ने अपनी स्थापना काल १९३५ से लेकर अगले बीस वर्षों तक ग्रामीण वित्त मे सराहनीय योगदान

प्रदान किया, किन्तु यह योगदान भारतीय कृषि वित्त के लिए पर्याप्त नहीं था अत भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अन्य पृथक विभागो की स्थापना का निर्णय लिया। और व्यापारिक बैंको को पुनर्वित्त प्रदान करने एव दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु १९६३ मे ''कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन'' "**Agricultural Refinance Corporation**" (ए०एफ०सी०) की स्थापना की गई, जिसने भारतीय कृषि हेतु पर्याप्त ग्रामीण वित्त प्रदान करने का प्रयास किया। कुछ समय पश्चात् कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन का नाम परिवर्तित करके "कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन" "**Agricultural Refinance and Development Corporation**" (ए०आर०डी०सी०) कर दिया गया। वैसे तो कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन सफलतापूर्वक कार्य कर रहा था किन्तु कृषि वित्त की अत्याधिक माग को देखते हुए, एक अन्य पृथक विभाग की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने ''कृषि वित्त कारपोरेशन'' "**Agricultural Finance Corporation**" (ए०एफ०सी०) की स्थापना की। जिसका प्रमुख कार्य था सहकारी सस्थाओ, ग्रामीण बैंको, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको आदि वित्तीय सस्थाओ को अल्पकालीन ऋण एव अन्य सुविधाए प्रदान करना। जिससे ग्रामीण वित्त की माग को पूरा किया जा सके। इन दोनो विभागो के क्रियाकलापो की जाच करने, कार्याविधि का मूल्याकन करने एव यह देखने के लिए कि ये ग्रामीण वित्त की पूर्ति करने मे किस स्तर तक सफल हुए हैं, अनेक कमेटियो एव कमीशनो का गठन किया गया जिन्होने इन दोनो विभागो के बारे मे सकारात्मक रिपोर्ट दी। इसके साथ ही सरकार द्वारा अनेक कमेटिया गठित की गई जिन्होने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के किया कलापो का एव उसके दोनो विभाग ''कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन'' एव ''कृषि वित्त कारपोरेशन'' के क्रिया कलापों का अध्ययन किया। इन कमेटियो मे ज्यादातर कमेटियो ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यो के विकन्द्रीकरण की सिफरिश की। बैकिग कमीशन (१९७२) ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यो के विकेन्द्रीकरण की जबरजस्त सिफारिश करते हुए इस बात की सलाह दी कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु, स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दोनो विभागो को मिलाकर एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की सस्था

की स्थापना की जाए जो कि राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण वित्त का पूर्ति को कार्य करे एव भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा निर्देशन मे कार्य करे। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि आयोग (१९७६) ने अपनी रिपोर्ट मे इस बात की सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अपने परम्परागत क्रियाकलापो को छोडकर नये कार्यो की ओर ध्यान देना चाहिए और कृषि वित्तीयन के अपने ऐतिहासिक कार्य को किसी अन्य राष्ट्रीय सस्था को सौप देना चाहिए। जो कृषि आवश्यकता का निचले स्तर से अध्ययन करके, कृषि वित्त की पूर्ति करे।

विभिन्न आयोगो एव कमेटियो की सिफारिश पर ३० मार्च १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के तत्कालीन गवर्नर श्री आई जी पटेल ने एक आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप मे श्री बी० शिवरमण को नियुक्त किया गया। इस कमेटी का मुख्य कार्य था ग्रामीण आवश्यकता का अनुमान लगाना एव कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन (ए०आर०डी०सी०) के क्रिया कलापो सगठनात्मक ढाचे एव इसकी उपयोगिता का मूल्याकन करना। चूकि इस कमेटी के अध्यक्ष श्री बी० शिवरमण थे अत इस कमेटी का नाम शिवरमण कमेटी रखा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशानुसार शिवरमण कमेटी को अपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर १९७९ तक प्रस्तुत करनी थी। शिवरमण कमेटी ने अपनी अतरिम रिपोर्ट नवम्बर १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के समक्ष प्रस्तुत की। शिवरमण कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मे यह स्पष्ट सिफारिश की कि भारतीय ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की पृथक सस्था की नितान्त आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय स्तर की सस्था भारतीय रिजर्व बैंक से पृथक सस्था के रूप मे कार्य करेगी। इस राष्ट्रीय सस्था का प्रबन्ध एव सचालन स्वय का होगा लेकिन यह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशन मे एव पूर्णतया समन्वय स्थापित करके कार्य करेगी। शिवरमण कमेटी ने राष्ट्रीय स्तर की पृथक सस्था का नाम "राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक" **National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)** नाबार्ड प्रस्तावित किया शिवरमण कमेटी की सिफारिश पर भारत सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने

ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एक पृथक सस्था नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया। नाबार्ड की स्थापना हेतु ड्राफ्ट बिल तैयार करने का कार्य शिवरमण कमेटी को सौंपा गया और शिवरमण कमेटी ने नाबार्ड की स्थापना का ड्राफ्ट बिल तैयार किया जो कि दस अध्यायो मे विभाजित था। इन अध्यायो मे नाबार्ड की स्थापना नाबार्ड की पूजी, नाबार्ड का स्टाफ नाबार्ड के क्रियाकलाप आदि तथ्यो को शामिल किया गया। शिवरमण कमेटी के द्वारा नाबार्ड की स्थापना का ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत कर दिया गया और १२ जुलाई १९८२ से नाबार्ड ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

इसने अपने स्थापना काल १९८२ से ही ग्रामीण क्षेत्रो के समग्र विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक कार्य-कलापो को तैयार किया है तथा इसकें लिए निवेश ऋण प्रदान करने वाली सस्थाओ के मध्य अनुकूलतम तालमेल स्थापित करने के अपने प्रारम्भिक उद्‌देश्य को प्राप्त करने के लिए सफल प्रयास किया है। नाबार्ड के निर्देशन मे ही ऋण सस्थाओ ने समानता के साथ वृद्धि के सिद्वान्त को आधार बनाया है और कृषि एव कृष्येत्तर कार्य-कलापो के विविधीकरण हेतु सवितरण ऋण का काफी बडा भाग समाज के कमजोर वर्गो को उपलब्ध कराया है। भारत सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमो को नाबार्ड के अनुसरण मे ही अन्य बैंको के द्वारा गरीबो तक पहुँचाया गया है। नवीनतम आकडो के अनुसार गरीबी सेवा मे नीचे लोगो की सख्या १९८४-८५ मे २७ करोड ६ लाख से घट कर १९८९-९० मे २१ करोड़ ८ लाख रह गई तथा वर्ष १९९९-२००० मे घट कर १७ करोड १३ लाख शेष रह गई है। ग्रामीणऋण वितरण केन्द्रो की सख्या बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने उनऋण एजेन्सियो को अधिक पुनर्वित्त सुविधाए प्रदान की है। जिन्होने ग्रामीण शाखा विस्तार कार्यक्रमो को प्रभावशाली बनाने मे रूचि ली है। इन प्रयासो के फलस्वरूप ग्रामीणऋण की आपूर्ति मे १९६९-७० और १९८९-९० के मध्य लगभग १३ ६ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है तथा वर्ष १९९९-२००० मे नाबार्ड द्वारा ५,७३५ करोड रूपये के मध्यकालीन एव दीर्घकालीनऋण दिये गये। जिसमे कि कृषि और गैर कृषि क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु दिये गये पिछले वर्ष के ऋण की तुलना मे १६ १ प्रतिशत वृद्धि हुई है। ऋण कर्ताओ के मध्य अधिक निकटता एव

मधुर सम्बन्ध स्थापित करने, ऋण की आसान उपलब्धता, पर्याप्तता और समय परकता, ऋणकर्ताओ की समस्याओ के त्वरित समाधान करने, ऋणकर्ताओ के ऋण के अनुकूलतम उपयोग हेतु, जागरूकता हेतु आदि कार्यक्रमो के सम्बन्ध मे ऋण एजेन्सियो के अधिकारियो को समय-समय पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है। प्रशिक्षण केन्द्रो मे बैंकर ग्रामीण विकास सस्थान (**BIRD**) हजरतगज लखनऊ, राष्ट्रीय बैंक ऑफ स्टाफ महाविद्यालय अलीगज लखनऊ, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, स्कूल बागान-बोलपुर तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कोडियाबेल मगलूर प्रमुख हैं।

वर्तमान मे राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) लघु सिचाई, भूमि विकास, कृषि मशीनीकरण, बागान बागवानी, मुर्गी, भेड, सुअर पालन, मत्स्य पालन, डेरी विकास केन्द्र, वानिकी, गोबर गैस सयत्र, गैर कृषि क्षेत्र ग्रामोद्योग के विकास जिसमे कृषि उद्योग पर आधारित उद्योग सम्मिलित है, आदि के लिये सम्बन्धित ऋण एजेन्सियो को पुनर्वित्त की सहायता उपलब्ध कराती है। नाबार्ड का उद्देश्य इस प्रकार से सहायता उपलब्ध कराना है जिससे क्षेत्रीय असतुलन दूर हो तथा विकास निचले स्तर से समानता के साथ हो। [2]

कृषि एव ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के सफल सचालन मे वित्तीय ससाधन महत्वपूर्ण है। उधार की मात्रा मे अत्यधिक वृद्धि से बैको पर निस्सदेह दबाव पडेगा। २४ जुलाई १९९२ को तत्कालीन वित्त मत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया था, उसके अनुसार योजना खर्च की ५० प्रतिशत राशि ग्रामीणो पर व्यय करने की घोषणा की गई थी। इसी उद्देश्य से छोटे तथा सीमान्त किसानो के लिए कुँए खोदने तथा नलकूपो के लिए सहायता देने की योजनाओ की राशि दुगुनी कर दी गयी। स्पष्ट है कि नई अभिनव योजनाओ के क्रियान्वयन के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। १९९२-९३ मे उर्वरक सम्बन्धी आर्थिक सहायता हेतु ५,००० करोड रूपये का प्रावधान किया गया जबकि १९९१-९२ बजट मे प्रावधान ४,००० करोड़ रूपये का किया गया था, किन्तु वास्तविक व्यय ४८,०० करोड़ रूपये हुआ। इसी प्रकार वर्ष २००१-०२ के बजट मे ग्राम सडक योजना के लिए २५०० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया

तथा आर आई डी एफ ७ की सचिति को अगले वर्ष ४५०० करोड से बढाकर ५००० करोड रूपये का प्रावधान किया गया तथा नाबार्ड द्वारा लगाई गई ब्याज दर ११ ५ प्रतिशत को घटाकर १० ५ प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के लिए बजट मे २६१० करोड रूपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र मे निर्धन वर्गो को सरक्षण देने हेतु ५०० करोड रूपये की राशि का अतिरिक्त आवटन भी राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि मे से किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ४८० करोड रूपये आर्थिक सहायता के रूप मे व्यय करने का भी प्रावधान है। सरकार ने १९९२-९३ के बजट मे प्रयोग के तौर पर लघु कृषक कृषि व्यवसाय सघ स्थापित करने का भी विचार बनाया है। इसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अर्तगत वर्ष १९९८-९९ तक ११० लाख क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके थे। नाबार्ड को वर्ष २००१-०२ के दौरान एक लाख अतिरिक्त स्वसहायता समूहो से जोडने की आशा की जा रही है जिससे २० लाख अतिरिक्त परिवारो को क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और औद्योगिक विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित यह स्वायत्त सगठन देश के विभिन्न भागो मे १२ प्रमुख परियोजनायें प्रारम्भ करेगा जिनमे राज्य सरकारो, कृषक परिवारो और उद्योगो की साझेदारी होगी। लघु कृषक कृषि व्यवसाय सघ की स्थापना निश्चय ही कृषि के निचले स्तर से विकास को सुनिश्चित करने मे एक महत्वपूर्ण दिशा होगी।

कृषि के कारगर वित्त पोषण के लिए कृषि उधारो की पूर्व सुव्यवस्थित योजनाये बनाई जानी चाहिए क्योकि सरकार द्वारा बनाई गई कृषि वित्त पोषण की योजनाओ के सफल सचालन मे बैंकों की अग्रणी भूमिका होती है अत लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजनाबद्व और व्यापक क्षेत्र दृष्टिकोण नीति अपनानी होगी। ग्रामीण बैंकिग सस्थाओ को ग्रामीणो की असली ऋण आवश्यकताओ का पता होना चाहिए और इसी के अनुरूप वित्त सुविधा लोच के साथ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इससे कृषि वित्त पोषण के मामले मे एक स्वस्थ वातावरण तैयार हो सकता है।

कृषि वित्त पोषण मे कृषि आय पर कर अशदान के द्वारा कृषि एव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ बनाने मे काफी मदद मिलेगी। अत कृषि साख और विपणन मे सामंजस्य स्थापित करने तथा कृषि आय पर कराधान को विस्तृत बनाने तथा समानता को बढावा देने के किसी भी उपाय का राष्ट्रीय हित मे स्वागत किया जा सकता है।

भारत मे कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मे भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भारतीय कृषि पर जनसख्या भार ज्यादा होने के कारण कृषि अलाभकर हो जाती है। यहा किसानों के पास भूमि के छोटे-छोटे टुकडे है सिचाई के उत्तम साधनो का अभाव है, किसानो को नवीन कृषि तकनीको का ज्ञान नहीं है, उत्तम किस्म के बीजो का अभाव है, भण्डार गृहो की कमी है गावो तक यातायात के उचित साधन उपलब्ध नहीं है और सबसे बडी कमी है वित्त का अभाव। हमारे कृषको के पास अन्य ससाधनो की कमी के साथ ही वित्त का भी अभाव रहता है। जिसके अनेक कारण है एक तो किसानो का अशिक्षित होना दूसरा बैंकिग व्यवस्था त्रृटिपूर्ण होना। ज्यादातर कृषको के पास सीमान्त कृषि ही उपलब्ध है जिसके कारण वे जितनी लागत कृषि कार्य मे लगाते है लगभग उतनी ही कीमत की फसल होती है जिससे किसान लगातार ऋण मे दबते जाते है। गावो मे रीति रिवाजो एव सस्कारो की सख्या भी कुछ ज्यादा होती है और किसान उन पर आवश्यकता से अधिक व्यय भी करते है। इसका सबसे बडा लाभ साहूकारो को होता है। साहूकार आवश्यकता पडने पर किसानो को सरलता पूर्वक ऋण प्रदान करते है किन्तु उसके बदले मे मनमाना ब्याज लेते है जिससे किसान लगातार ऋण मे ही दबा रहता है जिससे साहूकार किसानो की फसल अपने मनमाने दामो मे खरीदते है अन्त मे स्थिति यह आती है कि किसान के पास वर्ष भर खाने के लिए भी धन शेष नहीं बचता है और वह भुखमरी के कगार पर पहुच जाता है। दूसरा कारण हमारी दोषपूर्ण बैंकिग व्यवस्था है। एक तरफ तो हम यह दावा करते है कि हमारी बैंकिग व्यवस्था बहुत उत्तम है, हमने गावो-गावो मे बैंक खोल रखे है किन्तु यह दावा मात्र दिखावा है यदि हम अशिक्षित किसान की दृष्टि से देखे तो हम पायेगे कि आज की हमारी बैंकिग व्यवस्था से किसान को लेश मात्र भी

लाभ नहीं पहुचता है। बैंकों की लम्बी-लम्बी कागजी कार्यवाही एक ही कार्य के लिए दस बार दौडाने की अधिकारियो की आदत एव घूसखोरी के व्याप्त भ्रष्टाचार से गरीब किसान को वित्तीय सहायता कभी भी समय से प्राप्त नहीं हो पाती थी और अत मे किसान वित्त की व्यवस्था या तो अपने व्यक्तिगत स्रोतो से करता है या फिर साहूकार के चगुल मे फसता है और आजीवन भर के लिए ऋण के दलदल मे फस जाता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट मे स्पष्ट कहा कि हमारी वर्तमान बैंकिग व्यवस्था पूर्णतया दोषपूर्ण है और ये कुल ग्रामीण वित्त की माग का मात्र ४९ प्रतिशत भाग ही पूरा कर पाते है और शेष ग्रामीण वित्त की माग की पूर्ति साहूकारो द्वारा या किसानो के व्यक्तिगत स्रोतो द्वारा पूरी की जाती है। साथ ही ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की इस बात की सिफारिश की वर्तमान बैंकिग व्यवस्था मे आधारभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, बैंकिग व्यवस्था मे कुशल नियत्रण, उत्तम समन्वय, तथा सरल एव लचीली बैंकिग व्यवस्था की नितात आवश्यकता है जिससे एक गरीब, अशिक्षित किसान भी लाभान्वित हो सके और किसानो को साहूकारो के चगुल मे न फसना पडे। बैंकिग व्यवस्था मे व्यापक नियत्रण एव समन्वय स्थापित करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई। चूकि नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास एव ग्रामीण वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करना है। जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा व्यापारिक बैंको, ग्रामीण बैंको, सहकारी बैंको, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको, सहकारी सस्थाओ को एव कोई वित्तीय सस्था जो ग्रामीण विकास मे लगी हो को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा बैंकों का पर्यवेक्षण भी किया जाता है जिससे उनकी कार्यप्रणाली पर नियत्रण रखा जा सके। नाबार्ड किसानो से व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रयास भी करता है जिसके लिए क्षेत्र के ग्रामीण बैंक को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो कि एक कार्यक्रम आयोजित करके किसानो से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते है एव उनकी सलाह एव समस्याओ को नाबार्ड तक पहुचाते है ऐसे कार्यक्रमों का पूरा व्यय नाबार्ड के द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार नाबार्ड ग्रामीण वित्त की पूर्ति करने का अथक प्रयास कर रहा है। जिससे किसानो को ऋण के दलदल से निकाला जा सके। तथा

भारतीय किसान के सम्बन्ध मे कहे जाने वाले यह तथ्य कि भारतीय किसान ऋण मे ही जन्म लेता है, ऋण मे ही मर जाता है और ऋण ही अपने पुत्रो के लिए छोड जाता है'' को गलत साबित किया जा सके।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास मे राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की महत्वपूर्ण भूमिका है और इस क्षेत्र मे इनकी उपलब्धिया उल्लेखनीय है परन्तु इनकी प्रगति पर सावधानी से अवलोकन करने एव इनके विकास के मार्ग मे आने वाले अवरोधो को दूर करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा हो सके तो निश्चित ही यह सस्थाये अपने उद्देश्यो की प्राप्ति मे सफल होगी एव ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे यह मील का एक पत्थर सिद्ध होगी। [3]

इसमे कोई सदेह नही है कि १९५५ से जब इम्पीरियल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक मे परिवर्तित हुआ तथा उससे कृषि वित्त की बढती-हुई माँग को पूरा करने के लिए कहा गया और विशेषकर १९६८ मे व्यापारिक बैंको पर नियत्रण तथा १९६९ मे देश के चौदह बडे व्यापारिक बैंको एव १९८० - मे उच्च ६ व्यापारिक बैंको के पुन राष्ट्रीयकरण के बाद (ये २० राष्ट्रीयकृत बैंक देश मे कुल बैंकिग व्यवसाय का ९० से ९५ प्रतिशत पूरा करते हैं।) कृषि वित्त के क्षेत्र मे सस्थागत साख (व्यापारिक बैंक तथा सहकारी समितियाँ एव अन्य विशिष्ट सस्थाये) मे उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस प्रकार सस्थागत साख जो १९५१-५२ मे लगभग ६ प्रतिशत थी वह १९८०-८१ मे बढकर ३५ प्रतिशत हो गयी तथा वर्ष २००१-०२ तक ५४ प्रतिशत होने की सभावना है। एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान समय मे कृषि क्षेत्र मे आवश्यक कुल अल्पकालीन साख का लगभग ५६ प्रतिशत तथा सभी विनियोग सस्थागत सस्थाओ द्वारा पूरा किया जा रहा है।

राष्ट्रीय नीति के अर्तगत कृषि साख को पूरी तरह सस्थागत रूप देने के निमित्त सगठनात्मक ढाचा स्थापित करने और विकास का सम्पूर्ण दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक का है। इससे ग्रामीण साहूकारो द्वारा किसानो का शोषण समाप्त होगा। और उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋण का स्थान सस्थागत स्रोत ले लेंगे, जिससे किसानो की ऋण आवश्यकता को एक राष्ट्रीय साख नीति के अनुसार पूरा किया जा

सकेगा। इस दिशा मे पहला प्रयास १९०४ मे सहकारी व्यवस्था के उद्‌गम से हो गया था। यद्यपि स्वतत्रता प्राप्ति तक इसका कोई विशेष प्रभाव देखने की नही मिला था लेकिन इसके प्रभाव का ही परिणाम था कि १९५४ मे ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति द्वारा प्रतिपादित समन्वित ग्रामीण साख योजना को सरकार ने स्वीकार किया। इस योजना का उद्‌देश्य बैंकिग सस्थाओ तथा सहकारी सस्थाओ द्वारा कृषि साख को पूरी तरह सस्थागत बनाना था। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति १९५४ द्वारा आल इण्डिया रूरल डेण्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट सर्वे ने गैर सस्थागत तथा सस्थागत स्रोतो द्वारा किये गये कृषि ऋण का विवरण प्रस्तुत किया था।

तालिका-1-1

कृषि-वित्त व्यवस्था में विभिन्न स्रोतों का स्थान (प्रतिशत में)

वितरण	1951	1961	1971	1981	2001
सरकार	03 70	06 60	06 70	04 00	04 20
सहकारी समितियाँ	03 50	10 40	20 10	28 60	32 60
व्यापारिक बैंक	00 90	00 60	02 20	28 00	30 90
साहूकार एव जमींदार	75 10	61 90	45 50	26 90	09 00
व्यापारी एव कमीशन एजेण्ट	05 10	07 30	08 70	03 40	02 80
सम्बन्धी	11 50	05 80	13 80	09 00	10 50
अन्य स्रोत	00 20	07 70	03 00	06.10	10 00
योग	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Source :- *1. Calculated from R B I Publications, Jagdish Narayan Mishra, Indian Economics, Page – 404*

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से उपरोक्त योजना के एकीकरण और पूर्ण करने का अनुरोध किया था तथा सहकारी समितियो को पर्याप्त धन की व्यवस्था करने को कहा। १९६९ तक सरकार इस नीति के द्वारा ही सस्थागत साख के विकास में लगी थी किन्तु इसके बाद सहकारी साख सस्थाओ के परिणामो की समीक्षा करने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची कि अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषि साख की तेजी से बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए सहकारी सस्थाओ को सुदृढ़ होने का इन्तजार नही किया जा सकता। फलस्वरूप सरकार ने कृषि साख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुउद्देश्यीय उपागम नीति को अपनाया। अल्पकालीन तथा मध्यकालीन साख के सदर्भ मे गाडगिल कमेटी

ने अपनी रिपोर्ट मे सुझाव दिया है कि उन राज्यो को छोडकर जहा सहकारी सस्थाये पूर्ण रूप से विकसित एव सक्रिय हैं शेष राज्यो में कृषि साख सस्थाये स्थापित की जाय।

अमेरिकन रिफार्म कमेटी का यह मानना है कि सभी लघुकालीन और दीर्घकालीन सस्थागत साख सुविधाये सहकारी सस्थाओ तथा भूमि विकास बैंकों के माध्यम से सम्पादित होना चाहिए। कृषि क्षेत्र के लिए आसान और उचित वित्त व्यवस्था मे सलग्न सहकारी आन्दोलन को पुनर्गठित किया जाना चाहिए।

कृषि के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे दिखाया है कि १९७३-७४ मे सस्थागत स्रोतो (जैसे सहकारी समितिया तथा व्यापारिक बैंक आदि) से कृषि साख जो १९६७-६८ मे लगभग ३८ प्रतिशत थी, मे बहुत मामूली परिवर्तन हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार इसी वर्ष के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण साख समीक्षा कमेटी के अनुमान के अनुसार कुल आवश्यक साख रू० ४००० करोड मे से कृषि क्षेत्र के लिए रू० १५३७ करोड (३८ प्रतिशत) की गणना की गयी, जिसमे से रू० ९१९ करोड (२३ प्रतिशत) व्यापारिक बैंको द्वारा किया गया।

भारत मे कृषि से सम्बन्धित आवश्यकताओ को तीन भागो मे बाटा जा सकता है -

- अल्पकालीन या मौसमी साख,
- मध्यकालीन साख,
- दीर्घकालीन साख ।

अल्पकालीन साख के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कृषि साख की पूर्ति केवल राज्य सहकारी बैंक तथा अनुसूचित बैंकों के माध्यम से करता हैं। इस प्रकार कृषक सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क मे नही आता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि साख की दिशा मे कई कदम उठाये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि साख की आवश्यकता को देखते हुए एक अलग कृषि साख विभाग की स्थापना की है, जिसके द्वारा कृषि वित्त के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करके तथा विशेषज्ञ के रूप मे सलाह देकर और कृषि सहकारी

वित्त से सम्बन्धित महत्वपूर्ण रिपोर्ट तथा साहित्य प्रकाशित करके भारतीय रिजर्व बैंक अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यह विभाग केन्द्र और राज्य सरकार, सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंको को स्वीकृत प्रतिभूतियो तथा ऋण पत्रो के आधार पर अल्पकालीन साख प्रदान करता हैं। बैंक लाइसेस प्राप्त गोदामो मे रखी कृषि उपज के आधार पर ऋण देता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सस्ती दरो पर ऋण देता है। दूसरा किसानो को मध्यकालीन साख की आवश्यकता पडती है। किसानो को कृषि मशीनीकरण के लिए, सिचाई के साधनो हेतु, ट्रैक्टर, ट्राली आदि क्रय करने हेतु किसानो को मध्यकालीन वित्त की व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। इस प्रकार के ऋणो की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक आदि की स्थापना की गई है। जिनके द्वारा कम ब्याज दर पर किसानो को मध्यकालीन ग्रामीण वित्त की व्यवस्था उपलब्ध करवायी जाती है। तीसरा किसानो का दीर्घ कालीन साख की आवश्यकता पडती है जैसे सिचाई के स्थायी साधनो (कुआ, ट्यूबबेल, नहर आदि) की व्यवस्था करने हेतु, कृषि के लिए भारी मात्रा मे मशीनीकरण करने के लिए, कृषि विद्युतीकरण के लिए तथा लम्बी अवधि के वित्त के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा व्यापारिक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक आदि की स्थापना की गई है।

प्रारम्भ मे किसान अल्पकालीन, एव मध्यकालीन साख के लिए देशी बैंकरो का ही सहारा लिया करते थे और आजीवन ऋण के बोझ तले दबे रहते थे। इसके अनेक कारण थे, एक तो यह कि किसान अनपढ़ एव निरक्षर होते थे जिससे उनको सरकार के द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओ की जानकारी ही नहीं हो पाती थी। दूसरा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रो मे साहूकारो एव देशी बैंकरो का काफी आतक एव मजबूत पकड होती थी जिससे किसान चाहकर भी किसी अन्य स्रोत की तलाश नहीं कर पाता था और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था हमारी लचर एव अपर्याप्त बैंकिग व्यवस्था जिसके चलते किसी भी किसान को समय से, पर्याप्त ग्रामीण वित्त की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती थी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने प्रारम्भ से ही समुचित ग्रामीण वित्त की व्यवस्था करने कें अनेक प्रयास भी किये यहा

तक की ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु कई पृथक विभागो की भी स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने अपने अत्याधिक कार्यो को देखते हुए, ग्रामीण वित्त की समुचित पूर्ति के लिए कृषि साख विभाग एव कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन आदि पृथक विभागो की स्थापना की। लेकिन ये विभाग भी भारतीय ग्रामीण वित्त की माग को सफ्लतापूर्वक पूर्ण करने मे सफल न हो सके। कृषि एव ग्रामीण विकास के मूल्याकन हेतु बनी अनेक कमेटियो एव कमीशनो ने अपनी नकारात्मक रिपोर्ट ही प्रस्तुत की और ग्रामीण वित्त को पूर्णतया अपर्याप्त बताया। सरकार के समक्ष ग्रामीण विकास एव ग्रामीण वित्त की पूर्ति की समुचित व्यवस्था करना एक बहुत बडी चुनौती बनकर खडा हो गया। जिसके लिए सरकार के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह पर एव विभिन्न कमीशनो की सिफारिश पर छठवीं पचवर्षीय योजना काल मे ग्रामीण विकास एव ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक पृथक सस्था की स्थापना का निर्णय लिया गया।

जुलाई १९८२ मे भारतीय रिजर्व बैंक की कृषि साख विभाग के सभी महत्वपूर्ण कार्यो और कृषि वित्त एव विकास निगम के समस्त दायित्वो को अलग से राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) स्थापित करके इसके अधीन कर दिया गया। इस बैंक का नाम राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) रखा गया। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि एव साख के सन्दर्भ मे ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड की स्थापना अपना विशेष महत्व रखती है।[4]

ग्रामीण विकास एव ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था करने हेतु एक पृथक सस्था के रूप मे नाबार्ड की स्थापना छठवीं योजना मे की गई। जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि अब भविष्य मे ग्रामीण वित्त की समुचित पूर्ति की जा सकेगी एव समुचित ग्रामीण विकास हो सकेगा अर्थात् छठवीं योजनाकाल से तो यह कहा जा सकता है कि कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए ठोस कदम उठा लिये गये थे। किन्तु इसका आशय यह नहीं है कि छठवीं योजना से पूर्व ग्रामीण विकास हेतु प्रयत्न ही नहीं किये गये, वास्तविकता तो यह है कि स्वतत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास के प्रयास किये

जा रहे थे और स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् तो और दृढता पूर्वक इस ओर अनेक सार्थक कदम उठाये गये। सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति, साख नीति, कृषि नीति आदि बनायी गयी जिनके द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास का प्रयास किया गया। सन् १९५१ से स्वतत्र भारत मे प्रथम पचवर्षीय योजना लागू की गई, योजना काल मे मुख्य लक्ष्य ग्रामीण विकास को ही रखा गया और प्रथम पचवर्षीय योजना ने द्वितीय विश्व युद्ध से हुई क्षति को पूरा करने का प्रयास किया गया। भारत जैसे कृषि प्रधान देश मे कृषि को एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप मे अपनाया जाता है इसलिए सरकार के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग को पूर्ण सरक्षण प्रदान किया जाये। सरकार के द्वारा प्रारम्भ से ही कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए लगातार प्रयत्न किये गये, प्रारम्भ मे केन्द्रीय बैंक के द्वारा, तथा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ग्रामीण विकास की समीक्षा हेतु अनेक आयोगो एव कमेटियो का गठन, ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु पृथक विभागो का गठन, मैट्रिक नीति एव साख नीति को लागू करना, बैंको को पुनर्वित्त प्रदान करके समन्वित ग्रामीण विकास के अनेक कदम उठाये गये। योजनाकाल के प्रारम्भ हो जाने पर कृषि एव ग्रामीण विकास कार्यक्रमो को एक नया मोड मिला। अब विभिन्न विद्धानो के द्वारा, अर्थशास्त्रियो के द्वारा, विधि वेत्ताओ के द्वारा, कृषि विशेषज्ञो एव राजनीतिज्ञो के द्वारा योजनाओ की रूप रेखा तैयार की जाती है जिनमे देश का, देशवासियो का एव सम्पूर्ण राष्ट्र के हित को ध्यान मे रखकर योजनाओ को लागू किया जा रहा है। इन योजनाओ मे कृषि एव ग्रामीण विकास मुख्य केन्द्र बिन्दु रहते है और प्रत्येक योजना मे ग्रामीण विकास के लिए हर सम्भव प्रयत्न किये गये। प्रत्येक योजना मे साहूकारो पर नियत्रण लगाने काप्रयास किया गया, किसानो को सरलता पूर्वक ग्रामीण वित्त उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया, गावो को शहरो से जोडने हेतु समुचित यातायात व्यवस्था का प्रयास किया गया, किसानो को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराये गये, प्राकृतिक आपदाओ (बाढ, सूखा, भूकम्प आदि) के समय किसानो के ऋण माफ किये गये, गावो मे सिचाई के स्थायी साधनो की व्यवस्था की गई व गावो मे समुचित विद्युतीकरण के प्रयास किये गये। इस प्रकार योजनाकाल मे प्रारम्भ से ही समुचित ग्रामीण विकास एव देश के आर्थिक विकास के प्रयास किये गये।

योजना काल में ग्रामीण वित्त :-

भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे यद्यपि केन्द्रीय बैंक का योगदान प्रथम पचवर्षीय योजना के पूर्व से ही रहा है परन्तु योजनाबद्ध विकास के बाद इसका विशेष महत्व है। यद्यपि प्रारम्भ मे मौद्रिक नीति को सीधे आर्थिक विकास से नही जोडा गया था फिर भी विभिन्न रूपो मे मौद्रिक नीति के महत्व को स्वीकार किया गया था। योजना काल मे ग्रामीण वित्त का विवरण निम्नवत है -

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-52 से 1955-56) :-

यह योजना दिसम्बर १९५२ मे प्रस्तुत की गई। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उस क्षति को पूरा करना था जो कि देश को द्वितीय विश्व युद्ध से उठानी पडी थी। इसके लिए देश का समन्वित एव चतुर्दिश विकाश आवश्यक था। मौद्रिक तथा साख नीति का भी प्रथम पचवर्षीय योजना मे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका प्रधान उद्देश्य साख की सुविधाओ द्वारा औद्योगिक व कृषि उत्पाद मे वित्त उपलब्ध करना था। अर्थव्यवस्था मे मुद्रा स्फीति के नियत्रणात्मक दृष्टिकोण से साख नीति सामान्य तथा नियन्त्रित एव प्रतिबन्धित थी। यद्यपि नियोजको ने इस बात को माना कि मुद्रा पूर्ति की वृद्धि राष्ट्रीय आय मे वृद्धि के साथ निश्चित रूप से कुछ न कुछ स्फीतिकारी होगी।

तालिका-1-2

सार्वजनिक परिव्यय का वितरण (1951-52 से 1955-56)

मद	परिव्यय (करोड़ रूपये में)	कुल का प्रतिशत भाग
कृषि तथा समुदाय विकास	291	15
बडी तथा मध्यम सिचाई	310	16
बिजली	260	13

ग्राम तथा लघु उद्योग	43	02
उद्योग तथा खनिज	74	04
परिवहन तथा सचार	523	27
सामाजिक सेवाये तथा अन्य	459	23
कुल योग	1960	100

Source :- *First Five Year Plan Indian Economics By J N Mishra, p 261*

प्रारम्भ मे योजना के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए दो हजार उनहत्तर (२०६९) करोड़ रूपये के परिव्यय की कल्पना की गई थी जिसे अन्तत बढ़ाकर दो हजार तीन सौ अठहत्तर (२३७८) करोड़ रूपये कर दिया गया, परन्तु वास्तविक व्यय मूल अनुमान से भी नही बढ़ पाया। यह १९६० करोड़ ही रहा। प्रथम पचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र मे परिव्यय को प्राथमिकता दी गयी। योजना के दौरान

कुल विनियोग की मात्रा १९६० करोड थी। इसका ९४ प्रतिशत घरेलू साधनो से और ६ प्रतिशत विदेशी स्त्रोतो से उपलब्ध हुआ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-57 से 1960-61) :-

द्वितीय योजना १ अप्रैल सन् १९५६ को प्रारम्भ की गई। यह योजना प्रथम योजना की तुलना मे काफी बडी व महत्वाकाक्षी थी। इस योजना का लक्ष्य ग्राम्य भारत का पुनर्निर्माण करना, औद्योगिक प्रगति की आधार शिला रखना और दुर्बल तथा अल्प सुविधा प्राप्त वर्गो के लोगो के लिए अधिकतम सम्भव सीमा तक सुअवसरो को प्रदान करना और देश के सभी वर्गो एव भागो का सतुलित विकास करना था। इस योजना मे भी मौद्रिक तथा साख नीति को एक विशेष मान्यता इस रूप मे प्राप्त हुयी कि पूरी आर्थिक क्रियाओ के नियत्रण मे तथा स्फीतिकारी दबावो को रोकने मे यह महत्वपूर्ण है, यद्यपि घाटे की वित्त व्यवस्था को विकास के लिए मान्यता दी गई फिर भी परिमाणात्मक तथा चयनात्मक विधियो के द्वारा साख को नियत्रित करने का प्रयास किया गया। इस योजना मे मोटे तौर पर मौद्रिक नीति सफल न हो सकी क्योकि इसकी वित्तीय स्थिति से आवश्यक समन्वय स्थापित नही किया जा सका।

तालिका-1-3

सार्वजनिक परिव्यय का वितरण (1956-57 से 1960-61)

मद	परिव्यय (करोड रूपये मे)	कुल का प्रतिशत भाग
कृषि तथा समुदाय विकास	530	11
बडी तथा मध्यम सिचाई	420	09
बिजली	445	10
ग्राम तथा लघु उद्योग	175	04

उद्योग तथा खनिज	900	20
परिवहन तथा सचार	1300	28
सामाजिक सेवाये तथा अन्य	830	18
कुल योग	**4600**	**100**

Source :- *Second Fıve Year Plan Indıan Economıcs By J N Mıshra, p 264*

मौलिक रूप से द्वितीय योजना मे ४,८०० करोड़ रूपये के परिव्यय के प्रस्ताव पारित किये गये, किन्तु वास्तविक व्यय ४,६०० करोड़ रूपये हुआ जिसमें से ३,६५० करोड़ रूपये सरकारी विनियोग था। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र मे ३,१०० करोड़ रूपये के विनियोग का अनुमान लगाया गया।

अत कुल मिलाकर विनियोग की राशि ६,७५० करोड रूपये रखी गई। इसका लगभग ७२ प्रतिशत घरेलू साधनो से और २८ प्रतिशत विदेशी स्रोतो से उपलब्ध हुआ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-62 से 1965-66) :-

यह योजना १ अप्रैल सन् १९६१ से प्रारम्भ की गई। इस योजना मे इस बात का ध्यान रखा गया कि दूसरी योजना के कार्य को आगे बढाना है। द्वितीय योजना की प्रगति से यह मालूम चला कि आर्थिक विकास मे सबसे बडी बाधा है कृषि उत्पादन का धीमी गति से बढना अत तीसरी योजना मे कृषि विकास पर विशेष बल दिया गया। तीसरी योजना मे भी मौद्रिक नीतियो का महत्वपूर्ण स्थान रहा। मुद्रा स्फीति को रोकने के दृष्टिकोण से वित्तीय नीतियो का सहारा लिया गया तथा घाटे की वित्त व्यवस्था को न्यूनतम करने का प्रयत्न किया गया। साख नीति मे महत्वपूर्ण परिवर्तन करके छोटे उद्योगो और सहकारी क्रियाओ को प्रोत्साहित किया गया। साख को प्रतिबन्धित किया गया, परन्तु इसके बावजूद भी तृतीय योजना मे मौद्रिक नीति सामान्यत वृद्धिकारी ही रही जिससे मुद्रा पूर्ति तथा साख की मात्रा मे महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

तालिका-1-4

सार्वजनिक परिव्यय का वितरण (1961-62 से 1965-66)

मद	परिव्यय (करोड रूपये मे)	कुल का प्रतिशत भाग
कृषि तथा समुदाय विकास	1089	12 70
बडी तथा मध्यम सिचाई	664	07 70
बिजली	1242	14 60
ग्राम तथा लघु उद्योग	241	02 80
उद्योग तथा खनिज	1726	20 10

परिवहन तथा संचार	*5116*	*24 60*
सामाजिक सेवाये तथा अन्य	*1493*	*17 40*
कुल योग	**8577**	**100**

Source :- *Third Five Year Plan Indian Economics By J N Mishra, p 266*

तीसरी परियोजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ७,५०० करोड़ रूपये निश्चित किये गये। इस प्रकार कुल विनियोग की राशि (चालू खाते के १,२०० करोड़ रूपये छोड़कर) १०,४०० करोड़ रूपये थी जो कि द्वितीय योजना की तुलना में ५४ प्रतिशत अधिक थी। सार्वजनिक क्षेत्र मे वास्तविक व्यय ८,५७७ करोड़ रूपये था।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969 से 1974) :-

चतुर्थ योजना को सन् १९६६ से लागू हो जाना चाहिए था किन्तु अनिश्चित आर्थिक सकट के कारण यह अपने पूर्व निर्धारित समय से लागू न की जा सकी और तीन वर्षो तक वार्षिक योजनाएँ चलती रही। जब देश मे स्थायित्व आया तब चौथी योजना अप्रैल १९६९ से लागू की गई। इस योजना का लक्ष्य विकास क्रिया को उस सीमा तक बढाना था जहा से वह आत्मनिर्भरता एव स्थिरता प्राप्त कर सके। योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ-साथ विकास, राष्ट्रीय आय की ५ ५ प्रतिशत वार्षिक विकास दर प्राप्त करना, कृषि उत्पादन मे वृद्धि करना एव ५ ६ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर उपलब्ध करना आदि थे।

चौथी पचवर्षीय योजना मे लगातार बढते हुए मूल्य को नियत्रिण करने के उद्देश्य से माँग और पूर्ति मे समानता रखते हुए घाटे की वित्त व्यवस्था को निर्धारित करने का उद्देश्य रखा गया। १९६९ मे १४ बैंको का राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण विकास क्षेत्र की प्रधानता तथा प्राथमिकता के आधार पर साख प्रवाह किया गया और उपेक्षित क्षेत्रो के विकास मे सहयोग किया गया।

इस योजना मे कुल परिव्यय २४,८८२ करोड रूपये था जिसमे से १५,९०२ करोड रूपये सरकारी क्षेत्र का भाग था और राशि ८,९८० करोड रूपये निजी क्षेत्र का था। सरकारी क्षेत्र के परिव्यय मे १३,६५५ करोड रूपये विनियोग के रूप मे और २,२४७ करोड रूपये चालू परिव्यय के रूप मे रखे गये। इस प्रकार कुल सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र को मिलाकर २२,६३५ करोड रूपये के विनियोग की व्यवस्था की गई। सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय का २४ प्रतिशत भाग कृषि को दिया गया जबकि तृतीय योजना मे यह केवल २० प्रतिशत था। इसके विपरीत उद्योग तथा खनिज पदार्थो को कुल व्यय का २० प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। सामाजिक क्षेत्र मे १७.४ प्रतिशत दिया गया और शिक्षा एव अनुसधान को कुल व्यय का ६ ०१ प्रतिशत प्राप्त हुआ।

पाचवी पंचवर्षीय योजना (1974-75 से 1977-78) :-

१ अप्रैल १९७४ से पाचवी योजना प्रारम्भ हुई। योजना का उद्देश्य विशेषकर कृषि उत्पादकता मे सुधार लाना, विदेशी सहायता को समाप्त करना, गरीबी उन्मूलन, क्षेत्रीय असतुलन को दूर करना आदि थे। पाचवी योजना मे मौद्रिक तथा वित्तीय नीति के विशेष समन्वय पर जोर दिया और मुद्रा साख के विस्तार पर प्रतिबन्ध लगाने के दृष्टिकोण से बैंक दर को ७ प्रतिशत से बढाकर ९ प्रतिशत कर दिया गया। पाचवी योजना के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक और साख नीति कृषि तथा लघु उद्योगो की ओर विशेष रूप से लाभकारी रही। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, लीड बैंक स्कीम तथा समन्वित ग्रामीण विकास योजना, शिक्षित बेरोजगार योजना तथा ग्रामीण औद्योगीकीकरण सम्बन्धित अनेक आर्थिक क्रियाओ से विशाल पैमाने पर तथा रियायती एव उदार बैंक ऋण एव साख की व्यवस्था की गई।

पाचवी योजना के प्रारूप मे सरकारी क्षेत्र मे ३६,२५० करोड रूपये के परिव्यय की कल्पना की गई थी, लेकिन बाद मे ३९,३०३ करोड रूपये सशोधन योजना परिव्यय के रूप मे कर दिये गये। योजना का कुल परिव्यय अनुमान ५३,४११ करोड रूपये का लगाया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना (1979-80 से 1984-85) :-

छठी योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही है कि इसका निर्माण दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य मे किया गया। विकासगत समस्याओ के निदान हेतु इसमे पद्रह वर्षीय कार्यक्रम निर्धारित किये गये थे। योजना का कार्यक्रम न केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपभोग, रोजगार, बचत, एव विनियोग जैसे परम्परागत तत्वो पर आधारित था, बल्कि इसका विकास गरीबी के प्रतिशत, सम्भावित आयु, खाद्यान्न, चीनी, वस्तु आदि उपभोग एव शिक्षा के दीर्घकालिक स्तरो के सदर्भ मे भी किया गया था। इस योजना मे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को देश के सभी विकास खण्डो मे प्रारम्भ किया गया। छोटे एव सीमान्त कृषको तथा भूमिहीन मजदूरो के विकास के लिए कृषि एव सहायक व्यवसायो को विकसित किया गया

किन्तु इस योजना मे स्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकने का कोई ठोस प्रयास नहीं सुझाया गया था। योजना काल मे सवृद्धि नवीनीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय की दिशा मे उल्लेखनीय प्रगति हुई। छठी योजना मे विकास की वार्षिक दर का लक्ष्य ०५ २० प्रतिशत था जिसे योजनाकाल मे प्राप्त कर लिया गया था। छठी योजना मे कुल परिव्यय १,७२,२१० करोड रूपये निर्धारित किया गया था जिसमे से ९७,५०० करोड रूपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए था। सार्वजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय ९७,५०० करोड रूपये मे इस योजना के अर्तगत ऊर्जा, विज्ञान, और तकनीकी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इनके विकास पर कुल व्यय का २८ १ प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया।

तालिका-1-5

सार्वज़निक क्षेत्र का परिव्यय (1979-80 क़ी कीमतों प़र)

मद	परिव्यय (करोड रूपये मे)	कुल का प्रतिशत भाग
ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक	27,400	28 10
कृषि एव सम्बद्ध क्रियाएँ	12,539	12 80
सिचाई एव बाढ़ नियत्रण	12,160	12 60
परिवहन तथा सचार	15,546	15 90
उद्योग तथा खनिज	15,017	15 40
सामाजिक सेवाये	14,838	15 20
कुल योग	**97,500**	**100**

Source :- *Sixth Five Year Plan Indian Economics By J N Mishra, p 276*

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1984-85 से 1989-90) :-

सातवीं योजना मे नव भारत के निर्माण की सकल्पना की गयी। यह योजना कुछ मामलो मे पिछली सभी योजनाओ से भिन्न थी। सातवीं योजना भी दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य मे तैयार की गयी थी जिसका लक्ष्य सन् २००० तक स्वत पोषित अर्थव्यवस्था का होना था। इसका ग्रामीण क्षेत्रो मे विकास कार्यो के साथ संमन्वय किया गया। इन कार्यक्रमों को ग्राम पचायतो तथा अन्य स्थानीय सस्थाओ के माध्यम से लागू किया गया। एकीकृत ग्राम विकास परियोजना तथा राष्ट्रीय ग्राम्य रोजगार परियोजना के कार्य को और अधिक व्यापक किया गया। कृषि विकास को गति की तेज करना और अधिक उपभोग के लिए खाद्यान्नो एवं खाद्य तेलो में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस योजना के आधारभूत लक्ष्य थे। योजना मे ग्रामीण एव लधु उद्योगो को महत्वपूर्ण स्थान पहले की योजनाओं के अनुरूप ही दिया गया है। योजना मे इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पहले से चली आ रही परियोजनाओ को पूरा किया जाए। सातवीं योजना मे विकास दर ५ प्रतिशत वार्षिक रखी गयी जो छठी योजना से कम थी। सातवीं योजना मे कृषको की साख आवश्यकता की

पूर्ति हेतु विभिन्न प्रयास किये गये। सहकारी समितियो को विभिन्न चरणो मे बहुउद्देशीय समितियो मे परिवर्तित करने की योजना बनायाी गयी, जिससे कृषको को विभिन्न सुविधाएँ एक साथ ही तथा एक स्थान पर उपलब्ध करायी जा सके।

कृषि और ग्रामीण क्षेत्रो के सम्यक विकास तथा समस्याओ के समाधान हेतु विशेष सदर्भ मे ग्रामीण साख तथा बैंक सुविधाओ के बढते हुए महत्व से जहाँ एक आशा की जा रही है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रो का विकास होगा और देश की मूलभूत समस्याओ का समाधान होगा वही इनसे सम्बन्धित अध्ययनो सर्वेक्षणो और अनुभवो मे यह भी शका व्यक्त की जा रही है कि व्यापक पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रो मे साख और वित्त का यह प्रवाह अधिकाशत अनुत्पादक तथा अनियोजित ढग से हो रहा है जिससे विकास की क्रियाओ को प्रोत्साहन न मिल कर गैर उत्पादक व्यय तथा मुद्रा स्फीति बढ रही है साथ ही बैंक साख की वापसी की भी महत्वपूर्ण समस्या है। फलत ग्रामीण क्षेत्रो के लिए उपलब्ध साख सुविधाए अपेक्षित रूप से लोगो तक नही पहुच पा रही है न ही उनका उपयुक्त और निर्धारित उद्देश्यो मे प्रयोग ही हो रहा है। मौद्रिक और साख नीति के सामने यह एक बडी समस्या और चुनौती है कि ग्रामीण साख और बैंकिग सुविधाओ को किस प्रकार उत्पादक तथा विकास मूलक बनाया जाए।

सातवीं योजना में परिव्यय :-

सातवीं योजना मे कुल ३,२२,८६६ करोड रूपये परिव्यय निर्धारित किया गया था जिसमे से १,८०,००० करोड रूपये सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय किये गये है इसमे योजनाओ के दौरान सेवाओ के अनुरक्षण व्यय शामिल किया गया है जो २५,८७२ करोड रूपये तक परिसम्पत्तियो का निर्माण नही करता। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र मे निवेश १,५४,२१८ करोड रूपये होना था। इसके अतिरिक्त १,६८,१४८ करोड़ रूपये निजी क्षेत्र मे व्यय किया जाना था इस प्रकार सार्वजनिक एव निजी क्षेत्र का निवेश क्रमश ४३ एव ५२ प्रतिशत था।

तालिका-1-6

सार्वजनिक क्षेत्र का परिणाम

मदे	प्रस्तावित व्यय	वास्तविक व्यय	प्रतिशत
कृषि	10573 62	12686	05 87
ग्राम विकास	9074 22	14195s	05 04
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	3144 69	3436	01 75
सिचाई एव बाढ नियत्रण	16978 65	16719	09 43
ऊर्जा	54821 26	63615	30 45
उद्योग तथा खनिज	22460 83	30053	12 48
परिवहन	22971 02	36140	12 76
सचार सूचना एव प्रसारण	6472 46	8664	03 60
विज्ञान तथा टेक्नोलाजी	2466 00	3086	01 37
सामाजिक सेवाएँ	29350 46	35037	16 31
विविध	1686 79	4539	00 94
कुल योग	**180000.00**	**222169**	**100**

Source :- *Seventh Five Year Plan, Indian Economic by J N Mishra, Yojana Patrika (April 1986)*

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97):-

आठवीं योजना के दस्तावेज के अध्याय २ मे पॉच वर्ष की अवधि के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई है और ग्रामीण औद्योगीकीकरण उसी का अग है। इसका मूल सिद्धांत है विकास की प्रक्रिया में रोजगार के अवसरों मे वृद्धि करना। इसके लिए आवश्यक है -

- *ग्रामीण विकास प्रक्रिया में लोगो की भागीदारी बढ़ाना,*
- *योजना का विकेन्द्रीकरण,*
- *भूमि सुधारो को अधिक कारगर ढग से लागू करना,*
- *अधिक ऋणो की व्यवस्था करना।*

ग्रामीण विकास कार्यक्रम में खुली बेरोजगारी तथा छिपी हुई और वास्तविक बेरोजगारी पर भी ध्यान देना होगा। जहाँ तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है आठवी योजना में यह कहा गया कि लक्ष्य पूरा करने पर बल दिये जाने से बैको द्वारा सहायता देने से पहले किसी सम्पत्ति की आर्थिक क्षमता का मूल्याकन करने का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस मामले को पूर्ति की दृष्टि से नहीं माँग की दृष्टि से देखने की आवश्कता है। अर्थात् उन गतिविधियो का पता लगाया जाना चाहिए जो लाभार्थियों

के कौशल, बुनियादी ढाचे तथा इनके सम्पर्को के सदर्भ मे उपयुक्त हो। अन्य शब्दो मे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमो को बैंक के ऋण की पूरक सहायता वाले सब्सिडी आधारित कार्यक्रम की बजाय ऐसा ऋण आधारित कार्यक्रम माना जाना चाहिए जिसमे सब्सिडी का अश शामिल है। मेरे विचार से इस तरह से शब्दो में परिर्वतन कर देने से व्यवहारिक धरातल पर कोई अन्तर नहीं आएगा। उचित गतिविधियो की पहचान करना अत्यन्त कठिन कार्य है और यह ग्राम स्तर के कर्मचारियो के बस से बाहर है इस कार्य के लिए व्यापक प्रशिक्षण तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी।

आठवीं योजना मे निवेश का क्षेत्रवार आवटन क्षेत्रवार उत्पादन के स्वरूप पर आधारित है अर्थात निवेश उत्पादन पर निर्भर हैं। योजना मे निवेश का आवटन मुख्य क्षेत्रो मे तलिका मे दर्शाया गया है। कृषि, सिचाई एव कृषि सम्बद्ध क्षेत्रो का हिस्सा कुल निवेश मे १८ ६५ प्रतिशत, विद्युत परिवहन एव सवहन का भाग कुल निवेश का २७ ०८ प्रतिशत आधारित है शेष निवेश निर्माण एव सेवा क्षेत्र मे होगा।

तालिका-1-7

आठवीं योजना (1992-97) में क्षेत्रवार निवेश वितरण

क्षेत्र	कुल निवेश	कुल क्षेत्रवार निवेश में	क्षेत्रवार वितरण	
	(करोड रूपये मे)	सार्वजनिक क्षेत्र का अश	सातवी योजना	आठवी योजना
कृषि	148800	34 95	11 23	18 65
खनन एव उत्खनन	39600	71 97	6 70	4 96
विनिर्माण	188400	25 00	26 00	23 61
विद्युत गैस एव जल	102120	90 09	13 65	12 80
निर्माण	20540	16 07	1.86	2 57
परिवहन	87910	55 97	9.93	11.02

सवहन	26000	96 15	2 03	3 26
सेवाये	184630	34 61	28 6	23 13
कुल योग	798000	45.24	100	100

Source :- *Eighth Plan (1992 – 97) Vol – 1, Table 3 15, p 55*

आठवीं योजना में सार्वजनिक परिव्यय का वितरण :-

इस योजना में ऊर्जा क्षेत्र मे कुल परिव्यय का लगभग २५ प्रतिशत से अधिक भाग आवंटित किया गया, कृषि एव ग्रामीण विकास को २२.२ प्रतिशत तथा उद्योग एवं खनन क्षेत्र को १० ८ प्रतिशत परिव्यय आवंटित किये गये जिनका वितरण निम्नवत है :- [5]

तालिका-1-8

सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय

मदे	योजना परिव्यय (करोड रूपये में)	प्रतिशत
कृषि	22467	5 20
ग्रामीण विकास	34425	7 90
विशिष्ट क्षेत्र कार्यक्रम	6750	1 60
सिचाई एव बाढ नियत्रण	32525	7 50
ऊर्जा	115561	26 60
उद्योग एव खनिज	46922	10 80
परिवहन	55926	12 90
सवहन	25110	5 80
विज्ञान एव प्रौद्योगिकी	9042	2 10
सामाजिक सेवाएँ	79012	18 20
अन्य	6360	1 40
कुल योग	434100	100

Source :- *Eighth Plan Vol 1, Table – 3 17 & 3 18, p 58 & 59 – 62*

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) :-

नौवीं योजना १ अप्रैल १९९७ को लागू हुई। जिसका प्रमुख लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्रदान करना, निर्धनता उन्मूलन, पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, जनसख्या पर नियत्रण स्थापित करना तथा समन्वित ग्रामीण विकास करना है। इस योजना मे भी मुख्य रूप से कृषि विकास एव ग्रामीण क्षेत्रो के विकास पर विशेष जोर दिया गया। नौवीं योजना के अनुसार कुल योजना व्यय ८,७५,००० करोड़ रूपये किया गया जिसमें से ७,६०,००० करोड़ रूपये पूंजी निवेश प्रस्तावित किया गया है। घरेलू बचत दर २६ २ प्रतिशत, चालू खाता घाटा २ ४ प्रतिशत और पूजी उत्पाद अनुपात ४ ०८ होगा। इसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (जी०डी०पी०) के विकास की दर ७ ० प्रतिशत होगी। औद्योगिक विकास दर ९ ३ प्रतिशत प्रस्तावित है।

नौवीं योजना के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं - [6]

- निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एव ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना ।
- ग्रामीण वित्त को बढावा देने के उद्देश्य से नाबार्ड की व्याज दरो मे कमी लाना ।
- पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना ।
- मूल्यो मे स्थायित्व लाना तथा आर्थिक विकास की गति को तेज करना ।
- सभी वर्गो विशेष कर समाज के कमजोर एव पिछडे वर्गो के लिए भोजन एव पोषण का ऊँचा स्तर सुनिश्चित करना ।
- स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ, प्राथमिक शिक्षा एव आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम सेवाओ की व्यवस्था करना ।
- सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एव विकास के अभिकर्ता के रूप मे महिलाओ और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गो को शक्तिया प्रदान करना ।
- पचायती सस्थाओ को प्रोत्साहन देना ।
- पर्यावरण की रक्षा करना ।
- आत्मनिर्भरता के प्रयासो को तेज करना ।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) :-

दसवीं पचवर्षीय योजना १ अप्रैल २००२ से ३१ मार्च २००७ तक प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य समन्वित ग्रामीण विकास प्रस्तावित है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि भारत के प्रत्येक गावो को सडको से जोड दिया जाए, प्रत्येक गाव मे शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था हो जाए, गाव - गाव मे शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करना, किसानो के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना, सहकारी मण्डियो एव समितियो को सहायता प्रदान करना, प्रति व्यक्ति आय मे वृद्धि करना आदि उद्देश्य प्रस्तावित हैं।

अन्य योजनाओ की भाति ही दसवीं योजना का मुख्य लक्ष्य भी ग्रामीण विकास ही है। दसवीं योजना की समाप्ति तक देश को पूर्ण आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है साथ ही देश मे उत्पादक रोजगारो मे भी वृद्धि करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। देश मे अभी तक मात्र २१ लाख किलोमीटर सडक मार्ग है जिसमे से ११ लाख कि०मी० हिस्सा कच्ची सडको का है इस योजना की समाप्ति तक आशा है सम्पूर्ण कच्ची सडको को पक्की बनाया जा सकेगा। इसी प्रकार देश मे कुल ६२,३०९ किलोमीटर रेलवे मार्ग है जिसमे से लगभग एक तिहाई हिस्सा ही विद्युतीकृत है अत रेलवे मार्ग के विद्युतीकरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

स्वतत्रता पूर्व से ही भारत मे समन्वित कृषि विकास के प्रयास किये जा रहे थे। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् काग्रेस सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक कदम उठाये, योजना काल १९५१ से समन्वित कृषि विकास के लिए प्रत्येक पचवर्षीय योजनाओ मे ग्रामीण विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये। सरकार ने प्रत्येक योजनाओ मे ग्रामीण वित्त की पूर्ति के अथक प्रयास किये जैसे-व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीकरण, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सहकारी समितियो की स्थापना आदि। ग्रामीण विकास की ओर सबसे महत्वपूर्ण कदम छठवीं पचवर्षीय योजना मे उठाया गया जिसमे विभिन्न सिफारिशो के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। योजनाकाल के प्रारम्भ से ही ग्रामीण विकास पर विशेष जोर दिया गया किन्तु दुर्भाग्य से सरकार के द्वारा ग्रामीण वित्त के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसीलिए भारतीय कृषक ऋण के बोझ से उबर पाने मे समर्थ नहीं हो सके। छठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना हो जाने से ग्रामीण वित्त की समस्या काफी हद तक हल हो गयी। नाबार्ड के द्वारा निचले स्तर से ग्रामीण वित्त की पूर्ति का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अतर्गत ब्लाक स्तर पर सहकारी समितियो की स्थापना, मण्डी परिषदो की स्थापना, बडे-बडे गावो मे ग्रामीण बैंकों की स्थापना, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंकों आदि की स्थापना की गई। नाबार्ड ने सर्वप्रथम ग्रामीण वित्त की माग का निचले स्तर से अनुमान लगवाया तथा उसी के अनुसार वित्त की पूर्ति हेतु विभिन्न वित्तीय

सस्थाओ की स्थापना की गई। नाबार्ड ने ग्रामीण विकास हेतु भण्डार ग्रहो, विक्रय केन्द्रो, सरकारी मण्डियो, पक्की सडको, नहरो, ट्यूबबेलो, आदि की समुचित व्यवस्था, कृषि मशीनीकरण तथा उन्नत कृषि हेतु किसानो को प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करता है। नाबार्ड देश के गांवो का समुचित एव समन्वित विकास के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है जिसके अतर्गत साहूकारो एव देशी बैंकरो पर नियत्रण, ग्रामीण बैंकिग की दुर्व्यवस्था समाप्त कर उसे सरल बनाना, सिचाई के साधनो की स्थायी व्यवस्था, गावों-गावो तक पक्की सडक बनाकर उन्हे शहरो से जोडना, ग्रामीण वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करना आदि। योजना काल के प्रारम्भ से ही कृषि एव ग्रामीण विकास का प्रयास किया जा रहा था, जिसका सबसे महत्वपूर्ण कदम छठवीं पचवर्षीय योजनाकाल मे नाबार्ड की स्थापना है। नाबार्ड की स्थापना से यह आशा की जा रही है कि वह समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने मे निश्चत ही सफलता प्राप्त करेगा।

योजनाकाल मे कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। उनमे से सबसे महत्वपूर्ण कदम था नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नाबार्ड को उन सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य सौंपा गया जो कि कृषि एव ग्रामीण विकास कार्यो में लगी हुई हो। अर्थात् नाबार्ड जनता से सीधे सम्पर्क मे कार्य नहीं करता है बल्कि नाबार्ड उन सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य करता है जो कि ग्रामीण विकास के लिए किसानो को सीधे ऋण प्रदान करती है, वित्तीय सस्थाओ पर नाबार्ड नियत्रण रखता है। साथ ही उन सस्थाओ का पर्यवेक्षण भी नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। नाबार्ड जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे आये बिना ही विभिन्न वित्तीय सस्थाओ के माध्यम से समुचित कृषि एव ग्रामीण विकास का अथक प्रयास कर रहा है। नाबार्ड के द्वारा विभिन्न कृषि आवश्यकताओ के अनुरूप विभिन्न सस्थाओ के माध्यम से विभिन्न प्रकार के पुनर्वित्तो की व्यवस्था की जाती है।

राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) कृषि और ग्रामीण क्षेत्र मे वित्त को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निचले स्तर की संस्थाओ को पुनर्वित्त की सुविधाए उपलब्ध कर रहा है। चार

प्रमुख समितियो - व्यवसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, राज्य भूमि विकास बैंको और राज्य सहकारी बैंको के द्वारा पुनर्वित्त सचालित किया जाता है। राज्य भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण और राज्य सहकारी बैंक मध्यम और अल्पावधि ऋण प्रदान करते है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली समिति अन्य बैंकों की तरह जनता से धन जमा नही करती और इसलिए ऐसी सस्थाए राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक द्वारा तथा बाजार से वसूली आदि स्रोतो पर निर्भर हैं। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्रारम्भिक स्तर पर प्रारम्भिक कृषि ऋण सोसायटी अल्पावधि के ऋण प्रदान करने वाली समितिया हैं और ये पैसा जमा करने को भी प्रोत्साहित करती है। हालाकि प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी द्वारा बहुत कम पैसा जमा किया जाता है और जो कुछ भी ऋण वह देती है, राशि उधार ली हुई होती है। सहकारी ऋण किसानो को प्रमुख रूप से प्राथमिक कृषि ऋण समिति के द्वारा मिलता है लेकिन कुछ मामलो मे जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और राज्य ऋण बैंक की शाखाओ के द्वारा भी ऋण दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर्जदारो को इन सस्थानो से मिलने वाले ऋण पर व्याज की दर निर्धारित कर दी गई है। व्याज दरे ऋण के लिए समान है और सभी ऋण समितियो मे एक समान है। दीर्घावधि ऋण के लिए नाबार्ड अधिकतर मामलो मे ६ ५ प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर से ही ऋण देता हैं, जबकि कर्जदारो से १० प्रतिशत की दर से व्याज लिया जाता है। इस प्रकार भूमि विकास बैंकों को ३ ५ प्रतिशत व्याज का लाभ मिलता है। दूसरे मझोली सिचाई और विशेष कार्यक्रमो के लिए भूमि विकास बैंको द्वारा ९५ प्रतिशत ऋण नाबार्ड से पुनर्वित्त के रूप मे प्राप्त किया जा सकता है। इन दोनो कार्यो के लिए ऋण बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से पुनर्वित्त का अनुपात ९० प्रतिशत हैं। हालाकि अधिकतर भूमि विकास बैंक कर्ज उगाही मे बाधाओ और व्यापक कार्य क्षेत्र के कारण ३ ५ प्रतिशत की रियायत भी नहीं प्राप्त कर पाते। ऋणअदायगी करने की उचित प्रेरणा से धन वापस मिलने के काम मे सुधार हो सकता है और ऋणो के कुल भार को कम किया जा सकता है। यदि कर्जदार के घर जाकर ऋण वसूल किया जाये तो अदायगी मे सुधार होगा। वर्तमान प्रक्रिया मे वसूली दल एकाध बार गाव का दौरा कर लेता है लेकिन नियमित रूप से नहीं

जाता कर्जदार के कार्य स्थल या उसके गॉव के समय पर ऋण की किस्त की अदायगी व वसूली दोनो के लिए ही कुछ प्रोत्साहन देने पर ऋण वसूली मे सुधार हो सकता है। हालाकि इन दोनो ही सुझावो मे वित्तीय मुश्किले है। इसलिए नाबार्ड से लघु सिचांई जैसे कुछ चयनित कार्यो के लिए पुनर्वित्त भूमि विकास बैंको से ५ प्रतिशत की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जा सकता है। १ ५ प्रतिशत की अतिरिक्त रियायत से उन्हे समय पर अदायगी के लिए एक प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जा सकता है ताकि वे अपने कार्य सचालन मे सुधार लायें तथा बेहतर वसूली को प्रभावी बनाने के लिए अपने अतिरिक्त अन्य कर्मचारियो की नियुक्ति कर सके।

नाबार्ड के द्वारा कृषि विषमताओ को दूर करने के लिए अनेक व्यापक कदम उठाये जा रहे है। समन्वित ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण आवश्यकताओ का अत्यधिक बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है जिसके द्वारा गावो का प्रारम्भिक स्तर से विकास सम्भव हो सके। नाबार्ड के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत के प्रत्येक गावो तक यातायात की समुचित व्यवस्था की जाए, साथ ही प्रत्येक गावो मे विद्युतीकरण भी सन् २००५ तक कर दिया जाए। नाबार्ड किसानो को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से अनेक नई-नई योजनाए भी लाता है जैसे अभी हाल ही मे किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई जिसमे किसानो के साथ साथ बटाईदार एव असामी किसानो को भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ ही नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ) की स्थापना की गई। इस निधि के द्वारा नाबार्ड के पास प्रतिवर्ष काफी धनराशि एकत्रित हो जाती है जिसका उपयोग नाबार्ड कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए करता है। इस निधि के लिए पैसा व्यवसायिक बैंकों से प्राप्त होता है क्योकि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक बैंक को एक लक्ष्य दिया जाता है कि समन्वित ग्रामीण विकास हेतु एक निश्चित धनराशि तक ऋण अवश्य बाटने है और यदि बैंकों के द्वारा उस निर्धारित लक्ष्य तक ऋण वितरित नहीं किये जाते हैं तो बची हुई धनराशि को नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ) मे जमा कर लिया जाता है जिसका उपयोग

नाबार्ड के द्वारा कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु किया जाता है। चूकि सम्पूर्ण देश के बैंको से इस निधि के लिए पैसा प्राप्त होता है इसलिए प्रत्येक वर्ष ही इस निधि मे आशातीत वृद्धि होती जा रही है जो की कृषि विकास हेतु अत्यधिक लाभप्रद है। अभी हाल ही मे प्रस्तुत बजट मे नाबार्ड को कुछ योजनाए पूर्ण करने का नवीन लक्ष्य सरकार के द्वारा दिया गया है।

२८ फरवरी को प्रस्तुत २००१-०२ के बजट मे वित्त मत्री श्री यशवत सिन्हा ने प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के लिए २,५०० करोड रूपये का प्रावधान करने, ग्रामीण विद्युती करण प्रधानमत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत लाने,११० लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने और नाबार्ड के जरिए २० लाख अतिरिक्त परिवारो को ऋण सुविधाए देने का प्रस्ताव किया है ।

नाबार्ड की आर०आई०डी०एफ० VII की सचित निधि को अगले वर्ष ४५०० करोड से बढाकर ५००० करोड रूपये करने का प्रस्ताव है। साथ ही राज्यों की सहायता के लिए नाबार्ड द्वारा लगाई गई ब्याज दर ११ ५ प्रतिशत से कम करके १० ५ प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। अगले तीन वर्षो मे सभी पात्र किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जायेगे। वर्ष १९९८-९९ से अब तक ११० लाख क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके है। इन क्रेडिट कार्डधारियो को व्यक्तिगत बीमा पैकेज प्रदान करने की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि आकस्मिक या स्थायी विकलागता के लिए कार्डधारक को क्रमश अधिकतम ५० हजार रूपये और २५ हजार रूपये का बीमा लाभ दिया जा सके।

नाबार्ड को वर्ष २००१-०२ के दौरान एक लाख अतिरिक्त स्वसहायता समूहो से जोडने की आशा की जा रही है जिससे २० लाख अतिरिक्त परिवारों को क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। बटाईदार और असामी किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते है। फसलो के भडारण के निधि पोषण के लिए नाबार्ड अपनी ब्याज दरे १० प्रतिशत से घटाकर ८ ५ प्रतिशत कर रहा है जिससे विशेष रूप से छोटे किसानो को मजबूरी मे अपनी फसल बेचने के लिए विवश नहीं होना पडेगा।

कृषि विस्तार सेवाओ को बढाने की आवश्यकताओ पर जोर देते हुए वित्त मत्री ने कहा है कि कृषि स्नातको द्वारा कृषि क्लीनिक्स एव कृषि कारोबार केन्द्रो की स्थापना की एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसके लिए आसान शर्तो पर ऋण दिया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यो में फसल का उत्पादन बढाने के लिए खेतो मे जल प्रबध योजना के तहत ७० करोड रूपये और बागवानी के समन्वित विकास के टैक्नोलाजी मिशन के लिए ३८ करोड रूपये का प्रावधान किया जा रहा है। क्रमबद्ध रूप से वर्ष २००७ तक ५०० तक की आबादी वाले सभी गावो को बारहमासी सडको मे जोडने के उद्देश्य से २५ दिसम्बर २००० को घोषित प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना मे २०००-२००१ मे २५०० करोड रूपये का केन्द्रीय आवटन किया गया था। [8]

केन्द्र सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले वार्षिक बजट मे लोगो की मुख्य दिलचस्पी कर प्रस्तावो या उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावो पर केन्द्रित रहती है और बजट के बारे मे टिप्पणियॉ भी इसी दृष्टि से व्यक्त की जाती हैं। इस बार वित्त मत्री यशवत सिन्हा द्वारा २८ फरवरी को पेश किए गए बजट की एक विशेषता यह है कि इसमे देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि एव ग्रामीण क्षेत्र को वह महत्व दिया गया है जिसका कि वह सही मायनो में हकदार है। वित्त मत्री श्री यशवत सिन्हा द्वारा पेश किए गए बजट मे केन्द्र सत्तारूढ गठबन्धन सरकार ने ग्रामीण विकास के बारे मे अपनी प्रतिबद्धता को इस बार एक नए अदाज मे पेश किया। अपने बजट भाषण मे कृषि एव ग्रामीण विकास का उल्लेख करते हुए श्री सिन्हा ने स्वीकार किया कि कृषि क्षेत्र मे अब तक किये गये सुधार अपर्याप्त रहे हैं। इसके बाद वित्त मत्री ने अपनी रणनीति को उजागर किया और कृषि को आर्थिक सुधार प्रक्रिया मे समेटते हुए इसके विकास के लिए पर्याप्त ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने, गॉवो मे सडको के विकास और बिजली वितरण व्यवस्था मे सुधार के बारे मे विस्तृत प्रस्तावो का खुलासा किया। बजट मे गावो को बुनियादी रूप से अधिक प्रभावित करने वाली कृषि के विकास के उपायो पर ध्यान केन्द्रित किया गया है कि गावो मे विकास की धारा पहुँचाने वाली सड़को और औद्योगिक प्रगति की सभावना पैदा करने

वाली बिजली की आपूर्ति की तरफ भी विशेष ध्यान दिया गया है। वास्तव मे कृषि क्षेत्र मे निवेश बढाने की रणनीति के तहत गावो को सडक और बिजली सुविधा प्रदान करने के उपायो से गावो के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। कृषि के लिए दुर्भाग्य की बात यही रही है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के एक दशक बाद भी कृषि क्षेत्र एक तरह से इससे अछूता ही रहा। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि १९८० के दशक के बाद अनाज उत्पादन की विकास दर आधी रह गई। कृषि के विकास के बिना ग्राम विकास के उपायो को वाछित सफलता मिलना भी सदिग्ध हो जाता है।

ससद मे प्रस्तुत वर्ष २००१-०२ के बजट मे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है। गत दो वर्षो से एक फीसदी से कम विकास दर को झेल रहे कृषि क्षेत्र को फिर से तेजी से विकास की ओर अग्रसर करने के लिए वित्तीय ससाधनो की उपलब्धता बढाने के विशेष प्रयास किए गए हैं। चालू दशक मे पहली बार कृषि क्षेत्र के हितो पर इतना अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि विकास मे ऋण प्रवाह के महत्व को स्वीकार करते हुए वित्त मत्री ने इसमे २४ प्रतिशत प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया है और बताया कि वर्ष २००१-०२ मे ६४,००० करोड़ रूपये का ऋण कृषि क्षेत्र को उपलब्ध हो सकेगा। उन्होने बताया कि चालू वर्ष मे इसमे १५ प्रतिशत की वृद्धि की आशा है तथा यह लगभग ५१,५०० करोड के स्तर पर रहेगा।

वित्त मत्री ने ऋण प्रवाह को बढाने के उपायो के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के सहयोग से १९९५-९६ मे स्थापित ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ) की सचित निधि को बढा कर अगले वर्ष ५००० करोड रूपये करने की घोषणा की। उन्होने इस बात पर सतोष प्रकट किया कि इस विधि के प्रचलन से गावो में बुनियादी सुविधा देने के काम मे अच्छी प्रगति हुई है। इसमे अब तक १,८४,००० परियोजनाओ को मजूरी प्रदान की गयी है। वित्त मत्री ने इस सफलता से उत्साहित होकर राज्यो की सहायता के लिए नाबार्ड द्वारा लागू की जाने वाली ब्याज दर को ११ ५ प्रतिशत से घटाकर १० ५ प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

वित्त मत्री ने १९९८-९९ मे प्रारम्भ की गई किसान क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बताते हुए अगले तीन वर्षों मे इसके योग्य सभी किसानो को इसके दायरे मे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक लगभग १ १ करोड किसानो को क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं। वित्त मत्री बैंकों से भी यह कहेगे कि अन्य क्रेडिट कार्डों के धारको को भी बीमा लाभ दिया जाए।

नाबार्ड और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से चालू वर्ष के दौरान एक लाख स्वसहायता समूहो से जुडने को कहा गया है। नाबार्ड और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ४०-४० करोड रूपये के योगदान से नाबार्ड मे एक लघु वित्त विकास निधि की स्थापना कर दी गई है। उन्होंने बताया कि नाबार्ड को गत वर्ष पूँजी अभिलाभ का छूट बाड जारी करने की जो अनुमति दी गई थी उसने नाबार्ड को सामान्य रूप से कम ब्याज दरो पर १,००० करोड रूपये से अधिक की धनराशि जुटाने मे मदद मिली है। जिससे इस निधि की लागत कम हुई है। उन्होने इस छूट को जारी रखने की घोषणा की है। नये बजट मे किसानो को माल ऋण उपलब्ध कराने के लिए जहा नाबार्ड की ब्याज दर ११ ५ प्रतिशत से घटा कर १० ५ प्रतिशत कर दी गई है। वहीं नाबार्ड की ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि को ४५ अरब रूपये से बढाकर ५० अरब कर दिया गया है। किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा की भी व्यवस्था प्रदान की गई है साथ ही क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानो को बीमा सुविधा भी उपलब्ध करायी जा रही है।

इस प्रकार यदि हम देखे तो पायेंगे कि इस नवीन बजट वर्ष २००१-०२ के माध्यम से कृषि एव ग्रामीण विकास का समुचित प्रयास किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास को बढावा देने के लिए उन्होंने वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान दिया जिसके तहत नाबार्ड की ब्याज दर का घटाया जाना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना आदि ग्रामीण विकास के सार्थक प्रयास प्रतीत होते हैं। [9]

भारत की स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारा लक्ष्य देश का समन्वित विकास करना था जिसके लिए ग्रामीण विकास पर ध्यान देना नितान्त आवश्यक था और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया भी गया लेकिन वह पर्याप्त नही कहा जा सकता है। हम कह सकते है कि हमारी कार्यप्रणाली मे ही कुछ दोष

व्याप्त हैं क्योकि आज स्वतत्रता के ५३ वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात् भी हमारे गॉवो का समुचित विकास सम्भव नहीं हो पाया है। आज भी हमारे गाव पिछडे हुए हैं, आज भी वहाँ समुचित पेयजल की व्यवस्था नहीं है, आज भी किसान ऋणग्रस्त है, आज भी उसे पर्याप्त वित्तीय साधन व सुविधाए उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, आज भी किसान साहूकारो व देशी बैकरो पर ही निर्भर हैं, देश मे अभी भी मात्र २१ लाख किलोमीटर सडक मार्ग हैं जिसमे से ११ लाख किलोमीटर हिस्सा कच्ची सडको का है जो कि हमारे गावो को शहरो से जोडने का असफल प्रयास करती है क्योकि साल के चार माह तो ये बरसात के पानी मे यात्रा करने योग्य ही नही रह जाती हैं।

आज यदि हम इस बात पर विचार करें कि इतने प्रयासो के पश्चात् भी गॉवो का समूचित विकास क्यों नही हो पाया तो हम पायेगे कि इसमे हमारी बैंकिग व्यवस्था का पूरा दोष है जिसके कारण किसानो को समय पर वित्तीय सुविधाए एव अन्य आवश्यकताए पूरी नहीं हो पाती हैं। जिसके कारण उसे साहूकारो की सहायता लेनी पडती है व उनके ऊँची ब्याज दर के ऋण से कई पीढियो तक उबर नहीं पाता है। हमारी बैंकिग व्यवस्था मे काफी दोष है। किसान को कभी भी उसकी आवश्यकता के समय उसे बैंको से वित्तीय सहायता उपलब्ध नही हो पाती है इसका कारण है बैंकों की लम्बी कागजी कार्यवाही जिसे हमारा निरक्षर किसान पूरा नहीं कर पाता है और वहाँ उसकी फसल सूखी जा रही होती है, तो कहीं उसे खाद देनी है या कहीं उसे पानी देना है जिसके लिए उसे पैसो की तुरन्त आवश्यकता होती है जो कि हमारे बैंक कभी पूरा नहीं कर पाते हैं और किसानो को मजबूरी मे महाजनो से ऋण लेना पडता है और प्राकृतिक आपदाओ, बडा परिवार, कम उपज, सामाजिक रीति रिवाजो आदि आवश्यकताओ के कारण वह इस ऋण के बोझ से निकल नहीं पाता है और पीढी दर पीढी इसी बोझ मे दबता चला जाता है। आज हम योजना काल के ५२ वर्ष पूर्ण कर चुके है तथा दसवीं पचवर्षीय योजना की तैयारिया चल रही है जिसका कार्यकाल १ अप्रैल २००२ से ३१ मार्च २००७ तक होगा। इस योजना का भी मुख्य लक्ष्य ग्रामीण विकास ही रखा जा रहा है। इसका मूल लक्ष्य होगा कि देश का प्रत्येक गॉव, कस्बा तथा निर्जन क्षेत्र परिवहन, सचार, ऊर्जा,

सिचाई तथा वित्तीय आवश्यकताओ की सुविधाओ से परिपूर्ण हो ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जनसचार तथा पेयजल जैसी सामाजिक सेवाएँ सहजता से प्रदान की जा सके।

दसवी योजना का भी प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण विकास रखा गया है। पहले लागू हो चुकी नौ पचवर्षीय योजनाओ का यदि हम अध्ययन करे तो पायेगे उनका लक्ष्य भी ग्रामीण विकास ही था लेकिन शायद कोई भी योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे पूर्णतया सफल नहीं हो सकी है। ग्रामीण विकास के लक्ष्य को ध्यान मे रखकर नाबार्ड की स्थापना १९८२ मे की गई १९८२ से लेकर आज तक नाबार्ड ग्रामीण वित्त मे अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान कर रहा है। अभी हाल ही मे प्रस्तुत वर्ष २००१-०२ के बजट मे नाबार्ड द्वारा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ब्याज दर को ११ ५ प्रतिशत से घटाकर १० ५ प्रतिशत कर दी गई है जिससे ग्रामीण वित्त मे अधिक सहायता प्रदान की जा सके। लेकिन आज भी ग्रामीण वित्त की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है जबकि इसमे अनेक सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, व्यापारिक बैंक तथा नाबार्ड जैसी बडी-बडी सस्थाए प्रयासरत है। आज भी किसान काफी हद तक साहूकारो पर ही अपनी वित्तीय आवश्यकताओ हेतु निर्भर है अत हम कह सकते हैं कि नाबार्ड भी अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक सफलता से नही निभा पाया है। अत हमे प्रयास करना चाहिए कि हमारी वित्तीय सस्थाओ की कार्यप्रणालियो तथा नीतियो मे व्यापक सुधार किये जाये।

शोध का उद्देश्य :-

- उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण वित्त की माग को पूरा करने मे नाबार्ड की भूमिका का मूल्याकन करना।
- ग्रामीण आधारभूत आवश्यकताओ को पूर्ण करने मे नाबार्ड की भूमिका का मूल्याकन करना।
- समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड द्वारा किये गये योगदान का मूल्याकन करना।
- नाबार्ड की कार्यप्रणाली यदि दोषपूर्ण हैं तो उसमे सुधार हेतु उपाय एव सुझाव प्रस्तुत करना।
- सस्थागत स्रोतो द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति आज भी अपर्याप्त है इसके कारणो का मूल्याकन करना।
- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे लगे बैंको का मूल्याकन करना।
- उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मे नाबार्ड के योगदान का मूल्याकन करना।
- नाबार्ड की कार्यप्रणाली एव क्रियाकलापो का मूल्याकन करना।
- वर्तमान समय मे उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण वित्त पूर्ति व्यवस्था का मूल्याकन करना।

शोध की महत्ता :-

भारत मे कृषि महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारतीय जनसख्या का एक बडा भाग कृषि पर आधारित है और कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप मे अपनायी जाती है। कृषि की दशा मे सुधार करने के लिए अनेक आयोगो एव कमीशनो का गठन किया गया जिनकी सस्तुति पर ''राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक'' (नाबार्ड) की स्थापना की गई। नाबार्ड की कार्यप्रणाली का निर्धारण कुछ इस प्रकार किया गया कि वह जनता के अप्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य करते हुए, कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु कार्य कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना विशेष रूप से ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु की गई थी और नाबार्ड इसका प्रयत्न भी कर रहा है कि वह ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था करके कृषि को एक लाभकर व्यवसाय बनाया जा सके।

मैं अपने शोध के द्वारा इस तथ्य की पुष्टि करना चाहता हू कि नाबार्ड अपनी स्थापना के उद्देश्यो मे सफल रहा अथवा नहीं। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु वित्त की समुचित व्यवस्था करना है। ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु नाबार्ड को बैंकिग सस्थाओ को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करनी होती है साथ ही ग्रामीण विकास मे लगी बैंकिग सस्थाओ के मध्य उचित समन्वय स्थापित करते हुए उनके ऊपर उचित नियत्रण रखना भी नाबार्ड का उत्तरदायित्व है। इसके साथ ही नाबार्ड को ग्रामीण आधारभूत सुविधाओ की पूर्ति का दायित्व भी सौंपा गया है अर्थात् नाबार्ड को समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु समस्त कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

इस शोध के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे नाबार्ड की भूमिका का मूल्याकन करके यह स्पष्ट करना चाहता हू कि क्या नाबार्ड ग्रामीण विकास मे अपना उचित योगदान दे पाया है और क्या नाबार्ड की स्थापना से ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था करके ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है और क्या वर्तमान आवश्यकताओ के अनुरूप नाबार्ड की कार्यप्रणाली उचित है।

अध्यायीकरण :-

मैंने शोध ग्रन्थ मे सात अध्याय प्रस्तावित किये है। इन अध्यायो के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करते हुए नाबार्ड की आवश्यकता को एव उसके योगदान को स्पष्ट करूगा। मैंने अपने शोध ग्रन्थ के प्रथम अध्याय मे सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रदर्शित करते हुए उसमे कृषि के महत्व को एव उसकी दयनीय दशा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इस अध्याय मे कृषि की बिगडती दशा के कारणो को स्पष्ट करते हुए कृषि वित्त की अपर्याप्तता को स्पष्ट किया गया है। मैने प्रस्तावित द्वितीय अध्याय मे उतर प्रदेश के ग्रामीण वित्त की स्थिति, ग्रामीण वित्त की आवश्यकता, ग्रामीण वित्त पूर्ति के स्रोत, एव उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण वित्त की अपर्याप्तता के कारणो को

बताया गया है। मैंने प्रस्तावित तृतीय अध्याय मे नाबार्ड की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए, नाबार्ड की स्थापना का उल्लेख किया है। मैंने चतुर्थ अध्याय मे नाबार्ड की सगठनात्मक सरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पाचवे अध्याय मे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे नाबार्ड द्वारा किये जाने वाले प्रयासो का उल्लेख किया गया है। छठवे अध्याय मे नाबार्ड की कमियो एव उसकी कार्य प्रणाली मे व्याप्त दोषो को स्पष्ट करने का प्रयास किया है तथा सातवे अध्याय मे शोध के निष्कर्ष के तौर पर सस्तुतिया एव सुधार के उपाय व्यक्त किये गये हैं।

शोध की परिकल्पना -

शोध के प्रारम्भिक समय मे मेरे विचार मे निम्नलिखित परिकल्पनाए उत्पन्न हुई है -

- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे नाबार्ड का योगदान सतोषजनक नहीं रहा है।
- नाबार्ड अपनी स्थापना के लक्ष्यो को प्राप्त करने मे सफल हुआ है।
- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण वित्त व्यवस्था नाबार्ड की स्थापना से लाभान्वित हुई हैं।
- नाबार्ड की स्थापना के पूर्व तथा स्थापना के पश्चात् उत्तर प्रदेश की कृषि एव ग्रामीण वित्त की स्थिति।
- नाबार्ड और ग्रामीण बैंकिग सस्थाओ के मध्य उचित तालमेल एव समन्वय स्थापित हो सका है।
- नाबार्ड व्यवसायिक बैंको को ग्रामीण वित्त पूर्ति हेतु आकर्षित नहीं कर पाया है।
- नाबार्ड और व्यवसायिक बैंको के मध्य उचित तालमेल स्थापित नहीं हो सका है।
- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु नाबार्ड की स्थापना वाकई आवश्यक थी।
- नाबार्ड की स्थापना से उत्तर प्रदेश के गावो की बिगडती स्थिति मे सुधार हुआ है।
- कृषि एव ग्रामीण विकास कार्यक्रम की समुचित सफलता प्राप्त न करने मे नाबार्ड का उत्तरदायित्व।

शोध अध्ययन विधि :-

यह शोध कार्य विभिन्न स्रोतो से एकत्र किये गये प्राथमिक एव द्वितीयक समको के आधार पर पूर्ण किया जायेगा। प्राथमिक समक प्रश्नावलिया बना कर एव अनेक व्यक्तियो के साक्षात्कार लेकर मैंने स्वय एकत्रित किये हैं एव उन्हे तैयार किया है। प्राथमिक समक एकत्र करने के लिए मैंने प्रश्नावलिया बना कर उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानो पर किसानो से जानकारिया प्राप्त की, इसके साथ ही नाबार्ड के वरिष्ठ अधिकारियो, ग्रामीण बैंक के अधिकारियो, व्यापारिक बैंक के मैनेजर, तथा किसानो के साक्षात्कार से लेकर प्राथमिक समको को तैयार किया है। द्वितीयक समक भारतीय अर्थव्यवस्था पर लिखी गई विभिन्न पुस्तको से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्टो से, नाबार्ड की वार्षिक रिपोर्टो से, बर्ड लाइब्रेरी मे उपलब्ध विभिन्न रिपोर्टो से, बैंकिग की विभिन्न पुस्तको से, नाबार्ड एव भारतीय रिजर्व बैंक की बेबसाइटो से, योजना एव कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका से तथा समाचार पत्रो की सहायता से एकत्र किये गये है। प्राथमिक समक एकत्र करने हेतु हमने नमूना विधि के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलो - इलाहावाद, कानपुर, लखनऊ, हमीरपुर, कौशाम्बी, तथा गाजीपुर को शामिल किया है। जिनमे विभिन्न व्यक्तियो के साक्षात्कार लेकर प्राथमिक समक तैयार किये गये हैं। समको द्वारा तुलनात्मक अध्ययन हेतु उन्हे उपयुक्त निर्धारित विधि द्वारा तैयार किया गया है। शोध की आवश्यकता के अनुरूप समको का व्यापक विश्लेषण किया गया है। समको को सरलतापूर्वक समझने के लिए उन्हे सारणीबद्ध किया गया है एव उन्हे ग्राफ द्वारा स्पष्ट किया गया है।

परिसीमाएं :-

यद्यपि मैंने समको को एकत्र करने मे एव उनके विश्लेषण करने मे पर्याप्त सावधानी बरती है ताकि शोध की आवश्यकता के अनुरूप समको से सही निष्कर्ष ज्ञात किये जा सके। आकडे एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने तथा सम्पूर्ण शोध कार्य मे निम्नलिखित समस्याए सामने आ रही है -

- प्रश्नावलिया बना कर समक एकत्र करते समय बहुत से लोग ऐसे मिले जो किसी भी प्रश्न का उत्तर न दे सके।
- उत्तर प्रदेश एक बडा राज्य है इसलिए सम्पूर्ण प्रदेश मे जाकर सूचनाए एकत्र करना एव साक्षात्कार लेना अत्याधिक कठिन कार्य है। इसमे अत्याधिक समय एव धन की आवश्यकता पडती है।
- समय एव धन के अभाव के कारण नमूना आधार पर उत्तर प्रेदश के प्रमुख जिलो से सूचनाए एकत्र की हैं। जो कि सम्पूर्ण का प्रतिनिधत्व करती हैं।
- शोध कार्य मे प्राथमिक एव द्वितीयक दोनो समको का प्रयोग किया गया है जो कि अत्याधिक समय लेने वाला एव खर्चीला कार्य है।
- शोध के निष्कर्ष नमूना विधि द्वारा एकत्रित समको की सहायता से निकाले गये हैं इसलिए भविष्य मे इनमे परिवर्तन होने या अनिश्चितता होने की सम्भावना है।
- इस विषय पर पहले कभी शोध नहीं हुए हैं, जिससे सम्पूर्ण सूचनाए एकत्रित करने मे काफी समस्या हो रही है।
- विभिन्न स्थानो पर जाकर सूचनाए एव समक एकत्र करना काफी खर्चीला कार्य है अत आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो रही है।

सूचना स्त्रोत

1. भारतीय अर्थव्यवस्था डॉ० अरूणेश सिह
2. शिवरमण कमेटी रिपोर्ट (CRAFICARD) भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (बम्बई) द्वारा प्रकाशित जनवरी १९८१
3. योजना पत्रिका दिसम्बर १९९२ पृष्ठ सख्या १-४ एव वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २००१
4 भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण कमेटी रिपोर्ट एव भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन
5. भारतीय अर्थव्यवस्था - जगदीश नारायण मिश्र
6. भारतीय अर्थव्यवस्था - डॉ० अरूणेश सिह वर्ष २०००-२००१
7. योजना पत्रिका - जुलाई २००१
8. योजना पत्रिका - अप्रैल २००१
9. कुरूक्षेत्र पत्रिका - अप्रैल २००१

******

अध्याय–2

भारत में ग्रामीण वित्त

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार का प्रथम लक्ष्य था देश का समन्वित विकास। किन्तु यह कार्य आसान न था क्योकि न सिर्फ भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व द्वितीय विश्वयुद्ध की तबाही से उबर नहीं पाया था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अत्यन्त चरमरायी हुई थी, देश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, देश मे उद्योगो का अभाव था, रोजगार की कमी थी, लोगो के रोजगार का एकमात्र साधन था। कृषि,स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय देश की जनसख्या का लगभग ८० प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित था और कृषि देश मे प्रमुख उद्योग की तरह प्रचलित थी। कृषि की दशाा भी अत्यधिक दयनीय थी न तो हमारे किसानो के पास अच्छे बीज थे, न ही उत्तम किस्म की खाद थी, न ही कृषि के उपकरण थे, न सिचाई की उत्तम व्यवस्था थी और न ही किसान के पास धन था। भारतीय किसान प्रारम्भ से ही कर्ज मे दबा होता था क्योंकि किसान के पास कमाई के साधन के रूप मे अलाभकर कृषि ही उपलब्ध थी जबकि उसका बडा परिवार, उसके सामाजिक रीति रिवाज, त्योहार, तथा कृषि आदि का व्यय उसी के सिर पर रहता था जिससे किसान सदैव ही कर्ज के बोझ तले दबता ही चला जाता था। किसानो की वित्त आवश्यकता की पूर्ति सदैव ही साहूकारो के द्वारा पूरी की जाती थी जिसके बदले मे किसानो का अत्यधिक शोषण किया जाता था, उनसे सादे कागज पर अगूठे लगवा कर उनकीजमीनो पर साहूकार कब्जा कर लेते थे किसानो को उनके घरो से बेदखल कर लिया जाता था, उनकी फसले कर्ज के ब्याज मे ही साहूकारो के पास चली जाती थी अर्थात किसानो की दशा अत्यधिक दयनीय थी जिसका प्रमुख कारण था वित्त का अभाव। प्रारम्भिक काल मे देश

मे ग्रामीण वित्त की कोई समुचित व्यवस्था नही थी जहाँ से किसानो को उनकी कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु सरलता से ऋण प्राप्त हो जाता। किसानो के सकट समय पर उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला कोई सशक्त साधन उपलब्ध नहीं होता था और अन्त मे उन्हे साहूकार की ही शरण मे जाना पडता था जो कि उनका मनमाने ढग से शोषण करता व उन्हे ऋण प्रदान करता। इस प्रकार हम प्रारम्भिक काल मे अध्ययन करे तो पायेगे कि हमारे देश मे ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का लगभग ७५ प्रतिशत भाग साहूकारो द्वारा ही पूरा किया जाता था। यहीं कारण था कि भारतीय किसान और गरीब होता जा रहा था और साहूकार और अमीर होते चले जा रहे थे।

स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् तत्कालीन काग्रेस सरकार ने देश के समन्वित विकास हेतु वर्ष १९५० मे योजना आयोग का गठन किया और १ अप्रैल १९५१ से प्रथम पचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के प्रमुख लक्ष्य थे देश मे उद्योगो की स्थापना करना तथा कृषि की दयनीय दशा में सुधार करना, किसानो को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि के लिए अनुकूलतम दशाओ को बनाना, नवीन उद्योगो की स्थापना कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना आदि। सरकार ने इस बात को महसूस किया कि देश की जनसख्या का ज्यादातर भाग कृषि पर आश्रित है अत कृषि को बढावा देना, एव कृषि की दयनीय दशा मे सुधार करना नितान्त आवश्यक है। सरकार ने यह अनुमान लगाया कि किसानो की दयनीय दशा का प्रमुख कारण है वित्त का अभाव, जिसके कारण किसानो की दशा दिन प्रतिदिन बिगडती जा रही थी, व कृषि अलाभकर होती जा रही थी। अत सरकार ने देश के समन्वित विकास के लिए ग्रामीण वित्त पर विशेष ध्यान दिया। जिससे किसानो को सरलता से, व समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा सके।[1]

ग्रामीण वित्त से आशय :-

भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि राष्ट्रीय आय एव कुल रोजगार के अवसरो मे कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। परन्तु अन्य देशो की तुलना मे भारतीय कृषि अपनी अल्प उत्पादिता एव पिछडेपन के लिए भी विख्यात है, जबकि कृषि क्षेत्र को न केवल कृषि कार्य मे लगे लोगो के भरण पोषण व जीवन यापन की व्यवस्था करनी चाहिए, अपितु अतिरेक भी अर्जित करना चाहिए। जिसके लिए कृषि के अभियात्रिकरण, नवीनीकरण व यत्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई और इससे ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का विशेष अनुभव हुआ। भारत मे कृषि विकास के प्रयास तो प्रारम्भ से ही किये जा रहे थे, लेकिन नवीन तकनीक का विकास १९६०-७० के दशक मे हुआ। प्रत्येक कृषक नवीन तकनीको से लाभान्वित होने की आशा रखता है जिसके लिए रासायनिक खाद, उन्नतशील बीज, नवीन उर्वरक, कीटनाशक दवाओ, आधुनिक कृषि यत्रो की आवश्यकता होगी जो कि समयानुसार कृषि साख व्यवस्था (ग्रामीण वित्त) की अपरिहार्यता की ओर सकेत करता है।

कृषि को लाभप्रद व्यवसाय बनाने हेतु उसमे आधारभूत परिवर्तनो की नितान्त आवश्यकता है। किसानो को अच्छे किस्म के उन्नतशील बीज उपलब्ध हो, उनके पास अच्छी किस्म की खाद एव उर्वरक उपलबध हो, उत्तम कृषि हेतु अच्छे यत्र, नवीन उपकरणो की आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार के कीटनाशको की अवश्यकता है, सिचाई के स्थायी साधनो (कुए, पम्पसेट, नलकूप, ट्यूबवेल, पक्की नाली, नहर आदि) की नितात आवश्यकता है, तैयार फसल के भण्डारण हेतु उचित स्थानो की आवश्यकता है। इन सभी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु किसानो को धन की आवश्यकता पड़ती है। बैंकों, सहकारी समितियो व अन्य वित्तीय सस्थाओ द्वारा किसानो की उपरोक्त आवश्यकताओ हेतु वितरित ऋण को ग्रामीण वित्त या ग्रामीण साख कहा जाता है। अर्थात् किसान जब अपनी कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु धन प्राप्त करता है तो उसे ग्रामीण वित्त की सज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हमे स्पष्ट होता है कि यदि हम कृषि का निचले स्तर से समन्वित विकास करना चाहते है तो उसके लिए हमे ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

हमारे देश की जनसख्या का एक बडा भाग कृषि पर आधारित है और यह एक प्रमुख व्यवसाय के रूप मे अपनायी गई है। जब सरकार इस बात पर ध्यान देती है कि उसके व्यवसाय व उद्योग धधे हानि मे न जाए। इसी प्रकार कृषि भी हमारे देश का अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योग है और उसकी बुरी दशा का एक मात्र कारण है कि ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था न होना। आज सरकार के द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु लाख प्रयास किये जा रहे हैं, अनेक वादे किये जा रहे है किन्तु शायद सभी प्रयास असफल हो जाते है व सभी दावे खोखले साबित होते हैं। आज भी हमारे देश मे ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसके चलते आज भी कृषि एक अलाभकार व्यवसाय ही बनी हुई है। किसान के द्वारा अपनी वित्त आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न साधनो से की जाती है। इनमे कुछ स्रोत सस्थागत साधनो के होते है व कुछ स्रोत गैर सस्थागत साधनो के होते है। सरकार के द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति की समुचित व्यवस्था सस्थागत स्रोतो के द्वारा न कर पाने के कारण ही, गैर सस्थागात स्रोत आज भी फलफूल रहे है और ग्रामीण वित्त की पूर्ति मे उनका बडा ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज कृषि मे व्यापक परिवर्तन करने हेतु ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था का होना नितान्त आवश्यक है जिससे किसान अपनी कृषि में व्यापक सुधार करके कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय बना सके अर्थात् ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था करके हम कृषि क्षेत्र मे क्रान्ति ला सकते है। और इसके ठीक विपरीत, ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था न हाने से आने वाले वर्षो मे भी किसानो का जीवन अधकार मे ही दिखाई पड रहा है।

भारत मे छोटे किसानो व छोटी जोत के आकार वाले कृषको की आय मात्र जीवन यापन के लिए ही पर्याप्त हो पाती है। कभी-कभी तो यह दशा हो जाती है कि उन्हे अपनी अनिवार्य आवश्यकताओ के लिए भी ऋण लेना पडता है। जहॉ अधिकाशत कृषकों के पास अत्यन्त छोटे आकार की जोते है जो कि उनकी आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं कर पाती हैं ऐसी दशा मे उनसे यह अपेक्षा करना कि कृषक कृषि मे आधारभूत परिवर्तन व सुधार के लिए कुछ निवेश कर सकता है तो यह पूर्णतया भ्रमपूर्ण होगा। जिससे हमे कृषि साख की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

स्वतत्रता के पूर्व कृषि साख के प्रमुख स्त्रोत ग्रामीण महाजन व स्थानीय सम्पन्न लोग थे। जिन्हे देशी बैंकर भी कहा जाता है। देशी बैंकरो के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार मनमाने ढग से अत्यधिक ब्याज दर पर किसानो को ऋण उपलब्ध कराया जाता था। कुछ कानून इस सम्बन्ध मे बनाये भी गये जिससे किसानो को कुछ सरक्षण प्रदान किया गया। कानूनो के द्वारा देशी बैंकरो पर नियत्रण का प्रयास किया गया किन्तु इसमे बहुत ही कम सफलता प्राप्त हो सकी। जैसा कि कृषि सुधार समिति ने कहा है - ''हम निश्चित रूप से कह सकते है कि महाजनो की गतिविधि पर नियत्रण लगाने मे हम व हमारे कानून पूर्णतया विफल रहे है।'' वस्तुस्थिति यह रही है कि विकल्पो के अभाव मे ग्रामीणो को अपनी वित्त आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु महाजनो के पास ही जाना पडता था और वे उन्हें मनमानी शर्तो पर ऋण देते थे। वास्तव मे महाजन किसान की गरीबी का परिणाम था और अन्तत किसान की गरीबी का कारण भी।[1]

(अ) ग्रामीण वित्त की आवश्यकता :-

कृषि के पिछडेपन तथा कृषि व्यवसाय की अनिश्चितता के कारण भारतीय किसानो के निजी साधन सीमित होते हैं। कृषि व्यवसाय अलाभकर होने के कारण कृषक कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति करने मे असमर्थ हो जाता है। छोटे एव सीमान्त कृषको की दशा तो और भी गम्भीर एव विचारणीय है उन्हें तो अपने परिवार की जीवन की आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए भी ऋण का सहारा लेना पडता है। वर्तमान मे कृषक कृषि विकास की आवश्यकताओ को पूरा करने व जीवन यापन की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु ग्रामीण वित्त का सहारा लेते हैं। कृषको द्वारा ऋण की माग निरन्तर बढने से ग्रामीण वित्त का महत्व लगातार बढता जा रहा है। वर्तमान समय मे कृषि साख एव ग्रामीण वित्त का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आज ग्रामीण वित्त की सहायता से कृषि के विकास का प्रयास किया जा रहा है। बैंकों के द्वारा तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ के द्वारा ग्रामीण वित्त सरलतापूर्वक उपलब्ध कराये जा

रहे है ताकि किसान उत्तम बीज, उत्तम रासायनिक उर्वरक, अच्छे यत्र, अच्छे ट्रैक्टर, हल बैल आदि खरीद सके जिससे कि कृषि को एक लाभकर व्यवसाय बनाने का प्रयास किया जा सके।

भारत मे प्राचीन काल से ही कृषि एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के रूप मे अपनायी जा रही है किन्तु फिर भी यह अलाभकर बनी हुई है। भारतीय कृषि के अलाभकर होने के अनेक कारण है। भारतीय कृषि पर जनसख्या दबाव अत्यधिक ज्यादा है, देश की कुल जनसख्या का लगभग ७५ प्रतिशत भाग कृषि पर ही आश्रित है। हमारे देश मे किसान साक्षरता दर अत्यधिक कम है। जिसमे कृषि पर जनसख्या दबाव और तीव्र गति के बढता जा रहा है क्योकि अशिक्षित होने के कारण वे परिवार नियोजन के साधनो का प्रयोग नहीं करते और प्रत्येक परिवार मे दस से बारह बच्चे होना बडी स्वभाविक बात हो जाती है। अधिक बडा परिवार होने से सामाजिक रीतिरिवाजो जैसे मुण्डन, छेदन, यज्ञोपवीत, शादी, वर्षगाठ, तेरही आदि पर भी अत्यधिक खर्च किया जाता है और इस सब का सीधा प्रभाव कृषि पर पडता है और कृषि से हम और अधिक उपज की माग करने लगते है। इसके साथ ही किसानो के पास उत्तम किस्म के उन्नतशील बीजो का अभाव है, अच्छी खाद का अभाव, अच्छी जुताई करने के लिए ट्रैक्टर व ट्राली आदि का अभाव है जिससे किसान कृषि की पूर्ण उर्वरा शक्ति का उपभोग भी नहीं कर पाता है। भारतीय किसानो के पास सिचाई के स्थायी साधनो का भी अभाव है, यहा न तो पक्के कुए है, न ही पम्प सेट है, न ही नहरे है, और न ही ट्यूबवेल आदि हैं जिससे सिचाई की समुचित सुविधा भी किसानो को प्राप्त नहीं हो पाती है और किसान केवल प्राकृतिक बारिश के सहारे भगवान का नाम लेते हुए पानी का इन्तजार करता रहता है। जिससे फसले सूख जाती हैं व कृषि का नुकसान होता है। इसके साथ ही गावो मे सहकारी सस्थाओ, सरकारी भण्डार ग्रह तथा सरकारी विक्रय केन्द्रो का भी अभाव है जिससे किसान अपनी तैयार फसलो को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों मे परिवहन व्यवस्था भी अत्यधिक जर्जर अवस्था मे है जिससे किसान अपनी फसलो को शहरी मण्डियों में ले जाकर भी नहीं बेच पाते है और गावो के ही साहूकार, महाजनो एव व्यापारियो को उन्हीं के मनमानें दामों पर अपनी फसलो को किसान बेच देता है। कृषि के अलाभकर होने का एक

अन्य कारण है - चकबन्दी व्यवस्था का कडे ढग से लागू न किया जाना। हमारे देश मे किसानो के पास खेत छोटे-छोटे हिस्सो मे बटे होते है। जिससे फसले अच्छी तरह से नहीं उगायी जा सकती है क्योकि छोटे-छोटे खेतो मे न तो हम उचित ढग से खाद की व्यवस्था कर पाते है और न ही स्थायी ढग से सिचाई के साधन ही लगवा पाते है जिससे कृषि लगातार अलाभकर होती जाती है। इसके साथ ही किसानो के पास वित्त का अभाव भी है। किसानो के पास न तो अपने ही पैसे होते है और नही कृषि से ही उन्हे बचत होती है कि वे अपनी कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकें। कृषि को लाभकर बनाने के लिए उसमे व्यापक सुधार एव परिवर्तन की आवश्यकता है। जिसके लिए सबसे आवश्यक है कृषि वित्त की पूर्ति। कृषि वित्त की पूर्ति हो जाने से कृषि के लाभकर होने की व्यापक सभावनाऐ हैं। क्योकि तब किसान अपनी आवश्यकतानुसार उन्नतशील किस्म के बीज क्रय कर सकता है, अच्छी खाद की व्यवस्था कर सकता है, ट्रैक्टर, ट्राली, हल, बैल आदि क्रय कर सकता है, सिचाई के लिए अपने व्यक्तिगत स्थायी साधनो की व्यवस्था कर सकता है, गावो तक यदि यातायात की समुचित व्यवस्था कर दी जाए तो किसान अपनी फसलो को शहर की मण्डियो तक लाकर उचित दामो मे बेच सकते है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कृषि के अलाभकर होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ग्रामीण वित्त का अभाव है। यदि किसानो के पास वित्त की पर्याप्त उपलबधता बनी रहे तो वे अपनी कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति सरलतापूर्वक एव समय से कर सकेंगे व साहूकारो के ऋण के चगुल मे फसने से बच सकते हैं। किसानो की दयनीय दशा मे सुधार का एक मात्र हल है ग्रामीण वित्त की पर्याप्त पूर्ति। यदि सरकार किसानो की दशा मे सुधार करके समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो उसके लिए सरकार को अपनी बैंकिग व्यवस्था मे व्यापक सुधार लाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय मे किसानो को अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु सस्थागत एव गैर सस्थागत दोनो स्रोतो से कृषि वित्त की प्राप्ति हो रही है।

किसानों के द्वारा ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्त्रोतो से ऋण प्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग वह भिन्न-भिन्न कार्यो में करता है। किसानों के द्वारा ऋण निम्नलिखित कार्यों की पूर्ति हेतु लिया जाता है

1. उत्पादक कार्य :-

सामान्यत तो किसानो के द्वारा उत्पादक व अनुत्पादक दोनो प्रकार के कार्यों के लिए ऋण लिये जाते हैं वैसे किसानो द्वारा लिये जाने वाले वित्त का प्रमुख उद्देश्य उत्पादक कार्यों के लिए ही होता है। जैसे - अच्छी किस्म के बीज व खाद के लिए, उत्तम एव नवीन कृषि यत्रो के लिए, सिचाई की उत्तम व्यवस्था करने के लिए, हल, बैल, ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए एव अन्य कृषि कार्यों के लिए किसानो के द्वारा वित्त प्राप्त किया जाता है। उत्पादक वित्त सीधे रूप से कृषि से सम्बन्धित होता है अर्थात् उसको किसी व्यक्तिगत उद्देश्य मे प्रयोग नहीं किया जाता है।

उत्पादक वित्त की सहायता से किसान कृषि को लाभकर व्यवसाय बना सकता है। उत्पादक वित्त से किसान, कृषि उत्पादन मे आने वाली लगभग सभी समस्याओ को हल कर सकता है। किसान उन्नत कृषि हेतु यत्रीकरण कर सकता है, उत्तम व अच्छे ट्रैक्टर, ट्राली एव ट्रिलर क्रय कर सकता है। महगी-महगी कीटनाशक दवाईयो का प्रयोग कर सकता है, सिचाई के अपने स्वय के स्थायी साधनो की व्यवस्था कर सकता है, तैयार फसलो को सुरक्षित स्थानो तक पहुचाने की व्यवस्था कर सकता है, एक प्रकार से देखा जाए तो कृषि सम्बन्धित समस्त आवश्यकताओ को किसान उत्पादक वित्त की सहायता से पूर्ण कर सकता है यदि किसानो के द्वारा समझदारी से कुशलता पूर्वक उत्पादक वित्त का प्रयोग कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब कृषि लाभकर व्यवसाय कही जायेगी।

उत्पादक कार्य के लिए लिया जाने वाला वित्त मुख्यत तीन प्रकार का होता है -

1. अल्पकालीन या मौसमी वित्त :-

कृषको की तत्कालीन आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था की जाती है। ये वित्त प्राय· १५ महीने से कम अवधि के लिए होते हैं अर्थात् ऐसे ऋणो का भुगतान ऋण लेने की तिथि से १५ महीने के अन्दर कर दिया जाना चाहिए। ऐसे ऋण बीज व खाद खरीदेने के लिए, श्रमिको

को मजदूरी देने के लिए तथा अन्य तत्कालीन आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए, तैयार फसल को भण्डारण करने के लिए या बेचने के लिए शहर आदि तक ले जाने के लिए यह ऋण लिया जाता है तथा फसल बिक जाने पर इसका भुगतान कर दिया जाता है। इसीलिए इसे मौसमी ऋण कहा जाता है क्योकि सामान्यत इसकी आवश्यकता केवल एक फसल तक ही होती है और उसके बिकने पर ऋण का भुगतान कर दिया जाता है।

2 मध्यकालीन ऋण :-

कृषको को अपनी भूमि मे सुधार करने, खेती के उपकरण खरीदने, कुँओ व बॉधो की मरम्मत, पशु और छोटे औजार खरीदने आदि उद्देश्य से मध्यकालीन ऋण प्राप्त किये जाते हैं। वर्तमान समय मे कृषि कार्य के अभिनवीकरण की प्रक्रिया मे मध्यकालीन साख की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस ऋण की अवधि १५ माह से लेकर ५ वर्ष तक होती है इसीलिए ये कृषको के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हैं क्योकि सामान्यत किसानो को कृषि कार्य हेतु मध्यकालीन ऋण की ही अधिक आवश्यकता रहती है। इसकी सहायता से किसान कृषि व्यवस्था मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते हैं इसमे प्राप्त होने वाली ऋण की राशि अल्पकालीन ऋण से अधिक होती है।

3. दीर्घकालीन ऋण :-

कृषि मे आधारभूत एव स्थायी सुधार करने हेतु, नयी भूमि क्रय करने हेतु, नलकूप लगवाने के लिए, ट्रैक्टर आदि खरीदने के लिए, कुँओ व बडी नालियो के निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। इस ऋण की वापसी की अवधि ५ वर्ष या उससे अधिक होती है क्योकि इस प्रकार के ऋण की धनराशि भी अपेक्षाकृत अधिक होती है। जिससे किसानो के द्वारा शनै शनै इस ऋण को चुकाया जाता है। ये ऋण सामान्यत कृषि यत्रीकरण या पूर्णतया सुधार या नयी भूमि क्रय करने पर व्यय

किये जाते है जिसके लिए बडी राशि के विनियोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए दीर्घकालीन ऋण मे अन्य ऋणो की अपेक्षा अधिक धनराशि प्राप्त की जा सकती है और इसके वापसी का समय भी पाच वर्ष से अधिक समय का होता है।

(ब) अनुत्पादक कार्यो हेतु ग्रामीण वित्त :-

भारत एक रीति-रिवाजो एव प्रथाओ का देश है। यहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनेक सस्कार अत्यधिक विधिविधान से मनाये जाते हैं जैसे - छठी, बरहीं, नामकरण, यज्ञोपवीत, वर्षगाठ, विवाह, तेरहवीं, दसवा, शुद्धि, बरसी, पिण्डदान आदि अनेक ऐसे धार्मिक सस्कार व रीतिरिवाज है, जिन्हे करना एक आवश्यकता बन जाती है व उनके लिए किसानो को ऋण की आवश्यकता पडती है। ये ऋण इन्हे गैर सस्थागत स्त्रोतो से या अपने व्यक्तिगत स्त्रोतो से प्राप्त होते हैं। किसान के गैर पढे-लिखे होने की वजह से वह प्रत्येक कार्यो पर, तीज त्योहारो पर आवश्यकता से अधिक धन व्यय किया करता है जिससे वह अत्यधिक कर्ज मे डूब जाता है और ऐसा व्यय पूर्णत निरर्थक है क्योकि ये पूर्णत अनुत्पादक कार्यो हेतु व्यय किये गये हैं इसलिए किसानो को ये ऋण सस्थागत स्त्रोतो से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अनुत्पादक ऋण केवल गैर सस्थागत स्त्रोतो द्वारा सरलता से प्राप्त किये जा सकते हैं।

भारतीय किसानो मे अशिक्षित किसानो की सख्या अत्यधिक ज्यादा है। इसलिए इनके द्वारा अनुत्पादक कार्यो पर आवश्यकता से अधिक व्यय किया जाता है। हमारे गावो मे बच्चो को भगवान की देन माना जाता है इसलिए न तो उनके जन्म की रोकथाम के ही उपाय किये जाते है और न ही गर्भपात आदि का ही सहारा लिया जाता है। प्रत्येक बच्चें के जन्म के साथ ही कृषि पर अनुत्पादक व्यय का दबाव भी बढता जाता है। हमारे देश मे सामाजिक रीति रिवाजों की भी अत्यधिक मान्यता है। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रीति रिवाजों का पालन अवश्य ही करेगा चाहे इसके लिए उसे ऋण के बोझ तले ही क्यो न दबना पडे। यदि सरकार के द्वारा ग्रामीण वित्त की पर्याप्त व्यवस्था कर दी जाए तो इन अनावश्यक अनुत्पादक व्ययो

की वजह से डूबत ऋणो की मात्रा मे भी अत्यधिक वृद्धि हो जायेगी। इसलिए अनुत्पादक कार्यो हेतु किसानो को वित्त की प्राप्ति सस्थागत स्रोतो से सरलता पूर्वक नहीं हो पाती है। किसान अपनी अनुत्पादक आवश्यकताओ हेतु गैर सस्थागात स्रोतो का ही ज्यादा प्रयोग करते है,क्योकि गैर सस्थागत स्रोतो से किसानो को सरलता पूर्वक वित्त की प्राप्ति हो जाती है। किसानो को अनुत्पादक कार्यो हेतु चाहे सस्थागत स्रोतो से ऋण मिले, चाहे गैर सस्थागत स्रोतो से मिले, ऋण का बोझ तो कृषि पर ही पडता है और ऋण मे किसान ही दबता जाता है। [2]

ग्रामीण वित्त के स्त्रोत :-

किसानो को ग्रामीण वित्त दो स्त्रोतो से प्राप्त होता है प्रथम - सस्थागत स्त्रोत एव द्वितीय - गैर सस्थागत स्त्रोत है। सस्थगत स्त्रोतो में सहकारी समितियॉं, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, सरकार आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार गैर सस्थागत स्त्रोतो मे महाजन तथा साहूकार, सम्बन्धी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार और आढतिए प्रमुख हैं। राज्य सरकारे किसानो को तकावी ऋण देने के अलावा राज्य सहकारी बैंको और भूमि विकास बैंको को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। सहकारी क्षेत्र मे प्राथमिक कृषि साख समितियॉं, व्यापारिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृषि और सम्बन्धित क्रियाओ के लिए अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण प्रदान करते हैं। कृषि और ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक (नाबाडी) ***(National Bank for Agricultural And Ruaal Development – NABARD)***, ग्रामीण वित्त की शीर्ष राष्ट्रीय सस्था है। यह उपर्युक्त सस्थाओ को पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध कराता है। अखिल भारतीय साख और निवेश सर्वेक्षण ***(All India Debt And Investment Survey)***, के सर्वेक्षणो के आधार पर ग्रामीण वित्त के सम्बन्ध मे निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते है :-

- १९५१ मे ग्रामीण वित्त के सस्थागत स्रोतो का कुल ग्रामीण वित्त मे भाग केवल ७ २ प्रतिशत था जबकि गैर सस्थागत स्रोतो का भाग ९२ ८ प्रतिशत था। इस प्रकार, आरम्भिक वर्षो मे महाजनो और साहूकारो का ग्रामीण साख व्यवस्था पर कडा नियन्त्रण था।
- १९५१ से १९८१ तक गैर सस्थागत स्रोतो के महत्व मे काफी कर्मी आई। १९५१ मे इसका भाग कुल ग्रामीण वित्त का ९२ ८ प्रतिशत था जो १९८१ तक घटकर ३८ ८ प्रतिशत रह गया। इसमे महाजनो और साहूकारो का हिस्सा १६ ९ प्रतिशत था। इसी अवधि मे सस्थागत ग्रामीण वित्त का कुल ग्रामीण वित्त मे हिस्सा ७ २ प्रतिशत से बढकर ६१ २ प्रतिशत हो गया। सस्थागत ग्रामीण वित्त मे सहकारी साख समितियो और बैंको तथा व्यापारिक बैंकों का हिस्सा लगभग बराबर था।
- सस्थागत वित्त की कुल मात्रा मे भी १९७१ के बाद से तीव्र वृद्धि हुई है। सस्थागत प्रत्यक्ष वित्त की मात्रा १९७०-७१ के १७९८ करोड रूपये से बढकर १९९८-९९ मे ३६,८९७ करोड रूपये हो गई है। इसमे सहकारी सस्थाओ का हिस्सा १५,९१६ करोड रूपये ४३ १४ प्रतिशत और वाणिज्यिक बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का हिस्सा २० ९८१ करोड रूपये ५६ ८६ प्रतिशत था।

ग्रामीण वित्त के निम्न दो स्रोत होते हैं जिनका अध्ययन हम निम्न शीर्षको के अर्न्तगत कर सकते है -

(अ) संस्थागत स्त्रोत :-

ग्रामीण वित्त मे सस्थागत स्रोतो का महत्वपूर्ण योगदान है। सस्थागत स्रोत के अर्न्तगत निम्नलिखित सस्थाऍं अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान कर रही हैं -

1. व्यापारिक बैंक -

व्यापारिक बैंको का ग्रामीण वित्त मे १९६५ के पहले कोई विशेष स्थान नही था। व्यापारिक बैंको का यह कहना था कि किसानो को ऋण देने वाली सहकारी सस्थाए, सरकार और देशी बैंकर है। यदि ये ग्रामीण वित्त का नियमन नहीं कर सकती तो व्यापारिक बैंको के लिए ग्रामीण वित्त का नियमन एव प्रबन्ध और भी कठिन होगा, दिये गये ऋण डूब जायेगे और व्यापारिक बैंको को हानि होगी। १९५१-५२ मे कुल ऋण का १ प्रतिशत ऋण ही व्यापारिक बैंको द्वारा दिया गया था जो कि १९६८-६९ मे बढकर ५ ३ प्रतिशत हो गया। व्यापारिक बैंको द्वारा कृषि वित्त मे भाग न लेने के कई कारण थे। व्यापारिक बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण नहीं प्रदान किये जाते थे और कृषि मे कोष के बढने और डूबने का भय बना रहता है। व्यापारिक बैंक कृषि क्षेत्र से अधिक आय या जमा नहीं प्राप्त कर सकेगे, जिससे बाहर से ऋण प्राप्त करना आवश्यक हो जायेगा, यदि बैंक डूबते रहे और उनकी आर्थिक क्षमता क्षीण होती रही तो राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था की हानि हो सकती है। कृषि के अलावा बैंकों को दूसरी जगह और अधिक लाभ होते हैं वहॉ पर विनियोग करने से बैंको को अधिक लाभ होगा। इन कारणो से व्यापारिक बैंक परोक्ष रूप से कृषि वित्त मे कार्य करते रहे। सहकारी सस्थाओ, विकास बैंकों, कृषि उद्योग, निगम, राज्य विद्युत परिषद आदि विपणन सस्थाओ तथा अन्य सस्थाएँ जो कृषको की प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है, को ऋण प्रदान किये गये। ग्रामीण वित्त मे प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करने मे व्यापारिक बैंक सकोच करते रहे। राष्ट्रीयकरण के पहले तक व्यापारिक बैंको का ग्रामीण वित्त मे योगदान नगण्य रहा।

राष्ट्रीयकरण के बाद व्यापारिक बैंकों की कृषि वित्त पोषण में भूमिका :-

राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंक कृषि वित्त मे कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नही देते थे लेकिन १९६९ में १४ बैंकों के राष्ट्रीयकरण और १५ अप्रैल १९८० को ६ अन्य बैंको के राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात इन बैंकों द्वारा ग्रामीण वित्त में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाने लगा। यह बैंक अल्पकालीन

और दीर्घकालीन दोनो प्रकार के ऋण प्रदान किये जाने लगे। १९६९ मे व्यापारिक बैंको की ८,२६२ शाखाओ मे से केवल १ ८३२ (२२ २ प्रतिशत) शाखाए ही ग्रामीण क्षेत्रो मे थी। मार्च १९९८ के अन्त तक इनकी कुल सख्या बढकर ६६ १३७ हो गयी जिनमे से ३२,९१८ (४९ ८ प्रतिशत) शाखाए ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थित हैं। ग्रामीण क्षेत्रो मे प्रदान किये गये ऋणो मे भी तेजी से वृद्धि हुई। १९६९ मे ४० करोड रूपये (१ ३ प्रतिशत) से बढकर यह राशि मार्च १९९७ मे २५,९६२ करोड रूपये (१३ २ प्रतिशत) हो गयी। ग्रामीण साख मे भी इसका हिस्सा १९५१ मे लगभग नगण्य था जो १९९१ तक ३३ ७ प्रतिशत हो गया।

सहकारी साख समितियों का ग्रामीण वित्त में योगदान :-

भारत मे सहकारी साख का इतिहास काफी पुराना है। इसका आरम्भ १९०४ मे हुआ जब ग्रामीण क्षेत्र मे ऋणग्रस्तता और इसके कारण उत्पन्न हुई शोषण की समस्या से निपटने के लिए सहकारी साख समितियों का गठन किया गया। लेकिन स्वतत्रता के पूर्व इस क्षेत्र मे प्रगति बहुत धीमी रही। यही कारण है कि १९५१ मे कुल ग्रामीण वित्त मे सहकारी क्षेत्र का योगदान केवल ३ ७ प्रतिशत था। स्वतत्रता के बाद इस क्षेत्र मे तेजी से विकास हुआ विशेष रूप से १९७१ के बाद। १९९६-९७ मे सहकारी समितियो ने कुल १२,५१३ करोड रूपये का ऋण दिया। इसमे अल्पकालीन ऋणो का हिस्सा ८,६६७ करोड रूपये और मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋणो का हिस्सा ३,८४६ करोड रूपये था। मार्च १९९६ के अन्त तक अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियो की सख्या ९२,६८२ तथा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की सख्या १ ९०५ थी।

भूमि विकास बैंक का ग्रामीण वित्त में योगदान :-

ग्रामीण क्षेत्र मे अल्पकालीन वित्त के साथ ही दीर्घकालीन वित्त की भी आवश्यकता होती है। किसानो को दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता मुख्यत तीन प्रकार के कार्यो के लिए होती है -

- ✓ भूमि पर स्थायी सुधार करने के लिए ।
- ✓ कृषि यत्रो की खरीद के लिए और ,
- ✓ पुराने ऋणो की अदायगी के लिए ।

१९१९ मे भूमि बन्धक बैंक के रूप मे आरम्भ करने के बाद और फिर कृषि और ग्रामीण विकास बैंको मे परिवर्तित हो जाने के बाद, भूमि विकास बैंको मे काफी विस्तार हुआ है। ऊपर बताये गये तीन क्षेत्रो के अतिरिक्त भूमि विकास बैंक, गैर कृषि क्षेत्र मे ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योगो के लिए भी ऋण प्रदान करते हैं। भारत मे भूमि विकास बैको के स्वरूप मे विभिन्न राज्यो मे एकरूपता नही है। कुछ राज्यो मे इसका स्वरूप एकात्मक तथा कुछ राज्यो मे सघीय हैं। कुछ राज्यो मे एक से अधिक भूमि विकास बैंक भी है। १९९३-९४ मे प्राथमिक भूमि विकास बैंको और केन्द्रीय भूमि विकास बैंक ने क्रमश ६१२ तथा ४६९ करोड रूपये के ऋण दिये। इस वर्ष इनकी बकाया ऋण की मात्रा क्रमश २७०० करोड रूपये तथा २०९० करोड़ रूपये थी। इससे पता चलता है कि सहकारी समितियो के समान ही बकाया ऋण की वसूली भूमि बैंकों के लिए एक बडी समस्या है।

ग्रामीण वित्त के क्षेत्र मे बहु-एजेसी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंकों के इस क्षेत्र मे विस्तार के बाद, कुल ग्रामीण साख मे भूमि विकास बैंको के हिस्से मे कमी आयी है। इसके बावजूद ग्रामीण वित्त के क्षेत्र मे भूमि विकास बैंको की उपयोगिता बनी हुई है।

भारतीय स्टेट बैंक की कृषि वित्त में भूमिका :-

ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति १९५०-५१ में इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का सुझाव कृषि वित्त के लिये दिया था। १९५६ में राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना की गई और कृषि वित्त अत्यन्त उदारता के साथ दिया जाने लगा। इस बैंक के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ऋण ग्रामीण वित्त हेतु प्रदान किये जाने लगे।

अप्रत्यक्ष ऋण :-

(अ) सामान्य सहायता :-

सामान्य सहायता के अर्न्तगत सहकारी बैंकों को रूपये भेजने की सुविधा सहकारी बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत देने तथा चेक या बिल या अन्य प्रपत्रों का संग्रहण रियायती दर पर करना शामिल किया जाता है। सहकारी समितियों को सहायता देकर किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की जाती है।

(ब) विपणन सहायता :-

स्टेट बैंक सहकारी विपणन समितियों को उधार देकर उनके कार्यो को सरल बनाता है, जिससे कृषक अपनी उपज को इन समितियों को उचित दामों पर बेंच सकें। फसल को बिक्री योग्य बनाने के कार्य भी सहकारी समितियों के द्वारा किये जाते है। ये समितियॉ व्यापारिक बैंकों से वित्त प्राप्त करके किसानों की उपज को बिक्री योग्य बनाती हैं।

(स) विकास बैकों की सहायता :-

स्टेट बैंक, केन्द्रीय एव राज्य भूमि विकास बैंको को तीन प्रकार से सहायता देते हैं। केन्द्रीय भूमि विकास बैको द्वारा नियमित ऋण पत्रो की जमानत पर ऋण देकर उनकी सहायता की जाती है। जिससे विकास बैंक किसानो की अधिक से अधिक सहायता कर सकें।

(द) कृषि साधन .-

स्टेट बैंक उन सभी सस्थाओ को ऋण देता है जो कृषि साधन उपलब्ध कराते हैं। खाद निर्माताओ, सिचाई एव उन्नतशील बीजो के शोधकर्ताओ, तथा कृषि यत्रो के निर्माताओ आदि को ऋण प्रदान करके किसानो की अधिक से अधिक मदद की जाती है। माल गोदामो, बिजली उत्पादको आदि को स्टेट बैंक द्वारा पूजी मे हिस्सा देकर, ऋण देकर सहायता की जाती है।

प्रत्यक्ष ऋण :-

स्टेट बैंक किसानो को प्रत्यक्ष ऋण देकर भी निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करता है :-

(अ) :- कृषि यत्रीकरण हेतु मशीने एव यत्र खरीदने के लिए स्टेट बैंक द्वारा प्रत्यक्ष ऋण दिये जाते है। जिससे किसान आधुनिक यत्रो का प्रयोग करके उत्पादन बढा सकते हैं।

(ब) :- गोद लेने की घोषणा के अर्तगत कुछ गॉवो को चुन लिया जाता है। उन गॉवो के कृषको की सभी आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान किये जाते हैं यह योजना गॉव अगीकृत योजना कहलाती है।

(स) :- कृषि विकास शाखाओ को खोलकर किसानो की उत्पादन आवश्यकताओ के लिए वित्त प्रदान किये जाते हैं।[3]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की ग्रामीण वित्त में भूमिका :-

ग्रामीण वित्त के सम्बन्ध मे सहकारी साख समितियो व बैंको तथा व्यापारिक बैंकों के प्रयासो की पूरक सस्था के रूप मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना १९७५ मे की गई। इस वर्ष ५ बैंको की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य लघु एव सीमान्त कृषको, कारीगरो और लघु कुटीर उद्योगो को वित्त और अन्य सुविधाये देना है। प्रत्येक बैंक एक निश्चित क्षेत्र के अन्दर ही कार्य करते है। विभिन्न स्थानो मे शाखाएँ खोलकर कृषको की सहायता की जाती है। ये बैंक सहकारी समितियो को भी ऋण प्रदान करते हैं। प्रथम प्रयास मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना २ अक्टूबर १९७५ को की गई। तब ५ बैंक खोले गये। जून १९९६ तक देश के ४२५ जिलो मे १४,५१६ शाखाएँ कार्यरत थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना उन ग्रामीण क्षेत्रो मे की गई जहाँ वित्तीय सस्थाये नगण्य थी या उनकी कमी थी। इसका मुख्य उद्देश्य किसानो काश्तकारो, मजदूरो आदि को आर्थिक सहायता पहुँचाना था।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की कुल जमा १९७५ में केवल २० लाख थी जो मार्च १९९५ के अत तक ११,१५० करोड रूपये हो गई। मार्च १९९५ तक इन बैंको द्वारा प्रदान किये गये ऋणो की बकाया राशि ६,२९१ करोड रूपये थी। १९९६-९७ मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने १,७४९ करोड रूपये के ऋण प्रदान किये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा दिये गये कुल प्रत्यक्ष ऋणो मे कमजोर वर्गो का हिस्सा ९० प्रतिशत से अधिक है।

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की कृषि वित्त में भूमिका :-

भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन मे महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रारम्भ से ही भारतीय रिजर्व बैक मे एक कृषि वित्त विभाग कार्य कर रहा है। यह विभाग वित्त एव साख की समस्याओ का अध्ययन करता है एव कार्यक्रमो का निर्धारण कर समस्याओ के निराकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। यह ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक कृषको को व्यक्तिगत कृषि साख स्वय नहीं

प्रदान करता। यह उद्देश्यो के अनुसार विभिन्न वित्तीय सस्थाओ को जो कृषि साख के क्षेत्र मे सलग्न एव उनके द्वारा मान्यता प्राप्त है, साख प्रदान करता है एव ये सस्थाये निर्धारित समय नीतियो के आधार पर कृषको को साख एव वित्त प्रदान करती है।

राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की कृषि वित्त मे भूमिका -

शिवरमण समिति के सुझाव को मानकर राज्य सरकार ने १२ जुलाई १९८२ को स्थापित राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की जिसने १५ जुलाई १९८२ से कृषि एव ग्रामीण आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए शीर्ष सस्था के रूप मे कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। नाबार्ड की अधिकृत अश पूँजी ५०० करोड रूपये और प्रदत्त अशपूजी १०० करोड रूपये है, जिसमे भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक का हिस्सा ५० ५० है। इस बैंक को वे सभी कार्य दिये गये है जो भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाते थे। ये बैंक कृषि साख को एक छत के नीचे लायेगी और अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणो की व्यवस्था करेगी। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास बैंक उसी प्रकार कृषि विकास के लिए नाबार्ड सर्वोच्च बैंक है जो सभी एजेन्सियो के कार्य मे समन्वय करते हुए कृषि साख का विस्तार करेगी।

इस बैंक को कृषि पुनर्वित्त एव विकास निगम **(Agriculture Refinance and Development Corporation)** के सभी कार्य सौंप दिये गये हैं जो यह निगम करता था। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन कोष व राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैंक को हस्तातरित कर दिये हैं। इस प्रकार इस बैंक के मुख्य कार्य इस प्रकार है -

- यह ग्रामीण वित्त की शीर्ष सस्था है और इस क्षेत्र की आवश्यकताओ का ध्यान रखता है ।
- यह अपने कृषि साख विभाग **(Agricultural Credit Department)** के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की गतिविधियो पर नजर रखता है ।

- यह मौसमी कृषि कार्यो (फसल ऋणों), कृषि उत्पादन की बिक्री, उर्वरको की खरीद व वितरण तथा सहकारी चीनी फैक्ट्रियो की कार्यशील पूँजी के लिए सहकारी बैंकों को अल्पकालीन ऋण (१८ महीने तक की अवधि का) प्रदान करता है ।
- यह निर्धारित कृषि उद्देश्यो, परिष्करण समितियो के शेयरो की खरीद तथा प्राकृतिक विपदाओ से ग्रस्त इलाको मे अल्पकालीन ऋणो को मध्यकालीन ऋणो मे परिवर्तित करने के लिए सहकारी बैको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को मध्यकालीन ऋण (१८ महीने से ७ वर्ष तक की अवधि के लिए) प्रदान करता है ।
- यह कृषि मे बडे निवेश कार्यो के लिए राज्य सहकारी बैकों, भूमि विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों को मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण (अधिकतम २५ वर्ष के लिए) प्रदान करता है।
- यह सहकारी साख सस्थाओ की शेयर पूजी मे योगदान देने के लिए राज्य सरकारो को ऋणो के रूप मे दीर्घकालीन सहायता (अधिकतम २० वर्ष के लिए) प्रदान करता है।
- इसको केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के निरीक्षण की जिम्मदारी सौंपी गयी है। केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा अन्य सहकारी सस्थाए भी स्वेच्छा से इस बैंक से निरीक्षण करवा सकती है।
- यह कृषि व ग्रामीण विकास कार्यक्रमो मे अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसधान व विकास फण्ड रखता है ।
- ग्रामीण साख देने वाली सभी सस्थाओ की क्रियाओ मे तालमेल स्थापित करता है ।
- जिन परियोजनाओ के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था की है उनका मूल्यांकन तथा निरीक्षण करना ।

नाबार्ड राज्य भूमि विकास बैंको, राज्य सहकारी बैंको, अनुसूचित वाणिज्यिक बैको तथा आचलिक ग्रामीण बैको को पुनर्वित्त देता है। इस बैक ने १९८९-९० मे १७०७ करोड रूपये की साख का पुनर्वित्त किया है जबकि इस प्रकार इस बैंक ने १९८८-८९ मे सहकारी बैको व राज्य सरकार को ३०४५ करोड रूपये के ऋण स्वीकृत किये जबकि इससे पूर्व मे उसने इस प्रकार के २,९१९ करोड रूपये के ऋणो की स्वीकृति दी थी।

यहॉं यह बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह बैक शीर्ष बैंक होने के नाते किसानो व अन्य ग्रामीण जनता को सीधे सहायता प्रदान नही करता अपितु सहकारी सस्थाओ, व्यापारिक बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों इत्यादि के माध्यम से सहायता प्रदान करता है।[4]

कृषि और ग्रामीण वित्त की शीर्ष सस्था होने के कारण ग्रामीण साख के क्षेत्र मे इसकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह ग्रामीण क्षेत्रो में सीधे साख उपलब्ध नही कराता है लेकिन इस क्षेत्र से जुडी विभिन्न सस्थाओ को वित्तीय साधन उपलब्ध कराने तथा उनकी निगरानी और निरीक्षण के कार्य की जिम्मेदारी इसी बैक की है। १९८२ में स्थापना के बाद इसकी परिसम्पत्ति और देयताओ मे तेजी से वृद्धि हुई है। १९८५-८६ मे इस बैंक की परिसम्पत्ति और देयताए ६,५९६ करोड रूपये थी जो १९९६-९७ मे बढ़कर २२, ५७१ करोड रूपये हो गयी।

मौसमी कृषि आवश्यकताओ के लिए १९८९-९० मे २,८०७ करोड रूपये उपलब्ध कराये गये थे। १९९७-९८ मे यह राशि बढकर ५,१८५ करोड रूपये हो गई। इसके अतिरिक्त अन्य अल्पकालीन आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए १९९७-९८ मे १,०६० करोड रूपये की राशि उपलब्ध करायी गई।

१९८९ मे निर्धारित कृषि उद्देश्य के लिए १६ करोड रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी थी। १९९५ मे यह राशि ६ करोड रूपये थी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक विपदाओ बाढ़, सूखा, आदि

के कारण अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋणो में परिवर्तित करने के लिए राज्य सहकारी बैंको और सहकारी बैक को ६४ करोड रूपये की राशि उपलब्ध करायी गयी।

१९९७-९८ मे इसने इस क्षेत्र की चारो सस्थाओ को कुल ३,९२२ करोड रूपये की राशि उपलब्ध करायी जिसमे केन्द्रीय भूमि विकास बैंक का हिस्सा ५४ प्रतिशत, वाणिज्यिक बैको का हिस्सा १८ प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों का हिस्सा १७ प्रतिशत था। १९९७-९८ मे खेती के मशीनीकरण के कार्यक्रमो के लिए सर्वाधिक धन (१०९९करोड) उपलब्ध कराया गया जो कुल राशि का २८ प्रतिशत था।

इसने पिछडे हुए राज्यो तथा वित्तीय सस्थाओ की कमी वाले क्षेत्रो मे, कृषि निवेश कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किये हैं।

कम वसूली, कम आन्तरिक साधन अथवा अदक्ष प्रबन्ध के कारण कठिनाई में पड़े कमजोर केन्द्रीय सहकारी बैंको और राज्य सहकारी बैंको के पुनर्प्रतिस्थापन के लिए भी इसने महत्वपूर्ण योजनाए बनाई हैं।

निर्माणाधीन ग्रामीण आधारिक परियोजनाओ को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से १९९५-९६ के बजट प्रावधानो के अर्तगत एक ग्रामीण आधिरिक विकास कोष ***(Rural Infrastructure Development Fund – RIDF)*** की स्थापना की गई थी। १९९५-९६ मे नाबार्ड ने ***RIDF-I*** के अंर्तगत २०१० करोड रूपये की सहायता स्वीकृत की। १९९६-९७ मे आर.आई डी एफ. *II* योजना के अतगर्त २,६४७ करोड रूपये की सहायता स्वीकृत की गई जो लक्ष्य (२५०० करोड) से अधिक थी लेकिन मार्च १९९७ तक वितरित सहायता केवल २९२ करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। वर्ष १९९७-९८ मे आर आई.डी एफ *III* के अतगर्त २,५०० करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया, (१९९८-९९ में आर.आई डी एफ *IV*) के अर्तगत ३००० करोड़ रूपये तक, (१९९९-२०००) आर आई डी एफ *V* के अंर्तगत ३,५०० करोड़ रूपये तक, (२०००-०१) में आर. आई.डी एफ. *VI* के अन्तर्गत ४,५०० करोड रूपये का प्रावधान किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र के समन्वित विकास को ध्यान मे रखते हुए यह कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो के अतिरिक्त गैर कृषि क्षेत्र को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। अनुसधान व विकास फड मे से ३० जून १९९९ तक १,५३६ अनुसधान कार्यक्रमो क लिए सहायता भी स्वीकृत की गई।

(ब) गैर संस्थागत स्त्रोत :-

गैर सस्थागत स्त्रोतो से किसानो को अल्पकालीन एव मध्यकालीन ऋण सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं। इनमे स्त्रोत के रूप मे महाजन, साहूकार या देशी बैंकर, व्यापारी, कमीशन एजेण्ट और रिश्तेदार आते है। इन स्त्रोतो का सस्थागत स्त्रोतो से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है और न ही इन पर सरकार का कोई नियत्रण होता था किन्तु अब बैंकिग अधिनियम लागू कर इनको नियत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण वित्त के गैर सस्थागत स्त्रोत निम्नवत है -

1. साहूकार एवं देशी बैंकर :-

प्रारम्भिक अवस्था से ही कृषि वित्त की पूर्ति हेतु साहूकार या देशी बैंकर का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साहूकारो को दो वर्गो मे विभाजित किया। प्रथम, कृषक साहूकार हैं जो मुख्य व्यवसाय के रूप मे कृषि कार्य करते हैं। द्वितीय वर्ग मे व्यावसायिक साहूकार हैं जिनका मुख्य व्यवसाय ही रूपया उधार देना है। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने यह अनुमान लगाया कि कृषक साहूकारो का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना व्यावसायिक साहूकारों का किसानो को सरलता पूर्वक साहूकारों से वित्त प्राप्त हो जाता है। साहूकार उत्पादक एव अनुत्पादक दोनो कार्यो के लिए ऋण प्रदान करते हैं। इनकी ऋण पद्धति अत्यधिक सरल होती है इनमे अधिक औपचारिकताओं की पूर्ति नही करनी पड़ती है। यद्यपि इन सुविधाओ के कारण कृषि वित्त की यह प्रणाली

सरल अवश्य रही है लेकिन उसमे कुछ आधारभूत दोष रहे है जो कृषि के वास्तविक विकास मे बाधक सिद्ध होते रहे है जैसे - साहूकारो द्वारा अत्यधिक ज्यादा ब्याज पर वसूली की जाती है, अशिक्षित किसानो से मनमानी धनराशि पर अगूठा लगवा लिया करते थे, किसान एक बार ग्रामीण साहूकारो के चगुल मे फस जाने पर एक अजीब से दुष्चक्र मे फस जाता है और उससे निकलना किसान के वश मे नहीं होता है। वर्ष १९५१ मे कृषि साख मे इनका योगदान लगभग ७५ प्रतिशत था जो वर्ष १९९१-९२ मे घटकर लगभग १४ प्रतिशत हो गया है।

2. व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट :-

ये व्यापारी एव कमीशन एजेण्ट भी किसानो के साख की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ये उत्पादक कार्यो के लिए ऋण प्रदान करते हैं। परन्तु इनका दोष यह है कि ये किसानों को कम मूल्य पर फसल बेचने के लिए बाध्य करते हैं और इसके बदले मे वे अधिक कमीशन वसूलते हैं। इस प्रकार के साख कुछ विशिष्ट फसलो जैसे - तम्बाकू, मूगफली, फल आदि के लिए प्रदान करते हैं। वर्ष १९५०-५१ मे ग्रामीण साख मे इनका योगदान लगभग ७५ प्रतिशत था जो कि वर्ष १९९०-९१ मे घटकर २ ३ प्रतिशत हो गया। इन व्यापारियो एव एजेण्टो की कार्यप्रणाली भी महाजनो जैसी ही थी और ये भी शोषण की प्रक्रिया को अपनाते हैं।

3. रिश्तेदार :-

ग्रामीण क्षेत्रो में किसान आवश्यकता पडने पर अपने रिश्तेदारो से नगद या वस्तुओ के रूप मे उधार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के साख आपसी सम्बन्धो के आधार पर अनौपचारिक रूप से लिये जाते हैं। रिश्तेदारो द्वारा लिए गये साख पर ब्याज की दर या तो होती ही नही थी और अगर होती भी थी तो बहुत नीची दर। ऐसे साख प्राय अल्पकालीन होते हैं और सामान्यत फसल तैयार हो जाने पर वापस

कर दिये जाते है। ये भी कृषि वित्त का सरलतम स्त्रोत है क्योकि इसमे किसी प्रकार की औपचारिकता की आवश्यकता नही होती है। अब धीर-धीरे इस प्रकार के कृषि वित्त के स्त्रोत का महत्व घटता जा रहा है। वर्ष १९५०-५१ मे कुल कृषि वित्त मे इसका योगदान ११ ५ प्रतिशत था जो कि घटकर वर्ष १९९०-९१ मे ५ ६ प्रतिशत हो गया।[5]

एक नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप मे कृषि विकास के सामने अनेक वित्तीय समस्याएँ आती है, जिनका समाधान मौद्रिक एव वित्तीय नीतियो द्वारा किया जाता है। भारतीय कृषि व्यवस्था मे व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर नाबार्ड की भूमिका का उल्लेख पिछले अध्याय मे किया जा चुका है। भारतीय कृषि क्षेत्र मे साख वितरण एव कृषि कार्यो के लिए अग्रिमो एव ऋणो से यह प्राप्त हुआ कि उनका उत्पादक एव उत्पादिता मे प्रयोग न होकर दुर्पयोग हुआ है, जिससे एक ओर मुद्रा एव साख का विस्तार हुआ है तथा साथ ही साथ ऋणो एव अग्रिमो की वसूली नहीं हो पा रही है। इन साख सुविधाओ का अनुत्पादक एव अवाछनीय प्रयोग हुआ है। इससे एक ओर जहाँ अनुत्पादक व्यय मे वृद्धि हुई है, वहीं देश मे मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति पर अधिक दबाव पडा है। अर्थव्यवस्था मे मौद्रिक एव वित्तीय क्षेत्रो मे सरचनात्मक परिवर्तन लाने हेतु मुद्रा एव साख प्रवाह को नियत्रित करना होगा। इसके लिए मौद्रिक एव वित्तीय नीति के साथ-साथ नियोजित मुद्रा योजना तथा नियोजित साख की आवश्यकता है। प्रो० एस० चक्रवर्ती ने अपनी रिपोर्ट, ''ए रिव्यू आफ मानेट्री सिस्टम इन इण्डिया'' में मौद्रिक लक्ष्यो द्वारा नियोजित मुद्रा एव साख नियोजन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है। इसी तरह डॉ० पी० डी० हजेला ने अपने ग्रथ ''प्राब्लम्स ऑफ मानेट्री पालिसी इन अण्डरडवलप कन्ट्री'' मे नियोजित मुद्रा को आधार रखकर सस्ती मुद्रा नीति का विरोध किया है।

इसी क्रम मे प्रो० सूरजभान गुप्त ने अपने ग्रथ ''मानेट्री प्लानिंग इन इण्डिया'' मे मुद्रा एव साख नियोजन पर अत्यधिक बल दिया है। यद्यपि जून १९९१ मे नरसिहम् कमेटी रिपोर्ट के बाद देश की मौद्रिक एव वित्तीय व्यवस्था स्वतत्र तथा उदारीकरण नीति के आधार पर बाजारी शक्तियो के

निर्धारित पूजीवादी प्रवृत्तियो से सम्बन्धित रही है, तथापि मुद्रापूर्ति एव साख पूर्ति के नियोजन की आवश्यकता बनी रही है।

जहाँ तक कृषि क्षेत्र में मौद्रिक एव साख नीतियो का प्रश्न है, इसका विस्तृत विवरण पिछले अध्यायो मे दिया जा चुका है, फिर भी देश के कृषि क्षेत्र मे मौद्रिक एव साख नियोजन की आवश्यकता के सदर्भ मे अति सक्षेप मे इन नीतियो का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। प्रथम पचवर्षीय योजना से लेकर आठवी पचवर्षीय योजना तक कुछ उतार चढाव के बावजूद विशेषकर बैको के राष्ट्रीयकरण के बाद से कृषि क्षेत्र मे मौद्रिक एव साख नीतियाँ महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन एव उत्पादिता हेतु प्रेरक रही है । १९६१ के बाद से कृषि एव ग्रामीण क्षेत्र मे साख एव मुद्रा का अत्यधिक विस्तार हुआ और इसके विकास मे मौद्रिक एव साखनीति मे महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये मौद्रिक एव साख नीति मे परिवर्तन मुख्य रूप से ऊँचे स्तर के विनियोग द्वारा आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए की गई।

उत्तर प्रदेश के कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु यद्यपि मौद्रिक एव साख नीतियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है, परन्तु सही मायने मे उनका कृषि एव ग्रामीण विकास पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहा है। इसका प्रधान कारण यह रहा है कि ग्रामीण बैंकिग व्यवस्था तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ द्वारा नियोजित ढग से विकासात्मक कार्यो हेतु इन सुविधाओ का प्रयोग नहीं हो पाया है और न ही उत्पादन एव रोजगार सृजन हेतु इन्हे उपयुक्त बनाया गया है। यद्यपि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक दर, खुले बाजार तथा आरक्षित कोष अनुपात विधियो के साथ-साथ अनेक प्रकार के चयनात्मक साख विधियो को अपनाया है, परन्तु मोटे तौर पर मौद्रिक एवं साख नीति, सस्ती मुद्रा नीति के ही स्वरूप में बनी रही है।

उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र मे एक सतुलित विकास के दृष्टिकोण से तथा साख का क्षेत्रवार आवटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साख नियोजन को इस रूप मे परिभाषित किया जा सकता है कि देश में सम्पूर्ण मौद्रिक एव साख ससाधनों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो में उनकी आवश्यकता प्रयोग की क्षमता और पूरे विकास के दृष्टिकोण से आवटन किया जाय। साख नियोजन के दो

पक्ष है - समष्टि पक्ष एव व्यष्टि पक्ष। समष्टि पक्ष मे साख नियोजन क्षेत्रवार और लक्ष्य के अनुसार साख का आवटन होता है और व्यष्टि स्तर पर यह बैंको के द्वारा विभिन्न बैंको, सस्थाओ के माध्यम से किया जाता है।

साख नियोजन के पूर्व दो नीति सम्बन्धी बातो को ध्यान मे रखना चाहिए। प्रथमत व्यापक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना आवश्यक है कि क्या पूरे साख का ध्यान अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार साख आवटन पर है कि नहीं। दूसरे यह कि व्यापक रूप से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि व्यक्तिगत ऋण ग्राहको को दिये जाने वाले ब्याज का आधार वास्तविक सम्पत्ति के द्वारा प्राप्त होगी अथवा उनके भुगतान सामर्थ्यता अथवा दोनो के सहयोग के आधार पर। इन प्रश्नो का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि सामाजिक उद्देश्य किस प्रकार से चुने गये है और उनका क्या क्रम है। परम्परागत स्थिति के अनुसार पहले प्रश्न का उत्तर अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओ के अनुसार साख आवटन से है। इस तरह से हम औद्योगिक साख, कृषि साख, निर्यात साख, मध्यसाख, तथा अन्य साख की बात कर सकते है। यदि पूरा उद्देश्य अन्य सामाजिक कारकों यथा बेरोजगारी, गरीबी तथा समाज मे आप स्वय तथा सम्पत्ति का बटवारा और इस तरह से क्षेत्रीय उपागम को औचित्यपूर्ण देखा जा सकता है।

सफलता के दृष्टिकोण से साख नियोजन जमा योजनाओ से सम्बन्धित होनी चाहिए, क्योकि सम्पूर्ण साख का आवटन बैंकों की कुल जमा पर निर्धारित होती है। इस तरह का साख नियोजन विकासशील प्रदेश मे अपना विशेष महत्व रखता है, ताकि सीमित बैंक ससाधनों का उत्पादकता के दृष्टिकोण से उपयोग हो सके। इस तरह साख नियोजन बैंकिंग व्यवस्था के निर्धारित उद्देश्यो को सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से देश की प्रगति मे विशेष महत्वपूर्ण है। एक नियोजित अर्थव्यवस्था का विकास उपलब्ध आर्थिक ससाधनो का प्रयोग राष्ट्रीय नियोजन की प्राथमिकता के आधार पर करता है। इस प्रकार का प्राकृतिक आर्थिक ससाधनो का प्रवाह अर्थव्यवस्था के अर्तगत नीति प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। चूँकि व्यापारिक बैंकों की साख सीमित मात्रा मे है इसलिये इसका प्रयोग अच्छे ढग से नियोजित होना चाहिए,

जिससे कि इसका प्रयोग अधिकतम हो सके और आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से आर्थिक विकास अधिकतम किया जा सके। इस तरह इस अध्याय का प्रमुख उद्देश्य भारत मे साख नियोजन को देश के नियोजित अर्थव्यवस्था से समन्वित करना हैं। इस दिशा मे व्यापारिक बैंको को आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के दृष्टिकोण से सबसे प्रमुख समझा जा रहा है।

साख नियोजन का उद्देश्य उपलब्ध साख ससाधनो का अधिकतम उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रयोग हो सके और पूरे सामाज को देखते हुए इसका अभिप्राय यह है कि यह सम्भव है कि सामाजिक अर्थिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रो मे साख मात्रा को निर्धारित किया जाय। इस तरह साख नियोजन का उद्देश्य साख प्रवाह को उन दिशाओ मे प्रवाहित करने की आवश्यकता है, जो परम्परागत क्षेत्रों से हटकर व्यापारिक क्षेत्रो मे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और जिससे कि उत्पादकता मे वृद्धि हो सके। पूरे उत्तर प्रदेश मे साख की मात्रा इसकी आवश्यकता से कम है। इसलिए साख की मात्रा को विवेकपूर्ण होना चाहिए ताकि विभिन्न प्रतिस्पर्धी क्षेत्रो मे इसे वितरित किया जा सके। एक पूजीवादी व्यवस्था के अर्तगत गैर नियोजित तथा परम्परागत बैंक व्यवस्था के अर्तगत साख नियोजन साख के मूल्यो के आधार पर किया जाता है। जैसा कि साख के माग की तुलना साखपूर्ति मे कमी होने के कारण स्वभावत व्यापारी व्याज दर ऊँचा होगा, जिससे व्यापारिक वर्ग मे ऋण ग्राहको मे साख की माँग मे कमी होगी और वे पूर्व के बराबर हो जायेगे। इस तरह साख की माग इसकी पूर्ति की तुलना मे व्याजदर को घटाने का काम करेगी और अपने प्रभाव मे सीमात कृषको की साख माग को बढायेगी। मूल्य व्यवस्था इस तरह से यदि स्वतत्र क्रियान्वयन में छोड़ दी जाय तो अतिरिक्त साख की माग एव पूर्ति को कम करेगा और साख बाजार में सस्थिति उत्पन्न करेगा।

फिर भी इस तरह सीमित साख का बटवारा प्रतिस्पर्धी लोगो मे मूल्य व्यवस्था द्वारा पूरी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अनुकूलतम होगा और बडे ऋण ग्राहको के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र कृषि एव उद्योग को उचित साख न मिल पायेगा। पूरे समाज के दृष्टिकोण से साख उत्पादक बनाने के लिए और

अर्थव्यवस्था के सम्भव अधिकतम विकास के लिए साख का विभिन्न क्षेत्रो मे आवटित करना चाहिए न कि उनके ऊँचे व्याज दर को अदा करने की योग्यता अनुसार, अपितु उनके आर्थिक एव .सामाजिक महत्व के अनुसार दिया जाना चाहिए। साख नियोजन उत्पादन, रोजगार सृजन, मूल्य स्थायित्वता को सुनिश्चित करने तथा आर्थिक लाभो को समानता के आधार पर विकसित करने के आधार पर किया जाना चाहिए ।

बैंको के राष्ट्रीयकरण के पहले जब बैंक शेयर ग्राहको से सम्बन्धित थे, उस समय लाभकारिता बैंकों का मुख्य उद्देश्य था और उस समय ये बैंक सामाजिक उद्देश्यो को ध्यान मे नही रखते थे। वर्तमान समय मे ये एक दूसरे तरफ, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक पूर्णतया सामाजिक लोगो द्वारा नियत्रित हैं, समाज के प्रति उत्तरदायी है, न कि व्यक्तिगत शेयर ग्राहको के। अब ये न केवल सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने मे सहायक हैं, अपितु अपने उद्देश्यो के प्रमुख रूप मे साख क्रियाओ को रखते है, अब बैंकों का सचालन इस बात से नही देखा जाता कि ये वास्तविक रूप मे कितना लाभ करते हैं, अपितु उनकी सहायता इस बात मे देखी जाती है कि देश के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यो को प्राप्त करने मे कितने सफल रहे। यहाँ पर स्पष्ट किया जा सकता है कि व्यापारिक बैंको द्वारा धीरे-धीरे सामाजिक उद्देश्यो को अपनाने के कारण क्षेत्रवार साख का विकास महत्वपूर्ण रूप से हुआ है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से देश के तीव्र आर्थिक एव सामाजिक विकास पर पडेगा। देश की बैंकिग व्यवस्था को सामजिक, आर्थिक परिवर्तनो एव देश मे समृद्धि का एक उपकरण माना जाता है। अत देश के व्यापारिक बैंकों को अपने कार्यान्वियन मे ऐसे साख नियोजन को लाना चाहिए, जो देश के आर्थिक एव सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकें। इस तरह के सामाजिक उद्देश्यो को प्राप्त करने मे साख नीति को विस्तृत साख नीतियो और जमा नीतियो से जुडना चाहिए। [6]

विकासशील भारत देश मे एक केन्द्रीय बैंक सुरक्षित मुद्रापूर्ति को कायम रख सकता है और इस सदर्भ मे साख नीति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। एक साख नीति या मौद्रिक बजट एक दीर्घकालीन दृष्टिकोण से, जिससे मुद्रा की पूर्ति तथा वस्तुओ का उत्पादन वृद्धि बराबर हो सके। इस तरह से

समष्टि स्तर पर साख का नियोजन अर्थव्यवस्था के मुद्रापूर्ति के रूप मे होना चाहिए किन्तु व्यष्टि स्तर पर साख नियोजन एक सतुलित आधार रखता है, जिससे क्षेत्रीय स्थायित्वता तथा बेरोजगारी का वितरण अनिश्चित न हो सके। जहाँ भी उत्पादन मे कमी होगी, विशेषकर कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से वहाँ मुद्रापूर्ति की सुरक्षित मात्रा मे कमी होगी, परन्तु मुद्रापूर्ति मे इस तरह के गिरावट औद्योगिक उत्पादको तथा औद्योगिक क्षेत्रो मे सुस्ती ला सकता है। अत एक सामान्य उपायो के साथ-साथ एक सतुलित क्षेत्रवार उपाय ही अधिकतम् क्षमता वाले समृद्धि और मूल्य स्थायित्वता को प्राप्त कर सकता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक का उत्तरदायित्व है कि वह साख नियोजन को इस तरह करे कि मौद्रिक बजट का क्रियान्वयन व्यष्टि स्तर पर साख बजट का स्वरूप ले ले। इसका उद्देश्य मौद्रिक बजट द्वारा मुद्रा पूर्ति के विकास दर को सुनिश्चित करना है। मुद्रापूर्ति सरकार को दी जाने वाली शुद्ध साख तथा विदेशो मे दी जाने वाली साख पर आधारित है।

इस तरह समष्टि स्तर पर साख का सम्बन्ध व्याप्ति स्तर पर साख नियोजन से होना चाहिए। व्यापारिक बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने साख का आवटन अपने सम्बन्धित शाखाओ द्वारा करे। व्यक्तिगत बैंक अपने साख का वितरण सबसे गरीब तबके के लोगो से लेकर विभिन्न ऋण ग्राहको तक वितरित करें। विशेषकर कृषि और प्राथमिक क्षेत्रो मे इस तरह का साख आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

भारत मे समन्वित ग्रामीण विकास हेतु साख की समुचित व्यवस्था करना नितात आवश्यक समझा गया। जिसके लिए सरकार ने लगातार प्रयास भी किये, जिनमे साख नीति, मौद्रिक नीति, साख नियोजन आदि प्रमुख हैं। सरकार द्वारा लागू की गयी ये नीतिया भी ग्रामीण वित्त की पूर्ति करने में सफल न हो सकीं। सरकार ने बैंकिग व्यवसाय सुदृढ एव विश्वस्त बनाने हेतु बैंको का राष्ट्रीयकरण किया जिसने ग्रामीण साख की पूर्ति मे सशक्त योगदान दिया। सरकार ने गाव-गाव तक मे बैंक खोलने के भी प्रयास किये, जहां व्यावसायिक बैंक नहीं खुल सकते थे वहा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी समितिया, भूमि

विकास बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक आदि खोले गये। इसी क्रम मे सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड को ग्रामीण विकास मे लगी सभी वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। नाबार्ड ने ग्रामीण साख की माग मे काफी कमी की है व इसकी माग के अनुरूप ग्रामीण साख की पूर्ति की समुचित व्यवस्था की है। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण साख की पूर्ति करने हेतु बैंकिग व्यवस्था मे निचले स्तर से सुधार का प्रयास किया गया है। नाबार्ड ने गाव-गाव मे सहकारी सस्थाए खोलने का प्रयास किया है, नाबार्ड ने प्रत्येक ऐसे गाव जिसकी आबादी दस हजार या उससे अधिक है, मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का प्रयास किया है इसके साथ ही नाबार्ड ने भूमि विकास बैंक, भूमि बधक बैंक, सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक आदि खोलने के प्रयास किये गये हैं व इन वित्तीय सस्थाओ को ग्रामीण साख की पूर्ति हेतु नाबार्ड द्वारा समुचित पुनर्वित्त व्यवस्था भी उपलब्ध करवायी गई है।

नाबार्ड द्वारा वर्ष १९९५-९६ मे सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एव राज्य सरकारो को ८९८४ करोड़ रूपये की वित्तीय पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई। वर्ष १९९४-९५ के ४०९२ करोड के मुकाबले वर्ष १९९५-१९९६ के दौरान सहकारी बैंको को कुल ४७०० करोड रूपये की मौसमी कृषि परिचालन (अल्पावधि) ऋण सीमाए मजूर की गई। वर्ष १९९५-९६ के दौरान राज्य सहकारी बैंको को मौसमी कृषि परिचालन (अल्पावधि) के लिए स्वीकृत ऋण सीमाओ की चरम स्तरीय अधिकतम बकाया राशि ३४१७ करोड रूपया रहा और जो ३८३७ करोड़ रूपया की आहरण योग्य सीमाओ का ८९ प्रतिशत बनती हैं। नाबार्ड द्वारा वर्ष १९९६-९७ के दौरान सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तथा राज्य सरकारो को १०४१९ करोड रूपये की वित्तीय पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई। जो पिछले वर्ष की तुलना में १६ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। निवेश ऋण के अतर्गत वर्ष १९९६-१९९७ के दौरान नाबार्ड द्वारा, बैंकों को, आधार स्तर के १०९६२ करोड रूपये के सवितरण हेतु कुल ३५२३ करोड़ रूपये के ऋण संवितरित किये, जबकि पिछले वर्ष यह राशि ३०६४ करोड रूपये की

थी। वर्ष १९९६-९७ के दौरान मौसमी कृषि परिचालनो के लिए नाबार्ड के द्वारा राज्य सहकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कुल ५९५६ करोड रूपये की अल्पावधि ऋण सीमाए स्वीकृत की, जो पिछले वर्ष स्वीकृत सीमाओ से दस प्रतिशत अधिक थी। वर्ष १९९६-९७ के दौरान इन एजेन्सियो ने ४८५९ करोड रूपये के ऋण का उपयोग किया। जो पिछले वर्ष १९९५-९६ की तुलना मे ग्यारह प्रतिशत अधिक है। नाबार्ड ने वर्ष १९९६-९७ के दौरान सहकारी ऋण सस्थाओ की शेयर पूजी मे अशदान के लिए राज्य सरकारो को १०१ करोड रूपये का कुल ऋण स्वीकृत किया, जिसमे से ७७ करोड रूपये के ऋण का उपयोग किया गया। वर्ष १९९७-९८ के दौरान नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राज्य सरकारो को ११३०४ करोड रूपये की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की गई। इसी प्रकार नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९७-९८ के दौरान मौसमी कृषि कार्यो के लिए राज्य सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए सस्वीकृत कुल ऋण सीमा ६०४१ करोड रूपये की थी। वर्ष १९९८-९९ के दौरान नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंको, वाणिज्य बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को दी जाने वाली पुनर्वित्त सहायता की राशि, राज्य सरकारो और गैर सरकारी सगठनो को दी जाने वाली सहायता सहित १२३६६ करोड रूपये तक पहुच गयी। जो कि पिछले वर्ष की तुलना मे ९ ४ प्रतिशत अधिक थी। इसी प्रकार वर्ष १९९८-९९ के दौरान मौसमी कृषि कार्यो के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए सस्वीकृत कुल ऋण सीमा ७०१३ करोड रूपये की थी जो कि पिछले वर्ष की तुलना मे १६ प्रतिशत अधिक थी। वर्ष १९९९-२००० के दौरान नाबार्ड द्वारा कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापो के लिए आधार स्तरीय ऋण ४१७६४ करोड रूपये स्वीकृत किये गये। नाबार्ड के द्वारा बैंकों को प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता और राज्य सरकारो को प्रदत्त ऋण राशि वर्ष १९९९-२००० के दौरान १४१७८ करोड रूपये रही जो पिछले वर्ष की अपेक्षा १४ ६ प्रतिशत अधिक है। वर्ष १९९९-२००० के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए मौसमी कृषि कार्यो से अलग प्रयोजन हेतु मजूर अल्पावधि ऋण सीमा की कुल राशि १९२ करोड रूपये रही जो पिछले वर्ष मंजूर २०१ करोड़ रूपये की राशि से कम रही, तथापि इस ऋण सीमा के समक्ष अधिकतम

बकाया १९५ करोड रूपये का रहा, जबकि पिछले वर्ष यह राशि १९० करोड रूपये की थी। वर्ष १९९९-२००० के दौरान सहकारी ऋण सस्थाओ की शेयरपूजी मे अशदान के लिए राज्य सरकारो को ९१ करोड रूपये की सहायता दी गयी जबकि पिछले वर्ष यह राशि ६५ करोड रूपये थी। नाबार्ड ने वर्ष १९९९-२००० के दौरान निवेश ऋण के अतर्गत ५२१५ करोड रूपये का पुनर्वित्त वितरित किया और इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना मे १५ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस राशि मे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको द्वारा प्राप्त राशि ४८ से ३ प्रतिशत बिन्दु कम होकर ४५ प्रतिशत रहने के बावजूद, पुनर्वित्त प्राप्त करने वाली एजेसियो मे इन बैंको का अश सर्वाधिक रहा। वाणिज्य बैंको का यह अश पिछले वर्ष के २७ प्रतिशत से बढकर इस वर्ष ३० प्रतिशत हो गया। सवितरित कुल पुनर्वित्त मे से कृषि मशीनीकरण के लिए १७०५ करोड रूपये दिये गये, जिससे इसकी हिस्सेदारी तीन प्रतिशत बिन्दु बढकर पिछली वर्ष की राशि से २७ प्रतिशत अधिक रही। लघु सिचाई और भूमि विकास के हिस्से मे भी क्रमश १४ और १७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। कृषीतर क्षेत्र के अतर्गत ८३७ करोड रूपये का पुनर्वित्त वितरित किया गया, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा २८ प्रतिशत अधिक रहा। सवितरित कुल पुनर्वित्त मे से ६८ प्रतिशत पुनर्वित्त (कृषि मशीनीकरण, भण्डारण और बाजार यार्ड, बीज परियोजना, वानिकी आदि से इतर) बैंको द्वारा लघु कृषको को वितरित ऋण के समक्ष दिया गया। ३१ मार्च २००० तक कुल सचयी पुनर्वित्त सहायता ४४७२४ करोड रूपये की रही, जो ८३६५२ करोड़ रूपये के आधार स्तरीय निवेश के लिए उपलब्ध कराई गई। नाबार्ड ने ३१ मार्च २००० तक ३२० उच्च तकनीक और निर्यातोन्मुख परियोजनाओ के लिए २२७ करोड़ रूपये की पुनर्वित्त सहायता प्रदान की। नाबार्ड के द्वारा वर्ष २०००-०१ के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियो के लिए आधार स्तरीय ऋण ५३०५४ करोड रूपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना मे २० प्रतिशत अधिक था। वर्ष २०००-०१ के दौरान सहकारी बैंको, वाणिज्य बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि को प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता और राज्य सरकारो, गैर सरकारी संगठनो को प्रदत्त ऋण की कुल राशि १६४६१ करोड़ रूपये की रही, जो पिछले वर्ष की तुलना मे १६.१

प्रतिशत ज्यादा था। वर्ष २०००-०१ के दौरान मौसमी कृषि परिचालनो के लिए राज्य सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को मजूर अल्पावधि ऋण सीमाए पिछले वर्ष के ७०८६ करोड रूपये के मुकाबले ७५१४ करोड रूपया की रही। एक समूह के रूप मे राज्य सहकारी बैंको का अधिकतम बकाया स्तर मजूर ऋण सीमा का ७६ प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष ८१ प्रतिशत था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मौसमी कृषि परियोजना से इस प्रयोजनो के लिए पिछले वर्ष १९२ करोड रूपये के मुकाबले १९३ करोड रूपये की ऋण सीमाए मजूर की गयी। नाबार्ड के द्वारा वर्ष २०००-०१ के दौरान बुनकर सहकारी समितियो के वित्त पोषण के लिए राज्य सहकारी बैंको को ६८६ करोड रूपये की अल्पावधि ऋण सीमाए मजूर की गयी। अधिकतम बकाया मजूर ऋण सीमा का ८१ प्रतिशत रहा राज्य हथकरघा विकास निगम के वित्त पोषण हेतु एक वाणिज्य बैंक को ४ ४९ करोड रूपया की अल्पावधि ऋण सीमा मजूर की गयी। प्राकृतिक आपदाओ की वजह से फसलो की हुई हानि के कारण अल्पावधि मौसमी कृषि परिचालन ऋण को मध्यावधि ऋण मे बदलने के लिए चार राज्य सहकारी बैंको को कुल २६७ करोड रूपये की ऋण सीमा मजूर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को इसी तरह की स्वीकृत ऋण सीमा ४ २८ करोड रूपया रही। सहकारी ऋण सस्थाओ की शेयरपूजी मे अशदान के लिए १२ राज्य सरकारो को, वर्ष २०००-०१ के दौरान निवेश ऋण पुनर्वित्त के अतर्गत वाणिज्य बैंकों, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंको आदि को ६१५८ करोड रूपया का पुनर्वित्त सवितरित किया। पिछले वर्ष की तुलना मे इसमें १८ प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको ने हालाकि पुनर्वित्त के पिछले ४५ प्रतिशत के अपने हिस्से को घटाकर ३८ प्रतिशत कर दिया। परन्तु सभी एजेसियो के बीच पुनर्वित्त मे इन बैंको का हिस्सा सर्वाधिक बना रहा। वाणिज्य बैंको का हिस्सा पिछले वर्ष के ३० प्रतिशत से बढ़कर इस वर्ष ३६ प्रतिशत हो गया। अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को पहली बार पात्र बनाने के बाद, उन्होने वर्ष के दौरान २३ करोड़ रूपये का पुनर्वित्त प्राप्त किया। सवितरित कुल पुनर्वित्त मे से कृषि मशीनीकरण का हिस्सा सर्वाधिक ३० ८ प्रतिशत रहा, इसके बाद कृषितर क्षेत्र १६ ६ प्रतिशत, डेरी विकास

१२ ५ प्रतिशत, स्वर्ण जयती ग्रामीम स्वरोजगार योजना १० ४ प्रतिशत और लघु सिचाई १० २ प्रतिशत का स्थान रहा। स्वय सहायता प्राप्त बैंक सबद्धता कार्यक्रम के अतर्गत सवितरित पुनर्वित्त २५१ करोड रूपया रहा। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना मे इसमे १५५ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। शीत भण्डार निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की पूजी निवेश उपदान योजना के अतर्गत मजूर पुनर्वित्त से ७ ०६ लाख टन के लक्ष्य के मुकाबले १३ ८६ लाख टन की क्षमता बढने की सम्भावना है। वर्ष २०००-०१ के दौरान, प्रदान किये गए पुनर्वित्त का इसके प्रभाव के आधार पर पुर्नसमूहन करने के बाद यह पाया गया कि कुल पुनर्वित्त का ४७ प्रतिशत कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिए और २६ प्रतिशत रोजगार सृजक योजनाओ के लिए वितरित किया गया। ३१ मार्च २००१ तक कुल सचयी पुनर्वित्त सहायता ५०८८२ करोड रूपया रही, जिससे ९३९६५ करोड रूपये के आधार स्तरीय निवेश को सहायता प्रदान की गई।

नाबार्ड के द्वारा समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाती है। नाबार्ड द्वारा पिछले कुछ वर्षों मे उपलब्ध करायी गई पुनर्वित्त सुविधा का अध्ययन अभी हमने किया इसके साथ ही नाबार्ड के द्वारा कृषि एव ग्रामीण विकास के उद्देश्य से कुछ अन्य कार्य भी किये जाते है। नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९५-९६ की समाप्ति तक ८९ ४ मिलियन हेक्टेयर (बडी और मध्यम परियोजनाओ के अतर्गत ३३ ० मिलियन हेक्टेयर तथा लघु सिचाई योजनाओ के अतर्गत ५६ ४ मिलियन हेक्टेयर) अनुमानित सिचाई क्षमता का सृजन किया गया। इसी प्रकार वर्ष १९९४-९५ के दौरान ६ ५ मिलियन क्विटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये जबकि १९९३-९४ के दौरान ६ १ मिलियन क्विटल वितरित किये गये थे। १९९४-९५ मे अधिक उपज देने वाले बीजों के अतर्गत शामिल क्षेत्र बढकर ७१ ३ मिलियन हेक्टेयर हो गया अर्थात् १९९३-९४ मे शामिल क्षेत्र से ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। उर्वरक की खपत १२.४ मिलियन टन के करीब अवरूद्ध रहने के बाद १९९४-९५ मे इसकी खपत बढ़कर १३ ५ मिलियन टन हो गई और १९९३-९४ में पौधो की

पौष्टिकता बढाने वाल प्राथमिक पोषक तत्वो एन पी और के का अनुपात ९ १ २ ७ १ था इसकी तुलना मे १९९४-९५ मे इनका अनुपात ८ ५ २ ६ १ कुछ और अनुकूल हो गया। नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९६-९७ के दौरान कृषको को अनुमानित सात मिलियन क्विटल प्रमाणित बीज वितरित किये गये, जबकि वर्ष १९९५-९६ के दौरान ६ ९ मिलियन क्विटल बीज वितरित किये गये, पौधो के पोषक तत्व रासायनिक उर्वरको यथा नाइट्रोजन फास्फेट तथा पोटाश की खपत वर्ष १९९५-९६ के १३ ९ मिलियन टन से १८ प्रतिशत बढकर वर्ष १९९६-९७ मे १६ ४ मिलियन टन हो गयी। नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९६-९७ के दौरान कुछ प्रमुख नीतिगत शुरूआत भी की गई। नाबार्ड को ५ ५ प्रतिशत की निर्धारित ब्याज दर पर सामान्य ऋण उपलब्ध कराने तथा बाद मे इसे बैंक दर के साथ जोडने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय के अनुसरण मे, नाबार्ड मे जो एक प्रमुख नीतिगत कदम उठाया है वह है, सहकारी बैंको का अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालनो) के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले पुनर्वित्त की ब्याज दर को युक्तियुक्त बनाना। नाबार्ड का एक अन्य प्रमुख नीतिगत निर्णय था, राज्य सरकारो की ब्याज सब्सिडी को, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियो को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की योजना से अलग करना। ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र की पुनर्वित्त योजना मे कुछ परिवर्तन किये गये, यथा ग्रामीण औद्योगिकीकरण क्षेत्र योजना के अतर्गत बैंको को शत प्रतिशत पुनर्वित्त का प्रावधान, एकीकृत ऋण योजना के अतर्गत पुनर्वित्त सहायता देना तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रो मे हल्के मोटर वाहनो के लिए पुनर्वित्त सहायता देना। वर्ष १९९६-९७ के केन्द्रीय बजट मे की गयी घोषणा के अनुसरण में, नाबार्ड ने विविध राज्यो मे कृषि विकास वित्त कम्पनिया (कृ वि वि कम्पनियां) स्थापित करने की कार्रवाई प्रारम्भ की। कृषि विकास वित्त कम्पनिया स्थापित करने का उद्देश्य वाणिज्यिक, उच्च तकनीकि निर्यातोन्मुख कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापो के लिए ऋण प्रवाह बढाना है। इसमे मूलभूत सुविधा और सहायक व्यवस्था जैसे कार्यकलाप भी शामिल हैं। नाबार्ड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में कार्य करने वाली इन कम्पनियो का मुख्य प्रमोटर होगा। राज्यों में उपलब्ध सम्भावनाओ तथा राज्य सरकारों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंको से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा

तमिलनाडु मे फरवरी १९९७ मे ऐसी तीन कृषि विकास वित्त कम्पनिया नियमित की गयी। प्रत्येक की अधिकृत पूजी बीस करोड रूपये है। मार्च १९९७ के अत की स्थिती के अनुसार नाबार्ड ने आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कृषि विकास वित्त कम्पनियो की इक्विटी मे प्रत्येक को ० ५२ करोड रूपये का अशदान किया। नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९८-९९ के दौरान ८ ३ मिलियन क्विटल प्रमाणित बीज वितरित करने का लक्ष्य था। जबकि वर्ष १९९७-९८ मे यह लक्ष्य ७ ६ मिलियन क्विटल था। वर्ष १९९८-९९ के दौरान १८ २ मिलियन टन रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया गया और इसमे पिछले वर्ष की तुलना मे १२ ३ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई तथापि नाइट्रोजन उर्वरको का उपयोग निर्धारित मानदड से अधिक रहा और फास्फेट तथा पोटाश उर्वरको का अनुपात बढाये जाने की जरूरत है। नाबार्ड ने वर्ष १९९८-९९ के दौरान किसान क्रेडिट कार्य योजना शुरू की गई। ३१ मार्च १९९९ के अत तक ७ ८३ लाख किसानो को क्रेडिट कार्ड जारी किए गए और इसके माध्यम से २३१० करोड रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गई है। इस योजना के अतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंको ने उधारकर्ताओ के एक बडे वर्ग को पहले ही शामिल कर लिया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और सहकारी बैंको ने वर्ष के दौरान ८३६ १७ करोड रूपया की ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु १ ६१ लाख कार्ड जारी किये। नाबार्ड के द्वारा १९९९-२००० के दौरान ९ १ मिलियन क्विटल प्रमाणित बीज वितरित करने का लक्ष्य है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले ९ ६ प्रतिशत अधिक है। जबकि उर्वरको का उपयोग १४ ० प्रतिशत से बढकर वर्ष १९९९-२००० मे १९.१ मिलियन टन होने की सम्भावना है। वर्ष के दौरान, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको, राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ३७ ६९ लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। संचयी रूप से इन बैंको ने ३९.३० लाख कार्ड जारी किये और इसके माध्यम से ४८४३ करोड रूपये की कुल ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गई। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के २७ बैंको ने ३१ मार्च २००० तक १९ ८८ लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। समग्र ऋण सीमा की राशि ५०१० करोड़ रूपये की रही। वर्ष १९९९-२००० के दौरान ९१ ०० लाख क्विटल प्रमाणित बीज वितरित किये गए और वर्ष २०००-०१ के लिए यह लक्ष्य १००

लाख क्विटल है। पोषकता के सदर्भ मे उर्वरको का उपयोग वर्ष १९९९-२००० मे १८ १ मिलियन टन से बढकर वर्ष २०००-०१ मे १९ ३ मिलियन टन होने का अनुमान है। नाबार्ड द्वारा वर्ष १९९८-९९ मे शुरू की गयी किसान क्रेडिट कार्ड योजना काफी लोकप्रिय हो गयी है। वर्ष २०००-०१ मे सहकारी बैंको ने ५१ ११ लाख और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने ५ ७७ लाख कार्ड जारी किए। सभी पात्र किसानो को अगले तीन वर्षो के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंको, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको, राज्य सहकारी बैंको, सहकारी समितियो, वाणिज्य बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको आदि को पर्याप्त मात्रा मे पुनर्वित्त व्यवस्था प्रदान की जा रही है। नाबार्ड का यह प्रयास है कि किसानो को कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु एव कृषि की विभिन्न आवश्यकताओ हेतु पर्याप्त मात्रा मे व सरलता से ग्रामीण वित्त सुलभ हो सके। इसके लिए नाबार्ड के द्वारा पर्याप्त बैकिग सुधार भी किये जा रहे है, किसानो को विभिन्न सुविधाए भी प्रदान की जा रही हैं। बैंको की कार्यप्रणाली में भी व्यापक सुधार किये जा रहे है, विभिन्न कोषो एव निधियो की भी स्थापना की जा रही है, जिसके द्वारा समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। [7]

सूचना स्त्रोत

1. *भारतीय अर्थव्यवस्था - जगदीश नारायण मिश्र*
2. *मुद्रा एव अधिकोषण - डॉ अरूण कुमार गर्ग*
3. *भारतीय अर्थव्यवस्था - डॉ अरूणेश सिह*
4. *भारतीय अर्थव्यवस्था - मिश्र एव पुरी*

   भारतीय मौद्रिक योजना - एस बी गुप्ता
5. *भारतीय अर्थव्यवस्था - जगदीश नारायण मिश्र*

   विकासशील देशो की मौद्रिक नीति की समस्याए - पी डी हजेला
6. *भारत मे बैंकिग विकास - एस सुब्रमहयम*
7. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष* १९९०-९१, १९९५-९६, १९९७-१९९८, १९९८-९९, १९९९-२०००, २०००-२००१

******

अध्याय–3

नाबार्ड की स्थापना एवं कार्य प्रणाली

भारतीय अर्थव्यवस्था मे कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। अत देश के आर्थिक विकास की योजनाओ मे कृषि विकास के कार्यक्रमो को सर्वाधिक प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है। कृषि विकास सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रर्याप्त मात्रा मे वित्त की आवश्यकता होती है। कृषि के पिछडेपन तथा कृषि व्यवसाय की अनिश्चितता के कारण भारतीय कृषको के निजी साधन बहुत कम हैं। कृषि विकास की आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए कृषको द्वारा ऋण की माग निरतर बढ़ती जा रही है। इस माग को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कृषि व्यवसाय लगातार अलाभकर बना हुआ हैं स्वतत्रता पूर्व से ही कृषि को लाभकर बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। प्रारम्भ मे अग्रेज अफसरो के द्वारा भारत मे चकबन्दी व्यवस्था लागू की गई, बिनोवा भावे के द्वारा भूदान आन्दोलन चलाया गया, ग्रामीण वित्त की पूर्ति के भी प्रयास किये गये। स्वतत्रता पश्चात् सरकार का एकमात्र लक्ष्य था समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास। सन् १९५१ मे योजनाकाल के प्रारम्भ हो जाने पर कृषि साख की पूर्ति के भरपूर प्रयास किये गये। सरकार के द्वारा निर्धारित की जाने वाली पचवर्षीय योजनाओ मे कृषि साख की पूर्ति करना ही प्रमुख लक्ष्य होता था। प्रारम्भ मे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अन्य कार्यों के साथ ही साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास का कार्य भी देखा जाता था। सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ग्रामीण साख की आवश्यकता का अनुमान लगानें एव उसका अध्ययन करने हेतु अनेक कमेटियों एव कमीशनों का

गठन किया गया और लगभग सभी कमीशनो ने अपनी रिपोर्ट मे ग्रामीण साख की पूर्ति को नगण्य ही बताया। सरकार के द्वारा मौद्रिक नीति, साख नीति जैसी अनेक नीतियो को लागू करके कृषि एव ग्रामीण विकास करने का प्रयास किया गया, किन्तु सभी प्रयास लगभग असफल ही रहे। सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गठित कमेटियो एव कमीशनो ने अपनी रिपोर्ट मे इस बात की लगातार सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यो के विकेन्द्रीकरण की नितात आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक कार्य की अधिकता के कारण कृषि एव ग्रामीण विकास पर समुचित ध्यान नहीं दे पाता है। जिससे ग्रामीण वित्त की पूर्ति बाधित होती है। कमेटियो ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यो के विकेन्द्रीकरण की सिफारिश करते हुए ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की सस्था की स्थापना पर जोर दिया अत मे कृषि वित्त की सुव्यवस्थित पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर की सस्था के रूप मे नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया।

कृषि वित्त एव कृषि विकास का कार्य नाबार्ड की स्थापना से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा किया जाता था, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा १९३५ मे एक पृथक विभाग, "कृषि साख विभाग" **Agricultural Credit Department** (ए०सी०डी०) की स्थापना की गई। ए०सी०डी० ने अपनी स्थापना काल से २० वर्षो तक (१९३५ से १९५४) कृषि साख के क्षेत्र मे योगदान प्रदान किया। किन्तु कृषि साख सर्वेक्षण समिति के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को अपने सर्वेक्षण द्वारा इस बात की जानकारी दी गई कि ए०सी०डी० कृषि साख की आवश्यकता की पूर्ति करने मे असफल हो गया है। जिसके फलस्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने प्रयास किया की व्यापारिक बैंक भी कृषि साख से प्रत्यक्ष रूप से जुडे। जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने एव व्यापारिक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु १९६३ मे कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन ***Agricultural Refinance Corporation*** (ए०आर०सी०) की स्थापना की। जिसका बाद मे नाम परिवर्तित करके, "कृषि पुनर्वित्त एवं विकास कारपोरेशन" ***"Agricultural Refinance and Development Corporation"*** (ए०आर०डी०सी०) कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा एक अन्य विभाग "कृषि वित्त कारपोरेशन" **Agricultural Finance Corporation** (ए०एफ०सी०) की स्थापना की गई जो कि सहकारी सस्थाओ को, ग्रामीण बैंको को अल्पकालीन ऋण एव अन्य सुविधाएँ प्रदान करता था।

कृषि वित्त एव विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा तथा सरकार के द्वारा अनेक कमेटियाँ गठित की गई जिसमे से ज्यादातर ने इस बात की सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यो का विकेन्द्रीकरण करके एक पृथक सस्थान की स्थापना की जाए जो कि कृषि पुनर्वित्त एव विकास का ही कार्य करता हो।

बैंकिग कमीशन (१९७२) ने इस बात की सिफारिश की कि ए०आर०डी०सी० तथा ए०एफ०सी० दोनो को आपस मे मिलाकर कृषि साख एव विकास की एक राष्ट्रीय सस्था का गठन किया जाए जो कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा निर्देशन एव नियत्रण मे कार्य करता हो। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि आयोग (१९७६) ने भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को निर्देशित किया कि वह कृषि वित्तीयन के अपने ऐतिहासिक क्रिया कलाप को छोडकर कृषि विकास के लिए निचले स्तर से एक भारतीय कृषि बैंक की स्थापना करे जो कि कृषि विकास की शीर्ष सस्था के रूप मे कार्य करे।

भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति के द्वारा कृषि पुनर्वित्तीयन एव विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर के सस्थान के लिए कुछ नाम प्रस्तावित किये गये -

- ✓ भारतीय कृषि विकास बैंक ***(Agricultural Development Bank of India),***
- ✓ ग्रामीण विकास बैंक ***(Rural Development Bank of India),***
- ✓ राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक ***(National Bank for Agriculture and Rural Development – NABARD)***

कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय सस्था के रूप मे उपरोक्त नामो मे से तीसरे नाम, ''राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक" (नाबार्ड) ***National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)*** की सस्तुति की गई ।

कमेटी के अनुसार नाबार्ड के निम्नलिखित कार्य होगे -

- ❖ नाबार्ड का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण विकास मे लगी वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करना है।
- ❖ समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु कृषि समको एव सूचनाओ को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करके उनको प्रकाशित करना।
- ❖ ग्रामीण विकास मे लगी हुई विभिन्न वित्तीय सस्थाओ पर नियत्रण रखना एव उनके मध्य उचित समन्वय बनाये रखना।
- ❖ समन्वित ग्रामीण विकास हेतु गावो मे उचित यातायात, सडको आदि की व्यवस्था करना तथा विद्युतीकरण की उचित व्यवस्था करना।
- ❖ बैंको तथा वित्तीय सस्थाओ के कर्मचारियो को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध करना जिससे वे समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास मे उचित योगदान कर सके।
- ❖ साहूकार, महाजन एव देशी बैंकरो पर उचित नियत्रण स्थापित करना एव बैंकिग व्यवस्था को सरल एव मजबूत बनाना।
- ❖ ग्रामीण विकास एव ग्रामीण वित्त के लिए कार्यक्रम निर्धारित करना, योजनाए बनाना, ग्रामीण क्षेत्रो मे उद्योग स्थापित करवाना एव अन्य ग्रामीण विकास के कार्य करना।
- ❖ ग्रामीण विकास एवं वित्त के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, शोध करना, और सम्पर्क स्थापित करना।

- सहकारी सस्थाओ एव ग्रामीण बैको को अल्पकालीन, मध्यकालीन एव दीर्घकालीन ऋण हेतु पुनर्वित्त की व्यवस्था करना।
- ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रमो के लिए व्यापारिक बैंको को पुनर्वित्त उपलब्ध करना।
- विशेष परिस्थितियो मे ग्रामीण विकास के लिए सस्थाओ को प्रत्यक्षत ऋण की व्यवस्था करना।
- विकास एव वित्तीयन के क्षेत्र मे की जाने वाली सभी गतिविधियो एव प्रयासो में समन्वय स्थापित करना जिससे ग्रामीण क्षेत्र का सुनियोजित विकास सम्भव हो सके।
- सहकारी सस्थाओ एव ग्रामीण बैंको का निरीक्षण करना।
- राज्य सरकारो को सलाह एव दिशा निर्देश प्रदान करना भारतीय तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशन पर सहकारी सस्थाओ, ग्रामीण बैंको एव समाजसेवी सस्थाओ को निर्देशित करना एव उन पर नियत्रण स्थापित करना।

नाबार्ड की पूंजी :-

कमेटी की रिपोर्ट के पैरा १२१२ मे यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि नाबार्ड का और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का आपस मे प्रत्यक्ष एव नजदीकी सम्बन्ध होगा। जिसके लिए यह निर्धारित किया गया कि नाबार्ड की पूजी का पचास प्रतिशत भाग भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दिया जायेगा और शेष पचास प्रतिशत पूजी केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई जायेगी। जिस समय नाबार्ड की स्थापना की योजना बनाई जा रही थी उस समय ए०आर०डी०सी० की अधिकृत पूजी १०० करोड रूपये थी जिससे यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय स्तर के बैक की पूजी इसकी अपेक्षाकृत काफी अधिक होनी चाहिए। इसलिए कमेटी के द्वारा नाबार्ड की अधिकृत पूजी पाच सौ करोड रूपये रखने की सस्तुति की गई तथा प्रथम बार मे नाबार्ड की प्रदत्त पूजी सौ करोड़ रूपये रखने की सस्तुति की गई जिसमे केन्द्रीय सरकार का व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का बराबर का अश होगा।

नाबार्ड का स्टाफ :-

कमेटी केद्वारा राष्ट्रीय स्तर के बैंक नाबार्ड के कार्यो का निर्धारण इस प्रकार किया गया था कि इस बैंक के समस्त कार्य कृषि वित्त एव समन्वित ग्रामीण विकास मे प्रत्यक्ष एव सक्रिय योगदान कर सके तथा नाबार्ड का ग्रामीण विकास मे अग्रणी सस्थान के रूप मे कार्य करना था। जिसके लिए यह आवश्यक था कि इस नवीन सस्थान मे कुशल एव तकनीकी ज्ञान से युक्त व्यक्तियो की नियुक्ति की जाय जिसके लिए कमेटी ने नाबार्ड को स्वय अधिकार दिये जाने की सस्तुति की, कि वह अपनी आवश्यकतानुसार, भारतीय रिजर्व बैंक की सस्तुति व सलाह से अपने स्टाफ की नियुक्ति करे।

नाबार्ड की स्थापना का बिल :-

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनेक कमेटियो का गठन कर ग्रामीण साख एव विकास की सम्भावनाओ हेतु सर्वेक्षण करवाया गया और लगभग सभी कमेटियो ने इस बात की सिफारिश की कि भारत मे ग्रामीण वित्त की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की सस्था की स्थापना की जाए। छठवीं पचवर्षीय योजना मे ग्रामीण साख एव ग्रामीण विकास हेतु विशेष जोर दिया गया और तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण विकास पर अत्यधिक जोर दिया जिससे ३० मार्च १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर श्री० आई० जी० पटेल ने एक कमेटी का गठन किया जिसे "शिवरमण कमेटी" कहा गया, इस कमेटी मे निम्नलिखित सदस्यो को शामिल किया गया -

शिवरमण कमेटी के सदस्यो की सूची -

- ✓ श्री बी० शिवरमण - अध्यक्ष
- ✓ श्री जी० वी० के० राव - सदस्य
- ✓ श्री एम० रामाकृष्नैया - सदस्य
- ✓ श्री एम० आर० श्रौफ - सदस्य

✓ श्री एल० सी० जैन - सदस्य

✓ श्रीमती एस० सत्यभामा - सदस्य

✓ श्री के० बी० खोरे - सदस्य

✓ श्री एच० बी० शिवमग्गी - सदस्य सचिव

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस आठ सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का मुख्य कार्य था। ग्रामीण साख की आवश्यकता का अनुमान कर कृषि पुनर्वित्त एव विकास कार्पोरेशन (ए०आर०डी०सी०) के कार्यो एव सगठनात्मक ढाचे का विवेचन करना, तथा इस बात का अनुमान लगाना की क्या कृषि साख एव ग्रामीण विकास के लिए वास्तव मे एक पृथक राष्ट्रीय स्तर के सस्थान की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर १९७९ तक प्रस्तुत कर देनी थी।

शिवरमण कमेटी ने अपनी अतरिम रिपोर्ट नवम्बर १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक को। प्रस्तुत की, शिवरमण कमेटी की रिपोर्ट को **CRAFICARD (The Committee to Review Arrangements For Institutional Credit for Agriculture and Rural Development)** कहा गया। इस रिपोर्ट मे कृषि साख एव ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक पृथक सस्था की स्थापना की सिफारिश की गई। कमेटी के अनुसार इस राष्ट्रीय सस्था का नाम ''राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक'' **"National Bank for agriculture and Rural Development" (NABARD)** रखा जायेगा। कमेटी के चेयरमैन के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के गर्वनर को एक पत्र लिख कर सूचित किया गया कि कमेटी नाबार्ड की स्थापना की रूपरेखा तैयार करेगी जो कि एक ड्राफ्ट बिल के रूप मे होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर तथा केन्द्रीय सरकार ने

राष्ट्रीय स्तर की सस्था के रूप मे नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लेते हुए शिवरमण कमेटी को एक ड्राफ्ट बिल तैयार करने का निर्देश दिया जिसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना की जा सके।

सरकार ने शिवरमण कमेटी के तथा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कुछ अधिकारियो को मिला कर एक समूह का गटन किया, जिनके द्वारा नाबार्ड की स्थापना हेतु ड्राफ्ट बिल की रचना की जायेगी। इस समूह मे निम्नलिखित सदस्यो को शामिल किया गया -

- ✓ डॉ० एच० बी० शिवमग्गी - सयुक्त सचिव
- ✓ डॉ० एच० सी० अग्रवाल - मुख्य अधिकारी, (ए० डी० सी० भारतीय रिजर्व बैंक)
- ✓ श्री आर० कृष्णन् - कानूनी सलाहकार, (कानूनी विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक)
- ✓ श्री एच० आर० कारनिक - निदेशक, (ए०आर०डी०सी०)
- ✓ श्री जे० आर० प्रभू - उप मुख्य अधिकारी, (डी० बी० ओ० डी० भारतीय रिजर्व बैंक)

उपरोक्त सदस्यो को मिलाकर एक समूह का गठन किया गया जिसको नाबार्ड की स्थापना हेतु ड्राफ्ट बिल तैयार करने का कार्य सौपा गया। इस समूह के साथ मे सर्व श्री आर० सुन्दरवर्धन (मुख्य अधिकारी आर०पी०सी० सेल), टी० के० बेल्यूधम (निदेशक, क्रैफीकार्ड, सचिवालय) तथा एम०एस० देवस्थली (उप मुख्य अधिकारी क्रैफी कार्ड, सचिवालय) को भी नियुक्त किया गया जो कि बिल तैयार करने में सहायता प्रदान करेंगे। इस समूह के द्वारा २८ और २९ जनवरी १९८० को क्रैफीकार्ड की बैठक मे नई

दिल्ली मे नाबार्ड की स्थापना का पहला ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया गया तथा १३ और १४ मार्च १९८० को इस समूह के द्वारा क्रैफीकार्ड की बैठक मे दूसरा व अन्तिम बिल बम्बई मे प्रस्तुत किया गया।

क्रैफीकार्ड के द्वारा नाबार्ड की स्थापना करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया। जिसमे नाबार्ड से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओ को स्पष्ट किया गया। ड्राफ्ट बिल मे उल्लिखित अध्याय निम्नवत है -

अध्याय - 1 - प्रारम्भिक :-

नाबार्ड की स्थापना के लिए एक पृथक नाबार्ड अधिनियम बनाया जाए, जिसमे इस अध्याय के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शब्दावलियो को परिभाषित किया जाय। जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम तथा बैंकिग नियमन अधिनियम मे भी पृथक परिभाषाओ की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे धारा - २ (एम) जो कि ग्रामीण विकास को परिभाषित करती है तथा धारा २ (जे) जो कि प्रारम्भिक ग्रामीण साख को परिभाषित करती है। ये धाराये प्रथम बार प्रस्तुत की जा रही थी अत इनको पृथक रूप से परिभाषित किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार इस अध्याय के अर्तगत नाबार्ड से सम्बन्धित तथा प्रयुक्त समस्त शब्दावलियो को पृथक रूप से परिभाषित करने की व्यवस्था की गई।

अध्याय - 2 - नाबार्ड की स्थापना :-

बिल के द्वितीय अध्याय मे नाबार्ड की स्थापना का उल्लेख किया गया जिसके अनुसार नाबार्ड की स्थापना हेतु समस्त पूजी दो बराबर भागो मे विभक्त होगी जो कि केन्द्रीय सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस अध्याय के अनुसार पूजी का अनुपात सदैव समान रहेगा इसे भविष्य मे कभी भी किसी दशा मे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बैंकों एवं वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करना है। इसलिए नाबार्ड जनता के

प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य नहीं करता है और न ही जनता से जमाए स्वीकार करता है। चूकि जनता से जमाओ के माध्यम से अन्य बैंको, को बडी मात्रा मे पूजी प्राप्त होती है। जबकि नाबार्ड जनता से जमाए भी स्वीकार नहीं करता है इसलिए नाबार्ड की स्थापना के समय यह व्यवस्था की गई कि नाबार्ड अन्य माध्यमो से भी पूजी एकत्रित कर सके। नाबार्ड राज्य सरकारो से ऋणप्राप्त कर करता है, पूजी अभिलाभ बाड्स का निर्गमन कर सकता है तथा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ) आदि योजनाओ के माध्यम से भी नाबार्ड आवश्यकता पड़ने पर निधि एकत्रित कर सकता है।

अध्याय - 3 - नाबार्ड का प्रबन्ध :-

बिल का तृतीय अध्याय नाबार्ड के प्रबन्ध सेवा का प्रावधान करता है। नाबार्ड के प्रबन्ध के लिए एक बोर्ड का गठन किया जायेगा। बोर्ड के चेयरमैन के पद पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के उप गर्वनर को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया तथा बोर्ड के निदेशको मे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से योग्य व्यक्ति तथा नाबार्ड के अधिकारी बराबर सख्या मे नियुक्त किये जायेगे। निदेशक के पद पर नियुक्त व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्र - अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, ग्रामीण वित्त, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तथा व्यापारिक बैंकों मे कार्यशील व्यक्ति होगे। चेयरमैन के पद पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के उप गवर्नर को नियुक्त करने का प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया ताकि नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के सरक्षण मे एव उसकी नीतियो का पालन करते हुए अपना कार्य करे अर्थात् नाबार्ड एव भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उपगवर्नर को इसका चेयरमैन नियुक्त किया जायेगा।

अध्याय - 4 - नाबार्ड को व्यवसाय का हस्तांतरण :-

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा कृषि एव ग्रामीण विकास के उद्देश्य से स्थापित किये गये पृथक विभाग 'कृषि पुनर्वित्त कारपोरेशन' ***Agricultural Refinance Corporation***

(A.R.C) जिसका बाद मे नाम परिवर्तित करके 'कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन' ***Agricultural Refinance and Development Corporation*** *(A R.D.C) तथा एक अन्य कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु स्थापित विभाग 'कृषि वित्त कारपोरेशन'* ***Agricultural Finance Corporation*** *(A.F.C) को आपस मे मिलाकर नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसलिए इन दोनो विभागो के समस्त अधिकार, कर्तव्य एव सम्पत्तियो तथा देयताओ को नाबार्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया।*

अध्याय - 5 - नाबार्ड के द्वारा ऋण प्राप्ति :-

आवश्यकता पडने पर नाबार्ड भी ऋण प्राप्त कर सकता है ऐसा प्रावधन अध्याय पॉच मे किया गया। जिसके लिए वह अपने बॉण्डस या ऋण पत्रो को बाजार मे बेच सकता है या भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया या केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त कर सकता है। नाबार्ड के बॉण्डस या ऋण पत्रो को केन्द्रीय सरकार की गारण्टी प्राप्त होगी की बॉण्डस या ऋण पत्रो की मूल राशि तथा उसके ब्याज का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा। नाबार्ड, केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त कर व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की सलाह से विदेशी ऋण भी प्राप्त कर सकता है। नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा बनाये गये भारतीय औद्योगिक साख कोष से भी ऋण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार आवश्यकता पडने पर नाबार्ड भी विभिन्न स्त्रोतो से ऋण प्राप्त कर सके ऐसा प्रावधान किया गया।

अध्याय - 6 - नाबार्ड की साख व्यवस्था :-

नाबार्ड के द्वारा प्रदान की जाने वाली साख सुविधा को मुख्यतया दो भागो में विभाजित किया गया है। एक तो उत्पादक ऋण एव दूसरा विनियोग ऋण। नाबार्ड के द्वारा उत्पादक ऋण की जो पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जायेगी वह निश्चित रूप से अल्पकालीन समय की होनी चाहिए और यह पुनर्वित्त सुविधा उन सस्थानों को ही प्रदान की जायेगी जो कि कृषि एव ग्रामीण विकास मे लगी हुई हो। इन

सस्थानो मे मुख्यत राज्य सहकारी बैंक, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते है जिनको की नाबार्ड के द्वारा उत्पादक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। दूसरे प्रकार की साख सुविधा विनियोग ऋण के रूप मे नाबार्ड के द्वारा प्रदान की जाती है। विनियोग ऋण भी दो भागो मे बाटे जाते है - प्रथम - अल्पकालीन एव द्वितीय दीर्घकालीन। अल्पकालीन विनियोग ऋण कृषि को सहायता प्रदान करने हेतु उस समय उपलब्ध कराये जाते हैं, जब देश मे सूखा हो, बाढ हो या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आ गयी हो। दीर्घकालीन विनियोग ऋण की सुविधा नाबार्ड के द्वारा उन सस्थानो को (राज्य सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) प्रदान की जाती है जो कि ग्रामीण एव कृषि विकास मे पूर्णतया लगे रहते है।

अध्याय - 7 - नाबार्ड के अन्य कार्य :-

नाबार्ड के द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किये जाते है। जैसे नाबार्ड उन सभी सस्थानो के मध्य एव साथ तालमेल बैठाने का प्रयास करता है जो कि ग्रामीण एव कृषि विकास मे लगी हुई हैं। नाबार्ड को प्रशिक्षण प्रदान करने, सूचनाए प्राप्त करने, ग्रामीण विकास के लिए शोध करवाने एव ग्रामीण विकास हेतु उत्तम बैंकिग व्यवस्था करने का भी कार्य सौपा गया है। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण साख से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं जिन्हे वह केन्द्रीय सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को प्रेषित करता है।

अध्याय - 8 - फण्ड, खाते एवं अंकेक्षण :-

नाबार्ड के द्वारा उन सभी फण्डो का निर्माण किया जायेगा जो कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्देशत किये गये हैं। नाबाड़ के द्वारा केन्द्रीय सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित विधि से खाते तैयार करवा कर उनका अकेक्षण करवा करके उसकी

रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी व उसकी प्रति केन्द्रीय सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को भेजनी होगी।

अध्याय - 9 - नाबार्ड का स्टाफ :-

नाबार्ड को अपने स्टाफ स्वय नियुक्त करने का अधिकार दिया गया और प्रारम्भ मे ए०आर०डी०सी० का स्टाफ और भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का स्टाफ जो कि नाबार्ड की स्थापना मे लगा हुआ था को नाबार्ड मे नियुक्त किया गया जिससे प्रारम्भ मे नाबार्ड के व्यवसाय सचालन कुशलता पूर्वक हो सके बाद मे नाबार्ड के द्वारा स्वय अपना स्टाफ नियुक्त किया गया।

अध्याय - 10 - विविध :-

यह अध्याय इस बिल का अन्तिम अध्याय है। इसमे नाबार्ड से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बातो का उल्लेख किया गया। जैसे नाबार्ड को भारतीय आयकर अधिनियम के किसी भी दायित्व से पूर्णतया मुक्त रखा गया। नाबार्ड को अधिकार दिया गया कि यदि किसी मुद्दे या विषय को बोर्ड आवश्यक समझता है तो उसके लिए वे नियम पास कर सकते हैं। [1]

भारतीय रिजर्व बैंक, शिवरमण कमेटी तथा तत्कालीन सरकार ने नाबार्ड की स्थापना के समय उसकी कार्य प्रणाली के विषय मे अत्यधिक विचार विमर्श किया। शिवरमण कमेटी ने सिफारिश की कि नाबार्ड एक राष्ट्रीय सस्था के रूप मे स्थापित हो रहा है अत इसको जनता से व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य नही करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कमेटी की सिफारिश का समर्थन करते हुए कहा कि नाबार्ड का प्रमुख कार्य देश मे ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना हैं जिसके लिए नाबार्ड को बैंकों को, सहकारी सस्थाओं को एवं वित्तीय सस्थाओ को ऋण प्रदान करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी जब इस बात की सिफारिश कर दी गई तब यह निश्चित किया गया कि नाबार्ड जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क मे

कार्य नहीं करेगा बल्कि बैंको एव वित्तीय सस्थाओ को ऋण प्रदान करके, जनता को ग्रामीण वित्त की व्यवस्था करेगा। नाबार्ड की स्थापना देश के शीर्ष बैंक के रूप में हो रही थी इसलिए नाबार्ड को सभी बैंको, सहकारी सस्थाओ का मुखिया नियुक्त किया गया। नाबार्ड को सभी बैंको पर नियत्रण रखने का एव पर्यवेक्षण करने का कार्य भी सौपा गया। नाबार्ड से यह भी आशा भी की रही है कि वह सभी वित्तीय सस्थाओ के मध्य समन्वय स्थापित करेगा एव उनमें आपस मे उचित तालमेल बैठायेगा। नाबार्ड के सफलतापूर्वक सचालन के लिए कमेटी के द्वारा एक निदेशक मण्डल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिसमे भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, कृषि मत्रालय के व्यक्ति, अर्थशास्त्री, वाणिज्य मत्रालय के व्यक्ति तथा अन्य व्यक्तियो को नियुक्त किया जायेगा। नाबार्ड का प्रधान कार्यलिय मुम्बई मे स्थापित किया गया और प्रत्येक राज्यो मे इसके क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये गये। इसके साथ ही राज्यों के बडे-बडे प्रमुख शहरो मे भी इसके उपकार्यालय स्थापित किये गये है। एक प्रकार से हम कह सकते है कि भारत का विकास उसके कृषि एव ग्रामीण विकास पर आधारित हैं यदि देश मे समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था स्वत ही उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जायेगी। ग्रामीण विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व नाबार्ड को सौंपा गया है इसलिए नाबार्ड को ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य भी करने पडते है जैसे-नाबार्ड का यह एक अतिरिक्त कार्य है कि ग्रामीण वित्त की आवश्यकता से सम्बन्धित आकड़े एव सूचनाए प्राप्त करे और उनको न केवल अपने लिए विश्लेषित करे अपितु ग्राहक बैंकों तथा अन्य सस्थाओ की सुविधा और समन्वय हेतु उनको प्रकाशित करे तथा विभिन्न स्तरो पर नीतियों एवं कार्यक्रमो का विश्लेषण भी करें। इसके साथ ही जनता से कुछ प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रो मे कार्यक्रमो का आयोजन करके, किसानो को बैंको द्वारा एव नाबार्ड द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी प्रदान करना। चूकि नाबाड़ जनता से प्रत्यक्ष रूप मे कार्य ही नहीं करता है इसलिए उसको जनता से जमाए भी प्राप्त नहीं होती है। इसलिए नाबार्ड की पूजी की व्यवस्था का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक व सरकार के ऊपर है व दोनो नें आधी आधी नाबार्ड की पूजी उपलब्ध करायी। वर्तमान

समय में नाबार्ड आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकारों से, केन्द्रीय सरकार से, भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। नाबार्ड ने निधि एकत्र करने के उद्देश्य से कुछ नयी योजनाएं भी लागू की है जिनकी सहायता से नाबार्ड को निधि प्राप्ति हो सकती है। नाबार्ड ने वर्ष १९९५-९६ आर.आई.डी.एफ. (ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि) की स्थापना की। इस निधि में नाबार्ड को व्यापारिक बैंकों से धनराशि प्राप्त होती है। चूंकि प्रतिवर्ष भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रत्येक व्यापारिक बैंक को एक लक्ष्य दिया जाता है कि आपको इस निर्धारित लक्ष्य तक ऋणों का वितरण करना है। बैंकों के द्वारा यदि ऋणों के वितरण में कमी रह जाती है तो उस कमी को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि में अंशदान करना होगा। परन्तु अंशदान की धनराशि बैंक के निबल ऋणों के १.५ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार नाबार्ड इस निधि के अंतर्गत एक बड़ी धनराशि एकत्रित कर सकता है जिसका प्रयोग ग्रामीण विकास हेतु नाबार्ड द्वारा कही भी किया जा सकता है। वर्ष २००१-२००२ तक ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की संचयी जमा राशि ५००० करोड़ रूपया होने की सम्भावना है। वर्ष २००१-२००२ तक इस निधि में से १८४००० परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार अभी हाल ही में नाबार्ड के द्वारा पूंजी अभिलाभ बाड्स का भी निर्गमन किया गया है। जिसके द्वारा भी नाबार्ड को काफी बड़ी निधि प्राप्त होने की सम्भावना है। नाबार्ड इस प्रकार से एकत्रित निधि को कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु किसी भी क्षेत्र में व्यय कर सकता है।

नाबार्ड के क्रियाकलापों का निर्धारण करते समय इसकों वे समस्त कार्य सौपे गये हैं जो कि देश के ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में हम कहें तो नाबार्ड के दायित्वों की सीमा या परिधि परिभाषित ही नही की गई अर्थात् नाबार्ड के दायित्व या क्रियाकलाप उस बिन्दू तक माने जायेंगे जहां देश का ग्रामीण विकास पूर्ण हो जाए। यदि हम नाबार्ड की कार्यप्रणाली पर एक नजर डालें तो उसे सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण वित्त की समुचित पूर्ति करना सौपा गया है। इस एक कार्य से कुछ कार्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे - ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना, उसकी पूर्ति के समुचित स्रोतों

का विश्लेषण करना, ग्रामीण साख से सम्बन्धित आकडो एव सूचनाओ को एकत्र कर उनको प्रकाशित करना आदि। किसानो की बिगडती दशा सुधारने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि उनको साहूकारो के चगुल से बचाया जाए, जिसके लिए आवश्यक है कि साहूकारो पर कठोर नियत्रण लगाये जाए व लचर पडी बैंकिग व्यवस्था मे व्यापक सुधार किये जाये। इसके साथ ही नाबार्ड की कार्यप्रणाली मे अन्य विकासात्मक कार्य भी सम्मिलित किये जाते है जैसे - गावो तक समुचित यातायात की व्यवस्था करना, गावो का विद्युतीकरण करना, गावो मे सरकारी विक्रय केन्द्रों की स्थापना करना, सिचाई के स्थायी साधनो की व्यवस्था करना, गावो मे बैंकिग विकास करना आदि विकासात्मक कार्य भी नाबार्ड की कार्य प्रणाली मे शामिल किये गये है।

नाबार्ड सौपे गये दायित्वो की पूर्ति करने हेतु, कुशल प्रबध तत्र की सहायता से कार्य करता है। निदेशक मण्डल के द्वारा नीतिया एव कार्यक्रम बनाकर उनहे सुव्यवस्थित ढग से लागू किया जाता है। नाबार्ड ने अपने सगठनात्मक व्यवस्था के सम्बन्ध मे बडे पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण हेतु कदम उठाए है और एक कम्प्यूटर सेवा अनुभाग स्थापित किया है। जिसकी मुख्य जिम्मेदारी पूरे नाबार्ड के क्रियाकलापो मे कम्प्यूटरीकरण का प्रार्दुभाव करना है। इस तरह नाबार्ड की कम्प्यूटरीकरण व्यूह नीति उन आवश्यकताओ पर आधारित होनी चाहिए, जो नाबार्ड की क्रियाओ और उद्‌देश्यो को प्राप्त करने मे सहयोगी हो। इसी प्रकार नाबार्ड के द्वारा एक पृथक सूचना विभाग की भी स्थापना की गई है जो कि ग्रामीण वित्त की आवश्यकता के सम्बन्ध में गावो-गावो का सर्वेक्षण करके सूचनाए एव आकडे एकत्रित करता है जिनके आधार पर नाबार्ड के द्वारा योजनाए बनाकर ग्रामीण वित्त की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। सम्बन्धित वित्तीय इकाइयो की सहायता के लिए नाबार्ड के द्वारा समय-समय पर ये आकडे एव सूचनाए प्रकाशित की जाती हैं।

एक दृष्टि में देखे तो हम पायेंगे की नाबार्ड को वे सभी दायित्व सौपे गये हैं जो कि समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक हो। इस प्रकार हम नाबार्ड के क्रियाकलापो मे निम्नलिखित दायित्वो को शामिल कर सकते है जिनकी पूर्ति नाबार्ड के द्वारा की जाती हैं :-

- नाबार्ड के द्वारा व्यापारिक बैंको, ग्रामीण बैंको, सहकारी सस्थाओ एव अन्य वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।
- प्राकृतिक आपदाओ से प्रभावित किसानो को अल्पावधि सहकारी ऋण ढाचे तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से राहत पहुचाने सम्बन्धी प्रावधान करना।
- ग्रामीण वित्त से सम्बन्धित कृषि समको को एकत्रित करना एव उनको विश्लेषित करके उनका प्रकाशन करना।
- नाबार्ड के द्वारा बैंको, सहकारी सस्थाओ एव विभिन्न वित्तीय सस्थाओ के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थापित कर उनमे उचित समन्वय रखा जाता है।
- नाबार्ड के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको, सहकारी बैंको, राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों, राज्य सहकारी बैंको तथा ग्रामीण विकास मे लगी अन्य सस्थाओ का पर्यवेक्षण किया जाता है।
- नाबार्ड के द्वारा बैंक कर्मियो को तथा अन्य व्यक्तियो को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिससे वे ग्रामीण विकास मे समुचित योगदान कर सके।
- नाबार्ड के द्वारा किसानो को अन्य सुविधाए जैसे-किसान क्रेडिट कार्ड योजना, नि शुल्क बीमा योजना, बीजों का वितरण आदि प्रदान किये जाते हैं।
- नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो का समुचित विकास करने हेतु प्रत्येक गावों तक यातायात की समुचित व्यवस्था करना तथा विद्युत की पर्याप्त व्यवस्था प्रत्येक गावो तक करना।
- नाबार्ड के द्वारा सेमिनारों एव प्रोग्रामो का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के प्रत्येक बैंक के प्रतिनिधि शामिल होकर, ग्रामीण विकास कार्यक्रमो पर विचार विमर्श किया जाता है व नवीन योजनाएं बनायी जाती हैं।

- नाबार्ड के द्वारा जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं जिसके लिए नाबार्ड क्षेत्र के ग्रामीण बैंक के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करवाता है जिसमें किसान अपनी समस्या रखते हैं और उसे ग्रामीण बैंक के माध्यम से नाबार्ड तक पहुचा दिया जाता है। इन कार्यक्रमो का समस्त व्यय नाबार्ड के द्वारा वहन किया जाता है।
- नाबार्ड के द्वारा तकनीकी अनुप्रवर्तन और मूल्याकन कक्षो की स्थापना करके सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की कार्यप्रणाली मे सुधार के प्रयास किये जा रहे है।
- नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको एव सहकारी बैंको को महिला विकास कक्षो (डब्ल्यू डी सी) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि ये सस्थाए जेडर सबधी समस्याओ से निपटने में सक्षम हो सके।
- नाबार्ड के द्वारा अनुसधान और विकास निधि की स्थापना की गई है। इस निधि का उपयोग अनुसधान और प्रशिक्षण, चुने हुए विश्वविद्यालयो, सस्थाओ मे पीठ इकाइयो की स्थापना, सम्बन्धित सेमिनारो एव कार्यशालाओ आदि को सहायता करने मे उपयोग किया जाता है।
- नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण वित्त के गैर सस्थागत स्रोतो पर नियत्रण स्थापित किया जा रहा है। साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण वित्त की सम्पूर्ण पूर्ति सस्थागत स्रोतो के द्वारा ही की जाए।
- नाबार्ड ने विश्व बैंक व विदेशी सस्थाओ की सहायता से अनेक योजनाओ को सचालित किया व विदेशी सस्थाओ को भारत के ग्रामीण विकास हेतु अधिक से अधिक धन विनियोजित करने हेतु प्रोत्साहित भी किया।

नाबार्ड के क्रियाकलाप मे उन समस्त कार्यो को शामिल कर दिया गया जो कि भारतीय ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक है। नाबार्ड चूकि राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सस्था के रूप मे कार्य कर रही है इसलिए इसके दायित्वों व कार्यक्षेत्रो को परिसीमित नहीं किया गया है। अपितु ग्रामीण विकास की आवश्यकता के अनुरूप स्वतंत्र रखा गया है। [2]

सूचना स्त्रोत

1. *शिवरमण कमेटी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (मुम्बई) द्वारा प्रकाशित जनवरी १९८१*

2. *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड़ (वर्ष १९९०-२००१)*

******

अध्याय–4

नाबार्ड की संगठनात्मक संरचना

राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण विकास के क्षेत्र मे प्रमुख भूमिका है। नाबार्ड के द्वारा लगभग उन सभी कार्यो का क्रियान्वयन किया जाता है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु किये जाते है। साधारण शब्दो मे हम कह सकते है कि जिस प्रकार व्यापारिक बैंकों को, देश के आर्थिक विकास को, देश के औद्योगिकीकरण को, देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का सहयोग एव समन्वय प्राप्त होता है उसी प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, लघु एव कुटीर उद्योगो के पूजीकरण की व्यवस्था, ग्रामीण बैंको को पुनर्वित्तीयन सुविधा, सहकारी बैंकों को सहयोग, समाजसेवी सस्थाओ के साथ मिलकर ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करना आदि महत्वपूर्ण कार्य, राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे हैं। आज ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य सरकार ने नाबार्ड के सुपुर्द कर दिये हैं। आज भारतीय रिजर्व बैंक, ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कोई भी योजना, राष्ट्रीय बैंक (नाबाड़) की सलाह एव स्वीकृति के बिना नही बना सकती है। चूकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और नाबार्ड को कृषि एवं ग्रामीण विकास का ही कार्य सौपा गया है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर पड सकता है। इस प्रकार हम कह सकते है कि राष्ट्रीय बैंक (नाबाड़) के द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किये जाते हैं जिसका सीधा सम्बन्ध देश की अर्थव्यवस्था से है। अत यह अत्यन्त ही आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय बैंक (नाबाड़) के क्रिया कलापो को सचालित करने हेतु एक सुदृढ़ सगठनात्मक सरचना निर्मित किया जाये। चूँकि नाबार्ड के सचालन हेतु एक पन्द्रह सदस्यीय

निदेशक मण्डल का गठन किया गया है जिसमे अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, तथा तेरह अन्य निदेशक शामिल किये गये है।

३१ मार्च २००१ तक की सूचना के अनुसार नाबार्ड का सगठनात्मक ढाचा इस प्रकार है -

✓ *श्री योगेश नदा,*

अध्यक्ष,

(राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक)

✓ *श्री एम० वी० एस० चलपति राव,*

प्रबन्ध निदेशक,

(राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक)

13 निदेशकों की सूची

✓ *श्री स्वामी शशाकानदा,*

सचिव,

(रामकृष्ण मिशन आश्रम)

✓ *श्री शकर राव नारायण राव जोशी,*

ट्रस्टी कृषि विज्ञान केन्द्र,

(प्रवरा प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, अनुसंधान और प्रशिक्षण सस्थान)

✓ *श्री वेपा कामेसम,*

उपगवर्नर,

(भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई)

✓ प्रो० विजय शकर व्यास,

प्रोफेसर इमेरिट्स और अध्यक्ष सचालन मण्डल, आई०डी०एस०जे०

✓ डॉ० अमृता पटेल,

अध्यक्ष,

(राष्ट्रीय दुग्ध विकास केन्द्र)

✓ श्री एस० के० पुरकायस्थ,

अतिरिक्त सचिव (वित्त क्षेत्र),

वित्त मत्रालय, डी०इ०ए० (बैकिग प्रभाग),

भारत सरकार, नई दिल्ली

✓ श्री जे० एन० एल० श्रीवास्तव,

सचिव,

कृषि मत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग,

भारत सरकार, नई दिल्ली

✓ श्री अरूण भटनागर,

सचिव,

ग्रामीण विकास मत्रालय,

भारत सरकार, नई दिल्ली

✓ श्री एम०एम० रतन,

वित्त आयुक्त (विकास) और सचिव (कृषि),

पजाब सरकार सिविल सचिवालय

- ✓ डॉ० ए० डब्ल्यू० पी० डेविड,

  अतिरिक्त मुख्य सचिव,

  (कृषि और सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार)

- ✓ श्री एम० वी० प्रणेश,

  सचिव कृषि,

  तमिलनाडु सरकार

- ✓ श्री जे० पी० राजखोवा,

  प्रधान सचिव (कृषि) और कृषि उत्पादन आयुक्त (ए०पी०सी०),

  असाम सरकार, दीसपुर

- ✓ पद रिक्त

नाबार्ड का शीर्ष प्रबन्ध तंत्र :-

वर्तमान समय मे (३१ मार्च २००१ तक) राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) का शीर्ष प्रबन्ध तत्र निम्नलिखित व्यक्तियो द्वारा सचालित किया जा रहा है -

- ✓ अध्यक्ष - योगेश नदा
- ✓ प्रबन्ध निदेशक - एम० वी० एस० चलपति राव
- ✓ कार्य पालक निदेशक -
  - ➢ एम० जी० मारवाह
  - ➢ अली मिया
  - ➢ जी० के० अग्रवाल

- के० पी० अग्रवाल
- एस० सुब्रमणियन्

राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एव कृषि विकास है, इसलिए नाबार्ड की स्थापना के पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त कार्य एव अधिकार राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) मे निहित कर दिये। राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की भाति ग्रामीण विकास से सम्बन्धित वे समस्त कार्य किये जाते हैं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शहरी क्षेत्र एव व्यावसायिक बैंको को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से किये जाते है। इसीलिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) की प्रबन्ध सरचना भारतीय रिजर्व बैंक की ही भाति बनायी गई। इसमे एक व्यक्ति अध्यक्ष के पद पर भारतीय रिजर्व बैंक की सस्तुति पर नियुक्त किया जाता है। तथा अध्यक्ष की सहायता के लिए एक प्रबन्ध निदेशक एव बारह अन्य निदेशको की नियुक्ति की जाती है जिसमे विभिन्न विभागो के सचिव, विशेषज्ञ, भारतीय रिजर्व बैंक का उपगर्वनर एव कृषि विभाग से सम्बन्धित व्यक्तियो को निदेशक के रूप मे केन्द्रीय सरकार के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति (सस्तुति) पर नियुक्त किया जाता है। जैसे इस समय (३१ मार्च २००१ तक की सूचना के अनुसार) निदेशक मण्डल मे रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव, कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रवरा प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान अनुसधान और शिक्षण सस्थान के ट्रस्टी, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (मुम्बई) के उपगवर्नर, प्रोफेसर इमेरिटस और अध्यक्ष सचालन मण्डल आई०डी०एस०जे०, राष्ट्रीय दुग्ध विकास केन्द्र की चेयरपर्सन, अतिरिक्त सचिव वित्त मत्रालय, सचिव-कृषि मत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, ग्रमीण विकास मत्रालय के सचिव, वित्त आयुक्त (विकास), अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, सचिव (कृषि), प्रधान सचिव कृषि एव कृषि उत्पादन आदि विभागों से सम्बद्ध अधिकारियो को राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के निदेशक मण्डल मे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय बैंक के प्रबन्ध तत्र मे कृषि एव ग्रामीण विकास से सम्बन्धित लगभग प्रत्येक विभागो के सचिव

एव अधिकारियो को शामिल किया गया है साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के उपगवर्नर को भी इसके निदेशक मण्डल मे नियुक्त किया गया है ताकि इसकी नीतियो एव कार्यप्रणाली मे भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्णतया नियत्रण एव समन्वय बना रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) ने अपने पछत्तर विभागो के लिए अलग-अलग मुख्य महाप्रबन्धक नियुक्त किये हुए है, साथ ही इसने प्रत्येक राज्य की राजधानी मे अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर रखा है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय कामर्स हाउस, हबीबुल्लाह इस्टेट, ११ महात्मा गाधी मार्ग, हजरतगज, लखनऊ मे स्थित है। वर्तमान समय (३१ मार्च २००१) मे मुख्य महाप्रबन्धक, आर० बालकृष्णन तथा ए०के० जैन, महाप्रबन्धक, एच०आर० मानखड महाप्रबन्धक, जी०एल० खरे, महाप्रबन्धक, एस०सी० कौशिक, महाप्रबन्धक, डॉ० बी०बी० सिह महाप्रबन्धक के पद पर नियुक्त है। वर्तमान समय मे नाबार्ड द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि वह प्रत्येक जिले मे अपना एक शाखा कार्यालय स्थापित करे, इसी प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) ने तीन बडे शहरो में अपने शाखा कार्यालयो की स्थापना की गई है। इलाहाबाद मे दीपक कुमार उपमहाप्रबन्धक, कानपुर मे राजेश कुमार उपमहाप्रबन्धक तथा गाजियाबाद मे एम०एस० राघव उपमहाप्रबन्धक के पद पर नियुक्त किये गये है।

राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) का मुख्य क़ार्यालय बान्द्रा, मुम्बई मे स्थित है। राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) के द्वारा अपने अधिकारियो एव कर्मचारियो को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुम्बई मे व उसके बाहर अनेक प्रशिक्षण सस्थानो की स्थापना की गई है। मुम्बई के बाहर के प्रशिक्षण सस्थान - राष्ट्रीय बैंक स्टाफ महाविद्यालय लखनऊ, राष्ट्रीय बैंक प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ, बैंकर ग्रामीण विकास सस्थान लखनऊ, क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय पश्चिम बगाल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय कोडियाल बेल मगलूर मे प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड) का सचालन उपरोक्त सगठनात्मक सरचना की सहायता से कुशलता पूर्वक किया जा रहा है जिसके द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विकास मे नाबार्ड अपना अभूत पूर्व योगदान प्रदान कर रहा है।

सूचना स्त्रोत

१ *शिवरमण कमेटी रिपोर्ट (CRAFICARD)*

भारतीय रिजर्व बैंक (मुम्बई) द्वारा प्रकाशित (जनवरी १९८१)

२ *वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २००१*

३ *नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा।*

******

अध्याय–5

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण वित्त में नाबार्ड की भूमिका

भारतीय कृषक के पास वित्त के केवल दो ही स्रोत हो सकते हैं, प्रथम कृषक स्वय तथा द्वितीय वह कही से ऋण प्राप्त कर सकता है। बहुत से अध्ययन कृषि साख पर किये गये है जो इस बात के साक्षी हैं कि ऐसे बहुत ही कम कृषक है जो कृषि साख को स्वय पूरा कर लेते हैं। एक बहुत बडा वर्ग ऐसा भी है जो इस आवश्यकता को ऋण लेकर पूरा करता है। इसके लिए सरकार अपनी विभिन्न योजनाओ के अतर्गत इन कृषको की सहायता करती रही है जिनमे लघु कृषक विकास सस्था, सीमात कृषक विकास सस्था आदि प्रमुख है। वित्त की उचित व्यवस्था न होने से साहूकार बहुत समय तक ऋण देने का कार्य करते रहे हैं। उनके अत्यधिक व्याज के कारण कृषक पीढी दर पीढ़ी ऋण मे दबता चला जा रहा है। इन विषमताओ को दूर करने के लिए सहकारी बैंकों, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नबाडं) आदि की स्थापना की गई।

भारत की अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पर निर्भर है, देश की जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग गॉवों मे रहता है। वैसे तो इन लोगो का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है लेकिन एक बहुत बडा भाग ऐसा भी है जो भूमिहीन है। जहा तक कृषि की बात है वह अभी भी मानसून पर ही निर्भर है। अपने देश में कृषि जोत इतनी अनार्थिक है कि उन पर खेती करना मात्र श्रम और पूंजी का अपव्यय जैसा है। हमारे देश की कुल कृषि जोतों की लगभग ७३ प्रतिशत कृषि जोतें सीमांत एव लघु श्रेणी के अन्तर्गत आती

है, जिनमे कुल कृषि का २३ प्रतिशत भाग ही आता है। ऐसी परिस्थितियो मे कृषि के विकास के लिए अनेक कार्यक्रमो को आरम्भ किया गया है। उनमे कृषि वित्त समुचित की व्यवस्था करना एक प्रमुख कार्यक्रम है।

शिवरमण समिति की सस्तुति पर राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना का बिल दिसम्बर १९८१ मे ससद मे पेश किया गया था तथा १२ जुलाई १९८२ से इस बैंक ने विधिवत् कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। नाबार्ड अधिनियम के प्रस्तावना के अतर्गत इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य स्पष्ट किया कि गावो मे कृषि, कुटीर, ग्रामीण उद्योग, हैडीक्राफ्ट तथा सम्बन्धित आर्थिक क्रियाओ के विकास के लिए की गई है, ताकि गावो का एकीकृत विकास हो सके तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे सम्पन्नता आ सके।

नाबार्ड की स्थापना से पूर्व कृषि क्षेत्र मे शीर्ष बैंक का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक पर था। अब नाबार्ड एक शीर्ष सस्था हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि तथा अन्य आर्थिक क्रियाओ के लिए साख नीति, वित्त नियोजन तथा सम्बन्धित क्रियाओ से सम्बन्धित कार्य सम्पादित करता है। ग्रामीण क्षेत्रो मे विभिन्न विकास कार्यो के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने वाली सस्थाओ को वित्त उपलब्ध कराने के लिए यह बैंक शीर्ष सस्था के रूप मे कार्य करता है। इस बैंक द्वारा पुनर्वित्त सम्बन्धी सुविधाए राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान की जाती हैं जब कि वास्तविक लाभ व्यक्तियों, साझेदारी सस्थान, कम्पनिया, राज्य अधिकृत निगम तथा सहकारी समितियो को मिलता है। इस बैंक की वित्तीय सहायता का मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष लाभ कृषको को सर्वाधिक होता है क्योकि नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन साख की पूर्ति करके कृषि विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना है। नाबार्ड १६ क्षेत्रीय कार्यालय तथा उप कार्यालयों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में कृषि विकस से सम्बन्धित कार्य सम्पादित कर रहा है।

नाबार्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य अग्रांकित है :-

- ✓ कृषि के लिए अल्पकालीन, मध्यमकालीन एव दीर्घकालीन ऋण सहायता उपलब्ध करवाना।
- ✓ कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग के विकास मे सहयोग देना।
- ✓ गाँवो का एकीकृत विकास करना।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रो मे सम्पन्नता लाना है।

नाबार्ड की स्थापना के पश्चात् विभिन्नि देशो तथा अर्तराष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणो के साथ २७० करोड रूपये के ऋण समझौते किये गये। इन समझौतो की प्रमुख बात यह है कि छोटे किसानो के पक्ष मे ग्रामीण विकास कार्यों के लिए और छोटे तथा विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के उद्योगो के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। नाबार्ड ने विदेशी सहायता से ४४ से अधिक परियोजनाओ के कार्यान्वियन मे सहायता किया है। इनमे से १९ परियोजनाओ को अर्तराष्ट्रीय विकास सघ के विश्व बैंक से २२९ करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। दो परियोजनाओ को अर्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि से १६.०५ करोड रूपये तथा एक परियोजना के लिए पश्चिमी जर्मनी की एक साख कम्पनी से ७ २ करोड रूपये के ऋण स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त नाबाड़ के द्वारा विकास के लिए अल्पकालीन ऋण जो मूलत· मौसमी कृषि कार्यो के लिये, कमजोर वर्गो के लिए, छोटे किसानो के लिए रियायती वित्त, फसलो के विपणन के लिये तथा उर्वरको के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। नाबार्ड मध्यमकालीन ऋण विभिन्न राज्य सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैको तथा प्राकृतिक आपदाओ से ग्रस्त किसानो के अल्पकालीन कृषि ऋणो को मध्यावधि ऋणों मे स्थानान्तरित करने हेतु राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैको के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि में से प्रदान करता है। दीर्घकालीन ऋण राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण निधि में से प्रदान किया जाता है। ताकि वे सभी स्तरों पर सहकारी ऋण सस्थाओ अर्थात राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक समितियों, कृषक समितियों, बहुउद्देशीय समितियो, भूमि विकास

बैंको आदि की अशपूजी मे अभिदान कर सके, सहकारी ऋण सस्थाओ की शेयरपूजी मे अशदान के लिए १२ राज्य सरकारो को वर्ष २०००-२००१ के दौरान कुल ६७ ६८ करोड रूपये का दीर्घावधि ऋण मजूर किया गया है यह धनराशि पिछले वर्ष के दौरान १३ राज्यो को स्वीकृत रूपये ९१ ०७ करोड़ थी।[1]

नाबार्ड के द्वारा पप सेट लगाने, डीजल इजन लगाने, निर्यातोन्मुखी कृषि परियोजनाओ के लिए आवश्यक वित्त सहायहता उपलब्ध करायी गयी, वर्ष १९९४-९५ के दौरान उत्तम कृषि हेतु ६५ लाख कुन्तल बीज वितरित किये गये, जबकि १९९३-९४ के दौरान ६१ लाख कुन्तल वितरित किये गये थे, १९९४-९५ मे अधिक उपज देने वाले बीजो के अर्तगत शामिल क्षेत्र बढ़कर ७१ ३ मिलियन हेक्टेअर हो गया अर्थात १९९३-९४ के शामिल क्षेत्र से ७ प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसी प्रकार वर्ष १९९९–२००० के दौरान ९१ ० क्विटल प्रामाणित बीज वितरित किये गये, वर्ष २०००-२००१ के दौरान १०३ लाख क्विटल प्रामाणित बीज वितरित किये गये जिससे अधिक उत्तम किस्म की फसल होने का अनुमान किया जा रहा है।

पुनर्वित्त सहायता के अर्तगत लघु सिचाई, कृषि मशीनीकरण, भूमि विकास, बागान, मुर्गीपालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, डेरी विकास, भण्डारण, बाजार केन्द्र आदि को पर्याप्त ऋणनाबार्ड के द्वारा उपलब्ध कराया गया।

नाबाड़ं के द्वारा राज्य सहकारी बैंको, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, तथा अन्य ग्रमीण विकास से सम्बद्ध वित्तीय सस्थाओ का निरीक्षण एव पर्यवेक्षण भी के द्वारा किया जाता है। वर्ष १९९४-९५ के अर्तगत नाबार्ड ने १८१ मध्यवर्ती सहकारी बैंको, ९५ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, १५ राज्य सहकारी बैंको, ७ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और ४ शीर्ष समितियो का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट में गुणात्मक सुधार लाने पर अधिक बल दिया गया। इसी प्रकार वर्ष १९९५-९६ मे नाबार्ड ने १७५ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों, ९६ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, १२ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों तथा १२ शीर्ष सहकारी

समितियो का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार वर्ष १९९७-९८ म नाबार्ड के द्वारा ११ राज्य सहकारी बैंकों, १७९ मध्यवर्ती सहकारी बैंको, १०२ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का निरीक्षण कियागया इसके अतिरिक्त नाबार्ड ने स्वैच्छिक आधार पर १३ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको (एस सी ए आर डी बी) और शीर्ष समितियो का भी निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड ने ११ राज्य सहकारी बैको, ११ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको, १५३ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको, ९३ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और १० शीर्ष सस्थाओ का निरीक्षण किया और निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गयी और निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियो को दूर करने के सम्बन्ध मे बैंको का सूचित किया गया तथापि निरीक्षणो से यह पता चलता है कि इन बैंको के सुचारू रूप से कामकाज करने मे वित्तीय और कार्यप्रणाली सम्बन्धी कमजोरिया अभी भी बनी हुई है, प्रत्यक्ष निरीक्षण के अतिरिक्त पहचान किये गये सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ५९ अनुप्रर्वतन दौरे किये गये, नाबार्ड की आतरिक समिति के रूप मे नवम्बर १९९९ मे गठित पर्यवेक्षण बोर्ड (बी ओ एस) की वर्ष के दौरान २ बैठके हुई और उनमें बैंको के पर्यवेक्षण से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दो की समीक्षा की पर्यवेक्षण बोर्ड ने भारतीय रिजर्व बैंक को, जहॉ कहीं आवश्यक हुआ वहा निदानपरक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की और सम्बन्धित सहकारी बैंकों की अत्यन्त खराब वित्तीय स्थिति की जानकारी दी, इसमे से कुछ पहचान किये गये बैंकों को चेतावनी संकेत भी दिये गये।[2]

भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो के एकीकृत विकास के लिए एक विशिष्ट सस्था का निर्माण करके ग्रामीण वित्त उपलब्ध कराने मे आने वाली बाधाओ का हल निकाला है इसीलिए अब राज्य सहकारी बैंको, केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा वाणिज्यिक बैंको को ग्रामीण ऋण उपलब्ध कराने का कार्य नाबार्ड को सौंपा गया, नाबार्ड के द्वारा वर्ष १९९४-९५ में कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए विभिन्न सस्थाओं अर्थात सहकारी संस्थाओं, वाणिज्य बैंको तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रू० २१,११३ करोड का ऋण स्वीकृत किया गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना मे लगभग २८ प्रतिशत अधिक है । इसी प्रकार वर्ष

१९९६-९७ मे नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण वित्तीय सस्थाओ, सहकारी सस्थाओ, वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को रू० २२०३२ करोड़ की कुल ऋण सहाकयता प्रदान की गयी। इसी प्रकार वर्ष १९९८-९९ मे नाबार्ड के द्वारा विभिन्न वित्तीय सस्थओ को ३८,५०४ करोड रूपये का ऋण विभिन्न सस्थओ को स्वीकृत किया गया।[3]

तालिका-5-1

नाबार्ड के द्वारा वित्तीय संस्थाओं को स्वीकृत ऋण

31 मार्च 2001 तक (राशि करोड़ रूपये में)

	1993-94	1994-95	1996-97
	1998-99	1999-2000	2000-2001
नाबार्ड के द्वारा सहकारी सस्थाओ, वाणिज्यिक बैंको, क्षे०ग्रामीण बैंको को स्वीकृत ऋण	16494	21113	22032
	38054	41764	53504

विभिन्न वित्तीय सस्थाओ को ऋण उपलब्ध कराने का कार्य नाबार्ड को सौपा गया। कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के कार्यो को भी इस संस्था को हस्तातरित कर दिया गया, अतिदेय ऋणो के बारे मे नाबार्ड ने सम्बन्धित इकाइयों को आवश्यक आदेशों व उनके पालन का निर्देश दिया है। वर्तमान में इन सब सस्थाओ के निरीक्षण का दायित्व भी नाबार्ड पर है। नाबार्ड के द्वारा विभिन्न योजनाओ के अर्तगत राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक (रा०स०कृ०ग्रा०वि०बैंक) वाणिज्य बैंक, राज्य सहकारी बैंक

(रा०स०बैंक), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षे०ग्रा०बैंक), कृ०वि०वि० कम्पनियो को योजनाबद्ध तरीके से नाबार्ड के द्वारा ऋण वितरण किया गया जिसे हम निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते है -

तालिका-5-2

उ0प्र0 में वर्ष 2000-01 के दौरान नाबार्ड के द्वारा योजनाबद्ध ऋण वितरण और एजेंसीवार मंजूरी और संवितरण और 31 मार्च 2001 तक संचयी संवितरण

एजेंसी	योजनाओं की सं0	वित्तीय सहायता	नाबार्ड (राष्ट्रीय बैंक) की प्रतिबद्धता	वर्ष 2000-01 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2001 तक संचयी संवितरण
रा०स०कृ०ग्रा०वि०बैंक	02	60896	55044	50530	363638
वाणिज्य बैंक	87	34563	30005	26896	213343
रा०स०बैंक०	----	498	241	241	15998
क्षे०ग्रा० बैंक	02	16394	14939	14931	183225
कृ०वि०वि०कंपनियां	----	----	----	----	----

नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एव ग्रामीण क्षेत्रो का समन्वित विकास करना है, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नाबार्ड को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करने का कार्य करेगा अर्थात् विभिन्न वित्तीय सस्थाए जैसे- सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक आदि के द्वारा कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान किया जाता है तथा नाबार्ड के द्वारा इन वित्तीय सस्थाओ को ऋण प्रदान किया जाता है। इस प्रकार अब वित्तीय सस्थाए पर्याप्त रूप मे ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि कार्य हेतु सुविधा पूर्वक पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने मे समर्थ है।[4]

वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण ऋण -

विभिन्न वित्तीय सस्थाओ अर्थात् सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और वाणिज्य बैको द्वारा आधार स्तर पर कृषि और सम्बद्ध कार्यकलापो के लिए प्रदान किया गया कुल ऋण १९९१-९२ के ११,२०२ करोड रूपये से बढकर १९९५-९६ मे २२,०३२ करोड रूपये हो गया। इस प्रकार इस अवधि मे ९७ प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार वर्ष २०००-०१ के दौरान सवितरित कुल आधारस्तरीय ऋण रू० ५३,५०४ करोड रूपये रहा, जो वर्ष १९९९-२००० के दौरान सवितरित ४४,६१२ करोड़ रूपये से २० प्रतिशत अधिक रहा। कृषि और सम्बद्ध गतिविधियो के लिए पिछले कुछ वर्षो के दौरान सवितरित आधारस्तरीय ऋण का एजेसीवार सवितरण, वर्ष २०००-०१ तक और वर्ष २००१-०२ के पूर्वानुमान का विवरण निम्न तालिका मे दर्शाया गया है -[5]

तालिका-5-3

विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए आधार स्तरीय ऋण का संवितरण

(करोड रूपये में)

एजेन्सी/वर्ष	1991-92	1995-96	1997-98	1998-99
	1999-2000	2000-01	2001-02	
सहकारी सस्थाए	5800	10479	14085	15957
	18429	21909	27080	
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	596	1381	2040	2460
	3329	3807	4956	
वाणिज्य बैक	4806	10172	15831	18443
	22854	27788	34735	
योग	11202	22032	31956	36860
	44612	53504	66771	
पिछले वर्ष की तुलना मे वृद्धि दर (%)	------	18	21	15
	21	20	25	

कृषि और सम्बद्ध गतिविधियो के लिए वर्ष १९९७-९८ से २०००-०१ तक वितरित आधार स्तरीय ऋण का उप क्षेत्रावार विवरण निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है - [6]

तालिका-5-4

(करोड़ रूपये में)

गतिविधियां	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
I फसल ऋण (अल्पावधि उत्पादन ऋण)	20640	23903	28862	34700
II मीयादी ऋण (मध्यावधि + दीर्घावधि) निवेश ऋण -				
लघु सिचाई	1584	1790	2410	2877
भूमि विकास	173	217	322	384
फार्म मशीनीकरण	3566	3936	4046	4831
बागान और बागवानी	755	767	754	900

डेयरी, मुर्गीपालन और भेड़, बकरी, सुअर पालन	1763	1996	2177	2599
मत्स्य पालन	338	448	405	484
उच्च तकनीकी कृषि	1101	1339	1360	1624
टन्य	2036	2464	4276	5105
उप जोड़	***11316***	***12957***	***15750***	***18804***
कुल जोड़ (I+II)	***31956***	***36860***	***44612***	***53504***

नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त सहायता :-

आधार स्तर पर ऋण प्रवाह को बढाने मे नाबार्ड की पुनर्वित्त सहायता मे वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक रही, ३१ मार्च १९९७ को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, सहकारी बैंको, वाणिज्य बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको और राज्य सरकारो को दी गई पुनर्वित्त सहायता और ऋण की मात्रा पिछले वर्ष के ८,९८४ करोड रूपये की तुलना मे १०,४१९ करोड रूपये की नई ऊँचाई तक पहुँच गई, इस प्रकार इसमें १६ प्रतिशत की वृद्वि हुई, १९९६-९७ के दौरान नाबार्ड ने कुल ३,५२३ करोड रूपये के निवेश ऋण (मध्यावधि और दीर्घावधि ऋण) सवितरित किये जबकि, पिछले वर्ष ३,०६४ करोड रूपये के निवेश ऋण सवितरित किये गये थे, इस प्रकार इनमे १५ प्रतिशत की वृद्वि हुई ११९९६-९७ के दौरान ३,५२३ करोड़ रूपये के पुनर्वित्त सवितरण से लगभग १०,९६२ करोड रूपये के अनुमानित आधार स्तरीय सवितरण को सहायता की गई। इस तरह नाबार्ड द्वारा प्रदान किया गया निवेश पुनर्वित्त आधार स्तर पर दिये गए कुल ऋण का ३२ प्रतिशत रहा। वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को प्रदत्त पुनर्वित्त सहायता और राज्य सरकारो, गैर सरकारी सगठनो तथा अन्य एजेन्सियो को प्रदत्त ऋणो का कुल योग १६,४६१ करोड रूपये था, जो पिछले वर्ष के सवितरण १४१७८ करोड़ रूपये की तुलना मे १६ १ प्रतिशत अधिक रहा। वर्ष २०००-०१ के दौरान अलग-अलग राज्यो मे पुनर्वित्त का प्रवाह भिन्न-भिन्न रहा, नाबार्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश मे सर्वाधिक ९२५ ९८ करोड रूपये का पुनर्वित्त प्रदान किया गया, उसके बाद आध्रप्रदेश को ६१७ ०१ करोड रूपये, महाराष्ट्र को ६१५ ९७ करोड़ रूपये, तमिलनाडु को ४६४ ११ करोड रूपये, पजाब ४५१.३६ करोड रूपये, राजस्थान ४२३ १२ करोड़ रूपये, कर्नाटक ३९२ ३६ करोड़ रूपये, हरियाणा ३७४ ८९ करोड रूपये, मध्यप्रदेश ३५०.५९ करोड़ रूपये का पुनर्वित्त प्रदान किया गया, दक्षिण क्षेत्र के राज्यो को पुनर्वित्त का २७.८ प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया गया, उसके बाद उत्तरी क्षेत्र को पुनर्वित्त का २२ ४ प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया गया, मध्यवर्ती क्षेत्र प्रत्येक को पुनर्वित्त का २०.७ प्रतिशत प्रदान किया गया, पश्चिम क्षेत्र को

पुनर्वित्त का १५ ३ प्रतिशत और पूर्वी क्षेत्र के राज्यो को पुनर्वित्त का ११ ६ प्रतिशत प्रदान किया गया। वर्ष २०००-०१ के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को प्रदत्त सभी सवितरण का लगभग ५२ प्रतिशत उत्तर प्रदेश, आध्र प्रदेश, उडीसा, और कर्नाटक मे था। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंको को सवितरित पुनर्वित्त का लगभग ६४ प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश, पजाब, हरियाणा, आध्रप्रदेश, और राजस्थान मे उपयोग हुआ। पिछले वर्ष की तुलना मे वर्ष २०००-०१ के दौरान सवितरण की सर्वाधिक वृद्धि उत्तर प्रदेश मे १५२ ६५ करोड रूपया रही, इसके बाद आध्र प्रदेश मे ११९ ३० करोड रूपया, महाराष्ट्र मे ११७ ३९ करोड रूपया, तथा मध्य प्रदेश मे १०८ ५७ करोड रूपये का स्थान रहा। नाबार्ड द्वारा वर्ष २०००-०१ के दौरान सवितरित कुल पुनर्वित्त का एजेसीवार सवितरण निम्न तालिका मे प्रदर्शित किया गया है, इस पुनर्वित्त राशि मे सर्वाधिक हिस्सा (३८ प्रतिशत) राज्य सहकारी कृषि ग्राम्य विकास बैंको ने प्राप्त किया, इसके बाद वाणिज्य बैंको ने ३६ प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को १४ प्रतिशत और राज्य सहकारी बैंको को १२ प्रतिशत प्राप्त हुआ।[7]

तालिका-5-5

नाबार्ड द्वारा संवितरित एजेंसीवार पुनर्वित्त

(करोड रूपये में)

एजेन्सी	1999-2000		2000-01		
	सवितरण	% हिस्सा	सवितरण	% हिस्सा	% परिवर्तन
रा०स०कृ०ग्रा०वि० बैक	2345	45	2340	38	(-) 0 2
रा०स० बैंक	540	10	723	12	33 8
क्षे०ग्रा० बैंकं	776	15	868	14	11.8
वाणिज्य बैंक	1547	30	2201	36	42 3
ए०डी०एफ०सी०	07	*	03	*	(-) 57 1

प्रा०स० बैंक	-----	-----	23	*	-----
कुल	*5215*	*100*	*6158*	*100*	*18*

नोट :- (* = नगण्य)

नाबार्ड द्वारा अल्पावधि ऋण -

नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंको, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको एव ग्रामीण बैंको को अल्पावधि परिचालन हेतु अल्पावधि ऋण स्वीकृत किए जाते है, वर्ष १९९६-९७ के दौरान मौसमी कृषि परिचालन के लिए राज्य सहकारी बैंको को कुल ५,२६५ करोड रूपये की ऋण सीमाए मजूर की गयीं जो कि १९९-९६ मे मजूर की गई ४,७५० करोड रूपये की ऋण सीमा की मजूरी मे हुई इस वृद्धि का श्रेय ९ राज्य सहकारी बैकों को जाता है। मध्य क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) के राज्य सहकारी बैंकों को १९९६-९७ के दौरान, पिछले वर्ष मजूर १,३०१ करोड रूपये से कम कुल १,२८० करोड़ रूपये (२५ प्रतिशत) की ऋण सीमायें मजूर की गई। वर्ष १९९९-२००० के दौरान २८३ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंको के लिए मजूर ६,०९४ ५१ करोड रूपये की तुलना मे वर्ष २०००-०१ के दौरान २६३ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैको के लिए १७ राज्य सहकारी बैंको को कुल ६,३९९ ९२ करोड़ की अल्पावधि ऋण सीमा मजूर की गयी, वर्ष २०००-०१ के दौरान राज्य सहकारी बैंको की सामूहिक अधिकतम बकाया राशि ५१३४ २६ करोड रूपये तक पहुच गयी जो उनको पिछले वर्ष मजूर ऋण सीमा के ८१ प्रतिशत की तुलना में वर्ष मे ७६ प्रतिशत है। वर्ष २०००-०१ के दौरान मौसमी कृषि परिचालनो के लिए १६० क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को १,११४ ४१ करोड़ रूपये की अल्पावधि ऋण सीमा मजूर की गई, वर्ष २०००-०१ के दौरान अल्पावधि से इतर प्रयोजनों हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को मजूर कुल राशि १९७ ९२ करोड़ रूपया रही। बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्ष में अल्पावधि (मौसमी कृषि परिचालन) ऋणो को मध्यावधि ऋण सीमा में परिवर्तित किया गया। जिसका प्रभाव मुख्यतया आंध्रप्रदेश, गुजरात, उडीसा और राजस्थान राज्यों पर पड़ा।

नाबार्ड द्वारा मध्यावधि ऋण :-

वर्ष १९९५-९६ के दौरान कृषि सम्बन्धी निवेश ऋण को अधिकाधिक रूप से योजनाबद्ध ऋण वितरण के अर्तगत लाने की नाबार्ड की नीति को ध्यान मे रखते हुए राज्य सहकारी बैको को उनमे छिट-पुट मध्यावधि वित्तपोषण को सहायता देने हेतु मजूर की गई ऋण सीमाओ मे कमी जारी रही, ५ राज्य सहकारी बैंको को मध्यावधि परिचालन के लिए कुल ६ ०७ करोड रूपये की सीमाए मजूर की गई तथा इनके समक्ष २७ प्रतिशत का आहरण किया गया ५८ क्षेत्रीय ग्रामीण बैको को कृषि सम्बन्धित गतिविधियो तथादस्तकारो के वित्त पोषण के प्रयोजन में मजूर मध्यावधि ऋण सीमाए कुल ५० ११ करोड रूपया रही तथा इनके समक्ष ३३ ६५ करोड रूपये का आहरण हुआ जो सीमाओ का ६७ १ प्रतिशत था। वर्ष २०००-०१ के दौरान राज्य सहकारी बैंको के मध्यावधि अनियोजित ऋण के सहायतार्थ मजूर ऋण सीमा इस बार भी कम रही, योजनाए स्थापित करने की दिशा मे बैंको को प्रोत्साहित करने की नाबार्ड की अपनी नीति और कृषि मे निवेश के लिए योजनाबद्ध पुनर्वित्त के वित्तपोषण की व्यवस्था के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है, वर्ष २०००-०१ मे राज्य सहकारी बैंक और ७ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को मजूर ऋण सीमाए क्रमश ० १० करोड तथा ६ ७५ करोड रूपया रही, ऋण सीमा का उपयोग क्रमश ५० प्रतिशत और ९६ प्रतिशत रहा।

नाबार्ड द्वारा राज्य सरकारों को दीर्घावधि ऋणः-

नाबार्ड सहकारी ऋण सस्थाओ की अशपूजी मे अंशदान के लिए राज्य सरकारो को कुछ शर्तो के अधीन दीर्धावधि ऋण प्रदान करता है। वर्ष १९९५-९६ मे १२ राज्य सरकारों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओ (वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, तथा अन्य सहकारी सस्थाओं) की अश पूंजी मे अंशदान करने हेतु कुल १०० १४ करोड़ रूपया का दीर्घावधि ऋण (१९९४-९५ के ७३.०३ करोड़ रूपये की तुलना में) नाबार्ड द्वारा स्वीकृति किया गया। इसी प्रकार

वर्ष २०००-०१ के दौरान १२ राज्य सरकारो को विभिन्न वित्तीय सस्थाओ की अशपूजी मे अशदान करने हेतु नाबार्ड द्वारा ६७ ६८ करोड रूपये का दीर्घावधि ऋण (१९९९-२००० मे १३ राज्यो को स्वीकृत ९१ ०७ करोड रूपये की तुलना मे) स्वीकृत किया गया।[8]

लघु सिचाई, कृषि मशीनीकरण, बागान बागवानी, पशुपालन तथा भेड बकरी सुअर पालन हेतु नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त

लघु सिंचाई :-

नाबार्ड के द्वारा विभिन्न वित्तीय सस्थाओ को लघुसिचाई, कृषि-मशीनीकरण, बागानबागवानी, पशुपालन, तथा भेड, बकरी, सुअर पालन हेतु पुनर्वित्त स्वीकृति किया जाता है। वर्ष १९९५-९६ के दौरान लघु सिचाई, जिसमे वृ०रा० कार्यक्रम और ग्राम विकास निगम भी शामिल है, का हिस्सा कुल सवितरण के २० प्रतिशत पर स्थिर रहा। राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको द्वारा इस क्षेत्र के अर्तगत सबसे ज्यादा आहरण लिया जाता रहा और सवितरण का सकेद्रण प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक, और आध्रप्रदेश राज्यों मे रहा। वर्ष १९९९-२००० के दौरान लघु सिचाई के अतर्गत कुल सवितरण ६१८ करोड़ रूपये तक पहुँचगए जो कि कुल सवितरणो का १२ प्रतिशत रहा सवितरणो मे लगभग १४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष २०००-०१ दौरान लघु सिचाई के अतर्गत कुल संवितरण (एस जी एस वाई के अर्तगत किए गए सवितरण को छोड़कर) ६२६ ०७ करोड़ रूपये तक पहुँच गये, जो कुल सवितरणो के १० १७ प्रतिशत रहे। सवितरणो में पिछले वर्ष की तुलना मे लगभग ०१ ३३ प्रतिशत की वृद्धि हुई। संवितरण मुख्यतया महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा राज्यों में केन्द्रित रहे, राजेसियो में राज्य कृषि ग्रामीण विकास बैंकों ने इस क्षेत्र मे सर्वाधिक हिस्सा लेना जारी रखा।

कृषि मशीनीकरण :-

नाबार्ड के द्वारा कृषि मशीनीकरण हेतु पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। वर्ष १९९५-९६ मे कृषि मशीनीकरण का हिस्सा कुल सवितरण का २३ प्रतिशत पर स्थिर रहा। एजेन्सियो मे राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंको ने ५५ प्रतिशत प्राप्त किया, उसके पश्चात् वाणिज्य बैंको (२७ प्रतिशत) का स्थान रहा। सात राज्यो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पजाब, हरियाण और महाराष्ट्र ने कुल सवितरण का ७२ प्रतिशत प्राप्त किया। वर्ष १९९९-२००० मे कृषि यत्रीकरण के लिए कुल सवितरण का ३३ प्रतिशत शेयर दिया गया, इसमे राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक ने ४२ प्रतिशत का दावा किया। पॉच राज्यो - उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, एव पजाब ने कुल सवितरण का ६० प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान कुल सवितरण मे कृषि मशीनीकरण का हिस्सा ३० ९ प्रतिशत रहा, कृषि मशीनीकरण के अर्तगत किए गए कुल सवितरणों मे से वाणिज्य बैंको ने सर्वाधिक ४४ १ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया। तीन राज्यो - उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और राजस्थान ने कुल सवितरण का ४६ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया।

बागान एवं बागवानी :-

वर्ष १९९५-९६ के दौरान कुल १३८ करोड रूपये के सवितरण मे से राज्य सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैंको को सबसे अधिक अर्थात ४७ प्रतिशत तथा उसके बाद वाणिज्य बैंको को ४३ प्रतिशत प्राप्त हुआ। वर्ष १९९९-२००० के दौरान राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक काफी बडे पैमाने पर बागान और बागवानी की गतिविधियो मे निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। १९५ ४२ करोड़ रूपये के कुल संवितरणों में से राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों ने ७० प्रतिशत प्राप्त किये। राज्यो की दृष्टि से इस क्षेत्र के अंर्तगत कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, एवं महाराष्ट्र ने प्रमुख हिस्सा प्राप्त किया। वर्ष २०००-०१ के दौरान बागान और बागवानी की गतिविधियों में निवेश के लिए संवितरित

पुनर्वित्त का ५३ प्रतिशत हिस्सा राज्य सहकारी कृषि ग्राम्य विकास बैंको ने प्राप्त किया, इसके बाद २२ प्रतिशत (प्रत्येक के साथ) वाणिज्य बैंको और राज्य सहकारी बैंको का स्थान रहा, राज्यो मे कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश ने इस क्षेत्र मे बडा हिस्सा प्राप्त किया।

पशुपालन :-

नाबार्ड के द्वारा डेरी विकास के अतर्गत वर्ष १९९५-१९९६ मे किये गये सवितरणो मे पिछले वर्ष की तुलना मे १२ करोड रूपये की वृद्धि हुई और इस प्रकार ७ प्रतिशत की मध्यम वृद्धि दर्ज की गई, इस क्षेत्र के अतर्गत सवितरणो का बडा हिस्सा राज्य सहकारी कृषि ग्राम्य विकास बैंको ने प्राप्त किया, इस क्षेत्र के अतर्गत अधिकाश सवितरण पजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा मे हुआ। वर्ष १९९९-२००० के अतर्गत ५८१ करोड रूपये के सवितरण हुए जो कि वर्ष के कुल सवितरणो का ११ प्रतिशत रहे, इस क्षेत्र के अतर्गत दिये गये सवितरण का अधिकाश हिस्सा राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंको ने प्राप्त किया, इस क्षेत्र के अतर्गत ज्यादातर सवितरण पजाब, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, और महाराष्ट्र मे हुए जो कि पिछले वर्ष के सवितरण ५८११४ करोड रूपये से काफी अधिक था। वर्ष २०००-२००१ मे इस क्षेत्र में किया गया सवितरण कुल सवितरणो का १२ ४९ प्रतिशत रहा। इस क्षेत्र के सवितरण का सर्वाधिक हिस्सा ६६ १ प्रतिशत राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको ने प्राप्त किया, इस क्षेत्र के अतर्गत ज्यादातर संवितरण पजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में हुए।

मुर्गी, भेड़, बकरी, सूअर पालन :-

नाबार्ड द्वारा वर्ष १९९५-९६ के दौरान मुर्गी, भेड़, बकरी, सूअर पालन के सवितरणों में पिछले वर्ष की तुलना में २५ करोड़ रूपये की वृद्धि दर्ज की गयी। इस क्षेत्र के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और पजाब ने सवितरणो का प्रमुख भाग प्राप्त किया, एजेन्सियों में इस क्षेत्र

के अतर्गत वाणिज्य बैंको और राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंको दोनो ने मिलकर सवितरणो का ९४ प्रतिशत प्राप्त किया। वर्ष १९९९-२००० के दौरान १०७ करोड रूपये का सवितरण किया गया जो कि पिछले वर्ष किये गये सवितरण १०९ करोड रूपये से २ करोड रूपये कम था। मुर्गीपालन के अतर्गत वर्ष के दौरान १११ करोड रूपये का ही सवितरण किया गया जबकि पिछले वर्ष ११८ करोड रूपया सवितरण किया गया था। वर्ष २०००-२००१ के दौरान इस क्षेत्र मे ११७ करोड रूपये का सवितरण किया गया जो कि पिछले वर्ष की तुलना मे ९ ३३ करोड रूपये अधिक था। इस क्षेत्र के अतर्गत सर्वाधिक हिस्सा आध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने प्राप्त किया। मुर्गीपालन के अतर्गत सवितरण वर्ष १९९९-२००० के ११० ८४ करोड रूपये से घटकर ७० ७४ करोड रूपये रह गये।[9]

तालिका-5-6

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान नाबार्ड द्वारा संवितरणों (प्रयोजनवार) की तुलनात्मक स्थिति

(करोड रूपये मे)

प्रयोजन	1999-2000		2000-2001		वृद्धि (%)
	राशि	हिस्सा (%)	राशि	हिस्सा (%)	(%)
लघु सिचाई	618	11 9	626	10.2	1 3
भूमि विकास	75	1 4	106	1 7	41 3
कृषि मशीनीकरण	1705	32 7	1900	30 8	11.4
बागान/बागवानी	195	3 7	247	4	26 7
मुर्गीपालन	111	2 1	71	1 2	36 (-)
भेड़, बकरी, सुअर पालन	107	2 1	117	1.9	9.3
मत्स्य पालन	27	0 5	34	0 6	25.9

डेरी विकास	581	11 1	769	12 5	32 3
वानिकी	12	0 2	13	0 2	8 3
भण्डारण/मार्केट यार्ड	15	0 3	101	1 6	573 3
एस०जी०एस०वाई०	590	11 3	642	10 4	8 8
कृषीतर क्षेत्र	837	16 1	1022	16 6	22 1
एस०सी/एस०टी०एपी०	109	2 1	100	1 6	8 2 (-)
स्व०स० समूह	98	1 9	251	4 1	156 1
अन्य	135	2 6	159	2 6	17 7
	5215	***100***	***6158***	***100***	***18.1***

छाटे किसानों की सहायता :-

नाबार्ड अपने पुनर्वित्त कार्यक्रम के तहत छोटे किसानो को अधिकाधिक सख्या मे शामिल करने पर बल देता रहा है। वर्ष १९९९-२००० के दौरान नाबार्ड द्वारा प्रदान किये गये निवेश ऋण, पुनर्वित्त का ६८ प्रतिशत, छोटे किसानों को सहायता के लिए वितरित ऋणो के समक्ष दिया गया। यह कृषि मशीनीकरण और सस्थाओ को दिये गये ऋणो से सम्बन्धित पुनर्वित्त के अतिरिक्त रहा। इसी प्रकार वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्वित्त का ६८ प्रतिशत (कृषि मशीनीकरण और सस्थाओ को दिये गये ऋणो से सम्बन्धित पुनर्वित्त को छोडकर) लघु कृषको को सवितरित ऋणो के लिए दिया गया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड द्वारा लघु कृषको को उपलब्ध करवाये गये पुनर्वित्त को हम निम्न तालिका द्वारा स्पष्ट कर सकते है .- [10]

तालिका-5-7

2000-01 के दौरान लघु कृषकों को ऋण के समक्ष संवितरित पुनर्वित्त

प्रयोजन	कुल संवितरण	लघु कृषकों को ऋण के समझ पुनर्वित्त	3 का 2 से प्रतिशत	लघु कृषकों के खातों की संख्या
लघु सिचाई और भूमि विकास	730	384	53	04
विविधीकृत प्रयोजन	2831	2028	72	42
कुल	***3561***	***2412***	***68***	***46***

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि · (ग्रा.आ.सु.वि. निधि) :

Rural Infrastructure Development Fund (R.I.D.F)

वर्ष १९९५-१९९६ में नाबार्ड मे ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि स्थापित की गई थी जिसमे वर्ष २०००-२००१ मे इस निधि के चरण ४ के लिए आवटित बढ़ी हुई राशि ४५०० करोड रूपये प्राप्त हुए, इसे मिलाते हुए इस निधि मे छ चरणो मे किये गये कुल आवंटन १८००० करोड रूपये के हो गये। इस व्यवस्था के अनुसार नाबार्ड को ये अशदान भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंको से उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मे उधारों मे रही कमी की एवज मे प्राप्त होते हैं। इस निधि का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास की परियोजनाओ को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। वर्ष १९९९-२००० से इसे और विस्तारित करते हुए, इसमें पंचायती राज सस्थाओं, स्व.स समूहों, गैर सरकारी सगठनो इत्यादि जैसी आधार स्तर की सस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की

जा रही परियोजनाओ को भी शामिल कर लिया गया है। यह नीति वर्ष २०००-०१ के दौरान भी जारी रही। वर्ष २००१-२००२ के केन्द्रीय बजट मे उक्त निधि के चरण ७ के लिए ५००० करोड रूपये के आवटन की घोषणा की गई है।

राज्य सरकारो अथवा स्थानीय पचायतीराज सस्थाओ, स्वय सहायता समूहो, गैर सरकारी सगठनो इत्यादि द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओ के लिए ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि ६ के अतर्गत, राज्य सरकारो को ऋण मोटे तौर पर उन्ही शर्तो पर स्वीकृत किये जाते रहे है जो पिछले वर्ष आर आई डी एफ परियोजनाओ के लिए लागू थी, किन्तु राज्य सरकारो को दिये जाने वाले ऋणो पर ब्याज की दरो को १२ प्रतिशत से घटाकर ११ ५ प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया।

ग्रामीण क्षेत्रो मे आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण सडको और पुलो के निर्माण तथा सिचाई परियोजनाओ को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अतर्गत प्राथमिकता दी जाती रही। वर्ष के दौरान अन्य प्रयोजनो मे मृदा सस्त्राण, वाटरशेड विकास, जल निकासी व्यवस्था, ग्रामीण मडी स्थल, वन प्रबन्धन, अन्तर्देशीय जल मार्गो, ग्रामीण पेयजल, नागरिक सूचना केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो और प्राथमिक विद्यालयो के लिए भवन, फूड पार्को, प्रणालियो मे सुधार इत्यादि को शामिल किया गया है। जम्मू-कश्मीर और केरल जैसे कुछ राज्यो की विशिष्ट आवश्यकताओ को ध्यान मे रखते हुए अतर्देशीय जलमार्गो और ग्रामीण मडी स्थलो को भी इसमे शामिल किया गया। मछली पकडने के घाटो और गोदामो के निर्माण जैसी अन्य बुनियादी आवश्यकताओ को भी ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि से ऋणो के लिए पात्र माना गया है। पहले के चरणों मे शामिल किये गये कार्यकलापो के अलावा ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि ६ के अतर्गत बिजली के क्षेत्र मे छोटी पन बिजली योजनाओ और प्रणाली विकास परियोजनाओ तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र इत्यादि के अंतर्गत नागरिक सूचना केन्द्रो को भी शामिल किया गया है।

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अतर्गत ३१ मार्च २००१ तक संस्वीकृत और सवितरित की गई राशि का ब्यौरा निम्न तालिका मे दिया गया है। वर्ष २०००-२००१ के दौरान मजूर की गई ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि की कुछ परियोजनाओ की लागत राशि मे हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए कुछ राज्य सरकारो को मजूर की गई अतिरिक्त राशि भी इनमे शामिल है।

तालिका-5-8

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के विभिन्न चरणों के अंतर्गत मंजूर की गई और संवितरित संचयी राशि (31 मार्च 2001 की स्थिति)

आर.आई.डी एफ. चरण	निधि राशि	परियोजनाओ की सख्या	स्वीकृत राशि	31-03-2001 तक चरणबद्ध राशि
	31-03-2001 तक सवितरित राशि	सवितरिणो का प्रतिशत स्वीकृत	संवितरिणो का प्रतिशत चरणबद्ध	
आर आई डी.एफ एफ १	2000	4167	1898 64	1898 64
	1742 45	91 8	91 8	
आर आई.डी.एफ. एफ २	2500	8187	2588 78	2588 78
	2092 41	80 8	80 3	
आर.आई.डी एफ एफ ३	2500	14382	2665 34	2665 34
	1885 14	70 7	70 7	
आर.आई.डी.एफ. एफ ४	3000	6274	3119 86	3119.86
	1382.22	44.3	44.3	

आर आई डी एफ एफ ५	3500	118197	3639 34	2763 44
	1189 44	32 7	43 0	
आर आई डी एफ. एफ ६	4500	39032	4632 67	1328 37
	959 63	20 7	72 2	
जोड़	***1800***	***190239***	***18544.63***	***14364.43***
	9251.29	***49.9***	***64.4***	

आर आई.डी एफ १ के अंतर्गत परियोजनाओं के पूरा होने की प्रगति को ध्यान मे रखते हुए, कार्यान्वियन की अवधि को ३१ दिसम्बर २००० तक बढ़ा दिया गया था। इसी प्रकार आर आई डी एफ २ और ३ परियोजनाओ के पूरा हाने की अवधि को ३१ मार्च २००१ तक बढ़ा दिया गया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान आर आई डी एफ. ६ के अंतर्गत ३९०३२ परियोजनाओ के लिए ४६३२ ६७ करोड़ रूपये के ऋण मजूर किये गये, मंजूर की गई परियोजनाओ की संख्या के अनुसार आर.आई डी.एफ ६ के अतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में सिचाई परियोजनाओ का प्रतिशत ६७ २ था तथापि स्वीकृत की गई ऋण की राशि के हिसाब से ग्रामीण सड़कों तथा पुलों का प्रतिशत ५७ २ था तथा इसके बाद २६ ८ प्रतिशत पर सिचाई क्षेत्र रहा। [11]

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बैंकिंग कार्मिकों का प्रशिक्षण :-

नाबार्ड अपनी विकासात्मक भूमिका के तौर पर सहयोगी बैंकों के कार्मिको को प्रशिक्षण देता है। नाबार्ड के बोलपुर और मगलूर क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (आर टी सी) राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंको के कनिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रो, राज्य सहकारी बैंको के कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण सस्थानो (ए सी एस टी आई) मैनपावर डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट इस्टीट्यूट शिलाग, कृषि बैंकिग महाविद्यालय पूणे और बैंकर ग्रामीण विकास सस्थान (बर्ड) लखनऊ के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण सस्थानो जैसे नेशनल सेटर फार मैनेजमेन्ट डेवलपमेट इन एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेट बैंकिग (एन सी एम डी ए आर डी बी) बगलूर के चयनित कार्यक्रमो मे भी वित्तीय सहायता दी और एन ई.आई बी एम गुवाहाटी को स्पान्सशिप अशदान भी उपलब्ध कराया।

नाबार्ड के कुछ प्रमुख प्रशिक्षण सस्थान निम्नवत हैं -

बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) लखनऊ :-

बर्ड के कार्यकलापों का केन्द्र बिन्दु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको का पुनरूद्धार एव प्रशिक्षण, परामर्श और अनुसधान के माध्यम से सहकारी ऋण प्रणाली को सुदृढ़ करना रहा है। वर्ष २०००-२००१ के दौरान बर्ड ने १४० इन हाऊस कार्यक्रम चलाये जिनमें २५८० सहभागियो ने हिस्सा लिया। बर्ड द्वारा चलाये गये कार्यक्रमो मे अप्राका और सिक्टैब और बाग्लादेश और इसराइल के परिचयात्मक दौरे, डी बी. एम एस प्राग्रामिंग, वाणिज्य बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैको के लिए, टर्न अराउन्ड स्ट्रैटजी, आस्ति और देयता प्रबधन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियो के लिए औरियेण्टेशन, क्रेडिट प्लस एप्रोच पर अप्राका कार्यक्रम जैसे नये कार्यक्रमो को बर्ड ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान बर्ड, लखनऊ को २२९ .१३ लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय (आर.टी.सी.) :-

बोलपुर और मंगलूर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों ने सहभागी बैंकों के मध्यम और कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम जारी रखा। वर्ष २०००-२००१ के दौरान क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय बोलपुर ने ५३ प्रशिक्षण कार्यक्रम (इन हाउस और आन लोकेशन दोनों) चलाए, जिनमें पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के १४३२ प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। इसी प्रकार क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय मंगलूर ने कुल ४८ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए, जिनमें दक्षिणी क्षेत्र के सहभागी बैंकों के १२२६ सहभागियों ने हिस्सा लिया, चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विवेकपूर्ण मानदंड, निधि प्रबंधन, ग्रामीण उद्योगों को वित्त पोषण, अनुत्पादक आस्तियां और वसूली प्रबंधन, स्वयं सहायता समूह, आंतरिक नियंत्रण और सतर्कता, ऋण मूल्यांकन, कार्यशील पूंजी इत्यादि से सम्बन्धित विषय शामिल थे। ग्राहक बैंकों के स्टाफ के प्रशिक्षण पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा २१४.२९ लाख रूपये व्यय किये गयें।

अन्य संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता :-

नाबार्ड के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय पुणे (५५.७२ लाख रूपये) द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के सहभागियों के लिए चलाए गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और एन सी एम डी ए आर डी बी बेगंलूर (७.३७ लाख रूपये) के कुछ चुने हुए कार्यकमों के लिए वित्तीय सहायता देना जारी रखा।

सहकारी बैंकों के कार्मिकों का प्रशिक्षण :-

नाबार्ड ने राज्य सहकारी बैंकों के प्रशिक्षण संस्थानों को अर्थात् राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के कनिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों और राज्य सहकारी बैंकों के, "कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थानों" को अपने कार्मिको को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता दिया जाना जारी रखा। सहकारी बैंकों की प्रशिक्षण संस्थाओं को नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कनिष्ठ स्तरीय

प्रशिक्षण केन्द्र के मामले मे प्रशिक्षण व्यय का ८० प्रतिशत, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण सस्थान के मामले मे ६० प्रतिशत और आध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और राजस्थान इस्टीट्यूट आफ कोआपरेटिव एज्यूकेशन एण्ड मैनेजमेन्ट (रिसेम) जैसे एकीकृत ढाचो के प्रशिक्षण सस्थाओ के लिए ७५ प्रतिशत आवर्ती व्ययो की प्रतिपूर्ति के रूप मे सहायता उपलब्ध कराई गई। वर्ष २०००-२००१ के दौरान सहकारी विकास निधि से कनिष्ठ स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र/कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण सस्थान इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग इस्टीट्यूट को २ ५५ करोड रूपये की वित्तीय सहायता दी गई। सहकारी बैंकों को प्रशिक्षण सस्थानो के नव नियुक्त प्रधानाचार्यों और सकाय सदस्यो के लिए नाबार्ड द्वारा बर्ड/क्षेत्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालयो मे परिचय प्रशिक्षण निरतर दिया जा रहा है। [12]

नाबार्ड द्वारा बैंकों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण :-

बैंककारी विनियमन अधिनियम १९४९ के अर्तगत राज्य सहकारी बैंको (रा स बैंक) जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (जिमस बैंक) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (क्षे ग्रा बैंक) के आवधिक स्वैच्छिक निरीक्षणो की साविधिक जिम्मेदारी नाबार्ड को सौपी गई है। इसके अलावा नाबार्ड राज्य स्तर की सहकारी सस्थाओ जैसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (रा स कृ ग्र वि. बैंक), शीर्ष बुनकर सहकारी समितियो, राज्य सहकारी विपणन सघो इत्यादि का आवधिक स्वैच्छिक निरीक्षण भी करता है। इन निरीक्षणो का बुनियादी उद्देश्य जमाकर्ताओ के हितो की सुरक्षा करने के लिए बैंकों की वित्तीय और प्रबन्धकीय क्षमताओ की जांच करना तो है ही साथ ही कानूनो और विनियमनों के अनुरूप सुदृढ बैंकिग प्रणाली को बनाए रखना भी इनका उद्देश्य है। बैंकों और दूसरी सस्थाओ के प्रत्यक्ष निरीक्षण मे नाबार्ड ने कैमक्ससी पद्धति को अपनाना जारी रखा, तथापि नाबार्ड की पर्यवेक्षण सम्बन्धी चिता सिर्फ नेमी आवधिक साविधिक निरीक्षणों तक ही सीमित नहीं है, बैंकों को दी जा रही अधिक प्रबन्धकीय स्वतत्रता के फलस्वरूप पर्यवेक्षण प्रणाली बदलती जरूरतों के अनुरूप पुनरभिमुखीकृत करने की आवश्यकता थी। इस सम्बन्ध में नाबार्ड ने

१९९८-८९ के दौरान परोक्ष निगरानी प्रणाली के रूप मे एक पूरक प्रणाली शुरू की थी, इस प्रणाली के अतर्गत बैंकों के वित्तीय निष्पादन और उनकी सुदृढता का निरतर आधार पर अनुप्रवर्तन करने के लिए बैंको से निर्धारित आवधिक विवरणियो के सेट प्राप्त किये गये थे जहा कहीं आवश्यक हुआ, वहा पहले से ही चेतावनी सकेत दिये गये, कमजोर बैंको की पहचान की गई और उनका दौरा किया गया तथा उन्हे सुधार के उचित उपाय करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। वर्ष २०००-२००१ के दौरान, कम्प्यूटरीकृत आकडे निर्माण और ससाधन की प्रणाली को और सुदृढ बनाने के लिए प्रयास जारी रहे। विभिन्न राज्य सरकारो ने उन लेखा परीक्षा विभागो के साथ समय समय पर विचार विमर्श किया। जो सहकारी बैंको और सस्थाओ की लेखा परीक्षा करते हैं। ऐसे आवधिक विचार विमर्श लेखा परीक्षा और साविधिक निरीक्षणो के विस्तृत क्रियाकलापो मे केन्द्राभिमुखता लाने के उद्देश्य से किये गये। परिचालन सम्बन्धी मुद्दो को सुलझाने और साथ ही लेखाकन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदण्डो से सम्बन्धित नवीनतम नीतियो और कार्यविधियों का प्रसार करने के लिए राज्य स्तर पर सगोष्ठिया और सम्मेलन भी आयोजित किये गये। बैंको में जोखिम और जोखिम प्रबन्ध प्रणालियो के विश्लेषण पर अधिक जोर देते हुए नाबार्ड ने प्रत्यक्ष निरीक्षण सम्बन्धी मार्गनिर्देशो की पुन· समीक्षा की और उनमें सशोधन किये।

पर्यवेक्षण बोर्ड : (बी. ओ. एस.) :-

नाबार्ड की एक आतरिक समिति के रूप मे नवम्बर १९९९ में पर्यवेक्षण बोर्ड (रा स बैक, जिमस बैंकों और क्षे.ग्रा बैंकों के लिए) की स्थापना की गई। वर्ष २०००-२००१ के दौरान इसकी दो बैंठके हुई, इन बैठकों में बोर्ड ने निम्नलिखित की समीक्षा की -

- ❖ ऐसे कमजोर सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति, जिनकी ह्रासित आस्तियां उनकी जमा राशियो के ५० प्रतिशत या उससे अधिक क्षीण हुई।
- ❖ कर्नाटक और राजस्थान मे सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली।

- ❖ शीर्ष बैंको के निरीक्षण के निष्कर्ष।
- ❖ बैंको को पर्यवेक्षण सम्बन्धी रेटिंग का प्रकटीकरण।
- ❖ सिडिकेट बैंक, केनरा बैंक, कार्पोरेशन बैंक और विजया बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की कार्यप्रणाली।
- ❖ ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के निरीक्षण के निष्कर्ष जिनकी जमा राशियों मे पचीस प्रतिशत या उससे अधिक की कमी हुई।
- ❖ बैंगलूर जिमस बैंक के निरीक्षण के निष्कर्ष।
- ❖ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पुर्नवास के लिए पैकेज उपाय और उनका प्रभाव।

पर्यवेक्षण बोर्ड ने जहाँ आवश्यक था, भारतीय रिजर्व बैंक को उपाय करने की सिफारिश की और सम्बन्धित राज्य सरकारो को उनके राज्यो मे सहकारी बैंको की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत कराया और ऐसे खराब बैंको के रूप में पहचाने गए बैंको के लिए आवश्यक चेतावनी सकेत जारी किये गये।

पर्यवेक्षण बोर्ड में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया -

- ✓ पर्यवेक्षण बोर्ड का अध्यक्ष - अध्यक्ष, नाबार्ड
- ✓ बोर्ड के सदस्य - प्रबन्ध निदेशक नाबार्ड
- ✓ बोर्ड के सदस्य - ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रभारी कार्यपालक निदेशक।
- ✓ बोर्ड के सदस्य - एक सनदी लेखाकार (नामित)
- ✓ बोर्ड के सदस्य - सहकारी बैंकिंग का एक विशेषज्ञ अथवा, एक ख्यातिप्राप्त को आपरेटर (नामित)
- ✓ बोर्ड के सदस्य - एक अनुभव प्राप्त वाणिज्यिक बैकर (नामित)

✓ सदस्य सचिव - पर्यवेक्षण विभाग, नाबार्ड के प्रभारी कार्यपालक निदेशक ।

सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विवेक पूर्ण मानदण्डों का कार्यान्वयन :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के लिए विवेकपूर्ण लेखाकन मानदण्डो को और सुदृढ बनाया गया। ये मानदण्ड ३१ मार्च २००१ से प्रभावी हुए। इन बैंको को अब उन उधार आस्तियो को सदिग्ध आस्तियो के रूप मे वर्गीकृत करना है जो पहले निर्धारित २४ महीने की अवधि के बजाय १८ महीने तक अवमानक (सब स्टैण्डर्ड) श्रेणी के अतर्गत रहे हों, तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को अतिरिक्त प्रावधानीकरण के लिए दो वर्ष की अनुमति दी गई है अर्थात् ३१ मार्च २००१ और ३१ मार्च २००२ प्रत्येक वर्ष पचास प्रतिशत की दर से, इसके अतिरिक्त भुगतान और निपटान प्रणाली वसूली वातावरण में सुधार और बैंकिंग क्षेत्र मे प्रौद्योगिकी उन्नयन के कारण राज्य सहकारी बैंको, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा आस्ति के वर्गीकरण के लिए, "गतकालिक देयता" की अवधारणा को ३१ मार्च २००१ को समाप्त किया गया है।

राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों के प्रत्यक्ष निरीक्षण का विकेन्द्रीकरण :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान चार राज्य सहकारी बैंको और आठ राज्य सहकारी कृषि ग्राम्य विकास बैंकों के निरीक्षण का कार्य नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालयो को प्रत्यायोजित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप, प्रधान कार्यालय से क्षेत्रीय कार्यालयो को राज्य सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों के प्रत्यक्ष निरीक्षणों के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है।

बैंकों का निरीक्षण :-

निरीक्षण कार्यक्रम मे शामिल २६९ बैंको (ग्यारह राज्य सहकारी बैंक, ११ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक, १५४ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, ९३ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और १० शीर्षस्थ सस्थाओ के मुकाबले, वर्ष २०००-२००१ के दौरान २६८ बैंको (११ राज्य सहकारी बैंक, ११ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक, १५३ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, ९३ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और १० शीर्षस्थ सस्थाओ का निरीक्षण किया गया। गुजरात मे एक जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक का निरीक्षण उस क्षेत्र मे आए विनाशकारी भूकप के कारण स्थगित कर दिया गया था। २६० बैंकों (११ राज्य सहकारी बैंक, ६ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक, १४७ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, ९६ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और १० शीर्षस्थ सस्थाओ के मुकाबले, २५६ बैंको (१० राज्य सहकारी बैंक, ६ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक, १४४ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, ९६ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) और ९ शीर्षस्थ सस्थाओ की निरीक्षण रिपोर्ट जारी की गयी। इन निरीक्षणो से अन्य बातो के साथ साथ यह जानकारी मिली कि इन बैंकों की कार्यप्रणाली मे वित्तीय और अन्य प्रकार की कमजोरिया बनी हुई थी। जो बडी कमिया देखने में आई, उनमें अन्य बातों के अलावा, गैर निष्पादक आस्तियो का उच्च स्तर, बढती अतिदेयता, लेन देन की ज्यादा लागत और कम मार्जिन, ऋण मूल्यांकन की असतोष गुणवत्ता, अपर्याप्त आन्तरिक जाच और नियत्रण, उनके प्रबध मे व्यावसायिकता की कमी और सहकारी संस्थाओ के विभिन्न स्तरो के बीच बढ़ता असतुलन शामिल है। प्रत्यक्ष निरीक्षण के अतिरिक्त सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, दोनो के सम्बन्ध में ५९ अनुप्रवर्तन विजिट भी की गई।

साथ ही नाबार्ड के द्वारा बैंकिग व्यवसाय करने के लिए सहकारी बैंक को लाइसेन्स भी जारी किये जाते है। वर्ष २०००-२००१ के दौरान किसी सहकारी बैंक को कोई नया लाइसेन्स जारी नहीं किया गया अतः ३१ मार्च २००१ को लाइसेन्स प्राप्त सहकारी बैंकों की सख्या यथावत् ८५ रही तथा लाइसेंस प्राप्त १३ राज्य सहकारी बैंक ७२ जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक क्रियाशील थे।

नाबार्ड अपने अधिकारियो एव सम्बन्धित बैंकों के कर्मचारियो को विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु एव सेमिनार आदि मे भाग लेने की व्यवस्था भी करता है। वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड (बर्ड मे प्रतिनियुक्त अधिकारियो समेत) के ७५ अधिकारियो को विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रमो, परिचयात्मक विजिट एव अर्तराष्ट्रीय सेमिनारों/सम्मेलनो/कार्यशालाओ आदि मे प्रतिनियुक्त किया गया। इनमे से, एक अधिकारी को यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया द्वारा यू एस ए /नीदर लैण्ड मे सचालित एव ए पी ई डी ए द्वारा प्रायोजित “पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजिकल मैनेजमेट” कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया गया तथा दो अधिकारियो ने के एफ उब्ल्यू, जर्मनी द्वारा प्रायोजित “जर्मनी मे ग्लोबल डायलाग एव एक्स्पो २०००” मे भाग लिया, २८ अन्य अधिकारियो ने (ए डी आई एफ ए डी) फिलिपीन्स, सी.आई सी टी ए बी , गैलेली कालेज इजराइल, ए.पी आर.ए सी ए , ए डी एफ आई , मलेशिया, एन.आई एस पी ई डी. इजराइल, समर अकादमी, जर्मनी, एम आर.सी पी आई एफ ए डी सिंगापुर, उगाडा, इन्स्ट्टीयूट आफ बैंकिग, एम ए एस एच.ए.वी. कार्यक्रम, इजराइल और ए आई टी./एम एस एम , डी.एस ई द्वारा विभिन्न, विशिष्ट विषयो पर सचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अलावा ७ परिचयात्मक सहअध्ययन सदर्शन किये गये जिनमे से एक बैंक राक्यात, इडोनेशिया, तीन थायलैण्ड के, एक जर्मनी मे सहकारी बैंकिग पद्धति से सम्बन्धित, एक बांग्लादेश और एक यू एस ए कम्यूनिटी बैंक का था। इनमे ४८ अधिकारी शामिल थे जिनमे से चार सहकारी बैंकों से, एक एस डी सी , पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से, दो गैर सहकारी सगठनो से एव भारत सरकार से एक ने भाग लिया। इसके अलावा नाबार्ड के नौ वरिष्ठ अधिकारियो ने कृषि और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषयो पर चीन, फिलीपीन्स, दक्षिण कोरिया, नेपाल, थाइलैण्ड, फ्रास, सिगापुर, और पोलैण्ड मे आयोजित विभिन्न अर्तराष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया।[13]

अनुसंधान एवं विकास निधि :-

नाबार्ड ने नाबार्ड अधिनियम, १९८१ के तत्वाधान मे वर्ष १९८२-८३ मे अनुसधान और विकास निधि की स्थापना की। इस निधि का उपयोग ग्राहक बैंकों द्वारा तकनीकी अनुप्रवर्तन और मूल्याकन (टी एम ई) कक्षो की स्थापना के लिए, उनके प्रशिक्षण कार्यकलापो मे सहायता प्रदान करने और साथ ही सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको मे जनजाति ऋण विशेषज्ञो की नियुक्ति हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अनुसधान और प्रशिक्षण, चयनित विश्वविद्यालयो, सस्थानो आदि में पीठ इकाइयो की स्थापना के लिए किया जाता है, इस निधि की प्रारम्भिक कार्पस निधि १४ ५० करोड रूपये थी। ३१ मार्च २००१ को अनुसधान और विकास निधि मे ४२ ७३ करोड रूपये की राशि शेष थी। नाबार्ड की अनुसधान और विकास निधि से कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र मे विविध प्रकार के अनुसधान कार्यो के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इनमे प्रमुख क्षेत्र है -

- ग्रामीण उप क्षेत्रो मे और विकास के लिए नीतिगत सकेत वाले अध्ययन।
- कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार के अवसरो से सम्बन्धित अध्ययन।
- ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र के विकास सम्बन्धी अध्ययन और,
- कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र मे विभिन्न विधाओं से सम्बन्धित परिचालनात्मक/तकनीकी अनुसधान।

अनुसंधान और विकास निधि का उपयोग :-

अनुसधान और विकास निधि से उपलब्ध कराये गए अनुदान की सचयी राशि ३१ मार्च २००१ तक ४९.७६ करोड़ रूपये की थी। इसमे से २३ ११ प्रतिशत परियोजनाओं एव अध्ययनो, ५३.४० प्रतिशत उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ई.डी पी) सहित प्रशिक्षण गतिविधियों, १३.६१ प्रतिशत तकनीकी, अनुप्रवर्तन एवं मूल्यांकन कक्षों, टी सी.एस. की स्थापना एवं इन्हें मजबूत बनाने, ३.१३ प्रतिशत

सेमिनारो और कार्यशालाओ हेतु वित्तीय सहायता, ३ ५० प्रतिशत सस्थानो एव कृषि विश्वविद्यालयो मे कार्यरत पीठ इकाइयो के लिए था। वर्ष २०००-२००१ के दौरान किए गए कुल सवितरण ७ ०४ करोड रूपये मे प्रशिक्षण कार्यकलापो का हिस्सा सबसे अधिक (७३ १५ प्रतिशत) था, इसके बाद पीठ इकाइयो (९ ९४ प्रतिशत) परियोजनाओ एव अध्ययनो (८ ३८ प्रतिशत), तकनीकी अनुप्रवर्तन और मूल्याकन कक्षो/टी सी एस. (५ २६ प्रतिशत) और सगोष्ठियो/प्रासगिक लेखो (३ २७ प्रतिशत) का हिस्सा था।

जिसे निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है :-

तालिका-5-9

अनुसंधान और विकास निधि से दी गई अनुदान सहायता

(करोड़ रूपये में)

कार्यकलाप	संवितरण			
	वर्ष २०००-०१ के दौरान	हिस्सा %	३१ मार्च २००१ तक	हिस्सा %
परियोजनाएं/अध्ययन	0 59	8 38	11 50	23 11
सेमिनार/प्रासंगिक लेख	0 23	3 27	1 56	3 13
टी.एम.ई. कक्ष/टी.सी.एस	0 37	5 26	6.77	13 61
प्रशिक्षण कार्य कलाप	5 15	73.15	26 57	53 40
नाबार्ड पीठ योजना	0 70	9 94	1 74	3 50
अन्य	-----	----	1 62	3 25
योग	***7.04***	***100.00***	***49.76***	***100.00***

वर्ष 2000-2001 के दौरान नाबार्ड के द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं/ अध्ययन :-

वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड की अनुसधान और विकास निधि से ४४.२० लाख रूपये की अनुदान सहायता वाली आठ परियोजनाओं को मजूरी दी गई जो निम्नानुसार थी -

- *दी परफार्मिंग एजूकेशन फाउण्डेशन, महात्मा फुले म्यूजियम, पुणे, इसको निर्यातोन्मुखी कृषि उत्पादो के उत्पादन और विपणन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और कृषि निर्यात को बढ़ाने के अर्थापायो की सिफारिश करने के लिए।*
- *दी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, जयपुर को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर आई.डी एफ.) से वित्तपोषित सड़क और पुल परियोजनाओं के सीमान्त और लघु कृषको पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए।*

- *शिर्डी साई रूरल इन्स्टीट्यूट प्रवरानगर को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के प्रवरानगर क्षेत्र के चयनित गावो मे सूचना प्रौद्योगिकी कन्द्रो की स्थापना हेतु सहायता।*
- *इन्दिरा गाधी इन्स्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेट रिसर्च मुम्बई को स्रोतो के विभाजन के कारणो का अध्ययन करने के लिए।*
- *तमिलनाडु राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट अडुन्तुरै को तन्जाबूर और नागापट्टिनम जिलो के कावेरी कमाण्ड एरिया के दालो का उत्पादन करने वाले किसानो द्वारा अपनाई जाने वाली वर्तमान व्यवहार्य तकनीको का पता लगाने के लिए दालो की खेती सम्बन्धित कार्यो के अनुसधान हेतु।*
- *तमिलनाडु राइस रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अडुन्तुरै को चावल के उन्नत बीज उत्पादन के लिए अनुसधान और चावल के उन्नत बीज को प्रयोग मे लाने मे सहायता हेतु, किसानो के प्रशिक्षण सह खेती सबधी कार्यों के प्रदर्शन के लिए।*
- *वैफ डेवलपमेन्ट रिसर्च फाउण्डेशन, पुणे को आम आधारित प्रणालियो की वार्षिक और बारहमासी किस्मों में बायोमास उत्पादन, उपज, आमदनी और प्रतिफल के अध्ययन, पारिस्थितिक एव आर्थिक स्थायित्व और कृषि फल खेती में अपनाई जाने वाली पोषक तत्व प्रबधन कार्यनीतीयो की दीर्घकालीनता के अध्ययन तथा पोषक तत्व प्रबधन कार्यनीतियो से सम्बन्धित विशिष्ट उत्पादन प्रणाली को अपनाने मे आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओ की जाच के लिए।*
- *तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय को तमिलनाडु के उत्तर-पूर्वी अचल के तटीय क्षेत्र के किसानो के लिए बबूल पौधशाला हेतु उद्यमिता विकास के लिए। इन अनुसधान परियोजनाओ के एक से दो वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।*

सेमिनार, सम्मेलन, और कार्यशालाएं :-

नाबार्ड ने वर्ष २०००-२००१ के दौरान विभिन्न एजेन्सियो, विश्वविद्यालयो और अनुसधान सस्थानो को कृषि और ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विषयो पर ४२ सेमिनारो, सम्मेलनो और कार्यशालाओ के आयोजन के लिए २३ ५५ लाख रूपये की अनुदान सहायता मजूर की। नाबार्ड की इस सहायता से प्रायोजको को सम्मेलन की सामग्री तैयार करने और मुद्रित कराने तथा कार्यवाही के प्रकाशन मे मदद मिली। इन सेमिनारो, सम्मेलनो की सिफारिशो पर नाबार्ड ने विचार किया और इनका उपयोग समुचित नीतिया बनाने और परिचालनात्मक कदम उठाने के लिए किया गया। इनमें कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन आदि इस प्रकार है :-

- विकास अध्ययन सस्थान, जयपुर मे आयोजित एशियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स का तीसरा सम्मेलन।
- साइल कन्वर्जन सोसाइटी आफ इण्डिया द्वारा भूमि, ,खाद्यान्न ससाधन प्रबधन, रोजगार, पर्यावरण सुरक्षा पर अर्न्तराष्ट्रीय सम्मेलन।
- जबलपुर मे इडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनामिक्स का ४२ वां वार्षिक सम्मेलन।
- कल्याणी, पश्चिम बगाल मे इण्डियन सोसाइटी आफ एग्रीकल्चरल इकोनामिक्स का ६० वा सम्मेलन।
- नई दिल्ली मे इडियन साइस काग्रेस का ८८ वा सत्र।
- वी.ए आई एफ , पुणे में भारतीय पशुओ की नस्ल सरक्षण और जेनेटिक सुधार विषय पर अंतराष्ट्रीय सम्मेलन।
- आई.आर.एम.ई डी., नई दिल्ली में 'जल स्रोत प्रबधन' विषय पर अतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- कंफेंडरेशन आफ इडियन इडस्ट्री द्वारा अहमदाबाद में इन्टरनेशनल कांफ्रेस आन एग्रो एण्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन गुजरात।

प्रासंगिक लेख :-

नाबार्ड ने कृषि और ग्रामीण विकास सम्बन्धी विषयो पर प्रासगिक लेखो का प्रकाशन इस वर्ष भी जारी रखा। उक्त लेख स्वय नाबार्ड और बादरी विशेषज्ञो ने तैयार किये। वर्ष २०००-२००१ के दौरान कुल मिलाकर छ प्रासगिक लेख लिखे गये ये हैं -

- ✓ तमिलनाडु मे कृषि विकास की समस्याए और भावी समस्याए।
- ✓ आध्र प्रदेश मे कृषि विकास की समस्याए और भावी समस्याए।
- ✓ भारत मे सस्थागत ऋण के लिए ग्रामीण ब्याज दर।
- ✓ कृषि और कृषीतर क्षेत्र मे लिकेज बागवानी उत्पादो के प्रसस्करण की भूमिका।
- ✓ उत्तर प्रदेश मे औपचारिक ऋण बाजार और
- ✓ ट्रैक्टरो का अर्थशास्त्र।

इन प्रासगिक लेखो को बडी सख्या मे शैक्षणिक सस्थाओ, सरकारी एजेसियो और बैंको के बीच परिचालित किया गया।

तकनीकी, अनुप्रवर्तन और मूल्यांकन (टी.एम.ई.) कक्ष :-

नाबार्ड ने अभिनव योजनाए तैयार करने, फील्ड स्तर के स्टाफ को सूचनाओ की जानकारी देने और प्रभावकारी वसूली अभियान के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर ऋण वितरण मे विविधीकरण लाने के लिए सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में टी एम.ई. कक्षो की स्थापना और सुदृढ़ीकरण हेतु प्रोत्साहन देना जारी रखा। यद्यपि, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत १३३ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, १४ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंकों, और ९ राज्य सहकारी बैंकों को टी.एम.ई. कक्षो की स्थापना के लिए अनुदान सहायता मंजूर की गई, किन्तु ३१ मार्च २००१ तक केवल ११६ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नौ राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंक और पाच राज्य सहकारी बैंक ही इस सुविधा का उपयोग कर सके। वर्ष

२०००-२००१ के दौरान कुल मिलाकर २२ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उक्त योजना के अतर्गत सहायता प्राप्त कर रहे थे। जिनमें से १४ बैंक सहायता के प्रथम चक्र (पाच वर्ष से कम), ८ बैंक दूसरी चक्र (६ से १० वर्ष के बीच) मे थे। वर्ष २०००-२००१ के दौरान टी एम ई कक्षो के लिए २८ २० लाख रूपये की अनुदान सहायता सवितरित की गई और कुल सचयी सवितरण की राशि ६३१ ४४ लाख रूपये तक पहुच गयी।

जनजाति ऋण विशेषज्ञ : (टी.सी.एस.) :-

जनजाति क्षेत्र मे कार्यरत सहकारी बैंकों के लिए वर्ष १९९६-१९९७ मे जनजाति ऋण विशेषज्ञो की नियुक्ति हेतु पाच वर्षो की अवधि के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की गई थी। वर्ष २०००-२००१ में भी यह योजना जारी रही। इस योजना मे जनजाति समूह द्वारा किये जा सकने वाले कार्य कलापों की पहचान कर ऋण सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। प्रारम्भ मे सरकारी बैंकों को आठ टी सी एस की मजूरी दी गई (५ टी सी एस , ४ राज्य सहकारी बैंको मे और ३ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों में) तथापि ३१ मार्च २००१ तक केवल ७ टी सी एस (४ राज्य सहकारी बैंकों, मे एक-एक और ३ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंको मे एक-एक) कार्यरत थे। वर्ष २०००-२००१ मे सवितरित कुल अनुदान ६ ५२ लाख रूपया का था जबकि मार्च २००१ के अत तक कुल सचयी अनुदान की राशि १६ १५ लाख रूपये की हो गई।

नाबार्ड पीठ योजना : (एन.सी.एस.) :-

नाबार्ड ने पीठ योजना के अतर्गत स्थापित पीठ इकाइयों को सहायता देना जारी रखा। वर्ष २०००-२००१ में इन पीठों के लिए ६९.९४ लाख रूपया की अनुदान सहायता सवितरित की गई

और मार्च २००१ की समाप्ति तक सवितरित कुल अनुदान-सहायता की राशि १७२ ९२ लाख रूपया तक पहुच गई। इस समय विश्वविद्यालयो/सस्थानो मे आठ पीठ इकाइया कार्य कर रही है।

प्रशिक्षण कार्यकलाप :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान कृषि बैंकिग महाविद्यालय, पुणे को वाणिज्य, बैंको सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियो के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ५५ ७२ लाख रूपये की राशि सवितरित की गई। अनुसधान और विकास निधि का उपयोग भी नार्थ ईस्टर्न इस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेन्ट (एन ई आई बी एम) गुवाहाटी के राजस्व व्ययों मे नाबार्ड के हिस्से की १३ ४३ लाख रूपये की राशि के लिए किया गया। जिसका नाबार्ड सहप्रायोजक है। नाबार्ड १९९६-१९९७ से एन सी एम डी ए.आर डी.बी , बेगलूर, बैंकर ग्रामीण विकास सस्थान (बडी) लखनऊ और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द, मगलूर और बोलपुर की कुछ प्रशिक्षण गतिविधियो के लिए अनुसधान और विकास निधि से व्यय करता आ रहा हैं। वर्ष २०००-०१ के दौरान उक्त सस्थानों के प्रशिक्षण कार्यकलापो के लिए ४४६ ३६ लाख रूपये की राशि अनुसधान और विकास निधि से व्यय की गई। [14]

नाबार्ड वर्तमान स्थिति (31 मार्च 2001 तक) :-

संगठन :-

1. निदेशक बोर्ड :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड के निदेशक बोर्ड की चार बैठके सम्पन्न हुई और बोर्ड के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए -

- ✓ श्री वाई.सी. नन्दा, प्रबध निदेश को १२ अक्टूबर २००० से नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे ३० जून २००३ तक इस पद पर रहेंगे।

- ✓ श्री एम वी एस चलपति राव, कार्यपालक निदेशक को ९ फरवरी २००१ से नाबार्ड के प्रबध निदेशक के रूप मे नियुक्त किया गया। वे ३१ दिसम्बर २००२ तक इस पद पर रहेगे।
- ✓ श्री जी जी वैध, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक और श्री वी राम भूपाल चौधरी की अवधि पूरी होने पर वे क्रमश ३१ अक्टूबर २००० एव २० फरवरी २००१ को कारोबार की समाप्ति पर नाबार्ड के बोर्ड के निदेशक नहीं रहे।
- ✓ वित्तीय आयुक्त (विकास) एव सचिव (कृषि), पजाब सरकार के श्री सी एल बेस को श्री वाई एस रत्रा के स्थान पर २९ मई २००० से निदेशक नियुक्त किया गया।
- ✓ डॉ० पी के मिश्रा, प्रधान सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, गुजरात सरकार को श्री पी जी रामरखियानी के स्थान पर १ जून २००० से निदेशक नियुक्त किया गया।
- ✓ ३१ मार्च २००१ को निदेशक बोर्ड मे सात अर्थात् धारा ६ (१) ख के अतर्गत तीन तथा धारा ६ (१) ग और ६ (१) (ड़) के अंतर्गत दो दो रिक्तिया थी।

2. कार्यकारी समिति :-

बोंड द्वारा गठित कार्यकारी समिति की छ बैठके वर्ष २०००-२००१ के दौरान आयोजित हुई। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में श्री जी. जी वैद्य की अवधि समाप्त होने पर ३१ अक्टूबर २००० को कारोबार की समाप्ति से वे कार्यकारी समिति के सदस्य नही रहे। इसी प्रकार श्री वी राम भूपाल चौधरी, जिन्हे २० फरवरी १९९६ को कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था, अपनी अवधि पूरी करने के बाद इसके सदस्य नही रहे।

नाबार्ड की पूंजी :-

१ फरवरी २००१ से प्रभावी, नाबार्ड अधिनियम सशोधन के अनुसार नाबार्ड की पूजी ५०० करोड रूपये से बढकर ५००० करोड रूपये कर दी गयी है। तथापि ३१ मार्च २००१ तक की स्थिति के अनुसार नाबार्ड की प्रदत्त शेयर पूजी ५०० करोड रूपया की ही रही। वर्ष २०००-०१ के दौरान पूजी के लिए कोई अशदान प्राप्त नहीं हुआ और पिछले वर्षो मे पूजी के लिए भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से अतिरिक्त अशदान के रूप मे प्राप्त कुल १५०० करोड रूपया (भारत सरकार से ३०० करोड रूपया और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त १२०० करोड रूपया) को अग्रिम जमा के रूप मे रखा गया है और इसे भारत सरकार की आवश्यक अधिसूचना जारी हाने के बाद पूजी खाते मे अतरित किया जायेगा।

नाबार्ड की आय और व्यय :-

वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड की कुल आय ३०४५ करोड़ रूपये की थी। इसमे से नाबार्ड अधिनियम १९८१ की धारा ४२ और ४३ के अनुसार ११५० करोड़ रूपया की राशि एन आर सी (एल टी.ओ.) निधि में और ५० करोड रूपये की राशि एन आर सी (स्थिरीकरण) निधि मे अतरित की गई। १८४५ करोड रूपया की शेष राशि मे से १६९१ करोड़ रूपया के कुल व्यय करने के बाद १६९ करोड़ रूपये की अधिशेष राशि रही जिसमे लाभ हानि खाते मे व्यय नामे करने के लिए निधियो से आहरित १५ करोड़ रूपये की राशि भी शामिल थी। इस अधिशेष राशि मे से १३ ६२ करोड़ रूपया विदेशी मुद्रा जोखिम निधि मे, २५ करोड़ रूपया सहकारी विकास निधि मे, २० करोड़ रूपया अनुसधान और विकास निधि मे, १०५ करोड़ रूपया प्रारक्षित निधि मे और ५ करोड़ रूपया सूक्ष्म वित्त विकास निधि में अंतरित किये गये हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय निरीक्षण :-

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, १९३४ की धारा ४५ (एन) (1) (II) के अतर्गत ३१ मार्च २००० की स्थिति के सदर्भ मे नाबार्ड का सितम्बर २००० से नवम्बर २००० तक वित्तीय निरीक्षण किया। प्रधान कार्यालय (पर्यवेक्षण विभाग समेत) के अलावा निरीक्षण के अन्तर्गत दस क्षेत्रीय कार्यलियो को भी शामिल किया गया। वित्त और लेखा, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि, अल्पावधि और दीर्धावधि ऋण परिचालन, पर्यवेक्षण कार्य तथा सस्थागत विकास इसके प्रमुख क्षेत्र थे जिन्हे निरीक्षण के अतर्गत शामिल किया गया।

नये विभागों का गठन :-

वर्ष २०००-०१ के दौरान, दो नये विभागो, अर्थात् निवेश अनुप्रवर्तन विभाग और ससाधन सग्रहण विभाग का गठन किया गया। कतिपय वर्तमान और नई गतिविधियो पर केन्द्रीभूत ध्यान देने के लिए ऐसा किया गया।

1. निवेश अनुप्रवर्तन विभाग :-

ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के ऋण से कार्यान्वित पुनर्वित्त समर्पित निवेश परियोजनाओ के अनुप्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत करने के लिए १५ सितम्बर २००० से नाबार्ड के प्रधान कार्यालय मे अलग से निवेश अनुप्रवर्तन विभाग का गठन किया गया। ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अतर्गत परियोजनाओ के मूल्याकन और अनुप्रवर्तन से सम्बन्धित सभी उत्तरदायित्व निवेश अनुप्रवर्तन विभाग को सौंपे गये हैं जिन्हें पहले राज्य परियोजना विभाग देखा करता था, और साथ ही निवेश ऋण विभाग के जिला उन्मुख अनुप्रवर्तन अध्ययन सम्बन्धी कार्य को भी निवेश अनुप्रवर्तन विभाग को सौंपा गया है।

2. संसाधन संग्रहण विभाग :-

ससाधन सग्रहण के महत्व को पहचानते हुए तथा आयकर अधिनियम १९६१ की धारा ५४ (ई सी) के अतर्गत पूजी अभिलाभ बाण्ड जारी करने की अनुमति दी जाने के कारण, जैसा कि केन्द्रीय बजट २०००-२००१ मे घोषित किया गया है, नाबार्ड के प्रधान कर्यालय मे एक नया विभाग गठित किया गया। भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, देशी और विदेशी एजेसियो से उधार और खुले बाजार से निधियो के सग्रहण समेत नाबार्ड द्वारा किए जाने वाले ससाधन सग्रहण के समस्त कार्य का उत्तरदायित्व इस विभाग का है।

मानव संसाधन विकास :-

1. प्रशिक्षण :-

स्विस विकास कोआपरेशन (एस डी सी) के सहयोग से शुरू की गई मानव एव सस्थागत विकास परियोजना से वर्ष २०००-०१ के दौरान नाबार्ड के अपने अधिकारियो और अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण देने मे इसके मानव ससाधन विकास प्रयासो को और बल मिला। तकनीकी और पद्धतिबद्ध कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रो मे नाबार्ड स्टाफ कालेज मे तथा ए एस.सी आई , आई आई एम , एन आई वी एम , एन आई.आर डी , एक्स एल आर आई आदि जैसे प्रसिद्ध सस्थानो मे कुल १७०५ अधिकारियो को प्रशिक्षण दिया गया। स्टाफ महाविद्यालय ने तकनीकी, कार्यप्रणाली एव व्यवहारगत विषयो पर ७५ प्रशिक्षण कार्यक्रम सचालित किये जिनमे १४३० अधिकारियो को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रयोजन के लिए गठित प्रशिक्षण सलाहकार समिति ने प्रशिक्षण कार्यक्रमो की रूपरेखा बनाने और प्रशिक्षण के लिए अधिकारियो की पहचान करने की दिशा मे स्टाफ महाविद्यालय का मार्गदर्शन किया। नाबार्ड प्रशिक्षण केन्द्र लखनऊ ने ग्रुप बी और सी के स्टाफ के लिए २५ कार्यक्रम संचालित किए जिनमे ३३५ स्टाफ सदस्यों को शामिल किया

गया। कार्यक्रम मे रखवालो, सहायक रखवालो एव ग्रुप बी मे नए भर्ती किए गए ८९ स्टाफ सदस्यो को प्रशिक्षण दिया गया।

2. विदेश में प्रशिक्षण :-

वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड के (बर्ड में प्रतिनियुक्त अधिकारियो समेत के) ७५ अधिकारियो को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमो, परिचयात्मक विजिट एव अर्तराष्ट्रीय सेमिनारो, सम्मेलनो, कार्यशालाओ, आदि मे प्रतिनियुक्त किया गया। इनमे से, एक अधिकारी को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा यू एस.ए./नीदर लैण्ड में सचालित एव ए पी ई डी ए द्वारा प्रायोजित पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालाजिकल मैनेजमेट कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया गया तथा दो अधिकारियो ने के एफ डब्ल्यू. जर्मनी द्वारा प्रायोजित जर्मनी मे ग्लोबल डायलॉग एव एक्स्पो २००० मे भाग लिया। २८ अन्य अधिकारियो न ए डी आई एफ ए डी. फिलिपीन्स सी आई सी टी ए बी , गैलेरी कालेज, इजराइल ए पी आर ए.सी ए., जर्मनी, एम आर सी पी , आई.एफ.ए.डी., सिंगापुर उगांडा इन्स्टीट्यूट ऑफ बैंकिग, एम ए.एस एच ए वी कार्यक्रम, इजराइल और ए आई टी./एम एस.एम , डी एस ई द्वारा विभिन्न, विशिष्ट विषयो पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमो मे भाग लिया।

आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा :-

नाबार्ड के निरीक्षण विभाग मे निरीक्षणो का पहला चक्र पूरा कर लिया गया है जिसमे ८ क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात बेगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोलकता, चडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, पटना तथा तीन प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। कलकत्ता स्थित ऑचलिक लेखा परीक्षा कक्ष ने ५ क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की समवर्ती लेखा परीक्षा कर ली। वर्ष २०००-०१ के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात तिरूवन्तपुरम् और जयपुर के निरीक्षण का दूसरा चक्र प्रारम्भ कर दिया

गया है। निरीक्षण विभाग ने वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय के २१ विभागो की वित्तीय लेखा परीक्षा भी की, इसके अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय मे इस विभाग ने प्रशासनिक खर्चो, वेतन पुनर्वित्त और निवेश परिचालनो की समवर्ती लेखा परीक्षा भी पूर्ववत चालू रखी। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा जारी किए गए पूजी अभिलाभ बाड की लेखा परीक्षा नियमित आधार पर की जाती रही। निरीक्षण विभाग ने मासिक लेखा परीक्षा विवरणियो के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयो मे कार्यरत समवर्ती लेखा परीक्षा कक्षो की परोक्ष निगरानी का कार्य भी किया। वर्ष २०००-०१ के दौरान मासिक विवरणियो की तिमाही समीक्षा की गई तथा मध्यवर्ती खातें की भी समीक्षा की गई और क्षेत्रीय कार्यालयो के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई समवर्ती लेखा परीक्षा के निष्कर्षो पर आधारित निवेश से विभाग, लेनदेनो को कवर करते हुए, तिमाही रिपोर्टे भी भारतीय रिजर्व बैंक को नियमित रूप से भेजी गई।

सूचना प्रौद्योगिकी :-

नाबार्ड ने अपने परिचालनो को बेहतर बनाने और अपने ग्राहको को दी जाने वाली सेवाओ की गुणवत्ता, क्षमता तथा गति को बढाने के लिए अद्यतन सूचना प्रौद्योगिकी उपस्करो का उपयोग करना जारी रखा। ३१ मार्च २००१ की समाप्ति तक नाबार्ड के पास १४०० निजी कम्प्यूटर थे। कार्यालयो के बीच ई-मेल सुविधाओ के बढते उपयोग से सम्प्रेषण प्रणाली की गति और गुणवत्ता मे सुधार हुआ है। बाद्रा कुर्ला सकुल मे स्थित नाबार्ड के नए कारपोरेट भवन के पूरा बन जाने के कारण इसमे उच्च सूचना प्रणाली पद्धति को और भी अधिक अपनाया जाना सम्भव हो गया है। इस भवन में १८०० नोड्स और १२०० ध्वनि बिन्दुओ के सचालन के लिए स्ट्रक्चर्ड केबलिग की व्यवस्था की गई है। सभी प्रमुख विभागो को एल ए एन के तहत कवर किया है जिसे २००१-०२ के दौरान शुरू किया जाना प्रस्तावित है। साफ्टवेयर के क्षेत्र में आंतरिक कार्य के लिए इटरनेट व्यवस्था विकसित करने का प्रयास जारी है साथ ही ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अतर्गत आने वाली परियोजनाओं के अनुप्रवर्तन और क्रियान्वयन,

अल्पावधि ऋण सीमाओ की सस्वीकृति जैसे नए कार्यक्षेत्रो के कार्यो को कम्प्यूटरीकृत करने का विचार है तथा पहले से ही कम्प्यूटरीकृत योजनाबद्ध ऋण वितरण कार्य के क्षेत्रो को और भी बढाने का प्रयास जारी रहेगा।

नाबार्ड की वेव साइट :-

वर्ष १९९९ मे, नाबार्ड ने अपनी इटरनेट साइट (डब्लयू डब्ल्यू डब्ल्यू नाबार्ड ओआरजी) स्थापित की थी। नाबार्ड द्वारा प्रोन्नत की गई माडल योजनाओ की अतिरिक्त जानकारी देकर वर्ष के दौरान इस वेवसाइट को अद्यतन किया गया। अब तक, ३४ माडल योजनाए और ग्रामीण विकास कार्यक्रमो से सम्बन्धित अनुसधान पेपर इस वेवसाइट पर उपलब्ध कराए गए है।

१६ जुलाई २००२ को नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हजरत गज, लखनऊ मे एक वरिष्ठ उच्चाधिकारी से नाबार्ड के विषय में व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा मैंने कुछ महत्वपूर्ण सूचनाए प्राप्त की जिनका उल्लेख निम्नवत है।[15]

प्रश्न : नाबार्ड की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है ?

उत्तर : नाबार्ड की स्थापना कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, बैंको तथा राज्य सरकारो को पुनवित्त प्रदान करने एव बैंको के पर्यवेक्षण हेतु की गई है।

प्रश्न : नाबार्ड की पुनर्वित्त प्रदान करने की व्यवस्था को स्पष्ट करे ?

उत्तर : नाबार्ड के द्वारा व्यापारिक बैंकों को, सहकारी सस्थाओ को, राज्य सरकारो को, ग्रामीण बैंको को एव ग्रामीण विकास में संलग्न अन्य वितीय सस्थानो को पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है।

प्रश्न : गत वर्ष मे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कितना पुनर्वित्त प्रदान किया गया ?

उत्तर : नाबार्ड के द्वारा वर्ष २०००-२००१ के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को १०३८ ३७ करोड रूपये का दीर्घकालीन पुनर्वित्त एव ४९० ५५ करोड रूपये का अल्पकालीन पुनर्वित्त प्रदान किया गया।

प्रश्न : आर आई डी एफ योजना क्या है ?

उत्तर · व्यापारिक बैंकों को निश्चित योजनाओ के अतर्गत कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु पूर्व निर्धारित धनराशि का वितरण करना होता है यदि व्यापारिक बैंको के द्वारा निर्धारित सीमा से कम राशि का वितरण किया जाता है तो शेष बची हुई धनराशि को नाबार्ड के द्वारा आर आई डी. एफ योजना के अतर्गत जमा कर लिया जाता है। और नाबार्ड के द्वारा इस इस निधि का प्रयोग ग्रामीण विकास हेतु किया जाता है।

प्रश्न : आर आई डी एफ. योजना के अतर्गत गत वर्ष मे उत्तर प्रदेश सरकार को कितना ऋण प्रदान किया गया ?

उत्तर : वर्ष २०००-२००१ के दौरान नाबार्ड के द्वारा आर आई डी एफ योजना के अतर्गत राज्य सरकार को ३३८.५८ करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया।

प्रश्न : बदलती अर्थव्यवस्था के साथ क्या नाबार्ड की कार्यप्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है?

उत्तर : बदलती अर्थव्यवस्था मे सबसे अधिक आवश्यकता है समन्वित कृषि और ग्रामीण विकास की, जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा समुचित कार्य किये जा रहे है।

प्रश्न : क्या आज के बदलते परिवेश मे यह आवश्यक नहीं है कि नाबार्ड जनता के सीधे सम्पर्क मे कार्य करे?

उत्तर : नाबार्ड का प्रमुख कार्य व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय सस्थाओ एव राज्य सरकारो को पुनर्वित्त प्रदान करना है, जिसके लिए जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आज के बदलते परिवेश को ध्यान मे रखते हुए नाबार्ड जनता से सीधे प्रत्यक्ष सम्पर्क का प्रयास करता है, जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा कार्यक्रमो एव सेमिनारो का आयोजन, उस क्षेत्र के ग्रामीण बैंक के द्वारा करवाया जाता है, जिसमे क्षेत्र के सभी ग्रामीणो को एकत्र कर नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओ, बैंकों के द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण आदि सुविधाओ के बारे मे जानकारी प्रदान की जाती है तथा इन कार्यक्रमो का समस्त खर्च नाबार्ड के द्वारा वहन किया जाता है।

प्रश्न : नाबार्ड की भविष्य की क्या योजनाए है?

उत्तर : नाबार्ड के द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। इसके द्वारा किसानो के लाभ हेतु अनेक लाभकारी योजनाए प्रारम्भ की जा रही है, जैसे अभी हाल ही मे किसान क्रेडिट कार्य योजना चालू की गई जिसके अतर्गत वर्ष २०००-२००१ के दौरान सहकारी बैंकों ने ५१ ११ लाख और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने ५.७७ लाख कार्ड जारी किये। सभी पात्र किसानों को अगले तीन वर्षो के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने की सम्भावना है।

सूचना स्त्रोत

1. वार्षिक रिपोर्ट (नाबार्ड) वर्ष २०००-०१, पृष्ठ सख्या - ९ - १०
2. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड - वर्ष १९९०-९१, ९५-९६, १९९९-२०००, २०००-०१
3. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २०००-०१
4. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २०००-०१, साख्यिकीय विवरण पृष्ठ १५
5. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २०००-०१
6. ***www.bank report.rbi.org.in***
7. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष (१९९०-९१, ९६-९७, ९९-२०००, २०००-०१)

   www.bank report.rbi.org.in
8. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष (१९९०-९१, ९५-९६, १९९९-२०००, २०००-०१)

   www.bank report.rbi.org.in
9. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष (१९९५-९६, ९९-२०००, २०००-०१)

   www.bank report.rbi.org.in, ***www.bulletin.rbi.org.in***
10. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष २०००-०१
11. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड - वर्ष २०००-२००१, ***www.nabard.org.***
12. नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय (लखनऊ) एवं बर्ड से व्यक्तिगत सूचना के आधार पर।
13. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड वर्ष · २०००-२००१, ***www.nabard.org.in***
14. वार्षिक रिपोर्ट नाबार्ड - वर्ष २०००-०१, ***www.nabard.org***
15. व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा

******

अध्याय–6

नाबार्ड की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन

भारत मे समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की सस्था के रूप मे नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड ने अपने स्थापना काल जुलाई १९८२ से लेकर आज तक ग्रामीण विकास मे अवर्णनीय योगदान प्रदान किया है। नाबार्ड के स्थापना काल तक सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयास किये गये थे और लगभग सभी प्रयास ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफल नहीं हो पाए। विभिन्न समितियो एव कमीशनो की सिफारिश पर सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की पृथक सस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया। नाबार्ड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था ग्रामीण वित्त की माग को पूरा करना एव समन्वित ग्रामीण विकास करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नाबार्ड को कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गये। नाबार्ड यदि इन दायित्वो का निर्वहन करने मे असफल हो जाता है तो यह माना जायेगा कि सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास हेतु किये गये अन्य प्रयासों की भाति यह प्रयास भी असफल रहा।

ग्रामीण विकास के लक्ष्य प्राप्ति हेतु नाबार्ड को कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गये थे

- ग्रामीण वित्त की मांग का अनुमान लगाना एव पूर्ति हेतु समुचित प्रबन्ध करना।
- साहूकारों एवं देशी बैंकरों पर नियंत्रण प्राप्त करके ग्रामीण बैंकिग व्यवस्था में सुधार करना।

- ग्रामीण बैंकिग मे लगी सस्थाओ पर नियत्रण स्थापित करना एव उनकी कार्यप्रणाली मे समन्वय स्थापित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रो मे सिचाई के स्थायी साधनो की व्यवस्था करना।
- ग्रामीण क्षेत्र मे विद्युत की समुचित व्यवस्था करना।
- कृषि यत्रीकरण एव मशीनीकरण को प्रोत्साहन देना।
- ग्रामीणो को बैंकिग व्यवस्था की ओर आकर्षित करके उन्हे बैंकिग व्यवस्था से जोडना।
- कृषि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था करना।
- ग्रामीण क्षेत्रो मे लघु, कुटीर एव ग्रामीण उद्योगो की स्थापना करना।
- व्यावसायिक बैंको को ग्रामीण वित्त की ओर प्रोत्साहित करना।

जुलाई २००२ मे नाबार्ड की स्थापना के २० वर्ष पूर्ण हुए है अर्थात पिछले २० वर्षो से नाबार्ड कृषि एव ग्रामीण विकास मे योगदान कर रहा है। अब हमे यह अध्ययन करना है कि क्या ग्रामीण विकास मे नाबार्ड का योगदान पर्याप्त रहा और क्या नाबार्ड सौंपे गये उत्तरदायित्वो का निर्वहन सफलता पूर्वक कर सका है?

नाबार्ड द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति :-

नाबार्ड को ग्रामीण साख की पूर्ति का कार्य सौंपा गया। जिसके लिए नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी समिति एवं व्यापारिक बैंक को पुनर्वित्त प्रदान करता है। इन वित्तीय संस्थाओं की साख की पूर्ति नाबार्ड के द्वारा की जाती है। सर्वप्रथम नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण साख की माग का पूर्वानुमान किया जाता है जिसकें लिये नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है, गॉवों का सर्वेक्षण करके सूचनाए एकत्रित की जाती

है व उनका विश्लेषण करके ग्रामीण वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है। नाबार्ड के द्वारा कृषि मशीनीकरण, कृषि यत्रिकरण, सिचाई के स्थायी साधनो हेतु, ट्रैक्टर एव बड़े-बडे यत्र क्रय करने हेतु पक्के कुए बनवाने हेतु, पम्प सेट लगाने हेतु, उन्नतशील खाद एव बीज क्रय करने हेतु, कृषि वैज्ञानिकीकरण हेतु, फसल भण्डारण हेतु आदि कृषि के बडे-बडे कार्यो हेतु नाबार्ड के द्वारा बडी धनराशि के पुनर्वित्त स्वीकृत किये जाते हैं। किन्तु कृषि कार्य के लिए उपरोक्त आवश्यकताओ के अतिरिक्त अन्य छोटी-छोटी आवश्यकताओ के लिए भी वित्त की आवश्यकता होती है जो कि किसान को किसी वित्तीय सस्थान द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अब यदि हम एक नजर कृषि की ओर डाले तो पायेगे कि कृषि मे पहले दिन से ही थोडे-थोड़े धन की आवश्यकता पडती है। सर्वप्रथम किसान खेत की जुताई, निराई, गुडाई, करता है, फिर उसमे पॉस डाली जाती है। जिससे खेत बुवाई योग्य तैयार होता है, फिर उसमे उन्नत शील बीजों की आवश्यकता पड़ती है। बीज बोने के पश्चात् किसान खेत मे उर्वरक, यूरिया तथा खाद आदि डालता है फिर फसल को पहली सिचाई की आवश्यकता होती है जिसके लिए किसान प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर रहता है या फिर साहूकर के ट्यूबवेल से धन देकर सिचाई प्राप्त कर सकता है। सामान्यतया फसलो को तीन बार सिंचाई की आवश्यकता होती है यदि प्राकृतिक बारिश समय पर नहीं होती है तो किसान की फसल सूखती है या फिर साहूकार को मनमाना पैसा देकर उसके ट्यूबवेल से सिचाई करवा सकता है। फसल तैयार होने की अवस्था मे विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयो की आवश्यकता पड़ती है यदि ये समय पर न मिले तो फसल खराब होती है। किसी प्रकार फसल के तैयार हो जाने पर तैयार फसल के भण्डारण की समस्या आती है क्योकि किसान के पास तो न ही पक्के मकान होते हैं और न ही सरकारी भण्डार गृह की समुचित व्यवस्था जिसमें तैयार फसल को सुरक्षित रूप मे रखा जा सके और इस समय तक किसान के पास इतना धन भी नहीं होता है कि वह यातायात के साधन की व्यवस्था करके अपनी तैयार फसल को शहरी मण्डियो में ले जाकर बेंच सके और अन्त मे मजबूर होकर किसान को साहूकारों की ही शरण लेनी पड़ती है और उन्हीं के जाल में किसानों को स्वय जाकर फॅसना पड़ता है। नाबार्ड का यह

दावा है कि प्रत्येक गाव जिनकी आबादी पाच हजार या उससे अधिक है। उसमे बैंक की स्थापना की गई है व प्रत्येक गाव मे सहकारी समिति खोली गई हैं जो कि किसानो की ग्रामीण साख की माग को पूरा करते हैं। यह तो मात्र खोखला दावा हुआ यदि हम वास्तविकता मे जाये तो पायेगे कि बैंको के द्वारा किसानो की आवश्यकता के समय कभी भी साख की व्यवस्था नहीं की गई है। मान लीजिए कि किसान को अपने खेत मे दो बोरी खाद देनी है तो क्या बैंक सरतापूर्वक तत्काल ऋण प्रदान कर देगे? मान लीजिए किसान एक बार सिचाई कर चुका है और दूसरी बार सिचाई की आवश्यकता है तो क्या सिचाई हेतु तत्काल ऋण प्रदान कर देगे? मान लीजिए किसान को कीटनाशक दवाइयो का छिडकाव करना है जिसके लिए तत्काल ऋण की आवश्यकता है अन्यथा फसल कीडे खा जायेगे तो क्या बैंक तत्काल ऋण प्रदान कर देगे? मान लीजिए किसान अपनी तैयार फसल को शहर ले जाना चाहता है और उसके पास धन नहीं है ज्यादा दिन वह फसल को रोक नहीं सकता क्योकि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था नहीं है तो क्या बैंक किसान को तत्काल ऋण प्रदान कर सकता है? इन सबका उत्तर है नहीं अर्थात् किसान की इन छोटी-छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बैंको द्वारा ग्रामीण वित्त की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। इसके दो कारण है एक तो बैंकों में ऐसी आवश्यकताओ हेतु साख प्रदान करने का प्रावधान ही नहीं है और यदि बैंको द्वारा किसी प्रकार साख पूर्ति का प्रयास किया भी जाए तो वह भी समय रहते पूरा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार किसान आज भी बैंको द्वारा उपलब्ध करायी जा रही ग्रामीण वित्त की सुविधा से पूर्णत महरूम है। किसान आज भी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु साहूकारों के पास जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार अनेकों नियत्रण के बावजूद साहूकारो एव देशी बैंकरो का अस्तित्व जीवित रहता है और हमारी बैंकिग व्यवस्था पूर्णतया विफल हो जाती है। नाबार्ड का ग्रामीण वित्त की पूर्ति का लक्ष्य भी लगभग अधूरा ही रह जाता है क्योंकि नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली पुनर्वित्त सहायता तो किसानो तक समय से पहुच ही नहीं पाती है और नाबार्ड का ग्रामीण वित्त की पूर्ति एवं समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास का दावा पूर्णतः असफल हो जाता है।

नाबार्ड द्वारा साहूकारों एवं देशी बैंकरों पर नियंत्रण प्राप्त करके ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था में सुधार करना :-

नाबार्ड के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम १९४९ की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रो मे फैले साहूकारो व देशी बैंकरो पर नियत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। बैंकिग अधिनियम के अतर्गत कोई भी व्यक्ति या सस्थान बिना लाइसेस प्राप्त किये हुए मुद्रा का व्यवसाय नहीं कर सकता है। यह लाइसेस व अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। नियमत कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेस के बैंकिग व्यवसाय प्रारम्भ नहीं कर सकता है। पर क्या वास्तव मे ऐसा हो पाता है। आज यदि हम ग्रामीण क्षेत्रो का सर्वेक्षण करे तो पायेगे कि प्रत्येक गाव मे साहूकार व देशी बैंकर मौजूद है व ग्रामीण वित्त की माग का एक बडा भाग उन्हीं के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। और शायद १ प्रतिशत साहूकारो के पास ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी लाइसेस होगा। अर्थात लगभग सभी साहूकार व देशी बैंकर बिना किसी रोकथाम व नियत्रण के अवैध रूप से ग्रामीण वित्त मे अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। साहूकारों के अनियत्रित होनें का सबसे महत्वपूर्ण कारण, हमारी अव्यवस्थित व लचर बैंकिग व्यवस्था है जिसके चलते साहूकारों की स्थिति दिन प्रतिदिन सुदृढ़ होती जा रही है। बैंको की कागजी कार्यवाही इतनी लम्बी होती है कि निरक्षर किसान न तो उसको पूरा करनें में ही सक्षम होता है और न ही उसके पास इतना समय होता है कि बैंकिग प्रक्रिया मे लगने वाले समय तक वह इन्तजार कर सके। बैंकिग प्रक्रिया मे दो कारणों से अधिक समय लग जाता है। एक तो बैंक अधिकारी अपनें धन को पूर्णतया सुरक्षित तरीके से ऋण के रूप में देना चाहते हैं ताकि बैंक का पैसा डूबने न पाये, जिससे अनुत्पादक ऋणों मे अनावश्यक वृद्धि न होनें पाये साथ ही यदि बिना आवश्यकता व उचित जाच पड़ताल के ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तो इससे मुद्रास्फीति का भय भी बना रहता है, क्योकि धन का यदि सही जगह प्रयोग न करके उसका दुर्पयोग किया गया तो उनमें व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है व मुद्रा स्फीति की अवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही दूसरा प्रमुख कारण है बैंकिग व्यवस्था में व्याप्त खमियां। हमारी बैंकिंग व्यवस्था में भी अनेक कमियां हैं जैसे-

कागजी कार्यवाही को अत्यधिक लम्बा कर देना, अनावश्यक प्रपत्रो जैसे-पते का प्रमाणपत्र, प्रधान का प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आदि की माग करना, अशिक्षित किसानो की उचित मदद न करना, उन्हे उचित जानकारी न देना, घूस लेकर अनावश्यक व्यक्तियो को ऋण प्रदान करना, गाव के दबगो एव प्रतिष्ठित व्यक्तियो को अत्याधिक सुविधाए अपने निजी स्वार्थ वश प्रदान करना, अधिकारियो का समय से बैंक में न मिलना, ग्रामीण क्षेत्र के बैंको का असमय खुलना व मनमाना बन्द होना, प्रत्येक गाव मे बैंक का न होना, व्यावसायिक बैंको द्वारा ग्रामीण वित्त मे समुचित योगदान न देना, व बैंको मे व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण किसानो को कभी भी समय से वित्तीय सहायता बैको से प्राप्त नहीं हो पाती है। हम अपनी बैंक कुव्यवस्था का एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल ही मे देख सकते हैं। वर्ष २००२ मे समय से वर्षा न होने के कारण लगभग समस्त उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया और सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की सहायताओ की घोषणा की गयी। सरकार ने सूखा राहत के नाम पर खरीफ की फसलो के लिए बीजो पर अनुदान दिया है। यह अनुदान तब दिया गया जब खरीफ की बुवाई का समय लगभग समाप्त हो चुका है। सरकार ने उत्तर प्रदेश को सूखा राहत मे बीज अनुदान के रूप मे तीन करोड़ रूपये दिये हैं और ये रूपये किसानों के पास तक तब पहुचेंगें जब फसल बुवाई का समय पूर्णतया समाप्त हो चुका होगा। इस प्रकार सरकार मे, बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त खमियों एव अत्यधिक दुर्व्यवस्था के कारण किसान को कभी भी समय से वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त हो पाती है। इसके विपरीत साहूकारो व देशी बैंकरो की कार्यप्रणाली बिल्कुल भिन्न है, वे किसानों को उनकी आवश्यकता के समय बिना किसी जमानत, जाच पड़ताल या कागजी कार्यवाही के तुरन्त उनको ऋण प्रदान कर देते हैं और फसल बिकने पर अपना ऋण वापस प्राप्त कर लेते हैं। साहूकार अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मात्र देखता है कि ऋण लेनें वाले व्यक्ति का अपना घर, मकान, खेत, या सम्पत्ति गांव मे है या नहीं और उसी के आधार पर साहूकार किसान को ऋण प्रदान कर देते हैं। साहूकार ऋण देते समय किसानों से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं या अगूँठा लगवा लेते हैं जिससे ऋण वापसी के समय साहूकार यदि चाहे तो मनमाने ब्याज दर से ऋण वसूल सकता है। भले ही

साहूकार बैंको से अत्यधिक ज्यादा ब्याज दर पर ऋण देते हैं किन्तु उनका ऋण इतने सरल ढग से प्राप्त होता है कि किसान बैंक जाने बजाय सहूकार से ऋण लेना ज्यादा सरल समझते हैं। एक तो किसान गैर पढा लिखा होता है। दूसरा बैंको के द्वारा अपनी सुविधाए आदि किसानो को नहीं बताई जाती है। जिससे किसान बैंको के सम्पर्क मे आ ही नहीं पाते हैं और सरकार व नाबार्ड के द्वारा नियत्रण का लाख दावा करने के बावजूद साहूकारो व देशी बैंकरो का अस्तित्व लगातार बढता जा रहा है। और जिसका पूरा कारण हमारी अव्यवस्थित एव कमजोर बैंकिग व्यवस्था है।

नाबार्ड का यह प्रयास रहता है कि ग्रामीण बैंकिग व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर सके व इनकी कार्य प्रणाली मे व्यापक सुधार कर सके। जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति मे लगी बैंकिग सस्थाओ का पर्यवेक्षण किया जाता है व उनका स्वैच्छिक निरीक्षण भी वर्ष मे नाबार्ड के द्वारा किया जाता है ताकि बैंको की लाभदायकता एव विश्वसनीयता बनी रहे। इन सब प्रयासो के बावजूद सहकारी बैंक एव क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मे धोखाधड़ी, जालसाजी के मामले लगातार बढते जा रहे हैं। अभी हाल ही मे नाबार्ड द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि सहकारी बैंको और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको मे धोखाधडी, दुर्विनियोजन आदि के मामलों की समीक्षा से यह पता चला कि ४६५ बैंको की २,६९३ शाखाओ मे ऐसी धोखाधडी के मामले पाये गये। इसको ध्यान मे रखते हुए, आतरिक जाच और नियत्रण प्रणाली, समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली शाखा समायोजन खातो और बहियो के त्वरित मिलान आदि को सुदृढ़ करने के उपाय शुरू करने के बारे मे विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास मे लगे ज्यादातर बैंक घाटे मे चल रहे हैं और इनकी कार्य प्रणाली से भारतीय रिजर्व बैंक भी पूरी तरह से असतुष्ट है। नाबार्ड ने वर्ष २०००-०१ के दौरान सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा की। कुछ निवेश कम्पनियों द्वारा अपनी देयताओं का पुर्न भुगतान करने मे असफल होने के तथ्य से जानने के बाद नाबार्ड ने बैंको के निवेश पोर्टफोलियो की ओर अधिक सतर्कता से जाच करने के आदेश दिये हैं। गोडा के जिला सहकारी बैंकों के लगातार घाटे में चलने व अनेकों प्रयासो के बावजूद इनकी कार्य प्रणाली में कोई

सुधान न होने से भारतीय रिजर्व बैंक अत्यधिक ऊहापोह की स्थिति मे हैं। जिला सहकारी बैंक का लाइसेस नवीनीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास २६ मई १९९६ से लम्बित है। भरतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जिला सहकारी बैंक लिमिटेड को अनेको नोटिस आदि जारी करके इनकी कार्य प्रणाली मे सुधार के प्रयास किये गये किन्तु कोई सफलता हाथ न लगी और अन्त मे जुलाई २००२ मे भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको वाइडअप करने का फैसला लिया है। यह स्थिति उ०प्र० के क्षेत्र के जिला सहकारी बैंक का सर्वेक्षण करने पर लगभग सभी जगह यही स्थिति स्पष्ट होती है। इससे यही स्पष्ट होता है कि नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बैंकिग व्यवस्था मे सुधार करने का प्रयास भी पूर्णतया सफल नहीं हो सका है और इसमे अभी काफी सुधार की आवश्यकता है।

ग्रामीण बैंकिंग में लगी संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित कर उनमें समन्वय स्थापित करना :-

ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एव समन्वित ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सस्थाओ पर उचित नियत्रण एव उनके मध्य उत्तम तालमेल स्थापित करने का दायित्व भी नाबार्ड को सौंपा गया। नाबार्ड द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनो प्रकार से विभिन्न वित्तीय सस्थाओ पर नियत्रण रखा जाता है। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, देशी बैंकर आदि वित्तीय सस्थानो का प्रत्येक वर्ष निरीक्षण किया जाता है, उनकी खाताबहियो आदि का निरीक्षण करके रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित की जाती है। नाबार्ड के द्वारा इन वित्तीय संस्थानो की लाभदायकता क्षमता का भी अध्ययन किया जाता है,जिसकी सहायता से नाबार्ड यह निर्धारित करता है कि किस बैंक को अभी और ऋण दिया जा सकता है। यदि कोई बैंक लगातार घाटे में चल रहे है व उनकी कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं है। तो नाबार्ड के द्वारा ऐसे बैंकों को चिन्हित कर दिया जाता है और उन्हें एक निश्चित समय के अन्दर अपनी कार्यप्रणाली मे सुधार करनें का समय दिया जाता है और यदि निश्चित समय के अन्दर अपनी

कार्यप्रणाली मे सुधार न किया गया तो उसको बन्द करने की सस्तुति नाबार्ड के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को की जाती है। इस प्रकार नाबार्ड के द्वारा विभिन्न वित्तीय सस्थानो पर नियत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। किन्तु इतने प्रयासो एव नियत्रण के पश्चात भी ग्रामीण विकास मे लगी वित्तीय सस्थाओ की कार्यप्रणाली मे कोई सुधार सम्भव नहीं हो पाया है। आज ग्रामीण विकास मे लगी ज्यादातर वित्तीय सस्थाए घाटे मे चल रही है व उनका सचयी घाटा इतना ज्यादा है कि जिसकी पूर्ति आने वाले दस वर्षो मे भी नहीं की जा सकती है। वर्तमान समय मे देश मे १९६ ग्रामीण बैंको की ४ २७६ शाखाए क्रियाशील हैं जिमे से १२२ ग्रामीण बैंक पिछले कई वर्षो से लगातार घाटे मे चल रहे हैं। ३१ मार्च २००१ तक ८५ ग्रामीण बैंको ने अपने सचयी घाटे को घटाने का सफल प्रयास किया था। इस प्रकार नाबार्ड का इन सस्थानो पर कुशल नियत्रण का दावा खोखला प्रतीत होता है क्योकि ग्रामीण विकास मे लगी अधिकाश इकाइया लम्बे समय से घाटे में कार्य कर रही है और भारतीय रिजर्व बैंक भी इनके कार्यो से सन्तुष्ट नहीं है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें अभी गोण्डा जिले में ही देखने को मिल सकता है। जहॉ जिला सहकारी बैंको की अत्यधिक असतोषजनक कार्यप्रणाली को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही मे उनको बन्द करने का निर्णय ले लिया है।

नाबार्ड को विभिन्न वित्तीय सस्थाओं के मध्य उचित समन्वय एव तालमेल स्थापित करने का दायित्व भी सौंपा गया है। नाबार्ड के द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि सभी वित्तीय सस्थाए इस प्रकार कार्य करे कि वे एक दूसरे को बाधा न उत्पन्न करें व उनमें वर्चस्व की लडाई न उत्पन्न होने पाये कयोकि यदि ऐसा हुआ तो समन्वित ग्रामीण विकास का लक्ष्य अधूरा ही रह जायेगा। किन्तु नाबार्ड का यह दायित्व भी अपूर्ण होता दिखाई पड रहा है क्योकि पिछले कुछ वर्षो से ग्रामीण बैंक के द्वारा नाबार्ड के अधिकारो के विकेन्द्रीकरण की माग की जा रही। ग्रामीण बैंक स्वय राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाना चाहता है। ग्रामीण बैंक का कहना है कि देश मे लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी शाखाएं हैं और ग्रामीण वित्त की मांग का एक बहुत बड़ा भाग हमारे द्वारा पूरा किया जाता है एवं हमारे वित्तीय ससाधन भी मजबूत है जिससे

हमे नाबार्ड के समान ही अधिकार प्रदान करते हुए, हमे भी राष्ट्रीय स्तर की पृथक सस्था घोषित किया जाए। वर्ष २००२ के दौरान तो ग्रामीण बैंक का आदोलन काफी तीव्र रूप धारण कर चुका है और इनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सस्था की मान्यता हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। अब हमे देखना यह है कि क्या नाबार्ड के अतिरिक्त भी किसी अन्य बैंक को राष्ट्रीय स्तर की पृथक सस्था का दर्जा मिल पाता है। किन्तु ग्रामीण बैंक के इस आदोलन से नाबार्ड के द्वारा विभिन्न वित्तीय सस्थाओ के मध्य समन्वय स्थापित करने मे असफलता तो स्पष्ट प्रदर्शित होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिचाई के स्थाई साधनों की व्यवस्था करना :-

उन्नतशील खेती के लिए यह आवश्यक होता है कि हमारे पास सिचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, क्योंकि सिचाई की समुचित व्यवस्था न होने से कृषि लाभकर व्यवसाय नहीं हो सकती है। समन्वित कृषि और ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से नाबार्ड को सिचाई के साधनो की समुचित व्यवस्था करनें का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इसके लिए नाबार्ड, ग्रामीण विकास मे लगी वित्तीय सस्थाओ को पर्याप्त पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करता है। नाबार्ड के द्वारा सिचाई के बड़े साधनो जैसे - छोटी या बडी नहर, ट्यूबवेल आदि साधनों के लिए दीर्घकालीन ऋण व छोटे साधनो जैसे - पक्का कुआ, पम्पसेट, रहट आदि साधनो के लिए मध्यमकालीन ऋण की व्यवस्था की जाती है। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो मे सिचाई के साधनो की व्यवस्था करने हेतु पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, किन्तु फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों मे सिंचाई के साधनो का अत्यधिक अभाव है। आज भी किसान पूर्णतया प्राकृतिक बारिश पर ही आश्रित है। यदि समय से बारिश न हो तो हमारे क्षेत्रो में सूखा पड़ जाता है। खास कर उत्तर प्रदेश मे सिचाई के स्थायी साधनो का पूर्णतया अभाव है न तो यहा पर बड़ी-बड़ी नहरें हैं, न ही बड़े-बड़े बांध हैं और न ही गांवो में सरकारी ट्यूबवेल ही लगाए गये हैं, जिससे किसान पूर्णतया प्राकृतिक साधन पर ही आश्रित रहता है या फिर उसे मजबूर होकर जमींदारों व साहूकारों के निजी ट्यूबवेलों से पानी लेना पड़ता है

जिसकी किसान को अत्यधिक कीमत चुकानी पडती है। हम प्रत्येक वर्ष देख सकते हैं कि यदि बारिश समय से न हो तो हमारे प्रदेश मे सूखा पड जाताहै अभी हाल ही मे (जुलाई २००२) कई राज्यो के साथ मे उत्तर प्रदेश को भी सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है जिसका एक मात्र कारण है कि आज भी हमारे पास अपने सिचाई के स्थाई साधन नहीं है जिससे हम पूर्णतया प्राकृतिक बारिश पर ही आश्रित रहते हैं। यदि बारिश समय से नहीं होती तो चारो तरफ गरीबी, भुखमरी, चोरबाजारी, महगाई बढ जाती है जिसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पडता है किन्तु इसको दूर करने के सार्थक उपाय आज तक नहीं किये गए हैं। नाबार्ड के द्वारा कहा जाता है कि वह सिचाई के साधनो हेतु पर्याप्त पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध कर रहा है किन्तु फिर भी सिचाई के साधनो का बडी मात्रा मे अभाव है। जिससे हमे स्पष्ट होता है कि नाबार्ड की कार्य प्रणाली में दोष व्याप्त है, या तो सिचाई हेतु पुनर्वित्त का प्रयोग निर्धारित ढग से नहीं किया जा रहा है। कारण चाहे जो भी हो भारतीय किसान आज भी सिचाई हेतु प्राकृतिक साधन पर ही पूर्णतया निर्भर है।

ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत की समुचित व्यवस्था करना :-

समुचित एव समन्वित ग्रामीण विकास हेतु विद्युतीकरण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विद्युत के अभाव मे ग्रामीण विकास का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता है और गाव पिछड़े ही बने रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रो का विद्युतीकरण हो जाने से गावो मे छोटे उद्योग स्थापित हो सकते हैं, छोटी फैक्ट्रिया लगाई जा सकती हैं, ट्यूबवेल विद्युत से चला कर सिचाई की लागत कम की जा सकती है, कृषि यत्रो को विद्युत से सस्ती दर पर चलाया जा सकता है, चक्कियां, स्पेलर आदि लगाए जा सकते हैं अर्थात ग्रामीण विद्युतीकरण से रोजगार के अवसरों मे वृद्धि की जा सकती हैं, कृषि लागत को कम करके एक लाभकर व्यवसाय बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता है, टेलीवीजन आदि की सहायता से कृषि नवीनीकरण, यत्रीकरण, एवं नवीन तकनीकों की जानकारी किसानो को प्रदान की जा सकती है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि विद्युतीकरण के अभाव में ग्रामीण विकास का लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता

है। चूकि नाबार्ड का लक्ष्य समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास है इसलिए ग्रामीण विद्युतीकरण भी नाबार्ड के दायित्व मे शामिल हो जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए नाबार्ड के द्वारा राज्य सरकारो, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन आदि विद्युत इकाइयो को ऋण प्रदान किया जाता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रो मे विद्युत की समुचित व्यवस्था हो सके। किन्तु आज भी स्थिति लक्ष्य से कोसो दूर है, विद्युतीकरण के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रो मे दो चार खम्भे गाड दिये जाते हैं कहीं बिजली के तार हैं तो कहीं हैं ही नहीं साथ मे गावो मे बिजली नाम मात्र के लिए ही दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रो में चौबीस घण्टे मे मुश्किल से दो या तीन घण्टे ही बिजली आपूर्ति की जा रही है जिससे किसी भी प्रकार का विकासात्मक कार्य सम्भव नहीं हो पा रहा है। कुल मिला कर नाबार्ड का ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य भी अधूरा ही रह गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर खम्भे आदि गाड कर मात्र खानापूर्ति कर दी गई है। विद्युतीकरण के अभाव में ग्रामीण विकास का लक्ष्य असम्भव सा प्रतीत होता है।

कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण को प्रोत्साहन :-

नाबार्ड समन्वित ग्रामीण विकास हेतु कृषि यत्रीकरण एव मशीनीकरण को प्रोत्साहन देने का कार्य भी करता है। इसके लिएनाबार्ड वित्तीय सस्थाओ को अलग से पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करता है। और ग्रामीण विकास मे लगी वित्तीय सस्थाओं के द्वारा किसानो को कृषि यत्रीकरण एव मशीनीकरण हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि यत्रीकरण का लक्ष्य आज भी अधूरा ही है। कृषि व्यवसाय आज भी एक अलाभकर व्यवसाय ही बना हुआ है जिसके चलते किसान कृषि से अतिरेक अर्जित नहीं कर पाते है और जीवन यापन व कृषि आवश्यकताओं के लिए भी उन्हे ऋण लेने की जरूरत पड़ जाती है। कृषि वित्तीयन की व्यवस्था आज भी अपूर्ण ही है। हमारी बैंकिग व्यवस्था आज भी इतनी व्यवस्थित नहीं हो पायी है। कि किसानों की ग्रामीण वित्त की माग की पूर्णतया पूर्ति कर सके। वित्त का अभाव किसानों की असफलता का सबसे प्रमुख कारण है, जिसके कारण किसान अपने कृषि यंत्रीकरण एवं मशीनीकरण के

लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। कृषि के उपकरण भी काफी कीमत के आते हैं जिनको क्रय करने के लिए किसान के पास अपने पैसे कभी भी एकत्र नहीं हो पाते है और किसान अपनी अन्य आवश्यकताओ के कारण पहले ही इतने बोझ मे दबा रहता है कि वह कृषि उपकरणो हेतु और ऋण लेने का साहस नहीं जुटा पाता है। अत वित्तीय साधनो के अभाव की वजह से कृषि यत्रीकरण एव मशीनीकरण का लक्ष्य आज भी अधूरा पडा हुआ है। जमींदार या पैसे वाले काश्तकार तो नवीन उपकरणो एव यत्रो का प्रयोग कर लेता है किन्तु सीमात या गरीब किसान तो कृषि के नवीन उपकरणो के बारे मे सोच भी नहीं सकता है और हमारे देश मे सीमात कृषको की सख्या अत्यधिक ज्यादा है। देश के कुल किसानो मे लगभग ९२ प्रतिशत सीमात कृषक है जो कि अपनी जीवन यापन की आय भी कृषि के माध्यम से प्राप्त नहीं करपाते हैं। इस दशा मे यदि उनसे कृषि यत्रीकरण की अपेक्षा की जाए तो यह पूर्णतया व्यर्थ होगा। अत ग्रामीण वित्त के आभाव मे कृषि यत्रीकरण एव मशीनीकरण का लक्ष्य भी पूर्णत अधूरा पडा है।

ग्रामीणों को बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी प्रदान करना :-

नाबार्ड को ग्रामीण क्षेत्रो मे समुचित बैंकिग व्यवस्था उपलब्ध करवाने का दायित्व सौंपा गया था। नाबार्ड ने अपने इस दायित्व का काफी हद तक निर्वहन भी किया किन्तु इसके साथ यह भी आवश्यक था कि ग्रामीण किसानों को बैंकिग सुविधाओं की जानकारी भी हो क्योकि यदि किसान बैंक ही नहीं पहुच पायेगे तो उनकी सुविधाओं का लाभ कैसे उठायेंगे। जिसके लिए आवश्यक था। बैंक अपनी सुविधाओ का व्यापक प्रचार एव प्रसार करे, कैम्पों एव शिविरो का आयोजन करे, गावों-गांवो जाकर व्यक्तिगत रूप से व्यापक जन सम्पर्क करके बैंको के बारे मे ग्रामीणों को जानकारी प्रदान करे। किन्तु वास्तविकता इससे परे ही है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है, ग्रामीणों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओ की पर्याप्त जानकारी नहीं होती हैं, नहीं बैंकों द्वारा शिविरों व कैम्प आदि का आयोजन ही किया जाता और न ही व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क ही किया जाता है। जिससे जानकारी के अभाव में भी बैंकिग व्यवसाय

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। भारतीय किसानों में साक्षरता दर अत्यधिक न्यूनतम है, उत्तर प्रदेश में किसानों की साक्षरता दर ९.८ प्रतिशत है अर्थात १०० में से मात्र १० किसान ही पढ़े-लिखे मिल पाते हैं जिनको बैंकिंग व्यवसाय की आधी अधूरी जानकारी होती है क्योंकि इन १० प्रतिशत में से ७० प्रतिशत किसान मात्र मिडिल पास ही होते हैं जिसके कारण किसानों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है। किसान बैंकों से दूर भागते रहते हैं, किसान बैंक से ऋण लेने से दूर भागते हैं उनका कहना होता है कि सरकारी ऋण ठीक नहीं होता है और उससे हम कभी निकल नहीं पायेंगे, इसके साथ ही किसान अपना पैसा भी बैंक में नहीं जमा करते हैं क्योंकि उनको यह भय व्याप्त रहता है कि बैंक उनका पैसा लेकर भाग जायेंगे। इन सबका मात्र एक ही करण है ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी का अभाव, जिसका कारण भी हमारे बैंक ही है क्योंकि ये दायित्व बैंकों का है कि वे बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी निरक्षर किसानों को प्रदान करें जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास हो सके व ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। किसानों में बैंकिंग व्यवस्था की जानकारी न होने से ग्रामीण वित्त पूर्ति का लक्ष्य अधूरा एवं अपूर्ण बना है।

कृषि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था करना :-

किसानों की सबसे बड़ी समस्या कृषि भण्डारीकरण की है। किसानों के पास तैयार फसल को सुरक्षित रखने के पर्याप्त स्थानों का अभाव है। जिससे किसानों को मजबूर होकर अपनी फसलें सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। वास्तव में फसलों को बेचने का समय, फसल के कुछ समय बाद होता है क्योंकि तब फसल की मांग बढ़जाती है। और यदि किसान अपनी फसल को कुछ समय सुरक्षित रख सके तो वह कुछ लाभ प्राप्त कर सकताहै। किन्तु ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि तैयार फसल के भण्डारीकरण हेतु बड़े-बड़े गोदाम, कोल्डस्टोरेज आदि नवीन सुविधाओं से युक्त सुरक्षित गोदामों की आवश्यकता होती है। जिनमें मौसम एवं वातावरण के अनुकूल फसलों को सुरक्षित रखा जा सके किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में इनका

पूर्णतया अभाव है। नाबार्ड को ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया था। जिसके लिए आवश्यक था कि कृषि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था की जाए लेकिन आज भी गावो मे सरकारी गोदामो एव कोल्डस्टोरेजो का पूर्णतया अभाव है जिससे किसानो की तैयार फसले खलिहानो मे ही सूख जाती है, बरसात मे सड जाती है, पाला मे फसले सड जाती है, पाला मे फसले सड जाती है, कुल मिलाकर भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण कृषि व्यवसाय आज भी अलाभकर बना हुआ है जिसका पूरा कारण दुर्व्यवस्था एव भ्रष्टाचार है जिसके चलते सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदानो का सुचित उपयोग नहीं हो पाता है और जिस उद्देश्य हेतु अनुदान दिया है उसकी पूर्ति हेतु अनुदान का प्रयोग ही नहीं हो पाता है। जिसके कारण कृषि भण्डारीकरण, कृषि मशीनीकरण, ग्रामीण सडको आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही है जिसके चलते ग्रामीण विकास आज भी अधूरा है जिसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से नाबार्ड उत्तरदायी है। जिसके कारण कृषि एक अलाभकर व्यवसाय बनी हुई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना :-

समन्वित ग्रामीण विकास हेतु यह आवश्यक है कि कृषि के ऊपर जनसख्या के दबाव को कम किया जाए और यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि ग्रामीणो के पास अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। नाबार्ड को यह दायित्व सौंपा गया कि वह ग्रामीण क्षेत्रो मे लघु एव कुटीर उद्योगो की स्थापना को बढावा दे, जिसके लिए नाबार्ड विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को अलग से पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करता है। ताकि वित्तीय सस्थाएं सरलतापूर्वक लघु एवं कुटीर उद्योगो की स्थापना हेतु ग्रामीणो को ऋण प्रदानकरे। किन्तु वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है,हमारे ग्रामीण क्षेत्र आज भी लघु एव कुटीर उद्योगो से पूर्णतया वंचित हैं यहा न तो बैंकों द्वारा ग्रामीणों को लघु उव कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु ऋण बाटे गये, नही किसानों को इनके बारे में किसी प्रकार की जानकारी प्रदान की, और न ही नाबार्ड के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रयास किए गए जिससे स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज भी ग्रामीणो

के पास रोजगार का एक मात्र साधन कृषि ही है। बढती हुई जनसख्या के कारण प्रतिदिन कृषि पर जनसख्या का दबाव बढता जा रहा है और कृषि व्यवसाय अलाभकर होता जा रहा है। नाबार्ड ने अपनी स्थापना के समय यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि इस शताब्दी की समाप्ति तक भारत के सभी गावो मे लघु एव कुटीर उद्योगो की स्थापना कर दी जायेगी जिससे कृषि से जनसख्या दबाव को कम किया जा सके। हमने नमूना आधार पर पचास गावो का सर्वेक्षण किया जिसमे से मात्र ग्यारह गाव ऐसे मिले जिनमे लघु एव कुटीर उद्योगो के नाम पर महिलाए घरो मे बीडी बनाती, झाडू बनाती, कागज के ठोगे बनाती मिली, उनसे बात करने पर ज्ञात हुआ कि इस काम के लिए भी उन्हे वित्तीय सहायता बैंको से नहीं मिली है बल्कि उन्होने अपने स्त्रोते से धन एकत्र करके रोजगार प्रारम्भ किया है। अर्थात आज मात्र २२ प्रतिशत गावो तक ही नाम मात्र के लघु एव कुटीर उद्योगो की स्थापना की जा सकी है। जिससे नाबार्ड की कार्य कुशलता हमे स्वय ही स्पष्ट हो जाती है।

व्यावसायिक बैंकों को ग्रामीण वित्त की ओर प्रोत्साहित करना :-

नाबार्ड की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना है। जिसके लिए नाबार्ड विभिन्न संस्थाओं की सहायता प्राप्त करता है जो कि ग्रामीण बैंकिग मे लगी हुई हैं। ग्रामीण बैंकिग मे लगी विभिन्न वित्तीय सस्थाओं के द्वारा ग्रामीण वित्त की पूर्ति का प्रयास किया जाता है किन्तु वे इसे पूरा करने मे असफल रहती हैं इसके अनेक कारण हैं, एक तो ग्रामीण वित्त की मांग अत्यधिक ज्यादा है, ज्यादातर वित्तीय सस्थाएं लम्बे समय से घाटे मे चल रही हैं, वित्तीय सस्थाओ मे आपस मे समन्वय का अभाव है, आदि कारणों से ग्रामीण वित्त की पूर्ति सुचारू रूप सें नहीं हो रही थी। नाबार्ड ने यह प्रयास किया कि व्यावसायिक बैंक भी ग्रामीण वित्त में योगदान दे, प्रारम्भ में तो व्यावसायिक बेकों ने ग्रामीण वित्त मे तनिक भी ध्यान न दिया क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लाभ का प्रतिशत ज्यादा था, लोग अपनी बड़ी-बड़ी बचतों को बैंकों में जमा करते थे, शहरों में सुरक्षा ज्यादा थी, ऋण डूबने का भय कम रहता था, जिससे

प्रारम्भ मे व्यावसायिक बैंको ने ग्रामीण वित्त मे योगदान न दिया बाद मे धीरे-धीरे व्यावसायिक बैंको ने ग्रामीण क्षेत्रो मे भी अपनी शाखाए खोल कर ग्रामीण वित्त मे योगदान करना प्रारम्भ किया है जबकि नाबार्ड ने अपनी ब्याज दर को घटाने का प्रलोभन दिया जिससे व्यावसायिक बैंको को अधिक लाभ मिल सके और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सीमा निर्धारित करना प्रारम्भ कर दिया कि प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को एक निश्चित धनराशि का ऋण ग्रामीण क्षेत्रो मे वितरित करना ही है। किन्तु नाबार्ड का यह प्रयास भी पूर्णतया सफल नहीं दिखाई पडता है। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि है। इस निधि की स्थापना नाबार्ड के द्वारा की गई थी ताकि प्रत्येक व्यावसायिक बैंक जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक ग्रामीण विकास हेतु ऋण वितरित न कर सके वह बची हुई शेष धनराशि को इस निधि मे जमा कर दें और नाबार्ड के द्वारा इस निधि का प्रयोग कृषि और ग्रामीण विकास हेतु किया जायेगा। हम देखे तो पायेगे कि इस निधि की संचयी जमा में वर्ष प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि होती जा रही है। अर्थात व्यावसायिक बैंक ग्रामीण वित्त की पूर्ति मे लगातार कमी करते जा रहे हैं। और ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करनें हेतु यह नितान्त आवश्यक है कि व्यावसायिक बैंक भी ग्रामीण वित्त की पूर्ति मे अपना योगदान दें ग्रामीण वित्तीय सस्थाए तो अपना लगातार प्रयास कर रहीं हैं किन्तु व्यावसायिक बैंको का योगदान एव सहयोग नितान्त आवश्यक है जो कि आज तक सुचारू एव व्यवस्थित रूप से ग्रामीणो को प्राप्त नहीं हो पाया है वैसे एक बात तो निश्चित है कि यदि व्यावसायिक बैंक सक्रिय रूप से ग्रामीण बैंकिग मे अपना योगदान कर दें तो भारतीय कृषि की काया कल्प ही हो जाए किन्तु दुर्भाग्य से ऐसा आज तक सम्भव नहीं हो पाया है।

अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति (Status of Non Performing Assets (NPAs) :-

वर्ष १९९२ में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और विवेकपूर्ण मानदण्डों की शुरूआत किये जाने के कारण भारतीय बैंकिग प्रणाली मे कुछ सरचनात्मक परिवर्तन आए हैं। विवेकपूर्ण मानदण्डो में पूंजी पर्याप्तता,

आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण जैसे चार प्रमुख पहलू शमिल हैं जो इस धारणा पर आधारित हैं कि आय निर्धारण औरप्रावधानीकरण बैंकिग प्रणाली की सुदृढता और स्थिरता को बनाए रखने के मूलतत्व हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बैंको मे विवेकपूर्ण मानदण्डो के कार्यान्वियन का अनुप्रवर्तन करता है। तो नाबार्ड सहकारी बैंको और क्षेत्रीय बैंको के मामले मे इसी काम के प्रयोग को सुनिश्चित करता है। इन मानदण्डो को शुरू करने से अतिदेय के क्षेत्र के स्थान पर अनुत्पादक आस्तियो सम्बधी अनुशासन के क्षेत्र मे स्थित्यतरण आया है जिससे लेखाकन के काम मे और अधिक पारदर्शिता आई है।

सहकारी बैंकों की अनुत्पादक अस्तियां :-

सहकारी बैंको की ३१ मार्च २००० की स्थिति के अनुसार कुल बकाया और अग्रिमो के समक्ष अनुत्पादक आस्तिया १० ७ प्रतिशत (राज्य सहकारी बैंक) और १७१ प्रतिशत (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) की थी। ३१ मार्च १९९९ को ये १२ ३ प्रतिशत (राज्य सहकारी बैंक) और ११८ १ प्रतिशत (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक) की थी। राज्य सहकारी कृषि और ग्राम्य विकास बैंको की अनुत्पादक अस्तिया, उनके बकाया ऋणो और अग्रिमो के समक्ष, पिछले वर्ष के अत मे १९ ०६ प्रतिशत से मामूली सी घट गई और ३१ मार्च २००० को १८ ६६ प्रतिशत रह गई थी। प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मामले में पिछले वर्ष के २१ ९४ प्रतिशत से घट कर ३१ मार्च २००० को १९ ९८ प्रतिशत हो गई थी। जिसे हम निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं -

मे २१५६ ७९ करोड रूपया और प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मामले मे १,५१८ ८७ करोड रूपया की थी। जिसे हम निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं -

सहकारी बैंकों की अनुत्पादक आस्तियों की स्थिति (31 मार्च 2000 की स्थिति)

(करोड़ रूपये में)

आस्ति वर्ग	रा0स0 बैंक	जि0म0स0 बैंक	रा0स0कृ0 ग्रा0वि0 बैंक	प्रा0स0कृ0 ग्रा0वि0 बैंक
अवमानक आस्तिया	1247 82 (45 2)	3723 33 (49 4)	1210 85 (56 1)	867 91 (57.1)
सदिग्घ आस्तिया	1373.95 (49 8)	2918 85 (38 7)	937 49 (43 5)	613.97 (40.4)
घाटे की आस्तिया	136.51 (5.0)	901 25 (11.9)	8 45 (0 4)	36 99 (2 5)
कुल अनुपादक आस्तिया	2785 28 (100 00)	7543 43 (100.00)	2156 79 (100 00)	1518.87 (100.00)
कुल बकाया ऋणों के समक्ष अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत	10 73	17.14	18 66	19 9

(कोष्टकों मे दी गई संख्या जोड का प्रतिशत दर्शाती है।)

सहकारी बैंकों (31 मार्च) के बकाया ऋणों से अनुत्पादक आस्तियों का प्रतिशत

एजेंसी	1997–98	1998–99	1999–2000
रा०स० बैंक	12.12	12.30	10 73
जि०म०स० बैंक	17.80	18 10	17 14
रा०स०कृ०ग्रा०वि० बैंक	19 44	19 06	18 66
प्रा०स०कृ०ग्रा०वि० बैंक	16 68	21 94	19 98

स्त्रोत :- वार्षिक रिपोंट नाबार्ड (२०००-०१)

३१ मार्च २००० की स्थिति के अनुसार अस्तियो का सफल योग, राज्य सहकारी बैंक के संदर्भ में २,७५८.२८ करोड़ रूपया और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के सदर्भ मे ७,५४३ ४३ करोड़ रूपया था। दीर्घावधि ऋण ढ़ांचे की अनुत्पादक आस्तियां, राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के मामले

आस्तियों में क्षरण :-

राज्य सहकारी बैंको का घाटा ३१ मार्च १९९९ को ५१६ करोड रूपया का था जो कि ३१ मार्च २००० को घटकर ४९७ करोड रूपया हो गया और यह पिछले वर्ष के अत के १ २८ प्रतिशत के मुकाबले कुल आस्तियो का १ ०३ प्रतिशत होता है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक स्तर पर कुल घाटा ३१ मार्च २००० को २,८१७ करोड रूपया रह गया। जिसे हम निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं -

मार्च 2000 के अन्त में कुल घाटा :-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	रा0स0 बैंक	जि0म0स0 बैंक	रा0स0कृ0 ग्रा0वि0 बैंक	प्रा0स0कृ0 ग्रा0वि0 बैंक
1997	57	1758	234	385
1998	301	2143	402	546
1999 *	516	2483	587	669
2000 *	497	2817	779 @	891 @

* लेखा परीक्षा न होने के कारण परिवर्तनीय

@ अनतिम

१२ राज्य सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैंकों का कुल घाटा ३१ मार्च २००० को ७७९ करोड़ रूपये तक जा पहुचा था जो पिछले वर्ष के अंत में ५८७ करोड़ रूपया था। ९ राज्यों में फैले हुए प्राथमिक कृषि और ग्राम्य विकास बैंक के स्तर पर उन्हीं वर्षो के दौरान यह घाटा क्रमश· ८९१ करोड़ का और ६६९ करोड़ का था और यह कुल बकाया ऋणों का ११.७२ प्रतिशत होता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनुत्पादक आस्तियां :-

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की अनुत्पादक आस्तियो का आकलन पहले-पहल १९९६ मे किया गया। तब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको मे विवेकपूर्ण मानदण्ड लागू किये गये थे तब उनकी अनुत्पादक आस्ति उनके सकल बकाया ऋणो और अग्रिमो के ४३ प्रतिशत तक की थी, तब से अनुत्पादक आस्तियो का स्तर निरतर घटता आया है और ३१ मार्च २००१ को यह २३ १ प्रतिशत था और इसके बाद उत्तरी क्षेत्र १६ ३ प्रतिशत का था, पूर्वोत्तर क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की अनुत्पादक आस्तियो का स्तर सर्वाधिक था जो ४६ ६ प्रतिशत था। राज्यो मे केरल मे अनुत्पादक आस्तिया सबसे कम अर्थात ४ १ ९ प्रतिशत ही थी जब कि त्रिपुरा का स्तर सर्वाधिक था और वह ७५ ६ प्रतिशत था ।

नाबार्ड के प्रति ग्राहक संस्थाओं की चूक :-

नाबार्ड ने ग्राहक सस्थाओ अर्थात क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको, राज्य सहकारी बैंको और भूमि विकास बैंकों पर खासकर उन पर लगातार नजर रखने के लिए जिनका वसूली स्तर नीचे है तथा जिनके चूक का इतिहास रहा हो, एक अलग कक्ष का गठन किया गया है। लम्बे अरसे से चूक करते आ रहे राज्य सहकरी कृषि और ग्राम्य विकास बैंको के मामले मे जिनमे पुनर्वित्त सुविधा इस शर्त पर दी जाती है कि सभी ऋण राज्य सरकारो द्वारा पूर्णत गांरटीकृत हो, उन मामलो मे नाबार्ड राज्य सरकारो को विभिन्न स्तरो पर यह समझाता रहा है कि वे विचार विमर्श के माध्यम से चूको के सबध मे निर्बाधिता जारी करे। नाबार्ड स्थायी तौर पर वित्तीय व्यवहार्यता हासिल करने की दिशा मे सस्थाओ को पुनरूज्जीवित करने की दृष्टि से कार्ययोजना तैयार करने मे बैंको की मदद कर रहा है। इसी प्रकार, जहा ऐसे उपायों के बावजूद वसूली बराबर नहीं हो पा रही है, उन मामलो को भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, बैंकिग प्रभाग (वित्त मत्रालय), भारत सरकार के समक्ष उठाया गया। ऐसे सघन प्रयासो के कारण चूककर्ता सस्थाओ की सख्या

और चूक की राशि मे हाल के कुछ वर्षों मे कमी आई है। जिसे हम निम्न तालिका द्वारा प्रदशित कर सकते हैं -

नाबार्ड के प्रति ग्राहक संस्थाओं की चूक

(लाख रूपये में)

रा0स0कृ0ग्रा0वि0 बैंक के नाम	31–07–2000	31–03–2001
असम रा स कृ ग्रा वि. बैंक	69.20	53 36
बिहार रा.स.कृ.ग्रा वि. बैंक	12804 57	13426 58
उड़ीसा रा.स.कृ.ग्रा वि बैंक	2533.06	------
त्रिपुरा रा.स.कृ.ग्रा.वि. बैंक	110.26	------
मणिपुर रा.स कृ ग्रा.वि. बैंक	26.15	28 05
महाराष्ट्र रा.स कृ.ग्रा.वि बैंक	10189.57	------

उपरोक्त विवेचना से हमे नाबार्ड एव उससे सम्बन्धित वित्तीय इकाइयो की अनुत्पादक आस्तियो की वर्तमान स्थिति स्पष्ट होती है। किसी भी व्यवसाय मे, उद्योग मे या वित्तीय सस्थान मे यदि अनुत्पादक आस्तियो की सख्या बढ जाती है या लगातार बढती जाती है तो यह चिताजनक स्थिति कही जाती है क्योकि इनका सीधा प्रभाव सस्थान की लाभदायता क्षमता पर पडता है। माननीय वित्त राज्य मत्री श्री बाला साहेब विखे पाटील ने ३० अप्रैल २००० को लखनऊ मे आयोजित 'ग्रामीण ऋण' विषय की एक सगोष्ठी मे यह स्पष्ट तौर पर कहा ''किसी भी ऋण प्रणाली को सदा व्यवहार्य और अपने परिचालनो को चिर स्थायी बनाए रखना हो तो, उसके लिए यह जरूरी है कि अपने ग्राहको के ऊपर साल ऋण अनुशासन लागू करे, सहकारी बैंको को चाहिए कि वे कम वसूली की समस्या को सुलझाये, उन्हे अन्यत्र, अपने जैसी समधर्मी सस्थाओ से पाठ सीखना पडेगा, जिनकी वसूली कार्य निष्पादकता लगातार अच्छी देखने को मिलती है।''

ऋणो की वसूली में असाधारण देरी होने से अनुत्पादक आस्तिया बनती हैं जिससे ग्रामीण वित्तीय सस्थाओं की तरलता बुरी तरह प्रभावित होती है और इससे परिपक्व होती देयताओ को चुका पाने की उनकी क्षमता घटती जाती है। अनुत्पादक आस्तियो के रूप मे अवरूद्ध निधियो के वित्तीय मध्यस्थ के रूप मे लगने वाली लागत बढती है क्योकि अनुत्पादक आस्तियो के कारण नकदी के आगम और नकदी भुगतान मे आने वाले असतुलन को कम करने के उपाय के रूप मे ग्रामीण वित्तीय सस्थाए जमा सग्रहण बढ़ाती हैं और ऊँची लागत पर उधार लेती है, इस कारण बैंको की अल्पकालिक और दीर्घकालिक लाभदायकता प्रभावित होती है। अनुत्पादक आस्तियो मे फसी धनराशि उत्पादक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं होती है और बैंक जिस सीमा तक इनके लिए प्रावधान करते है अथवा इन्हे बट्टे खाते डालते हैं तो भी ये सब इनके लाभो पर भार ही होते हैं। इसे पूरा करने के लिए बैंको को अपने ईमानदार, भरोसेमद और लाभदाता ग्राहकों से ऊँची दरों पर ब्याज लेना पड़ता है। इस प्रकार यह कौशल पर लगाया गया कर जैसा होता जाता है यनि कि जो ग्राहक दक्षता से ऋण का उपयोग करे उन्हें ऐसे ग्राहकों को भरपाई देनी पड़ेगी

और यदि ऋण का अदक्षता से उपयोग किया जाए तो वहा अनुत्पादक आस्ति बन जाती है। इससे प्रणाली मे लेन-देन की लागत बढ जाती है इस प्रकार से भरोसेमद ऋण ग्राहको को कम ब्याज दर के लाभ से वचित किया जाता है। कम ब्याज दर से वे फायदे मे होते और वे दक्ष हो जाते। अनुत्पादक आस्तियो के बढ जाने से ग्रामीण ऋण सस्थाओ की जोखिम उठाने की क्षमता भी घटती है तथा पूजी अशदान (प्रथम श्रेणी पूजी) के लिए जनता के पास जाने का रास्ता भी सीमित हो जाता है। इसमे आश्चर्य नहीं कि 'कमेटी ऑन नान परफार्मिंग एसेट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक(१९९८)' का निष्कर्ष कि अनुत्पादक आस्तिया एक दुधारी तलवार है जो बैंक की लाभप्रदता पर वार करती है, सही है, एक ओर जहा बैंक अनुत्पादक आस्तियो के अपने खातो मे आय (ब्याज) का निर्धारण नहीं कर पाते, वहीं दूसरी ओर यह, निधियो की लागत के कारण बैंक की लाभदायकता को सफाचट कर जाती है। सक्षेप मे यह कहाजा सकता है कि अनुत्पादक आस्तिया केवल बैंकों की समस्या नहीं है वरन् यह बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था और समाज की भी समस्या है। वित्तीय संस्थाओ की एक महत्वपूर्ण समस्या अनुत्पादक आस्ति है क्योकि इससे सस्थाओ को दोहरी हानि होती है एक तो संस्थाओं के कोष उत्पादक कार्यो मे प्रयोग नहीं हो पाते हैं जिससे सस्थाओ की लाभदायकता क्षमता में कमी आती है वहीं दूसरी ओर सस्थाओ को अपने उन ग्राहको से जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनसे अत्यधिक ज्यादा दर से ब्याज की वसूली करनी पडती है जिससे ग्राहको के साथ अन्याय होता है और उनसे सौतेलापन का व्यवहार हो जाता है। वर्तमान समय मे ग्रामीण विकास से जुडी लगभग समस्त वित्तीय सस्थाओ मे अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति सोचनीय बनी है जिसके कारण वित्तीय सस्थाए लगातार घाटे में जा रही है जिससे ग्रामीण विकास का लक्ष्य अधूरा रह जाता है।

नाबार्ड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने हेतु हमनें नाबार्ड के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का साक्षात्कार लिया व उत्तर प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो में जाकर ग्रामीणो का साक्षात्कार लिया, जिस के आधार पर नाबार्ड की ग्रामीण विकास के संदर्भ में असफल भूमिका स्पष्ट होती है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र आज भी मौलिक आवश्यकताओ से वचित है, सर्वेक्षण मे हमे कुछ क्षेत्र तो ऐसे मिले जहां के लोग नाबार्ड के

नाम से भी परिचित नहीं है, गावो मे आज भी सिचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, किसानो के पास फसल भण्डारीकरण की व्यवस्था आज भी उपलब्ध नहीं है, आज भी उत्तर प्रदेश के अनेक गाव ऐसे हैं जिनमे यातायात की सुविधा आज भी उपलब्ध नहीं है, आज भी स्थिति ये बनी हुई है कि यदि बारिश समय से न हो तो प्रदेश सूखा ग्रस्त हो जाता है अर्थात् सिचाई के साधन आज भी मौजूद नहीं है। वित्तीय सस्थाए ग्रामीण वित्त की माग को पूरा करने मे असफल हो रही है, वे लगातार घाटे मे चल रही है, उनमे आपस मे उचित तालमेल का अभाव होता जा रहा है, बैंकिग प्रणाली आज भी सरल एव लोचपूर्ण नहीं हो पायी है, जिसके चलते ग्रामीण किसान को आज भी समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है और मजबूरी वश किसानो को साहूकारो एव देशी बैंकरो की शरण लेनी पड़ती है अर्थात हमारी बैंकिग व्यवस्था मे सुधार न होने की वजह से गैर सस्थागत स्रोतो को बढ़ावा मिलता है और अनेक नियत्रणो के बावजूद गैर संस्थागत स्रोत फलफूल रहे हैं। हमारी बैंकिग कमियो की वजह से किसान आज भी वित्त प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है, कभी संस्थागत स्रोतों से तो कभी गैर संस्थागत स्रोतो से वित्त प्राप्त करके अपनी कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और यदि समय से उसे वित्त प्राप्त न हो सका तो उसकी फसले सूख जाती हैं, सड़ जाती हैं एव बरबाद हो जाती हैं। आज भी किसान हमारी गलतियो या कमियो का हर्जाना भर रहा है क्योकि दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वाले लोग तो बडी-बड़ी कुर्सियो एव पदो पर बैठ कर आराम करते हैं और समस्याओ से तो बेचारे गरीब किसान को ही जूझना पड़ता है। वास्तविकता यही है कि ग्रामीण क्षेत्रो मे आज भी वैसे सुधार नहीं हो पाये हैं जिनकी आशा नाबार्ड की स्थापना के समय की गई थी।

नाबार्ड की वर्तमान स्थिति स्पष्ट करने हेतु हमने कुछ व्यक्तियो से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सूचनाए एकत्र की हैं जो कि निम्नवत हैं -

नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ मे उपमहाप्रबन्धक पद पर कार्यरत श्री ए0 के0 पालीह से मैंने व्यक्तिगत साक्षत्कार द्वारा निम्न जानकारिया प्राप्त किया -

प्रश्न :- आप के अनुसार नाबार्ड की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर :- नाबार्ड की स्थापना के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना, सिचाई की समुचित व्यवस्था करना, गावो को शहरी क्षेत्र से जोड़ना, यातायात की समुचित व्यवस्था करना तथा बैंकों के मध्य उचित समन्वय स्थापित करना है।

प्रश्न :- उत्तर प्रदेश मे नाबार्ड अपने उद्देश्यो की प्राप्ति मे किस हद तक सफल रहा है ?

उत्तर :- हम ये तो नहीं कह सकते कि हम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के अपने लक्ष्य को पूर्णतया प्राप्त कर लिया है,किन्तु फिर भी हमने काफी स्तर तक प्रयास किये हैं व सफलता प्राप्त की है। हमने पाच हजार से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गांव मे एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खेलने का प्रयास किया है, कृषि यत्रीकरण हेतु उन्नतशील बीज, खाद, कीटनाशक दवाइया क्रय करने हेतु कम ब्याज दर पर ऋण वितरित करने हेतु बैंको को निर्देश दिये गये है।

प्रश्न :- क्या उत्तर प्रदेश मे पाच हजार से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गाव मे बैंक की शाखा खोल दी गई है ?

उत्तर :- नहीं अभी यह कार्य पूरी तरह से तो सम्पन्न नहीं हो पाया है, उत्तर प्रदेश के लगभग ५८ प्रतिशत गावो में हमने शाखाए खोल दी है और हमारा लक्ष्य है कि ३१ दिसम्बर

२००५ तक प्रदेश के समस्त गाव जो इस श्रेणी मे आते हैं उनमे हम वित्तीय सस्थाओ की शाखा अवश्य खोल देगें।

प्रश्न :- नाबार्ड की स्थापना हुए बीस वर्ष पूर्ण हो चुके हैं फिर क्या कारण है कि अभी तक आपके लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सके हैं ?

उत्तर :- नाबार्ड ने अपने स्थापना काल (१९८२) से लेकर आजतक (२००२) तक ग्रामीण विकास के सदर्भ मे अनेक कार्य किये और इसे हम अपनी कार्य विधि या सिस्टम का दोष दे सकते हैं कि आज भी अनेक लक्ष्य अधूरे पडे हुए हैं उसका प्रमुख कारण अत्यधिक समय लेने वाली हमारी कागजी कार्यवाही है जिसके कारण हमारी कोई भी योजना समय से पूर्ण नहीं हो पाती है। मान लीजिये हमे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की एक शाखा किसी नये स्थान पर खोलनी है तो इसके लिए वित्त मत्रालय की स्वीकृति, भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति ग्रामीण बैंक के प्रबन्धको की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होती है जिसके लिए हमे महीनों का समय लग जाता है और हमारे लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं।

प्रश्न :- आज ग्रामीण क्षेत्र में वित्त की पूर्ति किस प्रकार की जा रही है ?

उत्तर :- आज किसानो को उनकी ग्रामीण वित्त की माग का ७५ प्रतिशत भाग की पूर्ति सस्थागत स्त्रोतो द्वारा की जा रही है और शेष की पूर्ति किसान अपने निजी साधनो से या गैर सस्थागत स्रोतो से कर लेता है।

प्रश्न :- यदि हम यह मान भी लें कि ग्रामीण वित्त का ७५ प्रतिशत भाग सस्थागत स्रोतो द्वारा पूर्ण किया जा रहा है फिर भी २५ प्रतिशत भाग पर गैर संस्थागत स्रोतो का आधिपत्य क्यो है?

उत्तर :- देखिए इसका प्रमुख कारण किसानो की अशिक्षा है उनमे जानकारी का अभाव होने के कारण वे आज भी बैंकों से ऋण लेने मे हिचकिचाते है व बैंक की कागजी कार्यवाही से

दूर भागते है, वहीं पर साहूकार उन्हे मात्र सादे कागज पर अगूठा लगवाकर मनमानी व्याज दर पर तत्काल ऋण प्रदान कर देते हैं इसमे थोडा दोष हमारी बैंकिग पद्धति का भी है जिसमे आज भी लम्बी कागजी कार्यवाही मौजूद है और बैंक कर्मी भी निरक्षर किसान की मदद नहीं करना चाहते हैं।

प्रश्न :- नाबार्ड का लक्ष्य था कि साहूकारो एव देशी बैंकरो पर पूर्णतया नियत्रण किया जायेगा किन्तु फिर भी ये आजतक जीवित है व ग्रामीण वित्त पूर्ति मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ?

उत्तर :- इसका प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव है, किसान आज भी यही मानते हैं कि सरकारी ऋण अत्यधिक बुरा है और इसके चगुल से जल्द आजाद होना भी कठिन है और वे बैंको से ऋण लेने के बजाए, साहूकारो से ऋण प्राप्त करते हे। सरकार ने देशी बैंकरों पर रोक लगानें के उद्देश्य से बैंकिग अधिनियम तक पारित कर दिये जिसमें वित्तीय सस्थाओ के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा मुद्रा का व्यवसाय करने की पूर्णतया रोक लगा दी गई किन्तु देशी बैंकरों पर नियत्रण नहीं हो सका क्योकि स्वय किसान ही उनको बढ़ावा देते है जिसके कारण सरकार ने अन्त मे लाइसेन्स व्यवस्था लागू कर दी कि देशी बैंकर लाइसेन्स लेकर मुद्रा का व्यवसाय कर सकते है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट हैं या इसमे सुधार हेतु कुछ सुझाव आप दे सकते हैं ?

उत्तर :- मेरे विचार से नाबार्ड की कार्यप्रणाली मे कोई दोष नहीं है क्योकि पिछले बीस वर्षो के नाबार्ड के योगदान को हम नकार नहीं सकते हैं। जिसमे नाबार्ड ने अभूतपूर्व व अवर्णननीय कार्य किये हैं। हां आवश्यकता है ग्रामीण क्षेत्रों मे जागरूकता की, शिक्षा की, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की, विभिन्न शिविरों एव कार्यक्रमो की जिसमे किसानों को विभिन्न बैंकिग

सुविधाओ की जानकारी प्रदान की जाय। समाजसेवी सस्थाओ को चाहिए कि वे ग्रामीण क्षेत्रो मे जाकर परिवार नियोजन के साधनो के विषय मे जानकारी दे, बूढ़ो और प्रौढो को शिक्षित करे, लडकियो को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करे, जनसख्या नियत्रण का प्रयास करे ताकि किसानो में जागरूकता आ सके। जब तक किसानो मे जागरूकता नहीं आयेगी तब तक हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आज सबसे अधिक आवश्यकता है किसान को शिक्षित करने की ताकि वह सहीं ढग से उचित व अनुचित का निर्णय ले सके।

नाबार्ड के इलाहाबाद स्थित मण्डल कार्यालय मे उप महाप्रबन्धक पद पर कार्यरत श्री दीपक कुमार से व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा मैंने निम्न जानकारिया प्राप्त की।:—

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड की कार्य प्रणाली से सतुष्ट हैं ?

उत्तर :- वैसे तो नाबार्ड ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहा है। किन्तु इसकी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है जैसे- नाबार्ड को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य करना चहिए, ग्रामीणो से सम्पर्क स्थापित कर उनकी वित्तीय आवश्यकताओ का अनुमान लगाना चाहिए, ग्रामीण विकास मे लगी समस्त वित्तीय सस्थाओ मे अपने अधिकारी नियुक्त करने चाहिए तथा प्रत्येक जिले मे नाबार्ड के आफिस होने चाहिए जिससे किसानो से सरलता पूर्वक सम्पर्क स्थापित हो सके व किसानो को यदि बैंकों से शिकायत हो तो उसकी जानकारी प्राप्त हो सके, तथा बैंकों पर पर्याप्त नियत्रण किया जा सके।

प्रश्न :- नाबार्ड जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रो मे शिविर एव कार्यक्रम आयोजित करनें की योजना बना रहा है, क्या यह प्रयास पर्याप्त है ?

उत्तर :- नाबार्ड ने स्वय इस बात की आवश्यकता महसूस की कि उसे जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करना चाहिए जिसके लिए नाबार्ड ने यह योजना बनाई कि ग्रामीण क्षेत्रों मे स्थापित वित्तीय संस्थाओं के द्वारा शिविरों एवं कैम्पो का आयोजन करवाया जाए जिसमे क्षेत्र के

ग्रामीणो को एकत्रित करके बैंकिग सुविधाओ की जानकारी प्रदान की जाय और इन शिविरो का समस्त व्यय नाबार्ड द्वारा वहन किया जायेगा और कार्यक्रम की रिपोर्ट बैंको द्वारा नाबार्ड को भेजी जायेगी किन्तु यह प्रयास भी पर्याप्त नहीं दिखता क्योकि इसमे नाबार्ड द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है, बैंकों को ही कार्यक्रम आयोजित करने व उसकी रिपोर्ट प्रेषित करने का दायित्व सौपा गया है और कोई भी व्यक्ति अपनी कमिया पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं करता है उसी प्रकार से ये वित्तीय सस्थाए भी अपनी कमिया एव असफलताए पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करेगी जिससे सही स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकेगी।

प्रश्न :- आज ग्रामीण विकास मे लगी लगभग सभी वित्तीय सस्थाओ मे अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति चिताजनक बनी है, इस बारे मे आप क्या कर रहे हैं ?

उत्तर :- ये सही है कि ग्रामीण विकास मे लगी वित्तीय सस्थाओ मे अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति सतोषजनक नहीं है, इसका सबसे प्रमुख कारण है बैंकों का ऋण वसूली अनुपात अत्यधिक न्यूनतम होना, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किये गये कुल ऋणो का लगभग ४२ प्रतिशत भाग तो प्रतिवर्ष डूबता ही है जिससे लगातार अनुत्पादक आस्तियो की सख्या मे वृद्धि हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रो मे असावधानी पूर्वक ऐसे कार्यो के लिए भी ऋण प्रदान कर दिया जाता है जिसमे पैसा वापस होने की सम्भावना शून्य होती है और किसान लापरवाही एव प्राकृतिक आपदाओ के कारण ऋण वापस करने मे असमर्थ हो जाता है जिसमे सरकारी पैसा डूबता है व अनुत्पादक आस्तियो मे वृद्धि होती है, ग्रामीण वित्तीय सस्थाओ को भी व्यवसायिक बैंको की नीति अपनानी चाहिए, एक छोटे से उदाहरण के तौर पर व्यवसायिक बैंको ने प्रधानमत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की जिसमें हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट पास लड़को को क्रमश· पचास हजार एवं एक लाख रूपया मात्र मार्कशीट के आधार पर प्रदान करनें की व्यवस्था है किन्तु साथ ही बैंकों को भी यह सख्त निर्देश है कि बैंक का पैसा डूबना

भी नहीं चाहिए इसी लिए मैनेजर बिना जमानत या गारन्टी के ऋण प्रदान नहीं करते हे जबकि इस योजना मे जमानत का कोई प्रावधान नहीं है इससे सरकारी पैसा सुरक्षित रहता है व व्यवसायिक बैंकों मे अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति भी सतोषजनक है।

प्रश्न :- नाबार्ड को वित्तीय (बैंकिग) सस्थाओ के मध्य समन्वय स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया था क्या नाबार्ड इसे पूर्ण कर पाया है?

उत्तर :- नाबार्ड को बैंकिग सस्थाओ के मध्य उचित तालमेल एव समन्वय स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया था, जिसे नाबार्ड ने जिम्मेदारी पूर्वक निभाया ताकि ग्रामीण विकास मे लगी विभिन्न वित्तीय सस्थाए एक दूसरे के पूरक के रूप मे कार्य कर सके व आवश्यकता पडने पर आपस मे एक दूसरे की मदद कर सके किन्तु अभी हाल के कुछ वर्षो मे इनमे समन्वय का अभाव हुआ है और इनके द्वारा भी नाबार्ड के अधिकारो के विकेन्द्रीकरण की माग की जा रही है, जिनमे सबसे प्रमुख रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की सस्था बनने की माग प्रमुख है आज ग्रामीण बैंक स्वय नाबार्ड की भाति एक राष्ट्रीय बैंक बनने की माग कर रहा है।

प्रश्न :- क्या नाबार्ड ने समन्वित ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है?

उत्तर :- नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये हैं, जिनमे सहकारी सस्थाओ को सरक्षण प्रदान करना, गावो मे बैंको की शाखाए खोलना, कृषि भण्डारीकरण की व्यवस्था करना, यातायात की समुचित व्यवस्था करना, एव कृषि वैज्ञानिकीकरण आदि प्रमुख हैं किन्तु आज भी ग्रामीण विकास पूर्ण नहीं है क्योकि आज भी हमारे अनेक लक्ष्य अधूरे हैं जैसे सिंचाई के स्थायी साधनों की पूर्ण व्यवस्था नहीं हो सकी है, प्रदेश के सभी गांवो को शहरी मार्गो से नहीं जोड़ा जा सका है, फसल भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था पूरे प्रदेश में उपलब्ध नहीं है, गांवों में लघु एव कुटीर उद्योग आज

भी स्थापित नहीं किये गये हैं और सबसे बडी कमी, ग्रामीण वित्त के एक बडे भाग की पूर्ति आज भी गैर-सस्थागत स्त्रोतो द्वारा की जा रही है।

प्रश्न :- नाबार्ड की भविष्य मे क्या सम्भावनाये हैं?

उत्तर :- आज तो हमारी अनेक योजनाए एव लक्ष्य अधूरे हैं किन्तु हम यह आशा करते हैं कि वर्ष २००५ तक हम अपने ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगे और समस्त प्रदेश मे सिचाई की, वित्त की, भण्डारीकरण की, यातायात की, रोजगार की समस्त आवश्यकताओ को पूर्ण कर लेगे।

इसके अतिरिक्त हमने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलो मे जाकर ग्रामीणो से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा नाबार्ड के विषय मे जानकारी एकत्रित की जिनका विवरण निम्नवत है -

श्री प्रेम नारायण अवस्थी निवासी ग्राम - चाद्पुर जिला फतेहपुर जो कि गाव के पोस्टमैन हैं और कृषक भी हैं उनसे हमने निम्न सूचनाए प्राप्त कीं -

प्रश्न :- आपके गाव मे वित्त पूर्ति के क्या साधन उपलब्ध हैं?

उत्तर :- हमारे गाव मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है तथा कोआपरेटिव सस्था भी है लेकिन इन दोनो ही सस्थानो से हमे समय से ऋण प्राप्ति नहीं हो पाती है खास कर हमारी अल्प कालीन आवश्यकताओ हेतु जिनके लिए हमे तत्काल ऋण की आवश्यकता होती है और सस्थागत स्त्रोतो से हमे समय पर ऋण नहीं मिल पाता है इसलिए हमे अपने निजी साधनो का ही सहारा लेना पड़ता है।

प्रश्न :- क्या आपकों वित्तीय सस्थाओ से बिल्कुल ऋण प्राप्त नहीं होता है?

उत्तर :- नहीं ऐसा नहीं है, हमें वित्तीय सस्थाओं से ऐसे ऋण प्राप्त हो जाते हैं जिनकी हमे जल्दी न हो जैसे मैने ट्रैक्टर ग्रामीण बैंक से ऋण द्वारा प्राप्त किया है और मुझे ऋण प्राप्त होने मे लगभग तीन माह का समय लगा है जबकि मैं इण्टरमीडिएट तक पढ़ा-लिखा हूँ इसलिए हमारा निरक्षर किसान तो सरलता पूर्वक ऋण प्राप्त ही नहीं कर सकता है।

प्रश्न :- आप के गाव मे सिचाई के क्या साधन हैं?

उत्तर :- हमारा गाव काफी बड़ा है यहा की आबादी लगभग १५००० के आस पास है और सभी के पास काफी कृषि भूमि है, सिचाई के साधन के नाम पर एक सरकारी ट्यूबवेल है जो कि ज्यादातर बन्द पड़ा रहता है या खराब रहता है, हमारे गाव के आस पास न तो कोई नदी है और न ही कोई नहर है इसलिए गाव के कुछ रईस लोगों ने अपने निजी ट्यूबवेल

लगवा रखे हैं जिनके द्वारा मनमाना पैसा लेकर सबको पानी दिया जाता है, गरीब किसान तो बारिश का इन्तजार करता है या फिर किसी प्रकार से एकाध बार पानी लगवा पाता है जिससे उसकी फसल खराब होती है।

प्रश्न :- क्या आपके गाव मे फसलो को रखने की पर्याप्त सुविधा है?

उत्तर :- हमारी फसले खलिहानो मे ही पडी रहती हैं सुना तो हमने भी है कि सरकार के द्वारा कृषि भण्डारीकरण की व्यवस्था की जा रही है, बडे-बडे गोदाम, कोल्डस्टोरेज बनवाये जा रहे हैं किन्तु हमारे गाव मे ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारी फसले खुले खेत मे ही पड़ी रहती है।

प्रश्न :- क्या तैयार फसल बेचने हेतु सरकारी मण्डियो की व्यवस्था है?

उत्तर :- हमारे गॉव मे तो सरकारी मण्डिया नहीं हैं हा गाव से चालीस किलोमीटर दूर घाटमपुर और दूसरी ओर पैंतालिस किलोमीटर दूर फतेहपुर है जहॉ मण्डी हैं हम अपनी फसले किराये की गाडियों में लादकर इतनी दूर नहीं ले जा पाते हैं और वहीं गाव के ही व्यपारियों को अपनी फसले बेच देते है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के बारे मे जानते हैं?

उत्तर :- नहीं मुझे नाबार्ड के बारे मे कोई जानकारी नहीं है।

श्री अरुण कुमार ग्राम प्रधान - चादपुर, जिला- फतेहपुर से मैंने व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा निम्नलिखित जानकारिया प्राप्त कीं -

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के बारे मे जानते हैं?

उत्तर :- हा मैंने समाचार पत्रो मे पढा है कि गाँवो का विकास करने के लिए सरकार ने नाबार्ड नाम का एक अलग से बैंक बनाया है जो कि गाव के विकास का कार्य करता है।

प्रश्न :- आपको आवश्कता पडने पर ऋण किस प्रकार प्राप्त होता है?

उत्तर :- हमारे गाँव मे ग्रामीण बैंक है व कोआपरेटिव सस्था भी है किन्तु हमे इनसे ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है क्योकि हमारी ज्यादातर आवश्यकताए तत्काल पूर्ति वाली होती है जिनके लिए तुरन्त धन की आवश्यकता पडती है जो कि हमे अपने निजी साधनो से ही तत्काल प्राप्त हो पाता है।

प्रश्न :- क्या आप लोगों को कभी बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती है?

उत्तर :- नहीं ऐसा नहीं है हम लोग बैंक से ऋण लेते है लेकिन ऐसे कार्यों के लिए जिनके लिए जल्दी न हो जैसे - कृषि उपकरण खरीदने के लिए, सिचाई की स्थाई व्यवस्था करने हेतु, ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रिलर, थ्रेशर आदि खरीदने के लिए, गोदाम आदि बनवाने के लिए हम लोग बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं।

प्रश्न :- अगर आप लोगो को बैंकिग प्रणाली से असतोष है तो आप लोग ऊपर शिकायत क्यो नहीं करते हैं?

उत्तर :- हम लोग किसान आदमी हैं, खेती करके किसी तरह अपना जीवन-यापन करते हैं उसमें ये शिकायत या सरकारी लड़ाई लडना हमारे वश की बात नहीं हैं।

प्रश्न :- गाव मे सिचाई के साधन कैसे हैं?

उत्तर :- गाव मे एक सरकारी ट्यूबवेल है व आठ दस निजी ट्यूबवेल है जिनसे सिचाई की व्यवस्था हो जाती है वैसे किसान तो मुख्य रूप से बारिश के पानी पर ही निर्भर करता है।

प्रश्न :- क्या अभी हाल मे आपके गाव मे कुछ विकासात्मक कार्य हुए हैं?

उत्तर :- हमारा गाव तो उन्नतशील गाव कहा जायेगा यहा गाव तक पक्की सडके हैं, गाव मे ही बिजली पावर हाउस व थाना है, गाव मे कन्या जूनियर हाईस्कूल विद्यालय है, तथा इस वर्ष उम्मीद है कि मैं पूरे गाव मे ईंटो की सोलिग करवा दूगा, कुल मिलाकर हमारा गाव अन्य गावो से अच्छा ही है।

प्रश्न :- क्या आपके गाव मे लघु या छोटे उद्योग स्थापित किये गये हैं?

उत्तर :- हमारे गाव मे अभी हाल के वर्षो मे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमारे गाव के गिने-चुने लोग सरकारी नौकरियो मे हैं कुछ लोग दिल्ली, बम्बई जैसी बडी जगहो पर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं शेष लगभग ९५ प्रतिशत लोग खेती से ही अपना जीवन-यापन कर रहे हैं इसके अतिरिक्त यहा कोई अन्य कार्य नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (चॉदपुर, सठिगवा) फतेहपुर मे कार्यरत एक कर्मचारी से व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा मैंने निम्नलिखित जानकारिया प्राप्त की -

प्रश्न :- आप किसानो को किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं ?

उत्तर :- हम किसानो की आवश्यकता के अनुरूप दीर्घकालीन, मध्यमकालीन एव अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं वैसे ये किसानो की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि उन्हे किस प्रकार के ऋण की आवश्यकता है।

प्रश्न :- किसानो का आरोप है कि उन्हे कभी भी समय से ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है इस बारे मे आप क्या कहेंगे ?

उत्तर :- देखिए ऋण प्रदान करने मे अधिक समय लगने के प्रमुख कारण किसान स्वय हैं, ज्यादातर किसान अशिक्षित हैं और प्रत्येक ऋण मे कुछ आवश्यक कागजी कार्यवाही की आवश्यकता होती है व कुछ कागज किसान को स्वय लाकर देने होते हैं जिससे कुछ विलम्ब होता है फिर कुछ समय बैंक की कार्यवाही मे लग जाता है जिससे कुछ विलम्ब तो हो ही जाता है।

प्रश्न :- क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना यहा लागू नहीं की गई है ?

उत्तर :- हमारे यहा भी यह योजना लागू हो चुकी है और हमने भी योग्य १०० किसानो को क्रेडिट कार्डो का वितरण किया है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष २००५ की समाप्ति तक हम देश के समस्त योग्य किसानो को क्रेडिट कार्ड का वितरण कर देगे जिससे ऋण सरलता पूर्वक एव शीघ्रता पूर्वक प्रदान किये जा सकेगे।

प्रश्न :- क्या कारण है कि आज भी किसानो को सस्थागत स्रोतो से ऋण प्राप्त नहीं हो पा रहा है?

उत्तर :- इसका प्रमुख कारण किसानो का अशिक्षित होना एव जानकारी का अभाव है जिसके कारण किसान आज भी बैंको से दूर भागते है व साहूकारो के चगुल मे फसते जाते हैं और कुछ कर्मी तो हमारी बैंकिग व्यवस्था की भी है कि उन्हे हम सरलता पूर्वक तत्काल ऋण उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं।

प्रश्न :- क्या आप लोग किसानो को बैंकिग सुविधओ की जानकारी नहीं दे सकते हैं ?

उत्तर :- हम लोग नाबार्ड के निर्देशन मे प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसमे क्षेत्र के किसानो एव व्यक्तियो को बुला कर अपनी नई-नई योजनाओ एव सुविधाओ की जानकारी प्रदान करते हैं ताकि किसान बैंको की ओर आकर्षिक हो सके।

प्रश्न :- इस वर्ष अनुत्पादक आस्तियो की क्या स्थिति है ?

उत्तर :- इस वर्ष पूरे प्रदेश में सूखा पड जाने के कारण अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति अत्यधिक चिताजनक है पिछले वर्ष एव इस वर्ष के दौरान वितरित किये गये लगभग सभी ऋण डूबने की अवस्था मे हैं किसान का कहना है कि जब हमारे खाने को नहीं है तो हम बैंक की किस्त कहा से दे इसलिए स्थिति चिताजनक बनी हुई है ।

श्री जितेन्द्र नाथ पाण्डेय, धाता, जिला कौशाम्बी जो कि सी०डी०ए० पेशन इलाहाबाद से लेखाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् खेती करवा रहे हैं से हमने व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा निम्नलिखित सूचनाये प्राप्त कीं -

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के बारे मे जानते हैं ?

उत्तर :- नाबार्ड एक राष्ट्रीय स्तर की सस्था है जो कि कृषि एव ग्रामीण विकास के उद्देश्य से बनाई गई है।

प्रश्न :- आप की कृषि आवश्यकताओ हेतु ऋण किस प्रकार उपलब्ध होता है ?

उत्तर :- हमे अपने व्यक्तिगत निजी सोधनो से व बैंक दोनो से ऋण प्राप्त हो जाता है और यह हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमारी आवश्यकता किस प्रकार की है उसी प्रकार के स्रोत का प्रयोग हम कर लेते हैं।

प्रश्न :- आप अपने किन निजी साधनों से ऋण प्राप्त करते हैं ?

उत्तर :- हम आवश्यकता पड़ने पर अपनें रिश्तेदारो से, मित्रो से तथा गाव मे ही बड़े व्यापारियो से ऋण प्राप्त कर लेते हैं चूंकि ये ऋण तत्काल एव सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाते हैं इसलिए इन्हे प्राप्त करने मे ज्यादा सुविधा रहती हैं।

प्रश्न :- आप केवल बैंक से ही ऋण क्यो नहीं प्राप्त करते हैं ?

उत्तर :- ऐसा नहीं है कि हम लोग बैंक से ऋण लेते ही नहीं हैं किन्तु हमारी ज्यादातर कृषि आवश्यकताए तत्काल की होती हैं जिनमे हमे पैसा तुरन्त चाहिए होता है और बैंकिंग कार्यवाही मे थोड़ा समय तो लगता ही है जिसमे हमारा काफी नुकसान हो जाता है इसलिए ऐसे ऋण हम अपने निजी साधनो से ही प्राप्त कर लेते हैं ।

प्रश्न :- क्या आप वर्तमान बैंकिग प्रणाली से सन्तुष्ट नहीं हैं ?

उत्तर :- वर्तमान बैंकिग प्रणाली पढे-लिखे व्यक्ति के लिए तो सर्वथा उपयुक्त है किन्तु अनपढ किसान के लिए उपयुक्त नहीं है, बैंक की लम्बी कागजी कार्यवाही एक ऋण के लिए अनेक प्रमाण पत्रो की आवश्यकता और अत मे घूसखोरी जिनके चलते वर्तमान बैंकिग प्रणाली हमारे किसान के लिए पूर्णतया अनुपयुक्त सिद्ध होती है।

प्रश्न :- आप के गाव मे सिचाई के साधनो की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर :- हमारे गाव मे दो सरकारी ट्यूबवेल व एक नहर हैं जिसमे आठ महीने पानी ही नहीं रहता है इसी का कारण है कि इस वर्ष बारिश न होने से सम्पूर्ण क्षेत्र मे त्राहि-त्राहि मच गई थी और लोगो की फसले सूख गई। सूखा घोषित होने पर हमारे गाव को भी सरकारी सहायता दी गई जिसमे हमारे गाव मे एक बड़ा तालाब बनना था ठेकेदार ने साठ मीटर लम्बा और चालीस मीटर चौड़ा तालाब तो खोदा किन्तु उसकी गहराई मात्र दो फिट की और उसमे पानी भरवा कर जाच करवा दिया अब वह तालाब सूख कर एक बडा सा गड्ढा बन गया है और फिर सिचाई की समस्या ज्यो की त्यो है।

प्रश्न :- आप बैंकिग व्यवस्था मे सुधार हेतु नाबार्ड को कुछ सुझाव देना चाहेगे ?

उत्तर :- नाबार्ड को ग्रामीण विकास हेतु बैंकिग व्यवस्था को अत्यधिक लोचपूर्ण बनाना चाहिए ताकि इसका लाभ निरक्षर किसान भी उठा सके, बैंकिग कार्यवाही मे लगने वाले समय को कम करने का प्रयास करना चाहिए व किसानो से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर उनको बैंकिग सुविधाओ के बारे मे बता कर उनको बैंको की ओर आकर्षित करना चाहिए ।

श्री वी0 के0 गुप्ता, वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, सेवा शखा, सिविल लाइन्स इलाहाबाद, से व्यक्तिगत साक्षात्कार मे मैंने निम्नलिखित सूचनाए प्राप्त की -

श्री गुप्ता जी वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक होने के साथ-साथ कृषि कार्य का भी ज्ञान रखते हैं, जिला इटावा मे इनका काफी बडा फार्म हाउस है जिसमे आम, अमरूद, के बगीचे, माचिस की तीलिया बनाई जाने वाली लकडी तथा मौसमी सब्जी आदि की खेती श्री गुप्ता जी अपने निरीक्षण मे स्वय करवाते हैं, उनसे निम्नलिखित जानकारिया प्राप्त हुई -

प्रश्न :- आप बैंकिग के साथ-साथ कृषि कार्य का भी ज्ञान रखते हैं, दोनो कार्य साथ-साथ कैसे सम्भव हो पाता है?

उत्तर :- बैंक के कार्य मेरी जिम्मेदारी है और कृषि कार्य मेरा शौक है, मैंने एम०एस०सी० (कृषि) मे किया है और प्रारम्भ से ही खेती करने का विचार था और अब बैंक एव खेती दोनो कार्य कर रहा हूँ।

प्रश्न :- क्या आप कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु बैंक से वित्त प्राप्त करते हैं?

उत्तर :- कृषि एक ऐसा व्यवसाय है इसमे जितना अधिक विनियोग करते जाइये यह उतना ही अधिक लाभ देता है जैसे कृषि के वैज्ञानिकीकरण से, नवीन यत्रों के प्रयोग से, उन्नतशील बीजो से, और सिचाई के उत्तम साधनो से अच्छीफसल प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है और हमे बैंक से ऋण प्राप्त करना आवश्यक हो जाताहै।

प्रश्न :- क्या आप ग्रामीण विकास के सम्बन्ध मे उपलब्ध बैंकिग व्यवस्था से सतुष्ट हैं?

उत्तर :- सरकार ने अनेक बैंको की स्थापना मात्र कृषि एव ग्रामीण विकास के लिए की है, जिनका प्रमुख लक्ष्य ही कृषि के लिए वित्त उपलब्ध करवाना है, उनसे सरलतापूर्वक कृषि कार्यो हेतु वित्त प्राप्त किया जा सकता है। फिर भी वर्तमान बैंकिग तत्र मे व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है जैसे- ग्रामीण बैंकिग मे लगी वित्तीय सस्थाओ को अपनी कार्यप्रणाली मे सरलता एव लचीलापन लाना चाहिए ताकि किसानो को आसानी से व समय पर ऋण उपलब्ध हो सके साथ ही वाणिज्यिक बैंको को भी अपनी कार्य प्रणाली मे सुधार करके ग्रामीण विकास मे अपना योगदान करना चाहिए।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट हैं?

उत्तर :- मेरे विचार से नाबार्ड ने ग्रामीण विकास मे अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है जहा १९८० मे मात्र २१ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति सस्थागत स्रोतो द्वारा की जाती थी वहीं वर्ष २००१ मे ७९ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति सस्थागत स्रोतो द्वारा की गई, नाबार्ड ने अपनी स्थापना काल से लेकर आज तक ग्रामीण बैंकिग मे व्यापक सुधार किये हैं व इन बीस वर्षो मे ग्रामीण बैंकिग का तरीका ही बदल दिया है, जिस प्रकार थोडी कमी हर चीज मे होती है उसी प्रकार नाबार्ड मे भी कुछ दोष व्याप्त हैं यदि उन दोषो को दूर कर दिया जाए तो नाबार्ड ग्रामीण विकास के लिए पूर्णत सफल सस्था कहलाएगी।

प्रश्न :- आप नाबार्ड मे किन सुधारो की सिफारिश करेगे?

उत्तर :- सर्वप्रथम तो नाबार्ड को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे आकर कार्य करना चाहिए, क्योकि नाबार्ड ऐसे लोगो के विकास के लिए कार्य कर रहा है जो कि अपनी बात या अपनी आवश्यकता के बारे मे हमसे नहीं कह सकते हैं इसलिए हमे ही उनकी आवश्यकताओ का पता लगाना है व हमें ही उसे पूरा भी करना है जिसके लिए प्रत्यक्ष सम्पर्क नितात

आवश्यक है, इसके साथ ही नाबार्ड को ग्रामीण विकास मे लगी वित्तीय सस्थाओ को इस प्रकार निर्देशित करना चाहिए कि उनकी अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति नियत्रित हो जाए जिसके लिए ऋण वसूली अनुपात मे सुधार लाना आवश्यक है, वित्तीय सस्थाओ को इस ढग से निर्देश देना कि बैंकिग प्रक्रिया सरल की जा सके व किसानो को समय से वित्त उपलब्ध किया जा सके। वाणिज्यिक बैंको से उत्तम तालमेल स्थापित कर उन्हे भी ग्रामीण वित्त मे योगदान प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित करना आदि सुधार नाबार्ड मे किये जाने चाहिए।

श्री सच्चिदानन्द राय, निवासी-दिलदार नगर, जिला-गाजीपुर से मैंने व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा निम्नलिखित जानकारीया प्राप्त कीं -

प्रश्न :- कृषि कार्य मे मुख्यतया किन कठिनाईयो का सामना करना पडता है?

उत्तर :- कृषि की सबसे बडी समस्या वित्त का अभाव है, हमे यदि समय से पर्याप्त मात्रा मे वित्त उपलब्ध करवा दिया जाए तो हम देश की दशा बदल सकते हैं, किन्तु सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यही है कि जिस व्यवसाय मे देश की जनसख्या का एक बडा भाग लगा हुआ है, उसके सुधार की किसी को भी चिन्ता नहीं है।

प्रश्न :- आज ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु अनेक वित्तीय सस्थाए कार्य कर रहीं हैं, क्या आपको उनसे वित्त प्राप्त नहीं हो पाता है ?

उत्तर :- ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु अनेक वित्तीय सस्थाओ की स्थापना की गई है किन्तु किसान के लिए वित्त प्राप्ति आज भी एक समस्या बनी हुई है, वित्तीय सस्थाए वित्त प्रदान करने मे अत्यधिक समय लगाते हैं और उनकी लम्बी कागजी कार्यवाही की पूर्ति निरक्षर किसान नहीं करा पाता है एक निरक्षर किसान के लिए ग्रामीण वित्त की स्थिति आज भी वही बनी हुई है जो आज से पचास साल पहले थी। हमे ऋण की प्राप्ति अपने निजी साधनों से शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं इसलिए केवल दीर्घकालीन विनियोग के लिए ही हम लोग बैंको की सहायता लेते हैं अन्यथा हम लोग निजी साधनो से ही अल्पकालीन आवश्यकताओ की पूर्ति कर लेते हैं।

प्रश्न :- आप के क्षेत्र मे वित्तीय सस्थाओ का ग्रामीण वित्त मे योगदान कैसा है?

उत्तर :- हमारे क्षेत्र मे वित्तीय सस्थाओ का योगदान सतोषजनक नहीं हैं, बैंकों की कार्य प्रणाली सहारा प्रदान करने वाली न होकर अवरोध उत्पन्न करने वाली है, हम लोग यदि बैंक ऋण

लेने हेतु जाते हैं तो हमे इतनी कागजी कार्यवाही बता दी जाती है कि हम लोग सरलतापूर्वक जल्द पूरा नहीं कर सकते हैं और बैंकिग कार्यवाही भी इतनी लम्बी चल जाती है कि हमे समय से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है।

प्रश्न :- आप अपने क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक हैं आप पहले की बैंकिग व्यवस्था मे एव वर्तमान बैंकिग व्यवस्था मे क्या अन्तर महसूस करते हैं?

उत्तर :- पहले ग्रामीण वित्त की पूर्ति का एक मात्र स्रोत साहूकार हुआ करते थे क्योकि बैंको की संख्या न के बराबर थी और बैंक के कार्य ये देशी बैंकर ही किया करते थे किन्तु वर्तमान समय मे बैंकिग व्यवस्था मे काफी सुधार किया गया है, बैंको का ग्रामीण वित्त मे आज काफी योगदान है, किन्तु बैंको की कार्यप्रणाली सतोषजनक नहीं है, वे किसानो को कभी भी समय से वित्त उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं जिसके कारण आज भी साहूकारो का अस्तित्व जीवित है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के बारे में जानते हैं?

उत्तर :- ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की सस्था के रूप मे नाबार्ड की स्थापना की गई हैं, जिसका मुख्य कार्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु बैंकिंग सस्थाओ को ऋण प्रदान करना है तथा कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु योजनाए तैयार करके उनको क्रियान्वित करने का कार्य भी नाबार्ड को सौंपा गया है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड की कार्य प्रणाली से सन्तुष्ट हैं?

उत्तर :- नाबार्ड की स्थापना से ग्रामीण बैंकिग मे व्यापक सुधार हुए हैं, ग्रामीण वित्त की माग का एक बड़ा भाग बैंकिग सस्थाओ के द्वारा पूरा किया जानें लगा है, किन्तु फिर भी वर्तमान समय मे नाबार्ड की कार्यप्रणाली मे परिवर्तन की आवश्यकता है।

प्रश्न :- *आप नाबार्ड मे किन परिवर्तनो की सिफारिश करेगे?*

उत्तर :- *सर्वप्रथम तो नाबार्ड को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए जिससे नाबार्ड को किसानो की वास्तविक आवश्यकताओ का पता लगा सके तथा इस बात का मूल्याकन भी हो सके कि बैंकिग सस्थाए अपने दायित्वो को पूर्ण कर पा रही है या नहीं, इसके साथ ही बैंकिग प्रणाली को कुछ सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि निरक्षर किसान भी सरलतापूर्वक बैंक से लाभ प्राप्त कर सके, बैंको द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओ की जानकारी किसानो को शिविरो या कैम्पो के माध्यम से प्रदान की जानी चाहिए।*

कु0 नूतन शोध छात्रा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा निम्नलिखित सूचनाए प्राप्त हुई -

प्रश्न :- भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है, कृषि की वर्तमान दशा के विषय मे आपके क्या विचार हैं?

उत्तर :- भारत मे कृषि एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनायी गई है, यहा की जनसख्या का लगभग दो तिहाई भाग कृषि पर ही आश्रित है, परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश मे कृषि की दशा आज भी सोचनीय है, किसानो के पास आज भी वित्त का अभाव है, आज भी सिचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है किसान पूर्णतया बारिश पर ही आश्रित हैं, किसानो के पास आज भी उन्नतशील बीज या खाद आदि उपलब्ध नहीं है इसलिए किसानो की दशा आज भी सोचनीय है और कृषि एक अलाभकारी व्यवसाय बनी हुई है।

प्रश्न :- किसानों के पास आज भी वित्त की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है इसके क्या कारण हैं?

उत्तर :- स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् से सरकार ने कृषि वित्त की पूर्ति के अनेक साधन उपलब्ध किये हैं किन्तु उनकी कार्यप्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण, किसानो के पास आज भी वित्तीय सुविधाए उपलब्ध नहीं है जिसके कारण उनको साहूकारो की मदद लेनी पडती है जिसके कारण किसान ऋण के बोझ से उबर नहीं पाता है इसलिए आज बैंकिग व्यवस्था में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के विषय मे जानतीं है?

उत्तर :- प्रारम्भ मे ग्रामीण वित्त की पूर्ति का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक के ही ऊपर था, विभिन्न आयोगों की सिफारिशो पर इसके कार्यों के विकेन्द्रीकरण का निर्णय लिया गया जिसके

फलस्वरूप ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर की पृथक सस्था के रूप मे नाबार्ड की स्थापना की गई।

प्रश्न :- क्या नाबार्ड ग्रामीण वित्त की पूर्ति करने मे सफल रहा है?

उत्तर :- अपनी स्थापना काल १९८२ से लेकर आज तक नाबार्ड ने ग्रामीण वित्त की पूर्ति मे सराहनीय योगदान प्रदान किया है किन्तु इसे हम पर्याप्त नहीं कह सकते हैं, क्योकि ग्रामीण वित्त की पूर्ति मे आज केवल सुधार ही हुआ है हम इसे पर्याप्त नहीं कह सकते हैं, क्योकि किसानो की दशा आज भी दयनीय है उन्हें वित्त साहूकार से ही लेना पडता है, सिचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर रहना पडता है, आज भी गावो मे भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था नहीं है, आज भी गाव मे यातायात की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, बैंकिग सस्थाओं का उचित सहयोग किसानो को प्राप्त नहीं है, इसलिए ग्रामीण वित्त की पूर्ति आज भी अपर्याप्त ही कहीं जायेगी।

प्रश्न :- यदि आप से नाबार्ड की कार्य प्रणाली मे सुधार के लिए कहा जाए तो आप किन परिवर्तनों की सिफारिश करेंगी?

उत्तर :- नाबार्ड को ग्रामीण विकास मे लगी बैंकिग सस्थाओं के बीच उचित समन्वय स्थापित कर उन पर नियत्रण स्थापित करना चाहिए, जबकि अभी हाल ही मे ग्रामीण बैंक के द्वारा एक पृथक राष्ट्रीय स्तर की सस्था बनाये जाने की माग की जा रही हैं, नाबार्ड को अपने कार्यालयो की सख्या मे वृद्धि करनी चाहिए, नाबार्ड को ग्रामीण बैंकिग सस्थाओ मे अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति मे सुधार लाना चाहिए, नाबार्ड को बैंक कर्मचारियो को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि वे किसानो की सहायता करके उन्हे बैंकिग सुविधाओ की जानकारी प्रदान कर सकें।

प्रश्न :- *कृषि आज भी एक अलाभकर व्यवसाय बनी है, इसके लिए आप किसे दोषी मानती है?*

उत्तर :- *इसके लिए मुख्य रूप से हमारी सरकार जिम्मेदार है जो कि गावो मे शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं करती है, वित्त की उचित व्यवस्था नहीं करती है, सिचाई के पर्याप्त स्थायी साधन आज भी उपलब्ध नहीं है, फसलो के भण्डारीकरण की उचित व्यवस्था आज भी नहीं है, गावो मे यातायात की उचित व्यवस्था आज भी उपलब्ध नहीं है, लघु एव कुटीर उद्योगो की स्थापना गावो मे आज तक नहीं की जा सकी है, कृषि के ऊपर जनसख्या का भार अत्यधिक ज्यादा है जिसके कारण कृषि आज तक अलाभकर व्यवसाय बनी हुई है जिसके लिए मुख्य रूप से हमारी सरकारे ही जिम्मेदार है।*

श्री भवानी शंकर व्यास ग्राम प्रधान-जलालपुर जिला हमीरपुर से मैंने व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा निम्नलिखित सूचानाए प्राप्त की -

प्रश्न :- आप के गाव मे कृषि की वर्तमान दशा कैसी है?

उत्तर :- हमारे गाव मे कृषि की दशा अच्छी नहीं कही जा सकती है, मात्र कुछ काश्कार ऐसे हैं जिनके पास अपना पैसा है तो उनकी कृषि अच्छी है शेष किसान तो सघर्ष करके ही जीवन यापन कर रहे हैं, कृषि सम्बन्धी सुविधाए उपलब्ध न होने से कृषि की दशा चिन्ताजनक है।

प्रश्न :- क्या आपके गाव मे बैंकिग सुविधा उपलब्ध नहीं है?

उत्तर :- हमारे गाव मे एक ग्रामीण बैंक है लेकिन उसका होना या न होना एक बराबर है, क्योकि उससे हमें किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती है, बैंक की लम्बी कागजी कार्यवाही पूरा करना हमारे वश में नहीं होता है जिससे हमे बैंक से ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है।

प्रश्न :- आप लोगो को ऋण किन साधनो से प्राप्त होता है?

उत्तर :- हमे आवश्यकता पड़नें पर ऋण की व्यवस्था अपने निजी साधनो से ही करनी पड़ती है जिसके लिए हमे अपने रिश्तेदारो, गाव के साहूकार व महाजन की सहायता लेनी पड़ती है।

प्रश्न :- क्या आप नाबार्ड के विषय में जानते हैं?

उत्तर :- नहीं हमे नाबार्ड के विषय मे कोई जनकारी नहीं है।

प्रश्न .- आपके गाव मे सिचाई के क्या साधन हैं?

उत्तर :- हमारे गाव मे सिचाई के स्थायी साधन के रूप मे नदी है व कुछ लोगो के अपने निजी ट्यूबवेल है जिनसे पैसा देकर पानी प्राप्त किया जा सकता है, इनके अतिरिक्त सरकारी ट्यूबवेल आदि की कोई भी व्यवस्था हमारे यहा पर नहीं है।

प्रश्न :- क्या बैंक कर्मचारियो के द्वारा बैंकिग सुविधाओ की जानकारी आप लोगो को प्रदान की जाती है?

उत्तर ·- हमे बैंक कर्मचारियो के द्वारा आज तक कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की गई है कि हमे कौन-कौन सी सुविधाए मिल सकती है, सरकार के द्वारा कौन सी नई योजनाए चालू की गई है, या हमें कृषि आवश्यकंताओ हेतु किस प्रकार ऋण प्राप्त हो सकता है।

प्रश्न :- आप अपने गांव की दशा मे सुधार हेतु कुछ कहना चाहेगे?

उत्तर :- हमारे गाव में कुछ चीजों की नितान्त आवश्यकता है जैस - सिचाई के साधन उपलब्ध होने चाहिए, बैंकिग व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, गाव मे स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए तथा यातायात की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, इन सुधारो के फलस्वरूप गाव के विकास की सम्भावना की जा सकती है।

नाबार्ड के अधिकारियों एव उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलो से ग्रामीणो से लिये गये साक्षात्कारो से हमे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण दशा मे पहले से सुधार तो हुए हैं किन्तु ये पर्याप्त आज भी नहीं है, आज भी किसानो की दशा सोचनीय बनी हुई है, आज भी ग्रामीण वित्त का एक बडा भाग साहूकारो के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है, आज भी कृषि पर जनसख्या का भार अत्याधिक ज्यादा है जिससे कृषि अलाभकर बनी हुई है, आज भी गावो में यातायात की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, गावो मे लघु एव कुटीर उद्योगो का पूर्णतया अभाव है। गावो मे बैंकिग सुविधाए आज भी उपलब्ध नहीं हैं कहने के लिए तो हमने बैंक खोल दिये है किन्तु उनकी कार्यप्रणाली इतनी ज्यादा दोषपूर्ण है कि किसानो को समय से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। इस प्रकार यदि यह कहा जाए कि कृषि एव ग्रामीण विकास आज भी अपर्याप्त एव अधूरा है तो यह गलत न होगा। विभिन्न कमेटियो एव आयोगो की सिफारिशो पर राष्ट्रीय स्तर की सस्था के रूप में नाबार्ड की स्थापना की गई और पिछले बीस वर्षो से नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास का प्रयास कर रहा है। नाबार्ड की स्थापना का सबसे बडा उद्देश्य था ग्रामीण वित्त की पूर्ति करना लेकिन किये गये सर्वेक्षण से तो यही स्पष्ट होता है कि बैंकिग व्यवसाय आज भी काफी ज्यादा दोष पूर्ण है जिसके चलते किसानों को समय से वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नाबार्ड के द्वारा सिचाई के साधनो के लिए भी अलग से ऋण की व्यवस्था की जाती है किन्तु फिर भी सिचाई के साधन अपर्याप्त है अभी हम हाल ही मे देखे तो बारिश समय से न होने पर पूरे प्रदेश में सूखा पड़ गया अर्थात सिचाई के साधनो का आज भी अभाव है। गावों में आज भी सरकारी मण्डियो का अभाव है जिससे किसान गाव के ही व्यापारी को फसल बेंचने को मजबूर हो जाते हैं। गावों मे आज भी भण्डारीकरण की उचित व्यवस्था नहीं है जिससे किसान अपनी तैयार फसल को ज्यादा समय तक रख नहीं सकते हैं अर्थात गावों मे आज भी अनेक कमिया व्याप्त हैं जिनके चलते आज तक गावो का समुचित विकास नहीं हो सका है। एक तरफ तो हम नाबार्ड जैसी पुनर्वित्त प्रदान करनें वाली सस्थाओ की स्थापना करके इस बात का दावा करते हैं कि हमने अपने ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है किन्तु वास्तविकता इससे अलग ही है। ये

सत्य है कि नाबार्ड की स्थापना से गावो की दशा मे सुधार हुए हैं किन्तु ये अभी पूर्ण नहीं है क्योकि कृषि व्यवसाय आज भी एक अलाभकर व्यवसाय बनी हुई है जिसका एक मात्र मुख्य कारण है वित्त का अभाव। जिससे स्पष्ट है कि नाबार्ड अपने उत्तरदायित्वो को पूरा करने मे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका है, कहीं न कहीं उसकी कार्यप्रणाली मे कमिया व्याप्त है जिसके कारण उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य 'ग्रामीण वित्त की पूर्ति' आज भी अधूरा है।

ये सच है कि गावो की दशा मे पूर्ण रूप से परिवर्तन नही आ पाया है और इनमे आज भी कुछ अनिवार्य आवश्यकताए पूर्ण होनी बाकी है फिर भी हम नाबार्ड के योगदान को नकार नहीं सकते हैं नाबार्ड ने कृषि एव ग्रामीण विकास मे अभूतपूर्व भूमिका निभाई है, इसका योगदान सराहनीय है यह अलग बात है कि कुछ अन्य कमियों की वजह से ग्रामीण विकास का लक्ष्य आज भी अधूरा है फिर भी ग्रामीण विकास मे नाबार्ड की भूमिका सराहनीय है।

सूचना स्त्रोत

1- *नेशनल बैंक न्यूज रिब्यू (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित)*

2- *वार्षिक रिर्पोट नाबार्ड*

3- *बर्ड लाइब्रेरी लखनऊ*

4- *व्यक्तिगत साक्षात्कारो द्वारा*

******

अध्याय—7

निष्कर्ष एवं संस्तुतियां

भारत एक विकासशील देश है और यहा कृषि एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में अपनायी जाती है। यहा की जन संख्या का एक बड़ा भाग कृषि पर आश्रित हैं। वर्ष २०००-२००१ के आकड़ो के अनुसार देश की कुल जनसख्या का लगभग ६८ प्रतिशत भाग सक्रिय रूप से कृषि कार्य मे लगा हुआ है। सामान्यतया कोई व्यवसाय जो देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और देश की जन संख्या का बड़ा भाग जिस व्यवसाय पर आश्रित हो, उसको सरकारी सरक्षण प्राप्त होना चाहिए ,एवं उसकी प्रगति का पूरा ध्यान रखना चाहिए, किन्तु हमारे देश में बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि कृषि व्यवसाय जिस पर देश की जन सख्या का एक बडा भाग आश्रित है, उसकी प्रगति व आवश्यकताओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कृषि के पिछड़ेपन का सीधा प्रभाव किसान के जीवन स्तर पर पड़ता है, किसान अपने परिवार का पालन पोषण ठीक ढग से नहीं कर पाता है, दो समय का भोजन ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाता है और सदैव अभाव का जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाता है। किसान के पास कृषि व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उसके पास सदैव वित्त का अभाव बना रहता है, किसान के पास सिचाई के उत्तम एव स्थायी साधन उपलब्ध नहीं होते है, किसान को नवीन तकनीकों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों की जानकारी नहीं होती हैं, किसान के पास उन्नतशील बीज एवं खादें उपलब्ध नहीं होती है, गावों में बैंकिग सुविधाओं का आज भी अभाव पाया जाता है, गावों में यातायात की समुचित व्यवस्था नहीं है, गांवों में भण्डारग्रहों का पूर्णतया अभाव है जिससें किसान अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित नही रख पाते

हैं, गावो मे सरकारी मण्डियो का आज भी अभाव है जिसके कारण मजबूर होकर किसान को अपनी फसल गाव के ही व्यापारी को बेचनी पडती है अर्थात् कृषि की दशा आज भी सोचनीय बनी हुई है। यह कहा जाता था कि भारत गावो का देश है और यहा की सुन्दरता गावो मे निवास करती है किन्तु आज जब गावो मे दो वक्त का भोजन उपलब्ध नहीं है तन ढकने को कपडे उपलब्ध नहीं है रहने के लिए घर मौजूद नहीं है, किसान का रोम-रोम कर्ज मे डूबा हुआ है तो सुन्दरता कहा से नजर आयेगी।

हमारे देश मे कृषि के पिछडेपन के अनेक कारण रहे है जैसे कृषि पर जन सख्या भार अत्याधिक ज्यादा होना, किसानो को सदैव वित्त का अभाव रहना, कृषि यत्रीकरण एव नवीनीकरण के समुचित साधन उपलब्ध न होना, सिचाई के स्थायी साधनो का अभाव होना, शिक्षा का अभाव होना एव ग्रामीण क्षेत्रो मे बैंकिग सुविधाए उपलबध न होना इसके प्रमुख कारण रहे हैं। इन कारणों मे ग्रामीण वित्त का अभाव सबसे प्रमुख कारण है, किसी भी व्यवसाय से लाभ प्राप्त करनें के लिए उसमे पूजी लगाना आवश्यक होता है उसी प्रकार कृषि व्यवसाय को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाने के लिए पर्याप्त ग्रामीण वित्त की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के ५२ वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात् भी आज तक ग्रामीण वित्त की पूर्ति की ठोस एवं स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकी है। कहनें के लिए तो हमने अनेक संस्थाओ की स्थापना आज तक की है किन्तु कोई भी संस्था ग्रामीण वित्त की पूर्ति की समुचित व्यवस्था करने मे सफल नहीं हुई है।

कृषि की दयनीय दशा में सुधार के उपाय तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही किये जा रहे हैं, किन्तु उसके सार्थक परिणाम आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। किसानों की दयनीय दशा में सुधार का उपाय सर्वप्रथम सहकारी सस्थाओं की स्थापना करके की गई थी। १९०१ में गठित अकाल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मे सहकारी सस्थाओं के गठन की सिफारिश की थी। सहकारी संस्थाओं का विधान तैयार करने के लिए सर एडवर्डला की अध्यक्षता में कमेटी बनी, इस कमेटी ने जून-जुलाई १९०१ में शिमला में सहकारी सस्थाओ का विधान तैयार किया। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहला सहकारी कानून २५

मार्च १९०४ को सहकारी साख अधिनियम, १९०४ के नाम से बना। सहकारी समितियो ने किसानो को ग्रामीण वित्त उपलब्ध करने मे अहम् भूमिका निभाई है किन्तु इनका योगदान ग्रामीण वित्त की पूर्ति के लिए पर्याप्त न था। सरकार ने १९३५ मे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की और इसको अन्य कार्यो के साथ ग्रामीण विकास एवं कृषि वित्त की पूर्ति करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना काल १९३५ से लेकर १९८२ तक ग्रामीण वित्त पूर्ति का दायित्व जिम्मेदारी पूर्वक निभाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण वित्त की माग को पूरा करने के लिए कृषि साख विभाग, तथा कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन की स्थापना की, जिनका प्रमुख कार्य था ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाना एव उसकी पूर्ति करने के लिए बैंकिग सस्थाओ को वित्त उपलब्ध करवाना।

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तथा तत्कालीन सरकारो के द्वारा अनेक कमेटियो, कमीशनों एव आयोगों का गठन समय समय पर किया गया जो इस सम्बन्ध में जांच करते थे कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति समुचित रूप से की जा रही है या नहीं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु स्थापित दोनों पृथक विभाग सुचारू रूप से अपनें उत्तरदायित्वों का निवर्हन कर रहें है या नहीं। विभिन्न कमेटियो और आयोगों द्वारा अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को और सरकार को सौंपी गई, जिनमें यह स्पष्ट बताया गया कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित ये दोनों पृथक विभाग अपने उत्तरदायित्वों का निवर्हन करने में असफल रहे है,और ग्रामीण वित्त की समस्या आज भी उसी प्रकार बनी हुई है, इसके साथ ही आयोगों ने इस बात की भी सिफारिश की कि कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक पृथक सस्था की स्थापना की जाय जो केवल कृषि विकास एवं कृषि वित्त की पूर्ति का ही कार्य करें। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने तो अपनी स्थापना काल से ही कृषि एवं ग्रामीण विकास के समुचित प्रयास किये, जिसके अन्तर्गत उसनें दो पृथक विभागों की भी स्थापना की, किन्तु ये पृथक विभाग भी ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा न कर सके और ग्रामीण वित्त की पूर्ति में पूर्णतया असफल हुए।

सरकार के द्वारा विभिन्न कमीशन बनाकर इन विभागो के कार्यों का मूल्याकन करवाया गया जिसमे इन्हे लगातार असफल पाया गया जिससे सरकार एव भारतीय रिजर्व बैंक ने इन कमीशनो की सिफारिश पर एक पृथक राष्ट्रीय सतर की सस्था की स्थापना का निर्णय लिया। इस सस्था की स्थापना के मुख्य उद्देश्य कृषि एव ग्रामीण विकास निर्धारित किये गये तथा इस सस्था को वे समस्त कार्य सौंपे जाने का निर्णय लिया जो ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक हो। इस राष्ट्रीय सस्था की कार्यप्रणाली उसी प्रकार निर्धारित की गई जिस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंको के सम्बन्ध मे करता है उसी प्रकार राष्ट्रीय सस्था ग्रामीण बैंकिग मे कार्य करेगी। राष्ट्रीय स्तर की सस्था की स्थापना का विचार आने के पश्चात् नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु, १९८२ मे की गई और १९८२ से लेकर आज वर्ष २००२ तक यह राष्ट्रीय सस्था कृषि एव ग्रामीण विकास मे योगदान प्रदान कर रही है। अब हमे इस बात का अध्ययन करना है कि नाबार्ड अपने उत्तरदायित्वो की पूर्ति मे किस हद तक सफल हुआ है और कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को कहा तक प्राप्त कर सका है।

इस शोध कार्य में मैंने निम्न तथ्य प्राप्त किये है -

1. नाबार्ड का प्रारम्भ :-

भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु स्थापित कृषि साख विभाग एव कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन की असफलता के पश्चात् नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लिया गया। नाबार्ड की स्थापना कृषि साख विभाग एव कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन को मिला कर की गई और इनकी समस्त सम्पत्तियो एव दायित्वों को नाबार्ड को हस्तातरित कर दिया गया।

कृषि वित्त एवं विकास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकार के द्वारा अनेक कमेटियों एव कमीशनो का गठन किया गया जिसमें से ज्यादातर ने इस बात की सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक के

कार्यो का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है व एक पृथक सस्थान की स्थापना की जाए जो कि कृषि पुनर्वित्त एव विकास का ही कार्य करता हो। बैंकिग कमीशन १९७२ ने इस बात की सिफारिश की कि भारतीय रिजर्व बैंक के दोनो विभागो ए आर डी सी तथा ए एफ सी को आपस मे समायोजित करके कृषि साख एव विकास की एक राष्ट्रीय सस्था का गठन किया जाये जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशन एव नियत्रण मे कार्य करे।

इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि आयोग १९७६ ने भारतीय रिजर्व बैंक को दिशा निर्देश दिये कि वह कृषि वित्तीयन के अपने ऐतिहासिक कार्य को छोड दे तथा कृषि विकास के लिए निचले स्तर से सुधार के प्रयास करे। जिसके लिए एक पृथक भारतीय कृषि बैंक की स्थापना करे जो कि केवल कृषि विकास के ही कार्य करें व ग्रामीण वित्त की पूर्ति हेतु एंक शीर्ष सस्था के रूप मे कार्य करे। विभिन्न कमेटियो एव कमीशनो की सिफारिशो पर भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर की पृथक सस्था की स्थापना का निर्णय लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश पर भारतीय कृषि साख सर्वेक्षण समिति के द्वारा कृषि एव ग्रामीण विकास तथा कृषि पुनर्वित्तीयन हेतु राष्ट्रीय स्तर के सस्थान के लिए कुछ नाम प्रस्तावित किये गये भारतीय कृषि विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडी)। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सस्था के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के नाम की सस्तुति की गई। नाबार्ड की स्थापना करने के लिए ३० मार्च १९७९ को भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर श्री आई.जी. पटेल ने एक कमेटी का गठन किया जिसे 'शिवरमण कमेटी' कहा गया, इस कमेटी मे निम्नलिखित सदस्यो को शामिल किया गया :-

✓ श्री बी शिवरमण	अध्यक्ष
✓ श्री जी वी के राव	सदस्य
✓ श्री एम रामाकृष्नैया	सदस्य
✓ श्री एम. आर श्रौफ	सदस्य

✓ श्री एल सी जैन — सदस्य

✓ श्री के बी खोरे — सदस्य

✓ श्रीमती एस सत्याभामा — सदस्य

✓ श्री एन बी शिवरमणी — सदस्य सचिव

सर्वप्रथम भातीय रिजर्व बैंक ने इस आठ सदस्यीय कमेटी को ग्रामीण साख की आवश्यकता का अनुमान कर कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन (ए आर डी सी) के कार्यो एव सगठनात्मक ढाचे की विवेचना करने तथा इस बात का अनुमान लगाने का कार्य सौंपा कि क्या कृषि साख एव ग्रामीण विकास के लिए वास्तव मे एक पृथक सस्था की आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार शिवरमण कमेटी को अपनी रिपोर्ट ३१ दिसम्बर १९७९ तक प्रस्तुत करनी थी। शिवरमण कमेटी ने अपनी अतरिम रिपोर्ट नवम्बर १९७९ मे भारतीय रिजर्व बैंक को सौप दी। इस रिपोर्ट को **CRAFICARD (The Commitee to Review Arrangement for Institutional Credit for Agriculture and Rural Development)** कहा गया। इस रिपोर्ट मे कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन के कार्यो का मूल्याकन करते हुए नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की गई थी।

सरकार ने नाबार्ड की स्थापना का निर्णय लेते हुए, शिवरमण कमेटी मे भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारियो को शामिल किया और इस नये समूह को नाबार्ड की स्थापना हेतु एक ड्राफ्ट बिल तैयार करने का निर्देश दिया जिसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना की जा सके। इस कमेटी के द्वारा (२८ और- २९ जनवरी १९८०) क्रैफीकार्ड की बैठक मे नई दिल्ली मे नाबार्ड की स्थापना का पहला ड्राफ्ट बिल प्रस्तुत किया तथा १३ और १४ मार्च १९८० को इस कमेटी के द्वारा कैफीकार्ड की बैठक मे दूसरा व अन्तिम ड्राफ्ट बिल बम्बई मे प्रस्तुत किया गया। इन ड्राफ्ट बिलो की सहायता से नाबार्ड से सम्बन्धित सभी तथ्यो के विषय में निर्णय लिये गये जैसे नाबार्ड की पूजी सरचना, नाबार्ड की प्रबन्ध सरचना, नाबार्ड की

सगठनात्मक सरचना, नाबार्ड को व्यवसाय का हस्तातरण, नाबार्ड की पुनर्वित्त व्यवस्था, नाबार्ड द्वारा ऋण प्राप्ति, नाबार्ड के कार्य, नाबार्ड के फण्ड, खातो का अकेक्षण, नाबार्ड का स्टाफ आदि के विषय मे योजना बनाकर नाबार्ड की स्थापना की गई और १२ जुलाई १९८२ से नाबार्ड ने कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

2. नाबार्ड के प्रारम्भिक उद्देश्य :-

भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। इसलिये देश के समन्वित विकास के लिए कृषि विकास नितात आवश्यक हो जाता है। स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात् तो सरकार का यह सबसे प्रमुख लक्ष्य था कि कृषि एव ग्रामीण क्षेत्रों का समन्वित विकास हो सके। कृषि विकास की सबसे बडी बाधा रही है वित्त का अभाव जिसके कारण ग्रामीण विकास आज तक सम्भव नहीं हो सका है। १९५० मे योजना आयोग की स्थापना की गई और पचवर्षीय योजनाए बना कर देश का समन्वित विकास करने का प्रयास किया गया। प्रारम्भ से ही लगभग सभी योजनाओ का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण विकास ही रहा है और आज जब हम दसवीं पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर चुके हैं तब भी हमारा प्रमुख लक्ष्य कृषि एव ग्रामीण विकास ही है अर्थात् हम योजना काल के ५२ वर्षो से कृषि एव ग्रामीण विकास का प्रयास ही कर रहे हैं और सफलता शायद हमें आज तक नहीं मिल सकी है। कृषि एवं ग्रामीण विकास का सबसे प्रमुख बाधक तत्व है ग्रामीण वित्त, जिसकी पूर्ति की समुचित व्यवस्था शायद हम आज तक नहीं कर सके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ग्रामीण वित्त पूर्ति के प्रयास नहीं किये हैं, हमनें १९०४ में सहकारी सस्थाओं की स्थापना, १९३५ मे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, १९६९ मे बैंकों का राष्ट्रीकरण और १२ जुलाई १९८२ को राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना प्रमुख हैं।

नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति की समुचित व्यवस्था करना था जिससे समन्वित कृषि एवं ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। आज नाबार्ड की स्थापना

हुए बीस वर्ष पूर्ण हो चुके है किन्तु ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था आज तक नहीं हो सकी है। हा हम यह अवश्य कह सकते है कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति मे पहले से व्यापक परिवर्तन एव सुधार हुआ है किन्तु पूर्ण इसे हम आज भी नहीं कह सकते है। ये सत्य है कि जहा वर्ष १९५१ में ८१ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति गैर सस्थागत स्रोतो द्वारा की जाती थी वहीं वर्ष २००१ मे २२ ४ प्रतिशत थी अर्थात् ७७ ६ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति सस्थागत स्रोतो द्वारा की गई। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि आज भी २२ ४ प्रतिशत ग्रामीण वित्त की पूर्ति गैर सस्थागत स्रोतो द्वारा क्यो की जा रही है? इसका उत्तर भी स्पष्ट है कि नाबार्ड भी अपने उत्तरदायित्वो का पालन करने मे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकता है। जिसके कारण अभी तक लगभग एक चौथाई ग्रामीण वित्त की पूर्ति गैर सस्थागत स्रोतो द्वारा की जा रही है।

नाबार्ड की स्थापना करते समय उसे वे समस्त कार्य सौंपे गये थे जो कि ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक है और साथ ही ऐसे अधिकार भी दिये गये जो कि ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक थे किन्तु फिर भी कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त न किया जा सका, जिसके प्रमुख कारण नाबार्ड की कार्य प्रणाली में दोष, नाबार्ड द्वारा ग्रामीण वित्त की समुचित व्यवस्था न कर पाना, नाबार्ड द्वारा बैंको के मध्य उचित समन्वय स्थापित न कर पाना आदि कारण प्रमुख है। जिनमें यदि हम सुधार कर सके तो हम कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफल हो सकते है और ग्रामीण वित्त पूर्ति मे गैर सस्थागत स्रोतो पर पूर्णतया नियत्रण प्राप्त कर सकते हैं।

नाबार्ड की स्थापना मुख्यतया निम्नलिखित उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु की गई थी -

- कृषि आवश्यकताओ के लिए वित्त उपलब्ध करवाने हेतु।
- ग्रामीण विकास मे लगी बैंकिग सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करने हेतु।
- समन्वित कृषि एव ग्रामीण विकास करने हेतु।
- बैंकिग सस्थाओ के मध्य उचित समन्वय स्थापित करने हेतु।

- ग्रामीण बैंकिग मे लगी सस्थाओ का निरीक्षण करने हेतु एव उन पर नियत्रण स्थापित करने हेतु।
- व्यापारिक बैंको को ग्रामीण वित्त मे योगदान करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- किसानो को कृषि की नवीन तकनीको, वैज्ञानिक विधियो एव नवीन यत्रीकरण विधियो की जानकारी उपलब्ध करना।
- कृषि के ऊपर जनसख्या के दबाव को कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रो मे लघु एव कुटीर उद्योग की स्थापना करना।
- ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भण्डारीकरण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- कृषि हेतु सिचाई के स्थाई साधनो की व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- व्यापारियो के चगुल से बचाने हेतु सरकारी मण्डियो की स्थापना करना।
- ग्रामीण क्षेत्रो मे यातायात की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों मे शिक्षा की समुचित सुविधा उपलब्ध करवाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों मे आधारभूत सुविधाए उपलब्ध करवाना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाना।

नाबार्ड की स्थापना के समय उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति की आशा की गई थी जिन्हे नाबार्ड कोपूर्ण करना था। नाबार्ड ने अपने बीस वर्षो के कार्यकाल में कृषि एव ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, नाबार्ड ने अपनी स्थापना के सबसे प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण वित्त की पूर्ति को पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया है।जिसके लिए नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रो मे विभिन्न वित्तीय सस्थाओं की स्थापना की व उन्हे पुनर्वित्त प्रदान किया ताकि किसानो को कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु सरलता से ऋण उपलब्ध हो जाए और किसानो को साहूकारो के चगुल मे फसना न पडे। ग्रामीण बैंकिग में लगी सस्थाओं की कार्यप्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण तथा उनके मध्य उचित समन्वय के अभाव के कारण नाबार्ड अपने प्रमुख

लक्ष्य को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाया है। नाबार्ड की असफलता का एक और प्रमुख कारण रहा है, जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क का अभाव, देखिए नाबार्ड को अत्याधिक जिम्मेदारी वाला और महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है वह भी ऐसे लोगो के लिए कार्य करना है जो कि निरक्षर है व जिनका यह विचार होता है कि सरकारी ऋण ठीक नहीं होता है और एक बार यदि सरकारी ऋण लिया तो मनुष्य इससे कभी निकल नहीं पाता है। ऐसे व्यक्तियो के विकास का प्रयास कोई सरल कार्य नहीं है फिर भी नाबार्ड ने जिम्मेदारी पूर्वक अपने दायित्वो का निवर्हन किया और एक ऊचे स्तर तक उसे पूर्ण भी किया। नाबार्ड को अपनी कार्य प्रणाली मे सुधार करके जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए जिससे वह स्वय ग्रामीणो की आवश्यकताओ को जान सके व उन्हे पूरा करने का बैंकिग सस्थाओ को उचित दिशा निर्देश दे सके और नाबार्ड का प्रमुख लक्ष्य पूर्ण हो सके।

3. नाबार्ड की संगठनात्मक संरचना :-

राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबाडी) की ग्रामीण विकास के क्षेत्र मे प्रमुख भूमिका है। नाबार्ड के द्वारा लगभग उन सभी कार्यो का क्रियान्वयन किया जाता है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा व्यापारिक बैंकों के सदर्भ में किये जाते है। चूकि नाबार्ड के क्रियाकलाप सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं इसलिए नाबार्ड की संगठनात्मक सरचना भी भारतीय रिजर्व बैंक की ही भाति निर्मित करने का निर्णय लिया गया। नाबार्ड के शीर्ष प्रबध तंत्र हेतु एक पन्द्रह सदस्यीय निदेशक मण्डल का गठन किया गया जिसमे अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एव तेरह निदेशकों की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक एव भारत सरकार के द्वारा की गई। नाबार्ड के निदेशक मण्डल मे भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर की नियुक्ति भी की जाती है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक का हस्तक्षेप बना रहे। इसके अतिरिक्त निदेशक मण्डल मे कृषि, राजस्व, राम कृष्ण मिशन, कृषि विज्ञान केन्द, राष्ट्रीय दुग्ध विकास केन्द, वित्त मत्रालय, कृषि मत्रालय, ग्रामीण विकास मत्रालय, आदि विभागो के वरिष्ठ अधिकारियो को निदेशक पद पर नियुक्त

किया गया है। नाबार्ड मे समस्त निदेशको, अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की सस्तुति पर भारत सरकार के द्वारा की जाती है।

चूकि नाबार्ड को कृषि एव ग्रामीण विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का कार्य है। इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए नाबार्ड ने पछत्तर पृथक विभागो की स्थापना की, जिनमे अलग-अलग महाप्रबन्धको की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही नाबार्ड ने प्रत्येक राज्य की राजधानी मे अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर रखा है। वर्तमान समय मे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय कामर्स हाउस, हबीबुल्ला इस्टेट, ११ महात्मा गाधी मार्ग, हजरत गज, लखनऊ मे स्थित है। ३१ मार्च २००१ तक की सूचनानुसार मुख्य महाप्रबन्धक पद पर आर बाल कृष्णन नियुक्त है तथा महा प्रबन्धक पद पर एच आर मानखड, जी एल तवटे, एस सी कौशिक, डॉ बी बी सिह नियुक्त हैं। इसके साथ ही नाबार्ड ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख जिलो में अपने शाखा कार्यालय भी स्थापित किये हैं। जिनमे इलाहाबाद मे उप महाप्रबन्धक पद पर श्री दीपक कुमार, कानपुर में उप महाप्रबन्धक पद पर श्री राजेश कुमार तथा गाजियाबाद मे एम. एस राघव नियुक्त किये गये हैं।

नाबार्ड का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास मे सलग्न वित्तीय सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करना है उसके लिए जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क की आवश्यकता नहीं है, किन्तु नाबार्ड अपनी स्थापना के बीस वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात् भी ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाया है जिसका प्रमुख कारण जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क का अभाव माना जा रहा है। नाबार्ड को अशिक्षित एव निरक्षर लोगो का विकास करना है जिसके लिए उनके नजदीक जाकर उनकी समस्याओं को समझना एवं उन्हें हल करनें का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने बैंकिग सस्थाओं को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करने हेतु लगाया है किन्तु ग्रामीण विकास में लगी बैंकिग सस्थाओं की कार्य प्रणाली अत्याधिक दोषपूर्ण होने के कारण ग्रामीणो को समुचित सुविधाए समय से उपलब्ध नहीं हो पाती है जिससे ग्रामीण विकास बाधित होता है। इसलिए नाबार्ड के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करने का

प्रयास करे जिसके लिए नाबार्ड को अपने कार्यालयो की सख्या वृद्धि करनी चाहिए कम से कम प्रत्येक जिले मे एक शाखा कार्यालय की स्थापना की जानी चाहिए ताकि उस क्षेत्र के अतर्गत आने वाले ग्रामीणो से नाबार्ड प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर सके, इसके अनेक लाभ हो सकते है जैसे बैंकिग सस्थाओ की कार्य प्रणाली मे प्रत्यक्ष रूप से व्यापक निरीक्षण एव नियत्रण स्थापित किया जा सकता है बैंकिग सस्थाओ के ऋण वसूली अनुपात मे सुधार करके अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति मे सुधार किया जा सकता है।

वर्तमान समय मे बैंकिग सस्थाओ की सबसे बडी समस्या है कि वे समय से किसानो को ऋण उपलब्ध नहीं कर पाती हैं जिसमे नाबार्ड का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होने पर सुधार किया जा सकता है, ग्रामीणो की शिकायत है कि बैंको की कार्यप्रणाली सहयोगात्मक नहीं होती है। जब नाबार्ड प्रत्यक्ष निरीक्षण रखेगा तो इसमे भी सुधार होने की सम्भावना है, और जब नाबार्ड स्वय किसानो के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य करेगा तो वह उनकी आवश्यकताओ का और अधिक अनुमान लगा सकेगा कि किसानो को किस समय, किस प्रकार के ऋणो की आवश्यकता है,उसी के अनुसार नाबार्ड बैंकिग सस्थाओ को पुनर्वित्त प्रदान करके एवं आवश्यक दिशा निर्देश देकर ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है।

आज नाबार्ड के प्रबन्ध तत्र में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है क्योकि नाबार्ड की स्थापना का सबसे प्रमुख लक्ष्य, ग्रामीण वित्त की पूर्ति, आज भी अधूरा है और ग्रामीण वित्त की पूर्ति मे गैर सस्थागत स्रोतो का हस्तक्षेप आज तक बना हुआ है जबकि आज स्थिति ये होनी चाहिए थी कि ग्रामीण वित्त की पूर्ति पूर्णतया सस्थागत स्रोतों से होनी चाहिए थी किन्तु हम आज तक ऐसा करनें मे सफल नहीं हो सके हैं। इसलिए आज नाबार्ड के प्रबन्ध तंत्र में व्यापक परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है ताकि कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सके।

4. नाबार्ड की पूंजी संरचना :-

शिवरमण कमेटी की रिर्पोट के पैरा १२१२ मे यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि नाबार्ड का और भारतीय रिजर्व बैंक का आपस मे प्रत्यक्ष व नजदीकी सम्बन्ध होगा। जिसके लिए यह निर्धारित किया गया कि नाबार्ड की पूजी का पचास प्रतिशत भाग भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिया जायेगा और शेष पचास प्रतिशत पूजी केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई जायेगी। जिस समय नाबार्ड की स्थापना की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, उस समय कृषि पुनर्वित्त एव विकास कारपोरेशन (ए आर डी सी) की अधिकृत पूजी सौ करोड रूपये थी। जिसके आधार पर यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय स्तर के बैंक की पूजी इसकी अपेक्षाकृत काफी अधिक होनी चाहिए। इसलिए शिवरमण कमेटी के द्वारा नाबार्ड की अधिकृत पूजी पाच सौ करोड रूपये की सस्तुति की गई तथा प्रथम बार मे नाबार्ड की प्रदत्त पूजी सौ करोड़ रूपये रखने की सस्तुति की गई जिसमें केन्द्रीय सरकार का व भारतीय रिजर्व बैंक का बराबर का अश होगा।

वर्ष २००१ में नाबार्ड की पूजी सरचना मे परिवर्तन किया गया। वर्तमान समय मे नाबार्ड की अधिकृत पूजी पाच सौ करोड से बढ़ाकर पाच हजार करोड रूपये कर दी गई है। जिसमे ४९ प्रतिशत तक निजी अशधरिता तथा ५१ प्रतिशत अश भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बैंक के पास रहेगे।

5. नाबार्ड की कार्यप्रणाली :-

वर्तमान समय मे नाबार्ड जनता के अप्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य कर रहा है। ये न तो जनता से जमांए स्वीकार करता है और न ही उनसे सीधे तौर पर लेन देन करता है और नहीं उन्हे सीधे प्रत्यक्ष रूप से ऋण स्वीकृत करता है। नाबार्ड कृषि एव ग्रामीण विकास से सम्बन्धित आंकडे एव सूचनाएं एकत्र करता है, उनका गहन अध्ययन करता है उसके आधार पर ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाया है व उसी माग के अनुरूप ग्रामीण बैंकिग में लगी वित्तीय सस्थाओ को वित्त उपलब्ध करता है जिनके माध्यम से ग्रामीणो तक वित्त पहुचता है। नाबार्ड के द्वारा कृषि आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थाओं

को अल्पकालीन मध्यकालीन एव दीर्घ कालीन ऋणप्रदान किये जाते है व उन्हीं के अनुरूप बैंकिग सस्थाओ के द्वारा ग्रामीणो को वित्त उपलब्ध करवाये जाते है।

एक प्रकार से देखा जाय तो नाबार्ड की कार्यप्रणाली बिल्कुल उपयुक्त है कि सर्वप्रथम नाबार्ड ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाता है, फिर उसी के अनुरूप बैंकिग सस्थाओ को वित्त उपलब्ध करता है व बैंकों के द्वारा वित्त ग्रामीणो को प्रदान कर दिया जाता है। किन्तु वास्तविकता मे इस प्रणाली मे कुछ दोष व्याप्त है जिसके कारण कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका है। एक तो बैंकों की कार्यप्रणाली सतोषजनक नहीं है, ग्रामीण विकास मे लगे ज्यादातर बैंक घाटे मे चल रहे है कुछ बैंकों की स्थिति तो इतनी ज्यादा चिताजनक है कि सरकार को उन्हे बन्द करने का निर्णय लेना पड रहा है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल ही मे हम गोण्डा जिले मे देख सकते है जहा लगातार घाटे मे चल रहे जिला सहकारी बैंक को बन्द करने का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक ने लिया है।

ग्रामीण क्षेत्रो में स्थापित बैंकिंग सस्थाओ के घाटे मे जाने का सबसे प्रमुख है ऋणो की अत्याधिक न्यूनतम वसूली, जिसके कारण बैंकों की पूजी एक ही स्थान पर रूक जाती है व उसका प्रयोग अन्य उत्पादक कार्यो मे नहीं हो पाता है और इसका एक और दोष यह है कि बैंक अपनी इस हानि की पूर्ति ब्याज की दर मे वृद्धि करके उन ग्राहको से करने का प्रयास करते है जो हमे ऋण वापस कर भी रहे है। इसलिए सर्वप्रथम तो बैंकों को यह प्रयास करना चाहिए कि वे अपने वसूली तत्र को मजबूत करें ताकि ऋण वसूली अनुपात मे वृद्धि की जा सके जिससे बैंकों की लाभदायकता में वृद्धि हो सके व बैंकों की अनुत्पादक आस्तियो मे कमी आ सके जो कि नाबार्ड के लिए एक चिन्ता का विषय बनी हुई हैं। दूसरा बैंकों का ग्रामीणो के प्रति व्यवहार सतोषप्रद नहीं है, ग्रामीणो का कहना है कि बैंक कर्मचारियों द्वारा न तो हमे नयी योजनाओ के बारे में जानकारी दी जाती है और न ही बैंकों के द्वारा हमें समय पर ऋण प्रदान किये जाते हैं, कागजी कार्यवाहियो के कारण छोटा-से-छोटा ऋण मिलने मे महीनों समय लग जाता है

जिससे ग्रामीणो मे व्यापक असतोष व्याप्त है और वे बैंक से ऋण प्राप्त करने के बजाय साहूकारो से ऋणप्राप्त करने मे ज्यादा आसानी महसूस करते हैं।

नाबार्ड को ग्रामीण बैंकिग सस्थाओ की कार्यप्रणाली मे व्यापक सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति पर नियत्रण प्राप्त किया जा सका व ग्रामीणो मे बैंकों के प्रति व्याप्त रोष को कम किया जा सके। नाबार्ड को यह दायित्व भी सौंपा गया था कि व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण वित्त पूर्ति की ओर आकर्षित करना व्यवसायिक बैंको की स्थिति काफी सुदृढ है तथा लगभग सभी व्यवसायिक बैंक लाभ कमा रहे है और यदि व्यवसायिक बैंक ग्रामीण वित्त पूर्ति मे योगदान प्रदान करते तो निश्चित रूप से हम अपने ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते। किन्तु स्थिति आज भी वैसी ही बनी हुई हैं। आज व्यवसायिक बैंक ग्रामीण वित्त पूर्ति मे नाम मात्र का योगदान ही कर रहे है। व्यवसायिक बैंकों का सक्रिय रूप से ग्रामीण विकास मे सहयोग प्राप्त न हाने के कारण ही नाबार्ड को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ) की स्थापना करनी पडी जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि व्यवसायिक बैंक आज भी ग्रामीण विकास में सक्रिय योगदान प्रदान नहीं रहे है।

नाबार्ड को व्यवसायिक बैंकों से उचित तालमेल एव समन्वय स्थापित करके उन्हे भी ग्रामीण वित्त की पूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहिए क्योकि यदि व्यवसायिक बैंकों का सहयोग नाबार्ड को प्राप्त हो जाए तो निश्चिय ही भारत के गावो का विकास सम्भव हो सकता है। वर्तमान समय में नाबार्ड बैंकों के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य कर रहा है जबकि समय की आवश्यकता एव माग के अनुसार उसे जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य करना चाहिए, जनता से जमाए स्वीकार करके अपने कोष में वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसका ग्रामीण विकास मे और अधिक प्रयोग किया जा सके। नाबार्ड को अपने कार्यालयों की संख्या मे वृद्धि करके किसानो से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनकी मार्गों का अधिक से अधिक अनुमान लगाकर शीध्रातिशीध्र उसे पूर्ण किया जा सके।

6. उत्तर प्रदेश के ग्रामीण वित्त में नाबार्ड की भूमिका :-

भारतीय कृषक के पास वित्त प्राप्ति के मात्र दो ही स्रोत हैं प्रथम कृषक स्वय तथा द्वितीय वह कही से ऋण प्राप्त करे। हमारे देश मे कृषि साख के ऊपर अनेक अध्ययन किये गये जो इस बात को स्पष्ट करते हैं किऐसे बहुत ही कम कृषक है जो कृषि साख को स्वय पूरा कर लेते है और लगभग ९५ प्रतिशत कृषक वर्ग ऐसा है जो कि कृषि आवश्यकताओ को ऋण लेकर ही पूरा कर पाते हैं ग्रामीण साख पूर्ति के लिए सरकार अपनी विभिन योजनाओ के अतर्गत इन कृषको की सहायता करती रही है। वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था न हाने से बहुत समय तक साहूकारो का राज चला और ग्रामीण वित्त पूर्ति पर साहूकारो का एकाधिकार स्थापित रहा। साहूकारो ने लम्बे समय तक ग्रामीणो का शोषण किया। अत्याधिक ब्याज दर पर ऋण प्रदान किये जिससे किसान पीढी दर पीढी ऋण से दबता चला गया। किसानो की समस्याओ को दूर करने के उद्देश्य से सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा राष्ट्रीय स्तर पर नाबार्ड की स्थापना की गई।

नाबार्ड की स्थापना से पूर्व कृषि क्षेत्र मे शीर्ष बैंक का दायित्व भारतीय रिजर्व बैंक पर था किन्तु अब नाबार्ड ग्रामीण विकास हेतु एक शीर्ष सस्था है, जो ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि तथा अन्य आर्थिक क्रियाओ के लिए साख नीति, साख नियोजन, कृषि नीति, तथा ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि तथा अन्य आर्थिक क्रियाओ के लिए साख नीति, नियोजन, कृषि नीति, तथा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित योजनाए तैयार करता है एव उन्हे ग्रामीण विकास हेतु सम्पादित भी करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सस्थाओ को वित्त उपलब्ध कराने के लिए यह बैंक शीर्ष सस्था के रूप मे कार्य करता है।

नाबार्ड के द्वारा पुनर्वित्त सुविधा राज्य भूमि विकास बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रदान किया जाता है। इस बैंक की वित्तीय सहायता का मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष लाभ कृषको को सर्वाधिक होता है क्योकि नाबार्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं

ग्रामीण विकास है जो कि किसानो को वित्त उपलब्ध करके पूर्ण किया जा सकता है। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्र मे दीर्धकालीन एव अल्प कालीन वित्त की पूर्ति करके भारतीय अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। नाबार्ड ने विभिन्न देशो तथा अर्तराष्ट्रीय वित्तीय अभिकरणो के साथ मिलकर भी देश का समुचित विकास करने का प्रयास किया। नाबार्ड ने वर्ष २००१ तक विभिन्न अर्तराष्ट्रीय अभिकरणो के साथ देश के ग्रामीण विकास के लिए २७० करोड रूपये के ऋण समझौते किये। इन समझौते की प्रमुख बात यह है कि गावो मे लघु एव कुटीर उद्योगो की स्थापना के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलबध करायी जायेगी। ३१ मार्च २००२ तक नाबार्ड ने विदेशी सहायता से ४४ से अधिक परियोजनाओ के क्रियान्वयन मे सहायता प्रदान किया है। इनमे से १९ परियोजनाओ को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए विश्व बैंक से २२९ करोड रूपये की राशि स्वीकृत की गई है तथा एक परियोजना के लिए पश्चिमी जर्मनी की एक साख कम्पनी से ७ २ करोड़ रूपये की ऋण स्वीकृत हुये है।

नाबार्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदढ बनाने के लिए अलपकालीन ऋण जो मूलत मौसमी कृषि कार्यो के लिए, कमजोर वर्गो के लिए, छोटे किसानो के लिए रियायती वित्त सुविधा, तथा फसलो के विपणन एव उर्वरकों के लिए ऋण स्वीकृत किया गया। नाबार्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश के समन्वित ग्रामीण विकास हेतु पम्प सेट लगाने हेतु, डीजल इजन लगाने हेतु, निर्यातोन्मुखी कृषि परियोजनाओ के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई। चूकि किसानो के लिए सिचाई की समस्या काफी महत्व पूर्ण है जिसकी पूर्ति के लिए नाबार्ड किसानो को ट्यूबवेल लगाने, पक्की नालिया बनवाने, कुए खुदवाने, पम्प सेट लगवाने आदि के लिए मध्यकालीन ऋण की अलग से व्यवस्था की गई जिसके लिए नाबार्ड ने ग्रामीण विकास मे लगी बैंकिग सस्थाओं को पृथक रूप मे ऋण सुविधा उपलब्ध की, ताकि किसानो को सिचाई के साधन सरलतापूर्वक उपलब्ध हो सके। नाबार्ड ने फसलों की किस्म सुधारने का भी प्रयास किया जिसके लिए नाबार्ड ने वर्ष १९९४-९५ के दौरान उत्तम कृषि हेतु ६५ कुन्तल प्रमाणित बीज वितरित करवाये, इसी प्रकार वर्ष १९९९-२००० के दौरान ९१ लाख कुन्टल, प्रमाणित बीज वितरित

करवाये, इसी प्रकार २०००-२००१ के दौरान १०३ लाख कुन्टल प्रमाणित बीज वितरित किये गये जिससे अधिक उत्तम फसल प्राप्त हाने की आशा की जा रही है। नाबार्ड के द्वारा कृषि विकास के उद्देश्य से कृषि मशीनीकरण एव यत्रीकरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। किसानो के पास यदि उत्तम किस्म के कृषि उपकरण न हो तो निश्चय ही किसान उत्तम फसल प्राप्त करने मे सफल हो सकते हैं। जिसके लिए नाबार्ड के द्वारा बैंकिग सस्थाओ के माध्यम से मध्यमकालीन ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं ताकि कृषि दशा मे सुधार किया जा सका।

नाबार्ड कृषि मे आधारभूत परिवर्तन करने के लिए दीर्घकालीन वित्त की सुविधा भी प्रदान करता है। जैसे नये सिचाई के स्थायी साधनो की व्यवस्था करने हेतु, नहर आदि की मरम्मत या व्यवस्था करने हेतु, नये बडे कृषि यत्र क्रय करने के लिए, नई कृषि भूमि क्रय करने के लिए नाबार्ड के द्वारा बैंकों के माध्यम से दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके साथ ही नाबार्ड ने कृषि आधारित सहायक उद्योग जैसे बागान, बागवानी, पशुपालन, भेडपालन, मुर्गीपालन, सुअर पालन, बकरी पालन, हेतु नाबार्ड के द्वारा अलग से वित्त सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। नाबार्ड ने कृषि के ऊपर अत्याधिक जन सख्या का भार को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रो मे लधु एव कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु अलग से वित्तीय सुविधा प्रदान की ताकि कुछ जनसख्या अन्य उद्योगों की ओर आकर्षित होकर नये उद्योगों मे लग जाए ताकि कृषि के ऊपर से जनसख्या के अतिदबाव को कम करके कृषि को एक लाभकर व्यवसाय बनाया जा सके। इसके साथ ही वर्ष १९९५-१९९६ मे नाबार्ड ने ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ) की स्थापना की। इस निधि हेतु राशि वाणिज्यिक बैंक को यह लक्ष्य दिया जाता है कि उसे एक निश्चित राशि ग्रामीण विकास हेतु वितरित करनी है। यदि वाणिज्यिक बैंक उतनी राशि का विनियोग ग्रामीण विकास हेतु नहीं कर पाते है तो बची हुई राशि को इस निधि के अतर्गत नाबार्ड के पास जमा कर दी जाती है और नाबार्ड के द्वारा इस निधि का प्रयोग कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु किया जाता है इस निधि का प्रयोग राज्य सरकारो द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास की परियोजनाओं को

पूरा करने के लिए भी किया जा रहा है। वर्ष १९९९-२००० से इसे और अधिक विस्तारित करते हुए, इसमे पचायती राज सस्थाओ, स्व सहायता समूहो, गैर सरकारी सगठनो इत्यादि जैसी आधार स्तर की सस्थाओ द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओ को भी शामिल कर लिया गया है। यह नीति वर्ष २०००-२००१ के दौरान भी जारी रही। वर्ष २०००-२००१ के केन्द्रीय बजट में उक्त निधि के चरण छ के लिए ५००० करोड रूपये के आवटन की घोषणा की गई है।

ग्रामीण क्षेत्रो मे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण सडको और पुलो के निर्माण तथा बिजली की समुचित व्यवस्था करने हेतु तथा विभिन्न सिचाई परियोजनाओ को ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि के अतर्गत प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष के दौरान अन्य प्रयोजनो मे मृदा सरक्षण, वाटरशेड, विकास, जल निकासी व्यवस्था, ग्रामीण मण्डी स्थल, वन प्रबन्ध, अन्तर्देशीय जल मार्गो, ग्रामीण पेयजल, नागरिक सूचना केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रो और प्राथमिक विद्यालयो के लिए भवन, फूड पार्को प्रणालियो मे सुधार इत्यादि को शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर और केरल जैसे कुछ राज्यो की विशिष्ट आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए अतर्देशीय जलमार्गो और ग्रामीण मडी स्थलो को भी इसमे शामिल किया गया। मछली पकडने मे घाटो और फसलों को सुरक्षित रखने हेतु गोदामो के निर्माण जैसी बुनियादी आवश्यकताओ हेतु ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि में से ऋण प्रदान किया जाता है।

7. नाबार्ड द्वारा बैंक कार्मिकों का प्रशिक्षण :-

नाबार्ड ग्रामीण विकास मे लगी बैंकिग सस्थाओ के कर्मचारियों की कार्यप्रणाली मे सुधार करने के उद्देश्य से उन्हे प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करता है। पूरे देश मे नाबार्ड के द्वारा अनेक प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश मे प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बर्ड) लखनऊ मे स्थापित किया गया है। बर्ड के कार्यकलापो का केन्द्र बिन्दु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनरूद्धार एव प्रशिक्षण, परामर्श और अनुसधान के माध्यम से सहकारी ऋण प्रणाली को सुदृढ़ करना है गत वर्ष में

बर्ड ने १४० इन हाउस कार्यक्रम चलाये जिनमे २५८० प्रशिक्षार्थियो ने हिस्सा लिया। गत वर्ष मे बर्ड, लखनऊ को २२९ १३ लाख की अनुदान सहायता प्रदान की गई। नाबार्ड के द्वारा बैंक कर्मचारियो की कार्यकुशलता एव गुणवत्ता मे सुधार लाने हेतु उन्हे लगातार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है किन्तु बैंक कर्मचारियो की कार्यप्रणाली मे कोई विशेष सुधार नहीं हो सका है। हमने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रो मे जाकर ग्रामीणो से सम्पर्क किया और लगभग सभी स्थानो पर बैंक कर्मचारियो की कार्य प्रणाली से किसान असतोष मिले। सभी स्थानो पर उनका यही आरोप था कि बैंक कर्मचारी किसानो की मदद नहीं करना चाहते है, उन्हे नयी योजनाओ की जानकारी प्रदान नही की जाती है। बैंको की कागजी कार्यवाही इतनी अधिक लम्बी कर दी जाती है कि किसानो को समय से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है इसलिए बैंक कर्मचारियो को अभी और व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे अपने ग्राहको को सतुष्ट रख सके।

ग्रामीण विकास मे लगी वित्तीय सस्थाओ की लाभदायक क्षमता भी अत्याधिक कम हो चुकी है और ज्यादातर बैंक तो लगातार घाटे मे ही चल रहे है। बैंकों की इस बिगड़ती दशा के लिए भी उनकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली ही जिम्मेदार है क्योकि वर्तमान समय मे ग्रामीण क्षेत्रों मे ऋण वसूली अनुपात अत्यधिक कम है अर्थात् बैंक अपने ऋणो की वसूली करने में पूरी तरह से असमर्थ हो रहे हैं डूबते ऋणो की सख्या मे लगातार वृद्धि होते रहने से अनुत्पादक आस्तियो की स्थिति भी चिताजनक बनी हुई है। बैंकों का पैसा लगातार डूब रहा है जिससे उनकी स्थिति लगातार चिताजनक बनी हुई है कई बैंक तो इस कगार पर खडे है कि कब न उन पर ताला पड जाए इस सबके लिए केवल बैंक कर्मचारी जिम्मेदार है यदि वे अपने उत्तरदायित्वो का निर्वहन वखूबी करे तो निश्चय ही इन समस्याओं का हल निकाला जा सकता है।

बैंक द्वारा अपना ऋण वसूल करना तो उसकी जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी। इसलिए यदि बैंक कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर ले तो निश्चय रूप से ही इन बैंकिग संस्थाओं के घाटे को कम किया जा सकता है और ये ग्रामीण विकास में लगे बैंक भी लाभ की स्थिति में रहेंगे तो वे ग्रामीण विकास के लिए नई-नई योजनाएं बनायेगे और उन्हें जिम्मेदारी पूर्वक लागू करेगे। यदि हम ग्रामीण विकास

मे लगी वित्तीय सस्थाओ की स्थिति मे सुधार करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमे उन्हे उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। नाबार्ड को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि ग्रामीण विकास मे लगी बैंकिग सस्थाओ के प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम वर्ष मे एक बार प्रशिक्षण अवश्य प्रदान किया जाए ताकि उनकी कार्यकुशलता मे सुधार किया जा सके और आज जो ग्रामीण वित्तीय सस्थाओ मे अनुत्पादक आस्तियो की चिन्ताजनक स्थिति बनी हुई है उस पर नियत्रण किया जा सके।

8. नाबार्ड द्वारा बैंकों का पर्यवेक्षण :-

नाबार्ड की कार्यप्रणाली भारतीय रिजर्व बैंक से मिलती जुलती है। इसीलिए भारतीय रिजर्व बैंक की ही भाति नाबार्ड को बैंकों के निरीक्षण एव पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण विकास में लगी समस्त बैंकिग इकाइयो का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है जिसमे नाबार्ड उनकी कार्यप्रणाली का मूल्याकन करता है, लाभदायकता क्षमता का विश्लेषण करता है तथा खातो की जाच भी कर सकता है। यदि इस निरीक्षण मे किसी बैंक की दशा खराब पायी जाती है या उसमे अनुत्पादक आस्तियो की सख्या अत्याधिक ज्यादा पायी जाती है तो नाबार्ड के द्वारा ऐसे बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते हैं। जिन बैंकों की दशा ज्यादा खराब पायी जाती है उन्हें विशेष निर्देश दिये जाते है व नाबार्ड द्वारा उन्हे कुछ निश्चित लक्ष्य प्रदान किये जाते है इसलिए उन्हें चिन्हित बैंक कहा जाता है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम १९४९ के अतर्गत राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आवधिक स्वैच्छिक निरीक्षण की सांविधिक जिम्मेदारी नाबार्ड को सौपी गयी है। इसके अलावा नाबार्ड राज्य स्तर की सहकारी सस्थाओ जैसे राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, शीर्ष बुनकर सहकारी समितियो, राज्य सहकारी विपणन सघों इत्यादि का आवधिक स्वैच्छिक निरीक्षण भी करता है। इन निरीक्षणो का बुनियादी उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा करनें के लिए बैंकों की वित्तीय और प्रबन्धकीय क्षमताओ की जाच करना है साथ ही कानूनों और विनियमनों के अनुरूप

सुदृढ बैंकिग प्रणाली को बनाए रखना भी इनका उद्देश्य है। आज बैंकों को दी जा रही अधिक प्रबन्धकीय स्वतत्रता के फलस्वरूप पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस हुई। आज पर्यवेक्षण प्रणाली को बदलती जरूरतो के अनुरूप पुर्नभिमुखीकृत करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध मे नाबार्ड ने १९९८-९९ के दौरान परोक्ष निगरानी प्रणाली के रूप मे एक पूरक प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली के अतर्गत बैंको के वित्तीय निष्पादन और उनकी सुदृढता का निरतर आधार पर अनुप्रवर्तन करने के लिए बैंकों से निर्धारित आवधिक विवरणियो के सेट प्राप्त किये गये थे जहा कही आवश्यक हुआ, वहा पहले से ही चेतावनी सकेत दिये गये, कमजोर बैंको की पहचान की गई और उनका दौरा किया गया तथा उन्हे सुधार के लिए उचित उपाय करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।

वर्ष २००१-२००२ के दौरान कम्प्यूटरीकृत आकडे निर्माण और ससाधन की प्रणाली को और सुदृढ बनाने के लिए प्रयास जारी रहे। विभिन्न राज्य सरकारो ने उन लेखा परीखा विभागो के साथ समय समय पर विचार विमर्श किया जो सहकारी बैंको, और वित्तीय सस्थाओ की लेखा परीक्षा करते हैं। ऐसे आवधिक विचार विमर्श, लेखा परीक्षा और साविधिक निरीक्षणों के विस्तृत क्रियाकलापो मे केन्द्राभिमुखता लाने के उद्देश्य से किये गये। परिचालन सम्बन्धी मुद्दो को सुलझायें और साथ ही लेखाकन, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण, मानदण्डो से सम्बन्धित नवीनतम नीतियों और कार्यविधियो का प्रसार करने के लिए राज्य स्तर पर सगोष्ठिया एव सम्मेलन भी आयोजित किये गये। बैंकों में जोखिम और जोखिम प्रबन्ध प्रणालियो के विश्लेषण पर अधिक जोर देते हुए नाबार्ड ने प्रत्यक्ष निरीक्षण सम्बन्धी मार्गनिर्देशो की पुन समीक्षा की और उनमे सशोधन किये गये। नाबार्ड के द्वारा ग्रामीण बैंकिग मे लगी सस्थाओ का निरीक्षण भी किया जाता है। नाबार्ड के द्वारा किसी भी बैंक को पूर्व सूचना देकर या सूचना दिये बिना बैंक का निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण के भय से बैंक अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने का प्रयास करते हैं। ग्राहको से मधुर सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास करते है, अपनी लेखा पुस्तकें ठीक

रखते है। निरीक्षण के द्वारा नाबार्ड इनमे समुचित सुधार का प्रयास करता है ताकि ये ठीक ढग से ग्रामीण विकास मे अपना योगदान प्रदान कर सके।

मैं अपनी शोध के आधार पर कह सकता हू कि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे नाबार्ड की सराहनीय भूमिका है। नाबार्ड की स्थापना से कृषि एव ग्रामीण क्षेत्र मे व्यापक सुधार एव परिवर्तन हुए है। नाबार्ड ने अपनी स्थापना काल से लेकर आज तक ग्रामीण वित्त पूर्ति का प्रयास किया है। यह सत्य है कि नाबार्ड के सहयोग से कृषि एव ग्रामीण विकास सम्भव हुआ है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है, आज भी नाबार्ड मे व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, नाबार्ड मे अनेक कमिया स्पष्ट हुई हैं, यदि हम उनमे सुधार करने मे सफलता पा सके तो निश्चित रूप से नाबार्ड अपनी स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए नाबार्ड के योगदान को पर्याप्त एव पूर्ण नहीं कहा जा सकता है आज इसमे व्यापक परिवर्तन एव सुधार की आवश्यकता है।

समीक्षोंपरान्त प्रगति हेतु सुझाव :-

मैं अपनी शोध के आधार पर नाबार्ड की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत कर रहा हू, जिनकी सहायता से नाबार्ड अपनी स्थापना के लक्ष्य को पूर्ण कर सकता है -

- नाबार्ड को अपने प्रबन्ध तत्र मे परिवर्तन लाना चाहिए। नाबार्ड के मध्यस्तरीय प्रबन्धको के ऊपर कार्य का उत्तरदायित्व अत्याधिक ज्यादा है जिससे वे अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर पाते है। मैंने अपनी शोध मे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अध्ययन किया जिसमें मैंने पाया कि नाबार्ड ने सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के कार्य सचालन के लिए मात्र एक क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया है तथा प्रदेश के तीन प्रमुख जिलों इलाहाबाद, कानपुर, तथा गाजियाबाद में एक एक कार्यालय स्थापित किया है। इन तीनो जिलो के कर्यालयों में स्टाफ के नाम पर मात्र एक एक

व्यक्ति उप महाप्रबन्धक के पद पर नियुक्त है जो कि उत्तर प्रदेश के बहुत बडे भाग की ग्रामीण वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाते हैं, बैंकों का निरीक्षण करते है, किस क्षेत्र को किस चीज की आवश्यकता है के विषय मे अनुमान लगाते है अर्थात् कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति की जिम्मेदारी मात्र एक व्यक्ति को सौंप दी गई है।

शोध कार्य द्वारा एकत्र की गई सूचनाओ से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बडे राज्य की कृषि आवश्यकताओ एव ग्रामीण वित्त पूर्ति हेतु मात्र एक क्षेत्रीय कार्यालय व तीन अन्य कार्यालय पूर्णतया अपर्याप्त है। अत नाबार्ड को यह प्रयास करना चाहिए कि निकट भविष्य मे प्रदेश के सभी शहरो मे अपने कार्यालय स्थापित करे जिससे कि कृषि आवश्यकताओ का सही अनुमान लगाया जा सके व उन्हे यथा समय पूर्ण करने की व्यवस्था की जा सके। अत वर्तमान कृषि आवश्यकताओ के परिप्रेक्ष्य मे नाबार्ड को तत्काल अपने प्रबन्धतत्र एव सगठनात्मक सरचना मे परिवर्तन का प्रयास करना चाहिए। जिससे भविष्य की कार्यप्रणाली मे सुधार की आशा की जा सकती है।

❖ मैंने अपने शोध मे पाया की नाबार्ड को जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क में कार्य करना चाहिए। अभी तक नाबार्ड जनता से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। नाबार्ड कृषि आवश्यकताओ एव ग्रामीण वित्त की माग का अनुमान लगाकर उसे विभिन्न बैंकिग सस्थाओ द्वारा पूर्ण करवाने का प्रयास करता है। इस प्रकार वह जनता के प्रत्यक्ष सम्पर्क मे नहीं आता है। किन्तु वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप नाबार्ड को प्रत्यक्ष सम्पर्क मे कार्य करना चाहिए। जिससे कि वह किसानो की वास्तविक आवश्यकताओ को जान सके, उन्हे किस प्रकार के वित्त की अथवा किस प्रकार के सहायता की किस समय आवश्यकता है कि स्पष्ट जानकारी समय से प्राप्त हो सके, यदि बैंकों से ग्रामीणों को शिकायत है तो उसकी सूचना सीधे नाबार्ड को दी जा सकती है ताकि नाबार्ड तत्काल उचित कार्यवाही कर सके।

इसलिए वर्तमान समय मे नाबार्ड को जनता के नजदीक आकर उनकी वास्तविक आवश्यकताओ एव जरूरतो को समझ कर कार्य करना चाहिए ताकि अब निकट भविष्य मे कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को शीध्रतिशीध्र प्राप्त कर सके।

❖ मैंने अपनी शोध मे पाया कि ग्रामीण विकास मे लगी बैंकिग सस्थाओ की कार्यप्रणाली सतोषजनक नहीं है। ग्रामीणो का आरोप है कि बैंकों की लम्बी कार्यवाही के कारण उन्हे कभी समय से वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। बैंक कर्मचारी ग्रामीणो की सहायता नहीं करना चाहते हैं, उन्हे बैंको की नवीन योजनाओ की जानकारी प्रदान नहीं करते है। अर्थात् बैंकिग सस्थाओ के हाने के पश्चात् भी ग्रामीण उनसे लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।

अत नाबार्ड को यह प्रयास करना चाहिए कि बैंक कार्मिको को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए जिससे बैंक कार्य को शीध्र समाप्त किया जा सके या किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाए लागू की जाए जिससे किसानो को समय से तत्काल ऋण उपलग्ध हो सके। अत- बैंक कर्मिको को पर्याप्त प्रशिक्षण एव कडे निर्देश दिये जाने चाहिए कि उन्हें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करके ग्रामीणो की हर सम्भव सहायता करनी चाहिए।

❖ मैंने अपनी शोध मे पाया कि नाबार्ड ग्रामीण विकास में लगी बैंकिग सस्थाओ के मध्य उचित समन्वय एव तालमेल स्थापित करने मे असफल रहा है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी हाल ही में हम ग्रामीण बैंक मे देख सकते है। वर्तमान समय मे ग्रामीण बैंक के द्वारा स्वय को राष्ट्रीय बैंक बनाये जाने की माग की जा रही है जो कि नाबार्ड की असफलता को स्पष्ट करता है।

इसलिए नाबार्ड को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह ग्रामीण विकास में लगी बैंकिंग सस्थाओ के मध्य उचित तालमेल स्थापित करे। यदि सभी सस्थाए आपस में एक साथ एक जुट होकर,

सहयोग के साथ कार्य करे तो निश्चय ही कृषि एव ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए नाबार्ड को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वित्तीय सस्थाओ को समन्वित किया जा सके और उनका उचित सहयोग ग्रामीण वित्त पूर्ति हेतु प्राप्त किया जा सके।

❖ मैंने अपनी शोध मे पाया कि वर्तमान समय मे ग्रामीण वित्त पूर्ति मे केवल ग्रामीण बैंकिग सस्थाए ही योगदान प्रदान कर रही है। जबकि व्यावसायिक बैंको का सहयोग भी नितात आवश्यक है। नाबार्ड को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसे व्यावसायिक बैंकों से उचित सम्पर्क स्थापित करके उन्हे ग्रामीण वित्त पूर्ति हेतु प्रेरित करना चाहिए। वर्तमान समय मे वाणिज्यिक बैंकों की स्थिति उत्तम हैं, वाणिज्यिक बैंक लगातार मुनाफे मे व्यापार कर रहे है। इसलिए नाबार्ड को वाणिज्यिक बैंकों से उचित तालमेल स्थापित करके, उनकी शाखाए गावो मे खोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि ग्रामीण वित्त पूर्ति की समुचित व्यवस्था की जा सके।

वर्तमान समय में यह अतिआवश्यक है कि वाणिज्यिक बैंकों का सहयोग भी ग्रामीण वित्त पूर्ति मे लिया जाए। इनके सहयोग से निश्चित रूप से ही ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए नाबार्ड को कृषि एव ग्रामीण विकास हेतु वाणिज्यिक बैंकों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

❖ मैंने अपनी शोध मे पाया कि ग्रामीण विकास मे लगी बैंकिग सस्थाएं लगातार घाटे में चल रही है जिसका प्रमुख कारण अनुत्पादक आस्तिया हैं। कई बैंकों मे तो अनुत्पादक आस्तियों की हालत इतनी अधिक बिगड चुकी है कि बैंक बन्द होने की कगार पर हैं।

नाबार्ड को बैंकिग संस्थाओ मे बढ़ती अनुत्पादक आस्तियों की समस्या को नियन्त्रित करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए यह अतिआवश्यक है कि बैंक कार्मिकों को व्यापक प्रशिक्षण दिये

जाये जिससे वे बैंक के धन को सुरक्षित रखने मे समर्थ हो सके। बैंक कार्मिको को ऋण वसूली व्यवस्था की पर्याप्त जानकारी एव प्रशिक्षण दिये जाने चाहिए जिससे अनुत्पादक आस्तियो को बनने से ही रोका जा सके। बैंक कार्मिको को ये आवश्यक निर्देश दिये जाने चाहिए कि ऋण देते समय ही पर्याप्त सावधानी बरती जाए, जमानत आदि की कार्यवाही को पूर्ण किया जाए जिससे बैंकों के धन को डूबने की सम्भावना कम हो जाए। इसलिए वर्तमान समय मे नाबार्ड को अनुत्पादक आस्तियो की बिगडती दशा मे नियत्रण हेतु तत्काल समुचित व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि ग्रामीण विकास मे लगी वित्तीय सस्थाओ की बिगड़ती दशा मे नियत्रण प्राप्त किया जा सका।

- नाबार्ड को अपनी पुनर्वित्तीयन व्यवस्था मे भी परिवर्तन लाना चाहिए। मैंने अपनी शोध मे एकत्र सूचनाओं एव आकड़ों के आधार पर ज्ञात किया कि नाबार्ड बडी योजनाओ के लिए व दीर्धकालीन ऋणो की स्वीकृति अधिक प्रदान करता है। जबकि किसानो की आवश्यकताए छोटी छोटी व अल्पावधि की होती है। दीर्धकालीन योजनाएं किसानों को ही लाभान्वित करती हैं, किन्तु लम्बे अन्तराल के पश्चात् और तब तक की आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु, किसानो को छोटी-छोटी धनराशि की आवश्यकता होती है जो कि उसे सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

इसलिए वर्तमान आवश्यकताओ के अनुरूप नाबार्ड को छोटी-छोटी एव अल्पावधि वाली योजनाओ की पूर्ति हेतु भी पुनर्वित्त व्यवस्था उपलब्ध करनी चाहिए ताकि किसान अपनी छोटी कृषि आवश्यकताओ की पूर्ति भी सस्थागत स्रोतो की सहायता से कर सकें।

- भारतीय गाव आज भी आधारभूत सुविधाओ से वंचित हैं। जैसे गावों में आज भी पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, गावो में आज भी शिक्षा की उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, गावो मे आज भी यातायात की समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, गावों में आज भी परिवार

नियोजन के साधनो का व उनके सम्बन्ध मे उचित जानकारी का पूर्णतया अभाव है, गावो मे आज भी मनोरजन के साधनो का पूर्णतया अभाव है, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रो मे आज भी आधारभूत सुविधाओ की अपर्याप्तता है।

अत· नाबार्ड को यह प्रयास करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रो मे कम से कम आधारभूत सुविधा विकास निधि की स्थापना की गई है। इस निधि से नाबार्ड राज्य सरकारो को ग्रामीण आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि इस निधि का समुचित उपयोग ग्रामीण आधारभूत सुविधाओ की पूर्ति हेतु किया जा रहा है अथवा नहीं।

❖ मैंने अपनी शोध मे पाया कि भारतीय कृषि के ऊपर जनसख्या का दबाव अत्याधिक ज्यादा है। इसका प्रमुख कारण है कि किसान के पास अन्य कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं रहते है। जिससे वह तथा उसका परिवार मात्र कृषि आय पर ही निर्भर रहते हैं। कृषि पर जनसख्या का दबाव अत्याधिक ज्यादा होने की वजह से कृषि आज अलाभकर व्यवसाय बनी है।

इसलिए नाबार्ड को कृषि के ऊपर से जनसख्या के दबाव को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एव कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए जिससे परिवार के अन्य सदस्य भी आय प्राप्त कर सके और कृषि के ऊपर जनसंख्या का दबाव कम हो सके। इसलिए वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप नाबार्ड को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के व्यापक प्रयास करने चाहिए। जिससे कृषि को एक लाभकर व्यवसाय में परिवर्तित किया जा सके।

शोध सरांश :-

मैं अपनी शोध के आधार पर नाबार्ड के विषय मे निम्नलिखित कथन कहना चाहूगा -

- नाबार्ड ने कृषि एव ग्रामीण विकास मे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे नाबार्ड का योगदान सराहनीय रहा है।
- उत्तर प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे नाबार्ड के योगदान को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है।
- नाबार्ड की वर्तमान स्थिति मे व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।
- नाबार्ड ने अपनी स्थापना के लक्ष्यो को पूर्ण तो किया है किन्तु पूरी तरह से नहीं किया है।
- नाबार्ड की स्थापना से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मे व्यापक सुधार एव परिवर्तन हुए हैं।
- नाबार्ड की स्थापना से ग्रामीण वित्त पूर्ति की समस्या को काफी हद तक हल कर लिया गया है।
- नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास की एकाकी सस्था के रूप मे सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।
- नाबार्ड की स्थापना से किसानों को आधारभूत सुविधाओ की प्राप्ति सरलतापूर्वक हो जाती है।
- नाबार्ड ग्रामीण पुनर्वित्त पूर्ति के एकमात्र स्रोत के रूप मे कार्य कर रहा है।

इस अध्ययन से निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि नाबार्ड कृषि एव ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान समय मे नाबार्ड उत्तर प्रदेश में ग्रामीण वित्त पूर्ति का प्रयास कर रहा है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है, और इसमे व्यापक परिवर्तन एव सुधार की आवश्यकता है। नाबार्ड का योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मे सराहनीय है किन्तु यह पूर्ण नहीं है इसलिए नाबार्ड को अपनी कार्यप्रणाली मे सुधार करना चाहिए। नाबार्ड मे सुधार हेतु निकट भविष्य में भी सुझाव दिये जायेंगे।

सूचना स्त्रोत

1.	*क्रैफीकार्ड रिपोर्ट*	*भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित*
2.	*वार्षिक रिपोर्ट*	*नाबार्ड*
3.	*व्यक्तिगत सूचनाओ के आधार पर*	

******

संदर्भ सूची

१ सिह,अरूणेश, २००१, भारतीय अर्थव्यवस्था,
प्रकाशक - ज्ञान भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स, इलाहाबाद।

२ मिश्र, जगदीश नारायण, १९९०, भारतीय अर्थव्यवस्था,
प्रकाशक - लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

३ गर्ग, अरूण कुमार एव गर्ग, अजू, १९९९, मुद्रा तथा अधिकोषण,
प्रकाशक - साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

४ आहूजा, एच० एस०, १९९०, मुद्रा - बैंकिग एव लोक वित्त,
प्रकाशक - एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली।

५ मिश्रा, एम० एन०, १९९०, मुद्रा - बैंकिग एव लोक वित्त,
प्रकाशक - एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली।

६ रूद्र दत्त तथा के० पी० एम० सुन्दरम् , १९९१, भारतीय अर्थव्यवस्था,
प्रकाशक - एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली।

७ सेठी, टी० टी०, १९९०, मुद्रा - बैंकिग एव अर्तराष्ट्रीय व्यापार,
प्रकाशक - एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली।

८ सिन्हा, वी० सी०, १९८५, भारतीय अर्थशास्त्र,
प्रकाशक - लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

९ सिन्हा, वी० सी० एव सिन्हा, पुष्पा, १९९०, मुद्रा - बैंकिंग एव विदेशी विनिमय,
प्रकाशक - लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद।

१० सिदद्दीकी, ए० ए०, १९९९, मुद्रा - बैकिग एव विदेशी विनिमय,
प्रकाशक - प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।

११ ग्रामीण कृषि साख सर्वेक्षण कमेटी रिपोर्ट,
प्रकाशिक - भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

१२ शिवरमण कमेटी रिपोर्ट (क्रैफीकार्ड),
प्रकाशिक - भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

१३ शाही कृषि आयोग रिपोर्ट,
प्रकाशिक - भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।

१४ नेशनल बैंक न्यूज रिब्यू,
प्रकाशिक - सूचना प्रणाली और कम्प्यूटर सेवा विभाग (नाबार्ड)।

१५ वार्षिक रिर्पोट (नाबाड़ी),
प्रकाशिक - राष्ट्रीय कृषि एव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)।

१६ मासिक पत्रिका - योजना,
प्रकाशिक - सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

१७ मासिक पत्रिका - कुरूक्षेत्र,
प्रकाशिक - ग्रामीण विकास मत्रालय, नई दिल्ली।

१८. *Chakravarti, S, 1985, Report of the Committee to review the working of the monetary system*

१९ *Hajela, P. D, 1983, the problem of Menetary policy in underdeveloped countries.*

२० *Gupta, S. B., 1990, Monetary Planning for India.*

२१ *Subramanya, S , 1980, Trends and Progress of Bankıng ın Indıa*

२२ *Sınha, S L N and Ramman, A , 1990, Credıt Pannıng and Polıcy*

२३ *Naıdıa, L K , 1985, Bank Fınance for Rural Development*

२४ *Gupta, S B , 1982, Monetary Economıcs Instıtutıons, Theory and Ploıcy*

२५ *Narula, R K , 1984, Agrıcultural and Rural Advances by Commercıal Bank*

WEB SIDES :-

- ✓ *www bankreport rbı.org ın*
- ✓ *www wss rbı org ın*
- ✓ *www bulletın.rbı org ın*
- ✓ *www nabard org ın*

NEWSPAPER :-

१ आज   २ दैनिक जागरण

३ अमर उजाला   ४. अमृत प्रभात

******

Devendra Tripathi 227, Triveni Nagar, Naini, Allahabad Ph.No. (0532) 696417.